SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

बिहार सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या–01
(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

बिहार सरकार
2026 का प्रतिवेदन संख्या–01

विषय सूची

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या/ अभियुक्तियाँ
प्राक्कथन			v
विहंगावलोकन			vii
अध्याय–I			
प्रस्तावना			
इस प्रतिवेदन के बारे में		1.1	1
लेखापरीक्षिती रूपरेखा		1.2	1
लेखापरीक्षा के लिए अधिदेश		1.3	2
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति		1.4	7
अध्याय–II			
निष्पादन लेखापरीक्षा			
ग्रामीण विकास विभाग			
बिहार में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन		2	9
अध्याय-III			
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा			
जल संसाधन विभाग			
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत तटबंधों का निर्माण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण		3	71
अध्याय-IV लेखापरीक्षा कंडिकाएं			
भवन निर्माण विभाग			
मूल्य समायोजन की गलत गणना के कारण अधिक भुगतान		4.1	105
शिक्षा विभाग			
सेवा शुल्क पर दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान		4.2	107
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अस्वीकार्य भुगतान के कारण हानि		4.3	109
शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग			
ब्याज और हर्जाना के भुगतान पर परिहार्य व्यय		4.4	111
ग्रामीण कार्य विभाग			
पुलों के निर्माण पर निष्फल व्यय		4.5	113
जल संसाधन विभाग			
बोल्डर की ढुलाई पर परिहार्य भुगतान		4.6	116
परिशिष्ट			
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/ कंडिकाएं	1.3.2	119

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या/ अभियुक्तियाँ
1.2	निरीक्षण प्रतिवेदन की लंबित कंडिकाओ में अनियमितताओं के प्रकार	1.3.2	120
1.3	मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए पीए/एसएससीए से संबंधित अभिलेखों के लेखापरीक्षा को गैर/आंशिक प्रस्तुतीकरण और जवाबों का विवरण	1.3.4	121
1.4	लेखापरीक्षा सौंपने और स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करने/जारी करने की स्थिति	1.4	122
2.1	चयनित इकाइयों की सूची और चयनित लाभार्थियों की संख्या	2.1.6	123
2.2	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का विवरण	2.1.8	125
2.3 (अ)	ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक विकास योजना के अनुमोदन में विलंब	2.2.4.3	126
2.3 (ब)	जिला परिषद द्वारा वार्षिक विकास योजना के अनुमोदन में विलंब	2.2.4.3	127
2.4	मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए लंबित मुआवजा	2.4.4.4	128
2.5	नरेगासॉफ्ट में दर्ज नहीं किए गए ग्राम पंचायत–वार अनुमोदित कार्यों का विवरण	2.5.7 (ब)	129
2.6	सड़क निर्माण में केवल मिट्टी कार्य किए जाने को दर्शाने वाला विवरण	2.5.8	130
3.1	दिसंबर 2024 तक नमूना–जांचित नदी बेसिन में तटबंधों के निर्माण के लिए योजनाओं की स्थिति	3.2	131
3.2 (अ)	बीएफएमएस के फेज–II के अंतर्गत एचएससीएल द्वारा निर्मित तटबंध पर खंडों में किए गए कार्य पर व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	3.2.1.1	132
3.2 (ब)	बीएफएमएस फेज–II (विस्तार) के अंतर्गत अधूरे निर्मित तटबंध पर किए गए व्यय को दर्शाने वाली विवरणी (मार्च 2024)	3.2.1.1	132
3.3	निविदा मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष और डीटीसी का निर्णय	3.3.2	133
3.4	मिट्टी कार्य के फैलाव पर परिहार्य व्यय	3.3.3	134

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या/ अभियुक्तियाँ
3.5	डब्ल्यूएमएम पर व्यर्थ व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	3.4.1.1	135
3.6	सड़क कार्य में सघन बिटुमिनस मैकाडम (डीबीएम) की गैर–आवश्यकता का विवरण	3.4.2.2	136
3.7	बीओक्यू मूल्य से जीएसटी और श्रम उपकर के अपवर्जन के कारण संवेदक को अधिक भुगतान	3.4.3.2	137
3.8	112.280 किमी से 182.700 किमी तक बागमती तटबंधों की ऊंचाइयों का विवरण	3.4.5.1 (अ)	138
3.9	डिजाइन स्तर के सापेक्ष किमी 60.00 से किमी 79.00 तक के तटबंधों के शीर्ष स्तर का विवरण	3.4.5.1 (ब)	139
3.10	मिट्टी के कार्य की ढुलाई पर अनियमित भुगतान	3.4.5.4	140
3.11 (अ)	आईआरसी 36 के अनुसार न्यूनतम सबग्रेड मिट्टी संघनन के लिए आवश्यक विनिर्देश	3.5 (अ)	141
3.11 (ब)	मिट्टी के कार्य के संघनन और एमडीडी परीक्षण–प्रतिवेदन संचालन का विवरण	3.5 (अ)	141
3.12	मिट्टी उठाव क्षेत्र की गुणवत्ता परीक्षणों को किए बिना उठाव क्षेत्र से निकाली गई मिट्टी की मात्रा को दर्शाने वाली विवरणी	3.5 (ब)	142
4.1	मूल्य समायोजन की गलत गणना के कारण किए गए अधिक भुगतान का विवरण	4.1	143
4.2	विश्वविद्यालय द्वारा एजेंसी को किए गए भुगतान का विवरण	4.3	144
4.3	हर्जाना और ब्याज के जुर्माने के भुगतान के लिए किए गए परिहार्य व्यय का कार्यालय–वार विवरण	4.4	145
4.4	बोल्डर की मात्रा, ढुलाई दर और किए गए भुगतान का विवरण	4.6	146

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में ग्रामीण विकास, जल संसाधन, भवन निर्माण, शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण और ग्रामीण कार्य विभागों के निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में वैसे मामले शामिल हैं जो 2023–24 की अवधि के दौरान नमूना–लेखापरीक्षा के दौरान साथ ही जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाये गये, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2023–24 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार अद्यतन कर शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा टिप्पणियां सीमित नमूना–जांच पर आधारित हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के इस प्रतिवेदन में 'बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का क्रियान्वयन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, 'जल संसाधन विभाग के अंतर्गत तटबंधों का निर्माण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण' पर एक विषय–विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा तथा छह लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निष्कर्ष शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

2. बिहार में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 'बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का क्रियान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा योजना बनाने की प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन, रोजगार सृजन और उससे संबंधित उपलब्धियों के आकलन के साथ–साथ योजना के अंतर्गत टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन आदि के मूल्यांकन हेतु की गई।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- रोजगार की मांग की मात्रा और समय का आकलन करने के लिए अंतिम बार 2015–2016 में बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया था, जबकि इसे प्रत्येक पांच साल में एक बार करना अनिवार्य है। 2019–24 के दौरान बेसलाइन सर्वेक्षण के अभाव में, ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार की मांग की मात्रा और समय के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर आजीविका और रोजगार के अवसरों की प्रकृति में होने वाले किसी भी बदलाव का आकलन करने के लिए विभाग के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

(कंडिका 2.2.2)

- चयनित जिलों में, जिला परिप्रेक्ष्य योजना (डीपीपी) 2020–25 तैयार नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार और बिहार सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के लिए मनरेगा परियोजनाओं की पहचान नहीं हो सकी।

(कंडिका 2.2.3)

- राज्य में मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत 13,798 पदों में से 20 नवंबर 2024 तक 6,086 पद (44 प्रतिशत) रिक्त थे। रिक्तियों की संख्या जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) के मामले में 16 प्रतिशत से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरों के मामले में 80 प्रतिशत तक थी। यह इस तथ्य के बावजूद है कि मानव बल की कमी के मुद्दे को सीएजी के वर्ष 2021 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या–3 (बिहार सरकार) में पहले भी दर्शाया गया था।

(कंडिका 2.2.6)

- राज्य स्तर पर प्रशिक्षित कुल 1,05,253 मेट में से केवल 26,278 (25 प्रतिशत) ही दिसंबर 2024 तक तैनात किए गए। मेट की तैनाती में कमी से योजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। लेखापरीक्षा ने जॉब कार्ड अद्यतन न होने, कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने में विसंगतियां और काम की मांग को ठीक से दर्ज न कर पाने जैसे मामले पाए, जो कि मेट द्वारा किए जाने वाले कार्य थे।

(कंडिका 2.2.7.1)

- वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, राज्य ने योजना के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कुल निधि ₹ 31,730.69 करोड़ में से ₹ 30,615.93 करोड़ (96 प्रतिशत) का उपयोग किया। हालांकि, मार्च 2024 तक, विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के पास पांच वर्षों से अधिक समय से ₹ 36.22 करोड़, असमायोजित अग्रिम के रूप में पड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त, सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों से काटी गई ₹ 6.95 करोड़ की रॉयल्टी और कर राशि सरकारी खातों के सम्बंधित शीर्षों में जमा नहीं की गई थी।

(कंडिका 2.3.2)

- अकुशल मजदूरी और सामग्री लागत के भुगतान के लिए 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,903.58 करोड़ की कुल बकाया देनदारियों में से ₹ 302.24 करोड़ 2019–20 से पहले की अवधि से लंबित थे, जबकि ₹ 1,506.75 करोड़ 2023–24 के दौरान उत्पन्न देनदारियों से संबंधित थे।

(कंडिका 2.3.3)

- अधिनियम के तहत श्रमिकों का विवरण एकत्र करना, सभी पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी करना और उनका सत्यापन करना अनिवार्य था। हालांकि, नवंबर 2024 तक, राज्य में 1,42,746 (1.04 प्रतिशत) और चयनित जिलों में 42,171 (1.63 प्रतिशत) पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी नहीं किए गए थे। इसके अलावा, 2019–24 के दौरान राज्य के कुल जॉब कार्ड में से केवल 30.12 प्रतिशत से 53.84 प्रतिशत जॉब कार्ड और 43.52 प्रतिशत से 63.84 प्रतिशत सक्रिय जॉब कार्ड का ही सत्यापन किया गया था।

(कंडिका 2.4.2.1 एवं 2.4.2.2)

- वर्ष 2019–24 के दौरान राज्य में मनरेगा श्रमिकों को किए गए कुल ₹ 20,374.91 करोड़ के भुगतान में से ₹ 735.10 करोड़ (3.61 प्रतिशत) का भुगतान 16 दिनों से लेकर 90 दिनों से अधिक की देरी से हुआ। यह देरी मुख्य रूप से प्रखंड में कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर फंड ट्रांसफर ऑर्डर को तैयार करने और संसाधित करने में हुई देरी के कारण हुई। इसके अलावा मजदूरी के लंबित भुगतान के लिए मुआवजे के 10.03 करोड़ मानव दिवसों के कुल दावों में से वर्ष 2019–24 के दौरान केवल 0.42 करोड़ मानव दिवसों (4.19 प्रतिशत) के दावों को ही मंजूरी दी गई।

(कंडिका 2.4.4.2 एवं 2.4.4.4)

- वर्ष 2019–24 के दौरान शुरू किए गए 1.21 करोड़ कार्यों में से 44.73 लाख (37 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हो गए, और शेष 76.27 लाख कार्य (63 प्रतिशत) नवंबर 2024 तक चल रहे थे।

(कंडिका 2.5.2)

- चयनित इकाइयों में, 2019–24 के दौरान किए गए कुल 35,261 कार्यों में से, 5,800 (16 प्रतिशत) कार्य पांच साल तक की अवधि तक अधूरे रहे।

(कंडिका 2.5.3)

- चयनित तीन जिलों (पूर्वी चंपारण, सहरसा और शिवहर) में नदियों की गाद निकालने से संबंधित 72 कार्यों के निष्पादन पर ₹ 5.65 करोड़ का व्यय हुआ, जो वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) के अनुसार किए जाने वाले कार्यों की सूची में शामिल नहीं थे।

(कंडिका 2.5.4)

- वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) के अनुसार, संबंधित डीपीसी को ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यों के लिए मजदूरी–सामग्री का व्यय अनुपात 60:40 बनाए रखना आवश्यक था। 2019–24 की अवधि के लिए चयनित छह जिलों के व्यय आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि पांच जिलों (सहरसा को छोड़कर) ने निर्धारित अनुपात का पालन नहीं किया।

(कंडिका 2.5.5)

- राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण, समीक्षा और मूल्यांकन के लिए मई 2012 में राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) का गठन किया था। बाद में एसईजीसी का पुनर्गठन जुलाई 2016 और जनवरी 2021 में किया गया। हालांकि, सरकार ने एसईजीसी की बैठकों की आवृत्ति, स्थान और प्रक्रिया के संबंध में कोई नियम नहीं बनाए थे। ऐसे नियमों के अभाव से एसईजीसी ने 2021–23 के दौरान केवल तीन बैठकें कीं, जो राज्य स्तर पर योजना के अपर्याप्त अनुश्रवण को दर्शाता है।

(कंडिका 2.6.2)

- चयनित जिलों में (गया और नवादा को छोड़कर), लोकपाल का पद 21 महीने से लेकर 38 महीने तक की अवधि के लिए रिक्त रहा।

(कंडिका 2.6.4.4)

- राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मनरेगा योजना और बिहार सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा सोसाइटी का गठन (जून 2015) किया। हालांकि, सामाजिक लेखापरीक्षा सोसाइटी ने ग्राम पंचायतों की वार्षिक लेखापरीक्षा करने के आधार पर वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जबकि मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अधिदेशानुसार इसे छह महीने में एक बार किया जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप, चयनित जिलों में 13,340 सामाजिक लेखापरीक्षा करने के सापेक्ष, वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान केवल 3,454 लेखापरीक्षा, (25.89 प्रतिशत) ही की गईं।

(कंडिका 2.6.5.1 एवं 2.6.5.2)

- कुल मिलाकर, 2019–24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षाओं के दौरान की गई कुल लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से 96 प्रतिशत निपटान के लिए लंबित थीं, जो जिला कार्यक्रम समन्वयकों के स्तर पर अपर्याप्त अनुश्रवण को दर्शाती हैं।

(कंडिका 2.6.5.3)

अनुशंसाएं

विभाग :

i. ***ग्रामीण परिवारों में रोजगार की मांग का परिमाण और समय का आकलन करने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण कर सकता है।***

ii. ***अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के लिए परियोजनाओं की पहचान करते हुए जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार कर सकता है।***

iii. ***जॉब कार्ड के अद्यतन और सत्यापन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना सुनिश्चित कर सकता है।***

iv. ***राज्य स्तर पर योजना का उचित अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठकों के लिए नियम बनाना सुनिश्चित कर सकता है।***

v. ***शिकायतों के निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए लोकपालों के रिक्त पदों को भरना सुनिश्चित कर सकता है।***

vi. ***निर्धारित आवृत्ति के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा करने के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर ससमय सुधारात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित कर सकता है।***

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत तटबंधों का निर्माण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण

- तीन चयनित नदी बेसिनों में दिसंबर 2005 से अप्रैल 2022 के बीच ली गई सात योजनाएँ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना निविदा प्रक्रिया शुरू करने के कारण या तो अधूरी रह गई या प्रारंभ नहीं हुई। इनमें से दो योजनाएँ कार्य आवंटन के ढाई से छह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद प्रारंभ नहीं हुई (दिसंबर 2024 तक), जबकि शेष पाँच योजनाएँ निर्धारित पूर्णता तिथि से एक से 16 वर्ष की देरी के साथ अधूरी रहीं (दिसंबर 2024 तक)। अतः, दिसंबर 2024 तक कोई भी योजना पूर्ण नहीं हुई, यद्यपि विभाग द्वारा कुल मिलाकर ₹ 247.80 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

(कंडिका 3.2)

- अधवारा बेसिन के अंतर्गत झिम जमुरा और बांके नदियों के किनारे भूमि की अनुपलब्धता से टुकड़ों में तटबंधों के निर्माण के कारण, 5.26 लाख आबादी और 17,400 हेक्टेयर कृषि भूमि की सुरक्षा का वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.97 करोड़ की राशि निष्फल रही (दिसंबर 2024)।

(कंडिका 3.2.1.3)

- सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण, अधवारा बेसिन के अंतर्गत रातो नदी के किनारे 25.85 किलोमीटर तटबंध का काम अधूरा रह गया, और ₹ 6.09 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद 50,000 की आबादी और 6,000 हेक्टेयर भूमि की बाढ़ से रक्षा करने का योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

(कंडिका 3.2.1.4)

- विभाग द्वारा सितंबर 2020 में कमला बलान तटबंध की उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और ब्लैक टॉपिंग के लिए पहली निविदा को बिना कोई विशेष कारण बता, रद्द करने के अविवेकपूर्ण निर्णय, ने निविदा को अंतिम रूप देने में पारदर्शिता की कमी को इंगित किया, जबकि न्यूनतम निविदादाता ने निविदा दर (₹ 282.95 करोड़) से 2.25 प्रतिशत कम दर अंकित की थी। इसके परिणामस्वरूप, 12 महीने बाद उच्च दर पर अनुबंध दिए जाने के कारण ₹ 7.15 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.3.1)

- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा और झंझारपुर–I और II तथा बागमती प्रमंडल सीतामढ़ी एवं रुन्नीसैदपुर के अंतर्गत गाद निकालने के नौ कार्यों (2018–19 से 2021–22) के प्राक्कलनों में उत्खनित मिट्टी को तटबंधों पर फैलाने का प्रावधान था, लेकिन नदी चैनलों के किनारे न तो तटबंध थे और न ही उपयुक्त किनारे, जहाँ उत्खनित मिट्टी को फैलाया और समतल किया जा सके। यह इस जोखिम को इंगित करता था कि

केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य निष्पादित किया गया। हालांकि, संवेदकों को संपूर्ण मिट्टी कार्य के लिए ₹ 6.55 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें प्राक्कलनों के अनुसार निर्धारित मिट्टी को फैलाने और समतल करने की लागत भी शामिल थी।

(कंडिका 3.3.3)

- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (एफसीडी) सालमारी और किशनगंज में निष्पादित दो कार्यों में, वेट मिक्स मैकाडम (डब्ल्यूएमएम) की चौड़ाई अधिक रखने के कारण अतिरिक्त डब्ल्यूएमएम कार्य करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.03 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ। इसी प्रकार, एफसीडी, कटिहार में इंडियन रोड कांग्रेस के प्रावधानों के विरुद्ध डेंस बिटुमिनस मैकाडम का प्रयोग किया गया, जिसके कारण ₹ 1.89 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.4.1.1 एवं 3.4.2.2)

- बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी और एफसीडी, कटिहार में संकुचित मिट्टी की मात्रा से संकुचन/संपीड़न मद में कम कटौती के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 1.27 करोड़ (जून 2021 तक) का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.4.3.1)

- भूमि की अनुपलब्धता के कारण, कार्यपालक अभियंता, बागमती डिवीजन सीतामढ़ी द्वारा नवंबर 2024 में झिम, जमुरा और बांके नदियों के तटबंधों के निर्माण का अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। सितंबर 2024 में विभाग द्वारा दर्ज किए गए अंतिम मापी के अनुसार, वास्तव में ₹ 26.68 करोड़ का कार्य निष्पादित किया गया था। हालांकि, संवेदक को मार्च 2021 तक ₹ 28.97 करोड़ का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2024 तक ₹ 2.29 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.4.3.2)

- केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और पुणे स्थित केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र (जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार) की सिफारिशों के विपरीत, एफसीडी दरभंगा में, बागमती नदी के किनारे उच्च बाढ़ स्तर के अनुरूप बाएं और दाएं तटबंधों का निर्माण न होने के कारण, ₹ 320.85 करोड़ के व्यय के बावजूद तटबंध बाढ़ के प्रति संवेदनशील बने रहे।

(कंडिका 3.4.5.1)

- एफसीडी (I और II), झंझारपुर (मधुबनी) में ₹ 1.86 करोड़ मूल्य की निकाली गई ईंटें न तो अभिलेखित की गयी और न ही उनका उपयोग/निपटान किया गया। अतः, इन अलेखांकित निकाली गई ईंटों के दुरुपयोग या चोरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(कंडिका 3.4.5.3)

- तटबंधों के निर्माण के दौरान गुणवत्ता मानकों का पालन न करना और मिट्टी उठाव क्षेत्र में गुणवत्ता परीक्षण न करना, चयनित प्रमंडलों के अंतर्गत खराब गुणवत्ता आश्वासन को दर्शाता है।

(कंडिका 3.5)

- कमला बलान और बागमती नदियों में, दोनों नदियों के तटबंधों के बीच मौजूद पुलों द्वारा जल निकासी में बाधा उत्पन्न होने से तटबंधों के टूटने की आशंका रही।

(कंडिका 3.6.1.1)

4. लेखापरीक्षा कंडिकाएं

- शिक्षा विभाग द्वारा अपने उदासीन रवैये के कारण, बिहार नगर पालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रह और वसूली) नियमावली, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 1995 से 2023 की अवधि के लिए अपने 161 भवनों के संबंध में सेवा शुल्क का समय पर निर्धारण और भुगतान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 8.47 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 4.2)

- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा मुद्रण एजेंसी को किए गए अस्वीकार्य आईजीएसटी भुगतान के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को ₹5.37 करोड़ की वित्तीय हानि हुई।

(कंडिका 4.3)

- जिला कार्यक्रम अधिकारी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर तथा 11 जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के विलंबित प्रेषण के लिए लगाए गए ब्याज और हर्जाने के भुगतान पर ₹ 3.77 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(कंडिका 4.4)

- भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारंभ किए जाने के कारण, पकड़ीदयाल और अररिया ग्रामीण निर्माण प्रमंडलों के अंतर्गत आने वाली संपर्क सड़कों और पुल का कार्य अधूरा रह गया, और ₹ 3.30 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अलावा, बस्तियों को जोड़ने का वांछित उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ।

(कंडिका 4.5)

- रेल परिवहन अधिक किफायती होने के बावजूद जल संसाधन विभाग द्वारा 70 प्रतिशत बोल्डरों के परिवहन को सड़क मार्ग से स्वीकृत करने के निर्णय के परिणामस्वरूप एफसीडी गोपलगंज द्वारा ₹ 3.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.6)

अध्याय-I
प्रस्तावना

अध्याय–I
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

इस प्रतिवेदन में 'बिहार में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन' पर ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा, 'जल संसाधन विभाग के अंतर्गत तटबंधों का निर्माण, उच्चीकरण और सुदृढीकरण' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ ही बिहार सरकार के पांच विभागों[1] से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकनों में पाए गए मामले शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सार वाले लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह उम्मीद की जाती है कि कार्यपालिका सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेगी और संगठनों के उचित प्रबंधन के लिए नीतियां और निर्देश तैयार कर सकेगी, ताकि बेहतर शासन सुनिश्चित किया जा सके।

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय शामिल हैं। यह अध्याय, राज्य के व्यय और निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया एवं उसमें की गई सुधारात्मक कार्रवाई का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्याय–II से IV, वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए निष्पादन तथा अनुपालन लेखापरीक्षाओं पर आधारित अवलोकनो तथा विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षिती रूपरेखा

मार्च 2024 तक, बिहार सरकार में 45 विभाग थे। वर्ष 2023–24 के दौरान, ₹ 3,26,230.12 करोड़ के कुल बजट के सापेक्ष राज्य ने कुल ₹ 2,60,718.07 करोड़ का व्यय किया।

2019–20 से 2023–24 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के लेखापरीक्षा अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख विभागों में व्यय का विवरण **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: विभिन्न विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	शिक्षा विभाग	26,084.00	26,813.75	34,101.88	42,095.78	42,331.66
2	ऊर्जा विभाग	9,107.45	8,911.62	10,506.45	16,207.98	16,153.17
3	शहरी विकास एवं आवास विभाग	3,144.53	5,640.39	6,941.43	6,546.06	14,743.88
4	गृह विभाग	9,508.75	9,611.79	10,802.45	11,811.93	13,675.58
5	स्वास्थ्य विभाग	7,813.04	9,166.17	11,712.31	12,013.95	13,483.56
6	पंचायती राज विभाग	8,734.75	8,402.40	8,178.85	8,661.18	12,426.68
7	ग्रामीण कार्य विभाग	3,549.02	5,199.65	5,990.09	9,478.96	10,306.77

[1] *भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग।*

क्रम संख्या	विभाग का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
8	पथ निर्माण विभाग	2,776.07	4,894.40	5,625.87	8,126.33	9,308.01
9	समाज कल्याण विभाग	7,376.09	8,794.70	8,995.84	11,192.66	8,858.10
10	ग्रामीण विकास विभाग	9,692.46	9,314.16	14,015.03	18,412.91	8,570.65
11	भवन निर्माण विभाग	1,783.35	1,572.05	3,729.50	3,645.98	6,759.24
12	जल संसाधन विभाग	1,812.41	2,770.48	4,296.12	3,336.19	6,380.98
13	वित्त विभाग	1,645.53	866.03	978.71	3,095.96	3,402.49
14	आपदा प्रबंधन विभाग	3,621.18	6,741.95	3,895.42	3,119.10	3,002.16
15	उद्योग विभाग	435.26	464.6	1,560.80	3,330.76	2,582.24
16	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2,342.29	5,378.24	2,661.81	2,142.95	2,507.57
17	कृषि विभाग	2,152.49	1,498.54	1,927.94	2,571.44	2,289.28
18	योजना एवं विकास विभाग	1,372.43	1,220.94	1,899.21	1,843.53	2,090.13
19	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,121.26	1,270.24	1,456.48	1,628.09	1,536.92
20	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	706.24	728.05	914.88	1,384.47	1,458.51
21	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	789.36	639.99	640.20	825.78	1,415.70
22	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,416.80	413.42	2,852.95	1,634.54	1,220.49
23	विधि विभाग	768.04	809.63	848.17	1,057.12	1,186.95
24	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	561.72	668.47	790.64	903.65	1,157.45
25	सहकारिता विभाग	593.29	1,070.49	876.79	1,015.01	1,119.77
26	लघु जल संसाधन विभाग	510.11	1,129.70	466.42	644.29	1,037.94
27	अन्य विभाग और अनुदान/विनियोग*	40,224.04	43,923.56	47,535.97	58,450.24	71,712.19
	कुल	**1,49,641.96**	**1,67,915.41**	**1,94,202.21**	**2,35,176.84**	**2,60,718.07**

* *वर्ष 2023–24 की अवधि में ₹1,000.00 करोड़ से कम व्यय करने वाले विभाग और अन्य अनुदान/विनियोग के व्यय सम्मिलित हैं।*

(स्रोतः सम्बंधित वर्षों के बिहार सरकार के विनियोग लेखे)

1.3 लेखापरीक्षा के लिए अधिदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्ते (डीपीसी) अधिनियम, 1971, से लिए जाते है। सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत सीएजी द्वारा राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा की जाती है। सीएजी द्वारा अन्य निकायों की भी लेखापरीक्षा की जाती है, जो डीपीसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है। सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकार तथा विधानसभा वाले प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार की सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत, दोनों) की लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृत करती है। इसके अलावा, सीएजी द्वारा उन निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा की जाती है जिनकी लेखापरीक्षा डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2), 19(3) और 20(1) के अंतर्गत सौंपी जाती है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए नियम और कार्यप्रणाली सीएजी

द्वारा जारी लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020, और लेखापरीक्षा मानकों में निर्धारित है।

1.3.1 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा की जाती हैं जिसमें इकाइयों का चयन शीर्ष इकाइयों, लेखापरीक्षा इकाइयों और कार्यान्वयन इकाइयों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। जोखिम का मूल्यांकन इकाइयों के व्यय की रूप रेखा, धोखा, गबन, हानि, अनियमितता, मीडिया रिपोर्ट इत्यादि के पूर्व के उदाहरणों के साथ–साथ पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर किया जाता है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद इकाइयों के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। प्राप्त जवाबों के आधार पर, लेखापरीक्षा अवलोकनों का या तो निपटारा कर दिया जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रारूप कंडिकाओं के रूप में आगे संसाधित किया जाता है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर निष्पादन लेखापरीक्षा और विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा तैयार किये जाते हैं और मुद्दों का चयन ऊपर बताये गए कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए सामग्री को अंतिम रूप देते समय विभागों द्वारा दिए गए औपचारिक जवाबों पर विधिवत विचार किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

1.3.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, द्वारा संव्यवहारों की नमूना–जाँच के माध्यम से सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित किया जाता है। इन निरीक्षणों के पश्चात, कार्यालय प्रमुख को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है जिसकी प्रति संबंधित विभागों को भी दी जाती है। लेखापरीक्षित इकाइयों से प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा की जाती है।

जवाब प्राप्त होने के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में चिह्नित किए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

2023–24 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार कार्यालय द्वारा 15 स्वायत निकायों सहित 39 विभागों से संबंधित राज्य के कुल 391 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई।

गंभीर अनियमितताओं को नियमित रूप से विभागों के प्रमुखों के ध्यान में भी लाया गया था।

39 विभागों से संबंधित 3,574 डीडीओ को जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों (मार्च 2024 तक) की विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि 5,236 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल ₹ 8,77,649.18 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली 47,645 कंडिकाएं, 31 मार्च 2025 तक लंबित रही, जैसा कि **तालिका 1.2** में दिखाया गया है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/

कंडिकाओं और अनियमितताओं के प्रकार की अवधिवार विश्लेषण क्रमशः ***परिशिष्ट–1.1 और परिशिष्ट–1.2*** में वर्णित हैं।

तालिका 1.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं

क्रम संख्या	अवधि के बाद से लंबित	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	लंबित कंडिकाओं की संख्या (प्रतिशत)	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
1	1 वर्ष से कम	421 (8)	6,729 (14)	1,14,310.03 (13)
2	1 से 3 वर्षों तक	705 (14)	8,246 (17)	2,71,768.29 (31)
3	3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक	373 (7)	4,097 (9)	2,00,816.12 (23)
4	5 वर्षों से अधिक	3,737 (71)	28,572 (60)	2,90,754.74 (33)
कुल		**5,236**	**47,645**	**8,77,649.18**

तालिका 1.2 से यह देखा जा सकता है कि विभागीय अधिकारियों ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित अवलोकनों पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की, जिससे जवाबदेही का क्षरण हुआ।

अनुशंसा 1: सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों का समय पर एवं उचित जवाब सुनिश्चित करने के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा कर सकती है।

1.3.3 सरकार को प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/कंडिकाओं की संसूचना

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन साथ ही साथ आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण कमियों, जिनका चयनित विभागों के कार्यक्रमों और कार्यकलापों की सफलता पर प्रभाव पड़ता है, को प्रतिवेदित किया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा करने और कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए उचित अनुशंसा प्रदान करना था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2020, के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा, विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा/लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपना जवाब प्रेषित करना चाहिए। प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा, विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा कंडिकाओं को विभागों के प्रमुखों को उनके जवाब प्राप्त करने के लिए भी भेजा गया। यह विभागों के प्रमुख के व्यक्तिगत ध्यान में भी लाया गया कि राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा, विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संभावित समावेश को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में उनकी टिप्पणियाँ शामिल करना वांछनीय होगा। विभाग के प्रमुखों को स्मार पत्रों के निर्गमन के माध्यम से और आयोजित बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा/विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा कंडिकाओं में सन्निहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सम्बन्ध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए स्मारित भी किया गया।

1.3.4 लेखापरीक्षाओं के दौरान सरकार और लेखापरीक्षिती इकाइयों की प्रतिक्रिया

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971, की धारा 18 (1) (ब) अनुबंध करती है कि उक्त अधिनियम के तहत उनके कर्तव्यों के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह कोई लेखे, बहियां और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उन संव्यवहारों जिनकी लेखापरीक्षा की बाबत उसके कर्तव्यों का विस्तार है के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसें सुसंगत हो। इसके अलावा, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2020, का नियम 19 (6) निर्धारित करता है कि लेखापरीक्षा योग्य इकाई के प्रभारी को एक निर्दिष्ट समय के भीतर डाटा, सूचना तथा दस्तावेजों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा किये गए अनुरोधों का अनुपालन करना होगा।

इसके आलावा, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2020, का नियम 134 निर्धारित करता है कि लेखापरीक्षा योग्य इकाई के प्रभारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्दिष्ट समय के भीतर लेखापरीक्षा पृच्छाओं और लेखापरीक्षा अवलोकनों का सटीक जवाब दिया जाता है और कि जवाबों में दिए गए विवरण अभिलेखों के सन्दर्भ में सही हैं।

इन प्रावधानों के बावजूद, लेखापरीक्षा को अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कई मामले थे। यद्यपि इस तरह के मामले प्राधिकारियों के संज्ञान में लाए गए थे, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्तन एक समान रूप से तेज एवं प्रभावी नहीं था।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 में एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और छह लेखापरीक्षा कंडिकाए शामिल हैं। बारम्बार प्रयासों के बावजूद, लेखापरीक्षा दलों द्वारा मांगे गए कई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए थे और कई मामलों में लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के जवाब उपलब्ध नहीं कराये गए थे। 74 लेखापरीक्षिती इकाइयों में से, 71 ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगें गए कतिपय अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया। एक निष्पादन लेखापरीक्षा और एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में जारी किए गए कुल 770 लेखापरीक्षा ज्ञापनों में से, 98 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के मामले में जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा, इन निष्पादन लेखापरीक्षा/विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में 216 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के संबंध में केवल आंशिक जवाब प्राप्त हुए, जैसा ***परिशिष्ट–1.3*** में विस्तृत रूप में बताया गया है।

अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के क्रियान्वयन को परिसीमित करता है और इसका परिणाम राज्य सरकार के पदाधिकारियों की जवाबदेही का क्षरण होने, साथ ही धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन आदि को छुपाने का जोखिम भी बढ़ सकता है।

अनुशंसा 2: राज्य सरकार जवाबदेही की संरचना को मजबूत करने के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेखों और जवाबों के अप्रस्तुतीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकती है।

1.3.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

वित्त विभाग, बिहार सरकार, की निर्देश पुस्तिका (1998) के अनुसार, विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ किया जाना अपेक्षित था। उनके द्वारा राज्य विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के दो माह के भीतर उनके द्वारा की गई या किये जाने हेतु प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का वर्णन करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच की गई विस्तृत टिप्पणियों को प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था। 31 मार्च 2025 तक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) की प्राप्ति के संबंध में स्थिति **तालिका 1.3** में दी गई है।

तालिका 1.3: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) की प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	31 मार्च 2025 तक विभाग द्वारा अप्रस्तुत एटीएन (कंडिकाओं की संख्या)	राशि (₹ करोड़ में)	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	एटीएन प्राप्ति की नियत तिथि
2018-19	1	47.58	29/07/2021	29/09/2021
2019-20	3	17.01	30/03/2022	30/05/2022
2020-21	3	163.42	16/12/2022	16/02/2023
2020–21 (बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणाम पर स्टैंडअलोन पीए रिपोर्ट)	4	638.92	16/12/2022	16/02/2023
2016–22 ('लोक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन' पर स्टैंडअलोन पीए रिपोर्ट)	40	150.24	28/11/2024	28/01/2025
कुल	**51**	**1,017.17**		

उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभागों की धीमी प्रतिक्रिया को दर्शाती है।

अनुशंसा 3: राज्य सरकार राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के दो महीनों के भीतर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों के प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

1.3.6 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

राज्य सरकार के विभागों के लेखाओं की नमूना–जाँच के दौरान देखी गई वसूली से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा को सूचना के तहत संबंधित प्राधिकारियों को पुष्टि एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित किया जाता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, छह मामलों[2] में लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 45.22 लाख की राशि की वसूली को दर्शाया गया और इसे लेखापरीक्षिती इकाइयों/विभागों द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें से, अब तक चार मामलों में ₹ 33.97 लाख की वसूली की गई थी। हालांकि, जून 2025 तक दो लेखापरीक्षिती इकाइयों[3] से संबंधित शेष ₹ 11.25 लाख की वसूली अभी तक लंबित थी।

2 अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (दो मामलों में ₹ 30.80 लाख); प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज (₹ 0.004 लाख); डीपीआरओ पूर्वी चंपारण (₹ 4.25 लाख); पीएचईडी झंझारपुर (₹ 7.00 लाख) और सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी भोजपुर (₹ 3.17 लाख)।

3 डीपीआरओ पूर्वी चंपारण (₹ 4.25 लाख) और पीएचईडी झंझारपुर (₹ 7.00 लाख)।

1.4 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को राज्य में 11 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का कार्य सौपा गया था, जिसमें से छह निकायों के सम्बन्ध में कार्यभार का नवीकरण आवश्यक नहीं था क्योंकि इन निकायों को संसद के अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। हालांकि, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के कार्यालय को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2023–24 की अवधि के दौरान पांच स्वायत्त निकायों[4] के लेखाओं की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में कार्यभार भेजा नही गया था जैसा कि ***परिशिष्ट–1.4*** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखा प्रदान करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के जारी होने और विधानमंडल में इनकी प्रस्तुतीकरण की स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट–1.4*** में विस्तृत रूप से वर्णित है।

[4] *बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर); बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना; बिहार राज्य जैव–विविधता बोर्ड पटना; बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना; और बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना।*

अध्याय-II

बिहार में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन

अध्याय–II
निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्रामीण विकास विभाग

2. बिहार में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), 2005 को अधिनियमित किया (सितम्बर 2005) एवं अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)" कर दिया गया। इस अधिनियम का अधिदेश किसी भी ग्रामीण परिवार को मांग पर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करना था। प्रारंभ में (फरवरी 2006), इस अधिनियम के तहत बिहार के 23 जिलों को सम्मिलित किया गया तथा अप्रैल 2007 तक सभी जिलों में इसको लागू किया गया।

राज्य में मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग (विभाग) नोडल विभाग था। इसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी (बीआरडीएस) कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी थी।

इस योजना के अंतर्गत योजना प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन, रोजगार सृजन, एवं उसकी उपलब्धियों के आकलन के साथ–साथ टिकाऊ एवं उपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन आदि का मूल्यांकन करने हेतु **"बिहार में मनरेगा का क्रियान्वयन"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि को आच्छादित करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई 2024 से सितंबर 2024 के बीच शीर्ष स्तर पर विभाग एवं बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी (बीआरडीएस) के अभिलेखों के नमूना–जाँच के माध्यम से की गई। इसके अतिरिक्त, छह चयनित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए), 12 चयनित प्रखंडों में कार्यक्रम पदाधिकारियों (पीओ) तथा 48 चयनित ग्राम पंचायतों (जीपी) के अभिलेखों की भी नमूना–जाँच की गई।

जांच के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैं:

योजना की प्रक्रिया

कार्य की मांग की मात्रा और समय का आकलन करने हेतु बेसलाइन सर्वेक्षण, अंतिम बार वर्ष 2015 एवं 2016 में किया गया था जबकि इसे प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार किया जाना आवश्यक था। वर्ष 2019–24 के दौरान किसी भी बेसलाइन सर्वेक्षण के अभाव में, विभाग के पास ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य की माँग की मात्रा एवं समय का आकलन करने, साथ ही आजीविका के स्वरूप एवं कार्य के अवसरों में स्थानीय स्तर पर हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करने हेतु कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था। चयनित जिलों में, जिला परिप्रेक्ष्य योजना (डीपीपी) 2020–25 तैयार नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र एवं बिहार सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण हेतु मनरेगा परियोजनाओं की पहचान नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, वार्षिक विकास योजना (एडीपी) पर चर्चा एवं अंतिम रूप देने हेतु आवश्यक 235 ग्राम सभा (जीएस) की बैठकों के सापेक्ष, चयनित ग्राम पंचायतों में केवल 168 बैठकें ही की गई। इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों में मनरेगा योजना के साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों के अभिसरण के सामान्य क्षेत्रों की सलाह देने, तैयार करने, मूल्यांकन करने तथा पहचान करने के लिए संसाधन समूहों का गठन नहीं किया गया। इन विसंगतियों के कारण एडीपी की अनुचित स्वीकृति हुई तथा योजना की प्रक्रिया में जनसहभागिता सीमित रही।

इसके अतिरिक्त, राज्य एवं चयनित जिलों में मनरेगा कार्मिकों के स्वीकृत पदों के क्रमशः 44 प्रतिशत तथा 38 प्रतिशत की उल्लेखनीय रिक्तियाँ पाई गईं, जिसने योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जैसे कि जॉब कार्ड का अद्यतन न किया जाना, आवश्यक अभिलेखों का संधारण न होना आदि।

वित्तीय प्रबंधन

मार्च 2024 तक विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के सापेक्ष ₹36.22 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अवधि से असमायोजित अग्रिम के रूप में लंबित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों से काटी गई ₹ 6.95 करोड़ की रॉयल्टी एवं कर की राशि सरकारी लेखों के संबंधित शीर्षों में जमा की जानी बाकी थी। अकुशल मजदूरी (₹ 979.74 करोड़) तथा सामग्री लागत (₹ 923.84 करोड़) के सम्बन्ध में ₹ 1,903.58 करोड़ के भुगतान 10 वर्षों तक की अवधि से लंबित थे।

पंजीकरण एवं रोजगार सृजन

अधिनियम के तहत श्रमिकों का विवरण संकलित करना, सभी पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी करना तथा उनका सत्यापन करना अनिवार्य था। हालाँकि, नवम्बर 2024 तक, राज्य एवं चयनित जिलों में क्रमशः 1,42,746 (1.04 प्रतिशत) एवं 42,171 (1.63 प्रतिशत) पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य एवं नमूना–जांचित जिलों में क्रमशः 38,64,146 (44.49 प्रतिशत) तथा 8,06,158 (47.30 प्रतिशत) सक्रिय जॉब कार्ड (जॉब कार्ड जिनके धारकों ने पिछले तीन वर्षों में कार्य किया था) का सत्यापन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जॉब कार्ड धारक का नाम, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, लाभार्थियों द्वारा मांगे गए कार्य आदि प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं हो सका।

2019–24 के दौरान, 21.52 प्रतिशत (राज्य में) तथा 23.05 प्रतिशत (चयनित जिलों में) तक निधि अंतरण आदेश विलंब से अर्थात मस्टर रोल (कार्यस्थल पर एक अवधि के लिए श्रमिकों की उपस्थिति का अभिलेख) के अंतिम तिथि से निर्धारित आठ दिनों की अवधि के पश्चात जारी किए गए। राज्य में मनरेगा श्रमिकों को ₹ 20,374.91 करोड़ के कुल भुगतानों में से, ₹ 735.10 करोड़ का भुगतान 16 दिन से लेकर 90 दिन से अधिक की देरी से किया गया। राज्य में, विलंबित मजदूरी भुगतान के मुआवजे के लिए कुल 10.03 करोड़ मानव–दिवस के दावों के सापेक्ष, केवल 0.42 करोड़ मानव–दिवस (4.19 प्रतिशत) के दावे का अनुमोदन और भुगतान किया गया। नवम्बर 2024 तक, ₹ 9.48 करोड़ की राशि के पूर्व में अस्वीकृत 18,315 लेन–देन का पुनः सृजन लंबित था, जिसके कारण भुगतानों को जारी करने में देरी हुई। इसके अतिरिक्त, अधिनियमन के 17 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी राज्य सरकार ने ऐसे आवेदकों को जिन्हें उनके रोजगार की मांग संबंधी आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया को बेरोजगारी भत्ता के भुगतान की प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु नियम नहीं बनाए (जून 2024)। 2019–24 के दौरान, राज्य में कम मानव–दिवस (प्रति परिवार प्रति वर्ष 38–47 दिवस रोजगार) के लिए मनरेगा के अंतर्गत रोजगार का सृजन किया गया, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस के अधिक की हकदारी से काफी कम था।

टिकाऊ एवं उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन

चयनित इकाइयों में, वर्ष 2019–24 के दौरान शुरू किए गए कुल 35,261 कार्यों में से, 5,800 (16 प्रतिशत) पाँच वर्ष की अवधि तक अपूर्ण रहे। तीन चयनित जिलों (पूर्वी चंपारण, सहरसा एवं शिवहर) में, नदियों से गाद निकालने से संबंधित 72 गैर–अनुमेय कार्यों के निष्पादन पर ₹ 5.65 करोड़ व्यय किए गए थे। इसके अतिरिक्त, सामग्री घटक पर व्यय की अनुमेय सीमा (कुल व्यय का 40 प्रतिशत) के सापेक्ष ₹ 217.60 करोड़

(कुल व्यय का नौ प्रतिशत) का अतिरिक्त व्यय किया गया, जिसने अकुशल रोजगार सृजन को प्रभावित किया।

₹ 9.78 करोड़ के व्यय से संबंधित कुल 865 कार्य 17 चयनित ग्राम पंचायतों में निष्पादित दर्शाए गए (नरेगासॉफ्ट में), जो न तो संबंधित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित थे और न ही वे वार्षिक विकास योजनाओं का हिस्सा थे। तीन चयनित जिलों की 20 चयनित ग्राम पंचायतों में, अनुमोदित 18,399 कार्यों के सापेक्ष, केवल 9,254 कार्य (50 प्रतिशत) ही नरेगासॉफ्ट में दर्ज पाए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि शेष कार्यों को निष्पादन हेतु नहीं लिया गया।

अनुश्रवण, सामाजिक लेखापरीक्षा एवं शिकायत निवारण

राज्य ने मनरेगा योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण, समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के उद्देश्य से गठित राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) की बैठकों की आवृत्ति, स्थान तथा कार्यविधि से संबंधित कोई नियम निर्धारित नहीं किए थे। हालाँकि, परिषद को राज्य सरकार को योजना के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाला एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था, तथापि इसने न तो वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया और न ही उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया (जनवरी 2025 तक)। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने जिला एवं प्रखंड स्तरों पर एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र (मार्च 2023 में स्थापित) की स्थापना करने में 17 वर्ष (अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात) से अधिक का समय लिया।

चयनित जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षाओं के संचालन में 70 से 77 प्रतिशत के बीच तक की उल्लेखनीय कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षाओं के दौरान की गई कुल लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल 96 प्रतिशत समायोजन हेतु लंबित थी, जो जिला कार्यक्रम समन्वयकों (डीपीसी) के स्तर पर अपर्याप्त अनुश्रवण को दर्शाती हैं।

लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ

विभाग :

1. ***ग्रामीण परिवारों में रोजगार की मांग की मात्रा एवं समय का आकलन करने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण कर सकता है;***
2. ***अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के लिए परियोजनाओं की पहचान सहित जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएँ तैयार कर सकता है;***
3. ***लंबित अग्रिमों की त्वरित समायोजन सुनिश्चित कर सकता है और कर और रॉयल्टी को समय पर संबंधित सरकारी खातों में जमा करने के लिए कदम उठा सकता है;***
4. ***जॉब कार्ड के अद्यतन / सत्यापन को सुदृढ़ करना सुनिश्चित कर सकता है;***
5. ***टिकाऊ और सतत परिसंपत्तियों का सृजन सुनिश्चित कर सकता है जिससे ग्रामीण आबादी को दीर्घकालिक लाभ हो;***
6. ***राज्य स्तर पर योजना का उचित अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठकों के लिए नियम बनाना सुनिश्चित कर सकता है; और***
7. ***निर्धारित आवृत्ति के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा करना, साथ ही लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित कर सकता है।***

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 योजना की पृष्ठभूमि

भारत सरकार ने ग्रामीण आबादी को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), 2005 को अधिनियमित किया (सितंबर 2005)। इस अधिनियम का नाम अक्टूबर 2009 में बदलकर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)" किया गया। इस अधिनियम का अधिदेश किसी भी ग्रामीण परिवार[1] जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार है, को मांग पर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम ने ग्रामीण परिवारों को विभिन्न अन्य अधिकारों एवं हकदारियों[2] का भी प्रावधान किया।

बिहार में, यह अधिनियम प्रारम्भ में 23 जिलों में फरवरी 2006 से लागू हुआ तथा अप्रैल 2007 तक इसे सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया। अधिनियम की धारा 4 के आलोक में, बिहार सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तैयार की (सितंबर 2006)। इस योजना ने स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन के माध्यम से गरीबों को रोजगार के अवसर एवं आजीविका सुरक्षा प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सबसे कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की।

2.1.2 बिहार में मनरेगा के कार्यान्वयन का विहंगावलोकन

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के अनुसार, बिहार में कुल 178.29 लाख ग्रामीण परिवार थे, जिनमें से 97.74 लाख परिवार (54.82 प्रतिशत) भूमिहीन थे, तथा अपनी आय का प्रमुख भाग अस्थायी श्रमकार्य से प्राप्त करते थे, जो राज्य में मनरेगा की महत्ता को दर्शाता है।

2019–20 से 2023–24 के दौरान बिहार में मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन का विवरण **तालिका–2.1** में दर्शाया गया है।

[1] *इसका अर्थ है कि रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण से एक–दूसरे से संबंधित एक परिवार के सदस्य जो सामान्य रूप से एक साथ रहते हैं और भोजन साझा करते हैं या साझा राशन कार्ड रखते हों।*

[2] *(i) जॉब कार्ड (ii) कार्य की माँग करने और 15 दिनों के भीतर कार्य प्राप्त करने (iii) बेरोजगारी भत्ता (iv) अपने निवास से पाँच किलोमीटर की परिधि के भीतर कार्य प्राप्त करने की प्राथमिकता (v) कार्यस्थल पर सुविधाएँ (vi) अधिसूचित मजदूरी दर और और मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी प्राप्त करने (vii) मजदूरी के भुगतान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति इत्यादि का अधिकार।*

तालिका–2.1: 2019–20 से 2023–24 के दौरान मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	औसत (प्रति वर्ष)
1.	पंजीकृत परिवार (लाख में)	183.37	207.09	207.53	147.58	137.64	176.64
2.	पंजीकृत श्रमिक (लाख में)	260.27	289.00	278.50	183.78	165.78	235.47
3.	उपयोग किये गये कुल मानव–दिवस (लाख में)	1,406.81	2,261.26	1,802.75	2,364.55	2,205.23	2,008.12
4.	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार (लाख में)	33.48	50.65	47.76	50.14	48.19	46.04
5.	रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिक (लाख में)	38.32	58.15	54.12	57.76	53.84	52.44
6.	प्रति परिवार औसत मानव–दिवस (क्रमांक 3/ क्रमांक 4)	42.02	44.65	37.75	47.16	45.77	43.61
7.	100 दिनों का पूर्ण रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार (लाख में)	0.20	0.35	0.22	0.40	0.34	0.30

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 5.1.1, दिनांक 25 नवम्बर 2024)

जैसा **तालिका–2.1** से देखा जा सकता है, बिहार में मनरेगा के तहत राज्य में पंजीकृत औसतन 176.64 लाख परिवारों में से, लगभग 46.04 लाख परिवारों ने औसतन अकुशल मजदूरी रोजगार प्राप्त किया, तथा योजना के अंतर्गत 2019–20 से 2023–24 के दौरान औसतन 20.08 करोड़ मानव–दिवस सृजित किए गए। इस अवधि के दौरान, मनरेगा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिनों की हकदारी के सापेक्ष प्रति वर्ष प्रति परिवार ने औसतन 43.61 मानव–दिवस प्राप्त किए। इसके अलावा, औसतन, राज्य में एक प्रतिशत से भी कम अर्थात् केवल 30,000 परिवारों ने 100 दिनों का रोजगार प्राप्त किया, जैसा कि प्रावधान किया गया था।

2019–20 से 2023–24 के दौरान, राज्य के सभी जिलों में प्रति परिवार सृजित मानव–दिवसों की सीमा को **चार्ट–2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट–2.1: प्रति परिवार प्रति वर्ष सृजित औसत मानव–दिवस (जिला–वार)

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 5.1.1)

इसके अतिरिक्त, 2019–20 से 2023–24 के दौरान, राज्य में प्रति परिवार प्रति वर्ष सृजित औसत रोजगार दिवस राष्ट्रीय स्तर पर सृजित औसत रोजगार दिवस की तुलना में अपेक्षाकृत कम थे, जैसा कि **चार्ट–2.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट–2.2: प्रति परिवार प्रति वर्ष औसत रोजगार के दिवसों की तुलना

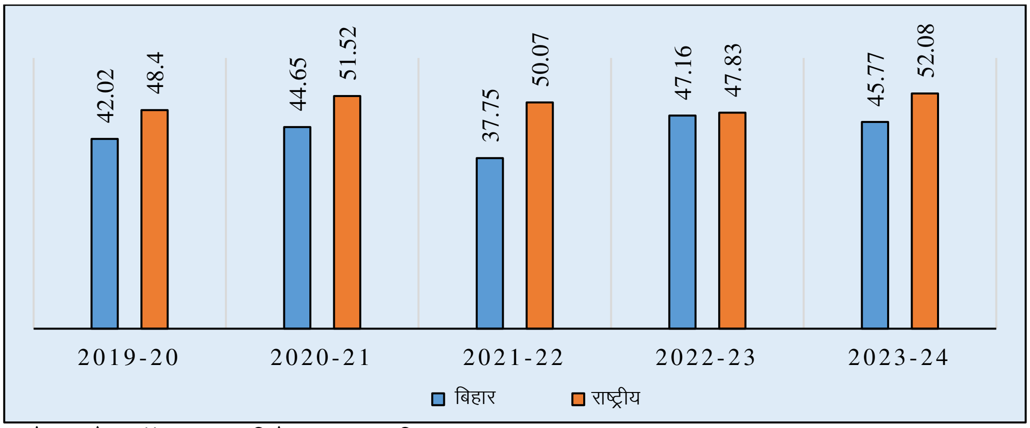

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 5.1.1, दिनांक 25 नवम्बर 2024)

2.1.3 संगठनात्मक संरचना

बिहार में ग्रामीण विकास विभाग (विभाग), बिहार सरकार, मनरेगा अधिनियम के साथ–साथ इसके तहत अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। यह विभाग, राज्य कार्यक्रम समन्वयक (एसपीसी), मनरेगा के रूप में कार्य करने वाले अपने प्रधान सचिव/सचिव के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा था। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार ग्रामीण विकास सोसायटी (बीआरडीएस) राज्य में इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी थी। विभिन्न स्तरों पर मनरेगा के कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक आरेख **चार्ट–2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट–2.3: बिहार में मनरेगा के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक आरेख

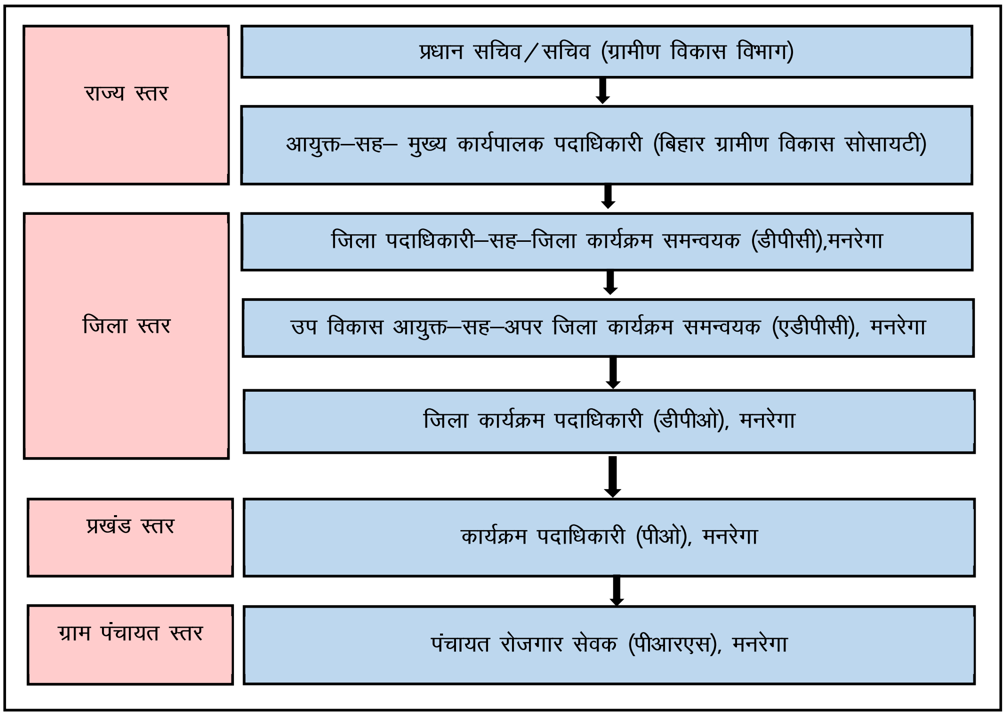

(स्रोतः मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश, 2013 तथा ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार का पत्र दिनांक 23.01.2020)

योजना के आयोजन, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए राज्य, जिला, प्रखंड तथा ग्राम पंचायत (जीपी) स्तरों पर हितधारकों की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ **तालिका–2.2** में दी गयी हैं।

तालिका–2.2: हितधारकों की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

स्तर	विभाग /नामित पदाधिकारी/संस्थान	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ
राज्य स्तर	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार	• बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (बीआरईजीएस)[3] तथा उसके अंतर्गत नियमों को तैयार करना • राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त नामित करना (बिहार ग्रामीण विकास सोसायटी) • राज्यांश का समय पर विमोचन सुनिश्चित करना • योजना से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना • कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना • योजना के सभी स्तरों पर जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना
	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार	• राज्य कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करना तथा राज्य में अधिनियम के समग्र समन्वय एवं क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार
	राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी)	• राज्य सरकार को मनरेगा से संबंधित मामलों पर परामर्श देना • राज्य स्तर पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन • विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मनरेगा पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना
जिला स्तर	जिला परिषद्	• जिला योजना का अनुमोदन • जिले में योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना
	जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी)	• जिले में योजना के समग्र समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी तथा अपने कार्यों के निर्वहन में जिला परिषद की सहायता करना
प्रखंड स्तर	कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ)	• प्रखंड स्तर पर मनरेगा योजना के समन्वयक के रूप में कार्य करना • ग्राम पंचायतों से प्राप्त सभी परियोजना प्रस्तावों का प्रखंड योजना में समेकन • प्राप्त, निर्गत एवं इस्तेमाल किये गये संसाधनों का सही लेखा–जोखा रखना • ग्राम पंचायतों एवं मध्यवर्ती पंचायतों द्वारा लिए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना
	पंचायत समिति	• ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तरों पर शुरू की गई परियोजनाओं का अनुश्रवण और पर्यवेक्षण
पंचायत स्तर	ग्राम पंचायत	• अभिलेखों का संधारण, जागरूकता सृजन एवं सामाजिक सक्रियता, तथा ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा का अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन

[3] *राज्य में मनरेगा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बिहार सरकार द्वारा सितंबर 2006 में बनाई गई एक योजना।*

स्तर	विभाग /नामित पदाधिकारी/संस्थान	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ
	पंचायत रोजगार सेवक (पीआरएस)	• मुख्यतः मनरेगा से संबंधित सभी अभिलेखों के संधारण हेतु उत्तरदायी तथा अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की सहायता करना
	ग्राम सभा	• शुरू किए जाने वाले कार्यों की अनुशंसा करना • ग्राम पंचायत में कार्यों के निष्पादन का अनुश्रवण करना • सामाजिक लेखापरीक्षा करने और योजना से संबंधित जानकारी साझा करने हेतु मंच

(स्रोतः मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 तथा बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006)

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या :

- योजना प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियाँ संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करते हुए अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम थी;
- रोजगार के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित की गई, साथ ही पर्याप्त रोजगार सृजित किया गया, जिससे सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका सुरक्षा मिले, जैसा कि परिकल्पित किया गया था;
- अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करते हुए, नियमों और विनियमों के अनुरूप टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन एवं अनुरक्षण किया गया तथा
- उपयुक्त और पर्याप्त अनुश्रवण, सामाजिक लेखापरीक्षा तथा शिकायत निवारण प्रणालियाँ विद्यमान थीं और कार्य कर रही थीं, जैसा कि अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के लिए परिकल्पित किया गया था।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड मुख्यतः निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (वर्ष 2017 तक संशोधित);
- मनरेगा के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी परिचालन दिशा–निर्देश (2008 एवं 2013);
- बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार में श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में विलंब हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली, 2017;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी (2023–24 तक) मनरेगा के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक मास्टर परिपत्र;
- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, द्वारा निर्मित बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2006;
- भारत सरकार तथा बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/अधिसूचना/निर्देश;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011, तथा

- पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार पंचायती राज अधिनियम (बीपीआरए), 2006।

2.1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, प्रतिचयन एवं कार्यप्रणाली

यह निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की लेखापरीक्षा अवधि को शामिल करते हुए 15 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 के बीच शीर्ष स्तर पर प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार तथा आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी (बीआरडीएस) के कार्यालयों में संधारित अभिलेखों की नमूना–जाँच के माध्यम से की गई। इसके अतिरिक्त, चयनित छह जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए)[4], चयनित 12 प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों तथा चयनित 48 ग्राम पंचायतों ***(परिशिष्ट–2.1)*** के कार्यालयों के अभिलेखों की भी जांच की गई। इसके अलावा, 958 कार्यस्थलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन तथा 520 लाभार्थियों का लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों की संवीक्षा, आंकड़ों/जानकारी का संकलन एवं विश्लेषण, कार्यस्थलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन, प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त करना तथा मनरेगा योजना के नरेगासॉफ्ट[5] डाटा का विश्लेषण शामिल था। लेखापरीक्षा ने निष्कर्षों की पुष्टि करने एवं योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सुदृढ़ करने के लिए, कार्य स्थलों के चित्रात्मक साक्ष्य एवं जियो–टैग्ड फोटोग्राफ भी लिए गए।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए, 11 जुलाई 2024 को मुख्य नियंत्रक अधिकारी (बीआरडीएस) तथा वित्त नियंत्रक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के साथ अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी प्रकार, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग की प्रतिक्रिया/दृष्टिकोण प्राप्त करने हेतु, 20 जून 2025 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के साथ बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया। विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ (जून एवं जुलाई 2025), जहाँ भी प्राप्त हुईं, प्रतिवेदन में सम्मिलित की गईं।

2.1.7 मनरेगा पर पूर्व की लेखापरीक्षाएँ

इस निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व, बिहार में मनरेगा के कार्यान्वयन पर निम्न प्रकार दो बार निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी:

(i) पहली बार निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी–जुलाई 2012 के दौरान 2007–08 से 2011–12 की अवधि के लिए की गयी थी और इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बिहार सरकार पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2013 का प्रतिवेदन संख्या 4) में सम्मिलित किया गया था।

(ii) तत्पश्चात, मनरेगा के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा नवंबर 2019 से मई 2020 के दौरान 2014–15 से 2018–19 की अवधि हेतु की गयी थी तथा इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बिहार सरकार पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2021 का प्रतिवेदन संख्या 3) में सम्मिलित किया गया।

---

[4] *बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गया, नवादा, सहरसा और शिवहर। जिलों और प्रखंडों का चयन व्यय के आधार पर स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि के माध्यम से किया गया। जबकि ग्राम पंचायतों (जीपी) का चयन, उन ग्राम पंचायतों में योजना पर हुए व्यय के आधार पर, आकार के अनुपात में बिना पुनर्स्थापन के प्रणालीबद्ध संभावना विधि अपनाकर किया गया।*

[5] *नरेगासॉफ्ट केंद्र/राज्य/जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत सभी गतिविधियों को अभिलेखित करने के लिए एक कार्यप्रवाह आधारित ई–गवर्नेंस प्रणाली है।*

जुलाई 2025 तक, दोनों प्रतिवेदन बिहार की लोक लेखा समिति में विचाराधीन हैं।

पूर्ववर्ती निष्पादन लेखा–परीक्षणों में शामिल अवधि के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान औसत सृजित मानव–दिवस, प्रति परिवार औसत मानव–दिवस तथा 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने वाले औसत परिवारों का तुलनात्मक विश्लेषण **तालिका–2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका–2.3: मनरेगा के अंतर्गत मानव–दिवसों के सृजन की तुलना

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	लेखापरीक्षा में शामिल अवधि	औसत सृजित मानव–दिवस (करोड़ में)	प्रति परिवार औसत मानव–दिवस (दिनों में)	100 दिवस का कार्य प्राप्त करने वाले परिवारों का औसत (कार्य प्राप्त करने वाले कुल परिवारों का प्रतिशत)
4	2013	2007-12	10.59	27.51	4.37
3	2021	2014-19	7.86	38.80	1.67
-	2025	2019-24	20.08	43.61	0.65

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षाओं में दर्शाये गए मामले 2019–20 से 2023–24 के दौरान भी बने रहे।

2.1.8 इस निष्पादन लेखापरीक्षा की सीमाएँ

इस निष्पादन लेखापरीक्षा की सीमाओं में, मनरेगा के लिए वार्षिक विकास योजनाओं (एडीपी) के अनुमोदन से संबंधित ग्राम सभा और पंचायत समिति की बैठकों से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों/आंकड़ों, शिकायत पंजी आदि ***(परिशिष्ट–2.2)*** का गैर/आंशिक प्रस्तुतीकरण शामिल था। इन अभिलेखों/जानकारियों की गैर/आंशिक उपलब्धता ने मनरेगा में गैर अनुपालन से संबंधित मामलों की व्यापक जाँच को प्रभावित किया।

2.2 योजना की प्रक्रिया

2.2.1 प्रस्तावना

मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए, मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश, 2013 की कंडिका 6 में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक रूप से श्रम बजट तैयार करके कार्य की मांग और आपूर्ति का मिलान किया जाएगा। श्रम बजट तैयार करने से पहले, आजीविका के स्थानीय पैटर्न में परिवर्तन और उत्पादन गतिविधियों में काम के अवसरों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर कार्य की मांग का पुनर्मूल्यांकन किया जाना है, जिसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा एक विकास योजना और परियोजनाओं[6] की एक शेल्फ तैयार की जाएगी। विकास योजना और परियोजनाओं की शेल्फ के आधार पर, श्रम बजट तैयार किया जाना और ग्राम सभा (जीएस) द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

विकास योजना की तैयारी में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर विभाग स्तर तक विभिन्न चरण शामिल होते हैं, जैसा कि **चार्ट–2.4** में दिखाया गया है।

[6] *एक वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यों की सूची।*

चार्ट–2.4: वार्षिक विकास योजना (एडीपी) की तैयारी की प्रक्रिया

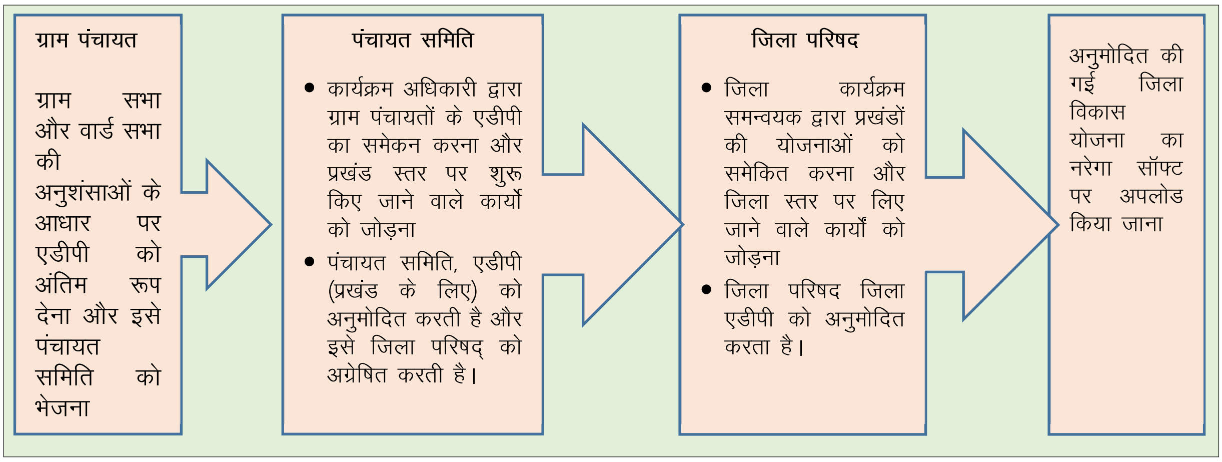

(स्रोतः मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013; वार्षिक मास्टर परिपत्र, 2019–24; और ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी विनिर्देश)

मनरेगा योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना की प्रक्रिया में अधिनियम और उसके तहत बनाए गए दिशा–निर्देशों के सापेक्ष पाई गई कमियों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

2.2.2 बेसलाइन सर्वेक्षण नही किया जाना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की कंडिका 6.2 (i) में निर्धारित किया गया है कि रोजगार की मांग का परिमाण और समय का आकलन करने हेतु एक बेसलाइन तैयार करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड धारकों (परिवारों) का सर्वेक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना था। इस सर्वेक्षण के दौरान, ग्राम पंचायत में प्रत्येक जॉब कार्ड धारक परिवार से काम की मौसमी मांग के बारे में जानकारी प्राप्त की जानी थी। इस सर्वेक्षण को करने के लिए, राज्य को विशेषज्ञ संस्थानों और अग्रणी नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) को ग्राम पंचायतों की सहायता/प्रशिक्षण देने के लिए सूचीबद्ध करना था और सर्वेक्षण के लिए रूपरेखा और कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देना था। इसके अलावा, बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर, आजीविका के स्थानीय पैटर्न में बदलाव और उत्पादन गतिविधियों में काम के अवसरों को ध्यान में रखने हेतु काम की मांग के लिए आधार वर्ष का हर पांच साल में एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जाना था। बेसलाइन मूल्यांकन एडीपी की तैयारी का एक अनिवार्य घटक था।

अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार में, ग्राम पंचायतों में रोजगार की मांग का परिमाण और समय का आकलन करने और 2015–20 के दौरान वार्षिक विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए एक बेसलाइन डाटा की तैयारी के लिए 2015 और 2016 के दौरान अंतिम बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया था। तथापि, पांच वर्षों के बाद बेसलाइन डाटा का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कोई बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया था, हालांकि मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देशों में इसकी परिकल्पना की गई थी। किसी भी बेसलाइन सर्वेक्षण के अभाव में, ग्राम पंचायत स्तर पर काम की मांग का परिमाण और समय के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर किसी भी परिवर्तन का आकलन करने के लिए विभाग के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, चयनित जिलों में, बेसलाइन सर्वेक्षण किए बिना एडीपी तैयार किया गया था।

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में, विभाग ने सभी डीपीसी को काम की मांग के आकलन और एडीपी बनाने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण करने का निर्देश जारी किया (जुलाई 2025)।

अनुशंसा 1: विभाग ग्रामीण परिवारों में रोजगार की मांग का परिमाण और समय का आकलन करने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण कर सकता है।

2.2.3 जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं किया जाना

मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश, 2013 की कंडिका 15.2 और 15.3.1 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि जैसी योजनाओं के साथ सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं के अभिसरण के लिए, जिला परिषद द्वारा एक जिला परिप्रेक्ष्य योजना (डीपीपी) तैयार की जानी चाहिए जो सभी क्षेत्रों के लिए जिले में आवश्यकताओं और अंतरालों की पहचान करेगी। यह विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के लिए एक बहुवर्षीय योजना होगी।

अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित डीपीसी द्वारा 2019–20 से 2023–24 के दौरान जिला परिप्रेक्ष्य योजना 2020–25 तैयार नहीं की गई थी।

जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार न करने के परिणामस्वरूप मनरेगा के साथ अभिसरण में शुरू करने वाले परियोजनाओं की पहचान नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के साथ–साथ बिहार सरकार की अन्य योजनाओं के अभिसरण का अभाव हुआ, जैसा कि ***कंडिका–2.2.5*** में चर्चा की गई है।

विभाग ने जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार न किए जाने के बारे में लेखापरीक्षा को कोई जवाब नहीं दिया।

अनुशंसा 2: विभाग अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के लिए परियोजनाओं की पहचान करते हुए जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार कर सकता है।

2.2.4 वार्षिक विकास योजना की तैयारी

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की धारा 6.6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 16(3) के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभाओं[7] की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद, एक वार्षिक विकास योजना (एडीपी) तैयार करेगी और जब कभी भी कार्य की मांग होगी, योजना के अंतर्गत किए जाने वाले संभावित कार्यों की शेल्फ संधारित की जायेगी।

चयनित ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा के दौरान एडीपी की तैयारी में अनियमितताओं पर चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

2.2.4.1 ग्राम सभा की बैठकों के संचालन में अनियमितताएं

मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश, 2013 की कंडिका 6.4 के अनुसार, ग्राम सभा को आगामी वर्ष के एडीपी के अनुमोदन के लिए अपनी वार्षिक बैठक आयोजित करनी थी। इसके अलावा, बिहार पंचायती राज अधिनियम (बीपीआरए), 2006 की धारा 5 में यह निर्धारित किया गया था कि कोरम पूरा करने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम 20वां हिस्सा (1/20) बैठक के दौरान उपस्थित होना था। इस कोरम को पूरा न करने की स्थिति में, जीएस बैठक के कार्य को आगामी बैठक के समक्ष लाया जाना था (बीपीआरए, 2006 की धारा 21)।

---

[7] *सभी नमूना ग्राम पंचायतों में अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण न होने के कारण, एडीपी की तैयारी में डब्ल्यूएस बैठकों के इनपुट पर टिप्पणी नहीं की जा सकी **(परिशिष्ट–2.2)**।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019–24 के दौरान, कार्यों की पहचान और चयन तथा श्रम बजट सहित उनके एडीपी पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए, नमूना–जांचित जिलों के 47 चयनित ग्राम पंचायतों[8] में ग्राम सभा की कुल 235 बैठकें की जानी थी। तथापि, चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान और उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल 168 बैठकें की गई थीं।

इसके अलावा, चयनित ग्राम पंचायतों की कार्यवाही पंजियों की संवीक्षा से पता चला कि चयनित 22 ग्राम पंचायतों[9] में की गई 94 बैठकों में से किसी में भी ग्राम सभा बैठकों का कोरम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद, अंतिम निर्णय लेने से पहले कोरम पूरा करने के लिए कोई आगामी बैठक नहीं बुलाई गई थी। इसके अलावा, कार्यों की शेल्फ को ठीक से दर्ज करने, जिसमें प्रारंभ की तिथि, शामिल अनुमानित मानव दिवस और पूरा होने की अनुमानित तिथि आदि सभी संबद्ध विवरण अंकित किए जाने थे, के बजाय कार्यवाही पंजी में केवल निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की एक सूची दर्ज पाई गई।

ग्राम सभा बैठकों का परिकल्पित संख्या में आयोजन न किये जाने और आयोजित बैठकों में कोरम की कमी के कारण न केवल मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो सका और ग्राम पंचायतों द्वारा अनुचित अनुमोदन हुआ, बल्कि मनरेगा योजना निर्माण प्रक्रिया में जन सहभागिता भी सीमित हुई। इसके परिणामस्वरूप अनुमोदित एडीपी से परे कार्यों का निष्पादन भी हुआ, जैसा कि ***कंडिका 2.5.7*** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में, विभाग ने डीपीसी को ग्राम सभा बैठकें आयोजित करने में विसंगतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (जुलाई 2025)।

2.2.4.2 ग्राफिकल सूचना प्रणाली योजना की तैयारी नहीं किया जाना

वार्षिक मास्टर परिपत्र (2021–22) के अध्याय 22 (कंडिका 22.1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2021–22 से, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)[10] और रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके स्थानिक और गैर–स्थानिक जानकारी[11] का विश्लेषण करके सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कार्यों की योजना बनाई जानी थी। तदनुसार, जीआईएस आधारित योजना पर ग्राम सभा बैठकों में चर्चा की जानी थी। जीआईएस योजना के अनुमोदन और कार्यों की प्राथमिकता के बाद, मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की एक शेल्फ तैयार की जानी थी। जीआईएस योजना को तीन से चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों को अनुमेय मनरेगा कार्यों के साथ संतृप्त करने के लिए पर्याप्त होने की अपेक्षा की गई थी।

जिला स्तर पर डीपीसी तथा प्रखंड स्तर पर पीओ, ग्राम पंचायतों के लिए जीआईएस आधारित योजना की तैयारी को सुगम बनाने तथा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा, उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि एडीपी के लिए कार्यों की शेल्फ जीआईएस योजना से ली गई थी।

---

8 *ग्राम पंचायत, सलौना (बखरी, बेगूसराय) को छोड़कर, जहां अभिलेख नहीं दिए गए थे।*

9 *बेगूसराय की छह चयनित ग्राम पंचायत और सहरसा तथा पूर्वी चंपारण की प्रत्येक आठ ग्राम पंचायत।*

10 *यह एक कंप्यूटर–आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग भौगोलिक या स्थानिक डेटा कैप्चर करने, संग्रहित करने, विश्लेषण करने, प्रबंधित करने और अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से उस स्थान के बारे में वर्णनात्मक डाटा के साथ स्थान की जानकारी को एकीकृत करता है, जिससे उपयोगकर्ता स्थानिक पैटर्न, संबंधों और रुझानों को समझ सकते हैं।*

11 *स्थानिक डाटाः रिमोट सेंसिंग डाटासेट/चित्र, भूमि उपयोग/भूमि कवर, स्थलाकृतिक डाटासेट, वाटरशेड और जल निकासी की जानकारी आदि (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के भुवन पोर्टल में उपलब्ध) और गैर–स्थानिक डाटाः सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल, प्राकृतिक संसाधन प्रोफाइल, प्राकृतिक संसाधन आजीविका प्रोफाइल, मनरेगा योजना प्रोफाइल आदि।*

पांच नमूना–जाँचित जिलों की चयनित 40 ग्राम पंचायतों[12] में जीआईएस योजना की तैयारी से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2021–24 के दौरान, चयनित जिलों के किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा जीआईएस योजना तैयार नहीं की गई थी। इसलिए, कार्यों की शेल्फ सहित एडीपी की तैयारी जीआईएस योजना पर आधारित नहीं थी, जिसने मनरेगा की योजना को अपूर्ण बनाया। इसके अलावा, कार्यों के दोहराए जाने के जोखिम से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में, विभाग ने डीपीसी को जीआईएस योजना की तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (जुलाई 2025)।

इस प्रकार, योजना के अनुमेय कार्यों से ग्राम पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से संतृप्त करने के लिए जीआईएस योजना तैयार करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

2.2.4.3 वार्षिक विकास योजना के अनुमोदन में देरी/न होना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 6.3 से 6.10 और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 6.8 में वार्षिक विकास योजना (एडीपी) तैयार करने और अनुमोदन के लिए तथा संबंधित ग्राम पंचायतों को इसकी सूचना प्रेषित करने हेतु समय–सीमा निर्धारित की गई थी। दिशानिर्देशों और परिपत्र के अनुसार, ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के 30 नवंबर तक आगामी वर्ष के लिए एडीपी को मंजूरी देनी थी। इसके बाद, संबंधित पीओ को ग्राम पंचायत योजनाओं को समेकित करना था और इसे अनुमोदन के लिए पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करना था (20 दिसंबर तक)। पंचायत समिति को योजना प्रस्तुत होने के 15 दिनों के भीतर मंजूरी देनी थी। उसके बाद, संबंधित डीपीसी को प्रखंडों से प्राप्त विकास योजना को समेकित करना था और आगामी वर्ष के 31 जनवरी तक जिले के लिए एडीपी को जिला परिषद को प्रस्तुत करना था।

जिला परिषद को 15 दिनों के भीतर योजना का अनुमोदित करना था ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके और अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत यानी 31 मार्च से पहले संबंधित ग्राम पंचायत को सूचित किया जा सके। इसके अलावा, मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देशों की कंडिका 6.6 के अनुसार, यदि एडीपी को प्रस्तुत किए जाने के निर्धारित 15 दिनों के भीतर संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो इसे अनुमोदित माना जाएगा।

2019–24 के लिए चयनित ग्राम पंचायतों के एडीपी से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन नमूना जाँचित जिलों में, एडीपी की तैयारी और अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित समय–सीमा का अनुसरण नहीं किया गया था। पांच चयनित जिलों (गया को छोड़कर) के 23 ग्राम पंचायतों में, एडीपी को ग्राम पंचायत स्तर पर 391 दिनों तक की देरी के साथ अनुमोदित किया गया था ***परिशिष्ट–2.3 (अ)***। जिला स्तर पर एडीपी के अनुमोदन में भी देरी देखी गई क्योंकि छह चयनित जिलों में से तीन में, एडीपी को 23 (सहरसा) से 345 दिनों (बेगूसराय) के बीच की देरी से अनुमोदित किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3 (ब)*** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

प्रखंड स्तर पर एडीपी के अनुमोदन के लिए समय–सीमा का अनुपालन सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि किसी भी चयनित प्रखंड (सहरसा के दो चयनित प्रखंडों को छोड़कर) ने पंचायत समिति की बैठकों की कार्यवाही पंजी और संबंधित डीपीसी को अपने स्तर पर अंतिम रूप से तैयार योजनाओं को प्रस्तुत करने की तिथि नहीं प्रस्तुत की।

[12] *गया जिले की आठ ग्राम पंचायतों को छोड़कर, जहां जीआईएस योजना से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।*

इसके अलावा, शेष तीन चयनित जिलों[13] में 2019–24 के लिए एडीपी को संबंधित जिला परिषदों द्वारा अनुमोदित नहीं पाया गया।

ग्राम पंचायत स्तर पर एडीपी के अनुमोदन में विलंब ने योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसके अलावा, जिला परिषद स्तर पर एडीपी में 15 दिनों से अधिक की देरी/अनुमोदन न मिलना, उनके अनुमोदित माने जाने को दर्शाया तथा इससे योजना निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता का अभाव रहा।

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में, विभाग ने डीपीसी/एडीपीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (जुलाई 2025) कि सभी स्तरों पर वार्षिक योजनाओं को समय पर अनुमोदित करने के लिए कार्रवाई की जाए।

2.2.5 अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ मनरेगा योजना के अभिसरण के लिए योजना

मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश, 2013 के अध्याय 15 के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को ग्राम पंचायतों और अन्य लाइन विभागों[14] के पास उपलब्ध भारत सरकार और राज्य सरकार की अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं[15] के संसाधनों के साथ योजना के अभिसरण के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। ये संसाधन राशि की उपलब्धता, तकनीकी विशेषज्ञता और अन्य राज्य/भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले लाइन विभागों के अधिकारियों की जानकारी के रूप में हो सकते हैं।

जिला स्तर पर अभिसरण मॉडल को निष्पादित करने के लिए, जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) की अध्यक्षता में एक जिला संसाधन समूह (डीआरजी), जिसमें सभी लाइन विभागों के विशेषज्ञ और तकनीकी कर्मी शामिल हो, का गठन किया जाना था। डीआरजी की भूमिका मनरेगा योजना के साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य के अभिसरण के सामान्य क्षेत्रों की पहचान करने, परामर्श देने, रूपरेखा तैयार करने तथा मूल्यांकन करने की थी। अभिसरण परियोजना के लिए समग्र प्रभारी के रुप में डीपीसी को इन परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना था। इसी प्रकार, फील्ड स्तर के तकनीकी स्टाफ के साथ पीओ और पीआरएस की अध्यक्षता में क्रमशः प्रखंड संसाधन समूह (बीआरजी) और ग्राम संसाधन समूह (वीआरजी) का गठन किया जाना था।

2019–24 की अवधि के लिए अन्य योजनाओं के साथ मनरेगा योजना के अभिसरण से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

- चयनित पांच जिलों (पूर्वी चम्पारण को छोड़कर) में, अभिसरण के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और अन्य सरकारी योजनाओं के साथ मनरेगा योजना के अभिसरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किसी भी स्तर पर संसाधन समूहों का गठन नहीं किया गया था।
- हालांकि विभाग ने अन्य योजनाओं के साथ मनरेगा योजना के अभिसरण के लिए लाइन विभागों के साथ बैठकें (अक्टूबर 2022 और अक्टूबर 2023) कीं, लेकिन तीन

[13] *गया, पूर्वी चंपारण और शिवहर।*

[14] *कृषि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, पशुपालन, सिंचाई, खनिज, समाज कल्याण, जल संसाधन और शिक्षा आदि।*

[15] *जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), चौदहवा वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड योजना) आदि।*

लाइन विभागों[16] की केवल चार योजनाओं को ही अभिसारित किया जा सका। इसके अलावा, अभिसरण के तहत कार्यों का निष्पादन और प्रगति वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी **(कंडिका 2.5.6)**।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित जिलों में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम)[17] से संबंधित कार्य जैसे नदी/नहरों/ग्रामीण चैनलों की गाद निकालना, तालाबों का निर्माण आदि निष्पादित किए गए। जल संरक्षण और जल संचयन उपायों के बेहतर परिणामों के लिए इन कार्यों को जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के साथ मिलकर निष्पादित किया जाना चाहिए था। तथापि, मनरेगा योजना के अंतर्गत इन कार्यों को शुरू करते समय लाइन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के साथ ऐसा कोई अभिसरण सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके अलावा, वाटरशेड प्रबंधन, मृदा एवं नमी नियंत्रण, वृक्षारोपण (कृषि विभाग), खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम निर्माण (सहकारिता विभाग) आदि से संबंधित कार्य, हालांकि नोडल विभाग (आरडीडी) द्वारा अभिसरण के लिए पहचाने गए थे, मनरेगा योजना कार्यों के साथ अभिसरण में निष्पादित नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ मनरेगा योजना का अभिसरण पर्याप्त नहीं था क्योंकि जिला, प्रखंड और पंचायत स्तरों पर अपेक्षित संस्थागत व्यवस्थाएं नहीं थीं, जैसा कि योजना दिशा–निर्देशों में परिकल्पना की गई है। परिणामस्वरूप, अभिसरण के माध्यम से अपेक्षित टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन करने और आजीविका को सुरक्षित करने का उद्देश्य वैसा हासिल नहीं हुआ जैसा सोचा गया था।

विभाग ने जवाब दिया (जून 2025) कि लाइन विभागों से प्रतिक्रिया की कमी के कारण अन्य सरकारी योजनाओं के साथ मनरेगा योजना का अभिसरण स्तरीय नहीं था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मनरेगा कार्यों के साथ अभिसरण के लिए लाइन विभागों द्वारा योजनाओं की पहचान की गई थी लेकिन जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर अपेक्षित संस्थागत व्यवस्था न होने के कारण, इन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

2.2.6 मानव संसाधन प्रबंधन

अधिनियम की धारा 18 और मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश, 2013 के अध्याय 4 के अनुसार, राज्य सरकारों को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डीपीसी और पीओ को आवश्यक स्टाफ और तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी थी। राज्य स्तर पर व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, संविदात्मक आधार पर सहायक कर्मचारियों को भी काम पर रखा जा सकता था।

मानव संसाधनों से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य के साथ–साथ जिला, प्रखंड और पंचायत स्तरों पर पर्याप्त रिक्तियां देखीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए राज्य में कुल 13,798 पद स्वीकृत किए गए थे। हालाँकि, कुल मिलाकर, 6,086 पद (स्वीकृत पदों का 44 प्रतिशत) रिक्त थे (20 नवंबर 2024 तक)। ये रिक्तियां 16 प्रतिशत (डीपीओ के मामले में) से लेकर 80 प्रतिशत (कंप्यूटर ऑपरेटरों के संबंध में) तक थीं।

---

[16] *समेकित बाल विकास सेवाएं (समाज कल्याण विभाग), सरकारी स्कूलों की चाहरदीवारी का निर्माण (शिक्षा विभाग), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और मुख्यमंत्री कोशी शहतूत योजना (ग्रामीण विकास विभाग)।*

[17] *मनरेगा के अंतर्गत एनआरएम कार्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि विकास, जल संरक्षण, पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण, वनीकरण आदि के सतत उपयोग को संदर्भित करता है।*

राज्य स्तर पर स्वीकृत संख्या, कार्यरत बल और रिक्तियों (नवंबर 2024 तक) को **चार्ट–2.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट–2.5: राज्य में स्वीकृत बल और कार्यरत बल की स्थिति

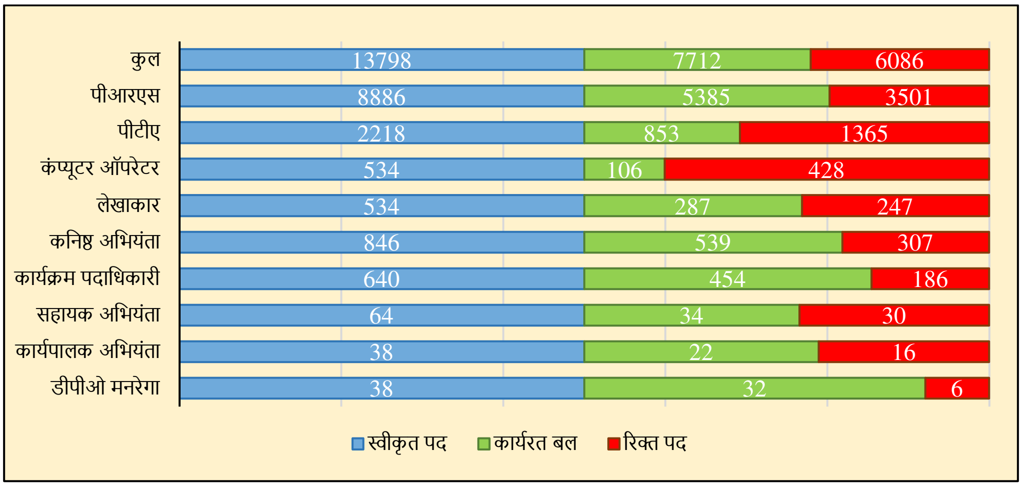

(स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी)

इसी तरह, चयनित जिलों में, मनरेगा के लिए स्वीकृत कुल 1,610 पदों में से, जुलाई से सितंबर 2024 तक 619 पद (38 प्रतिशत) रिक्त पड़े थे। इसके अलावा, चयनित जिलों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 17 प्रतिशत (डीपीओ) से 50 प्रतिशत (कार्यकारी अभियंता) तक की रिक्तियां देखी गईं, जैसा कि **चार्ट–2.6** में दिखाया गया है।

चार्ट–2.6: चयनित जिलों में स्वीकृत संख्या और कार्यरत बल की स्थिति

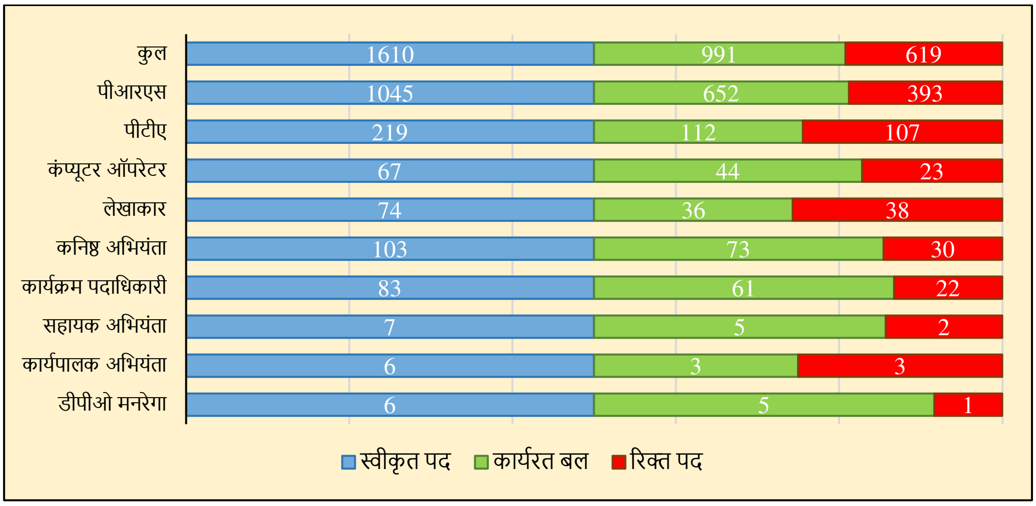

(स्रोत: चयनित जिलों द्वारा दी गई जानकारी)

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विभाग ने मनरेगा के लिए पंचायत रोजगार सेवक (पीआरएस), पंचायत तकनीकी सहायक (पीटीए), कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता के विभिन्न पदों को भरने के लिए एक भर्ती सहायता एजेंसी को नियुक्त करने के लिए दो बार निविदाएं आमंत्रित की थीं (फरवरी 2020 और सितंबर 2023)। हालांकि, पहली निविदा रद्द कर दी गई (अगस्त 2021) और दूसरी निविदा अमल में नहीं लाई जा सकी क्योंकि चयनित एजेंसी ने अनिच्छा जताई। इस प्रकार, इन निविदाओं के माध्यम से आवश्यक नियुक्तियां नहीं की गईं और पद खाली रहे।

पर्याप्त कर्मचारियों, विशेष रूप से पंचायत रोजगार सेवकों की तैनाती न किए जाने से योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह चयनित ग्राम पंचायत स्तर पर जॉब कार्ड के अद्यतन न किए जाने ***(कंडिका–2.4.2.2)***, प्रमुख अभिलेखों के संधारण न किए जाने ***(कंडिका–2.6.6)*** आदि उदाहरणों से परिलक्षित हुई।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी और जून 2025) कि रिक्त पदों को भरने के लिए एक भर्ती सहायता एजेंसी को नियुक्त करने का प्रयास किया गया था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सभी स्तरों पर पर्याप्त कमी थी और इसने योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कर्मचारियों की भर्ती नहीं की थी। इसके अलावा, सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.2.9.1, 2021–बिहार सरकार का प्रतिवेदन संख्या 3) में भी मानवबल की कमी के मुद्दे को दर्शाया गया था, लेकिन कोई ठोस कदम उठाया हुआ नहीं पाया गया।

2.2.7 क्षमता निर्माण

वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 16 के अनुसार, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और मनरेगा श्रमिकों को अकुशल रोजगार के चक्र से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करने के लिए पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण और मनरेगा योजना के श्रमिकों का कौशल विकास महत्वपूर्ण था। इस क्षमता निर्माण में बेयरफुट तकनीशियनों (बीएफटी)[18] के लिए प्रशिक्षण, उन्नति[19] परियोजना, राजमिस्त्रियों को कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी व्यक्तियों का सक्षम[20] पर प्रशिक्षण, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों के संसाधन व्यक्तियों और महिला एसएचजी के ग्राम संसाधन व्यक्तियों का क्षमता निर्माण आदि शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने मनरेगा योजना के कामगारों के कौशल विकास और योजना में प्रशिक्षित कार्मिकों की तैनाती में कमियों को देखा, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.2.7.1 मेट की तैनाती

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र (2020–21) और विभाग द्वारा जारी विनिर्देश (अक्टूबर 2022) ने मेट की नियुक्ति के माध्यम से मनरेगा के तहत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना अनिवार्य किया। एक मेट की भूमिका में कार्यों के निष्पादन जैसे कि माप लेने, एमबी को संधारित करना और कार्यस्थल पर किए गए कार्य की मात्रा और प्राप्त मजदूरी के लिए प्रत्येक श्रमिक के विवरण के साथ जॉब कार्ड को अपडेट करना, श्रमिकों की उपस्थिति को दर्ज करना आदि था। 40 श्रमिकों के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए कार्यस्थल पर एक मैट तैनात किया जाना था और उसे अर्ध–कुशल श्रमिकों के बराबर भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य स्तर पर, अगस्त से दिसंबर 2024 तक कुल 1,05,253 मेट (74,466 महिला और 30,787 पुरुष) के सापेक्ष 26,278 प्रशिक्षित मेट (17,078 महिलाएंः 65 प्रतिशत और 9,200 पुरुषः 35 प्रतिशत) को तैनात किया गया था। इस प्रकार, कुल

---

[18] *स्थानीय मनरेगा कामगार परिवारों/मेट/पर्यवेक्षकों से एक शिक्षित व्यक्ति, और एक अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करके सिविल इंजीनियरिंग अवधारणाओं में विशेष रूप से प्रशिक्षित ताकि वह कार्यों की पहचान और आकलन के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त कर सके, क्षेत्र में कार्यों के लिए सीमा निश्चित कर सके और मापी–पुस्तिका में किए गए कार्यों का माप दर्ज कर सके।*

[19] *दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के उद्यमी विकास कार्यक्रमों और कृषि विकास केंद्र (केवीके) आदि कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थित आजीविका के लिए महात्मा गांधी नरेगा काफी हद पर निर्भर इच्छुक ग्रामीण युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए एक अभिसरण पहल।*

[20] *एक डिजिटल शिक्षण मंच, जिसमें नरेगासॉफ्ट एंड यूजर के लिए वीडियो और सामग्री शामिल हैं।*

प्रशिक्षित मेट में से, केवल 23 प्रतिशत महिला मेट और 30 प्रतिशत पुरुष मेट तैनात किए गए थे। इसी तरह, चयनित जिलों में, कुल 11,613 प्रशिक्षित महिला मेट के सापेक्ष, केवल 2,909 (25 प्रतिशत) को तैनात किया गया था और कुल 6,127 प्रशिक्षित पुरुष मेट के सापेक्ष केवल 1,908 (31 प्रतिशत) को तैनात किया गया था। विवरण **तालिका–2.4** में दिया गया है।

तालिका–2.4: प्रशिक्षित मेट की स्थिति और राज्य में उनकी तैनाती

जिला	प्रशिक्षित मेट			मेट की तैनाती		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला (कुल तैनात का प्रतिशत)
	1	2	3	4	5	6 (4-5)
सहरसा	4,604	1,988	2,616	1,254	730	524 (42)
बेगूसराय	1,975	250	1,725	425	74	351 (83)
नवादा	2,088	376	1,712	929	163	766 (82)
गया	3,491	979	2,512	574	193	381 (66)
शिवहर	839	344	495	222	75	147 (66)
पूर्वी चंपारण	4,743	2,190	2,553	1,413	673	740 (52)
कुल	**17,740**	**6,127**	**11,613**	**4,817**	**1,908**	**2,909 (60)**
राज्य स्तर	**1,05,253**	**30,787**	**74,466**	**26,278**	**9,200**	**17,078 (65)**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 12.12, दिनांक 15 दिसंबर 2024)

इस प्रकार, **तालिका–2.4** से यह स्पष्ट है कि योजना के तहत कार्यों में केवल 25 प्रतिशत[21] प्रशिक्षित मेट तैनात किए गए थे। मेट की नियुक्तियों में कमी ने योजना को प्रभावित किया क्योंकि लेखापरीक्षा ने जॉब कार्ड का अद्यतन न करने, कामगारों की उपस्थिति दर्ज करने में विसंगतियों, कामगारों की मांग दर्ज करने में कमियों आदि के मामलों को देखा, जो मेट द्वारा किए जाने थे।

विभाग ने जवाब दिया (जून 2025) कि सभी डीपीसी को मेट की तैनाती करने का निर्देश दिया गया था और वांछित प्रगति प्राप्त करने के लिए निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा था।

2.2.7.2 उन्नति परियोजना का कार्यान्वयन

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ने प्रोजेक्ट लाइफ का नाम बदलकर प्रोजेक्ट उन्नति शुरू किया (दिसंबर 2019)। प्रोजेक्ट उन्नति का उद्देश्य निर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करना और इस तरह उनकी आजीविका में सुधार करना, उनकी आय में वृद्धि करना और मनरेगा पर उनकी निर्भरता को कम करना था। इस प्रोजेक्ट को 2019–20 से 2022–23 तक तीन साल के लिए लागू किया जाना था।

तदनुसार, विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों (जुलाई 2021) के अनुसार, 2018–19 में 100 मनरेगा दिन पूरे करने वाले परिवार दीन दयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) के तहत या ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) या कृषि विकास केंद्र (केवीके) के माध्यम से स्वरोजगार के लिए कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण के पात्र थे। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, विभाग की जीविका[22] नोडल एजेंसी थी। प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन पर व्यय और प्रशिक्षुओं को पारिश्रमिक का भुगतान मनरेगा निधियों से किया जाना था। राज्य को इस नई योजना के लिए पिछली प्रोजेक्ट लाइफ के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी ₹ 7.42 करोड़ की अव्ययित शेष राशि का उपयोग करना था।

---

[21] *{(26,278/1,05,253) x 100}.*

[22] *यह बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी है, जो ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, के तहत पंजीकृत है।*

लेखापरीक्षा ने नमूना–जाँचित जिलों और राज्यों में 2019–24 के दौरान प्रशिक्षण के लिए पात्र मनरेगा परिवारों और प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या से संबंधित डाटा का विश्लेषण किया (नरेगासॉफ्ट के प्रतिवेदन 29 में उपलब्ध, अगस्त से नवंबर 2024)। नरेगासॉफ्ट डाटा के अनुसार, इस अवधि के दौरान पात्र परिवारों और प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या का विवरण **तालिका–2.5** में दिया गया है।

तालिका–2.5: प्रोजेक्ट उन्नति के तहत प्रशिक्षित पात्र मनरेगा परिवारों और श्रमिकों की संख्या का विवरण

जिला	पात्र मनरेगा परिवार	पात्र परिवार से 18–45 वर्ष की आयु के श्रमिक	प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण के लिए चुने गए परिवार /श्रमिक			कुल प्रशिक्षित श्रमिक
			डीडीयू–जीकेवाई	आरएस ईटीआई	केवीके	
सहरसा (अगस्त 2024)	6,331	4,174	1	134	0	111
बेगूसराय (नवंबर 2024)	2,147	1,423	1	132	0	94
नवादा (सितंबर 2024)	5,503	4,260	1	320	0	261
शिवहर (नवंबर 2024)	1,430	875	0	29	0	20
गया (अगस्त 2024)	6,570	4,505	1	175	0	110
पूर्वी चंपारण (सितंबर 2024)	5,037	2,815	0	43	0	0
कुल	**27,018**	**18,052**	**04**	**833**	**0**	**596**
राज्य	**2,96,968**	**86,057**	**13**	**4,283**	**01**	**4,026**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 29)

जैसा कि **तालिका–2.5** से देखा जा सकता है, चयनित जिलों में 18,052 पात्र मनरेगा श्रमिकों में से, प्रोजेक्ट के तहत, केवल 596 (तीन प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया था। इसी तरह, राज्य स्तर पर, 86,057 पात्र श्रमिकों में से, केवल 4,026 श्रमिकों (पांच प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया था।

विभाग ने जवाब दिया (जून 2025) कि प्रस्तावित ट्रेड्स के लिए प्रतिभागियों की अनिच्छा के कारण प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जा सका।

हालांकि, विभाग ने प्रोजेक्ट की प्रगति/मनरेगा श्रमिकों की कम भागीदारी की समीक्षा करने के संबंध में लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध नहीं कराई और न ही इसमें और सुधार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस बारे में अवगत कराया। इसके अलावा, इसने प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त ₹ 7.42 करोड़ का उपयोग नहीं किया, और प्राप्ति के सात वर्षो से अधिक समय के बाद राशि को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार वापस कर दिया (अक्टूबर 2023)।

इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बावजूद, मनरेगा श्रमिकों को उनकी आजीविका में सुधार लाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

2.2.8 अपर्याप्त सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां

मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश, 2013 की कंडिका 5.4 में निहित प्रावधान के अनुसार, मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त मनरेगा श्रमिकों सहित ग्रामीण लोगों और अन्य हितधारकों के बीच योजना के प्रावधानों के साथ–साथ अधिनियम के तहत उनके अधिकारों और हकदारियों के बारे में जागरूकता

पैदा करना था। इसके अलावा, वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019–20 की कंडिका 11.7 के साथ पठित परिचालन दिशा–निर्देशों की कंडिका 4.5 और 5.5 के अनुसार, ग्रामीण लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मासिक रोजगार दिवस का आयोजन, वॉल पेंटिंग/लेखन, घर–घर संपर्क अभियान, सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान लोगों से संवाद, ग्राम पुस्तकालयों में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, प्रत्येक कार्यस्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड (सीआईबी) की स्थापना आदि सहित विभिन्न सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईईसी) उपकरणों को आयोजित किया जाना था।

विभाग और चयनित जिलों में आईईसी गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जांच, संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) और लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 2019–24 के दौरान, राज्य में विशेष रूप से प्रवासन के महीनों[23] के दौरान श्रमिकों/मनरेगा श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए घर–घर जाकर कोई गहन अभियान नहीं चलाया गया, हालांकि मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की कंडिका 5.4.2 (iii) में कार्यबल के प्रवासन को रोकने के लिए, प्रवासन के महीनों के दौरान प्रवासन प्रवण क्षेत्रों में गहन अभियान चलाने का प्रावधान किया गया है।

- जेपीवी (जुलाई–नवंबर 2024) के दौरान 978 कार्यस्थलों में से, 681 में नागरिक सूचना बोर्ड (सीआईबी) लगा हुआ नहीं मिला।

- 2019–24 के दौरान, किसी भी चयनित ग्राम पंचायत में वॉल पेंटिंग/लेखन गतिविधियां आयोजित नहीं की गईं।

- हालांकि, ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा हर छह महीने में की जानी थी, यह केवल वार्षिक आधार पर की गई थी, जैसा कि ***कंडिका–2.6.5.2*** में दर्शाया गया है। इसके अलावा, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, सर्वेक्षण किए गए 520 लाभार्थियों में से 291 (56 प्रतिशत) को सामाजिक लेखापरीक्षा के बारे में जानकारी नहीं थी।

- चयनित 48 ग्राम पंचायतों में से 20 ने 2019–24 के दौरान कोई मासिक रोजगार दिवस आयोजित नहीं किया। जबकि शेष 28 ग्राम पंचायतों ने रोजगार दिवस का आयोजन किया, लेकिन इसे मासिक आधार पर नहीं किया।

- सर्वेक्षण किए गए 520 लाभार्थियों में से 411 (79 प्रतिशत) ने जवाब दिया कि उन्हें किसी भी शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, सर्वेक्षण किए गए 520 लाभार्थियों में से 382 (73 प्रतिशत) योजना के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए जिलों में कोई लोकपाल की मौजूदगी के बारे में अवगत नहीं थे।

- सर्वेक्षण किए गए 520 लाभार्थियों में से 345 (66 प्रतिशत) ने जवाब दिया कि उन्हें मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार की पेशकश नहीं करने की स्थिति में भुगतान किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी नहीं थी।

विभाग ने रोजगार दिवस का आयोजन न करने के अलावा अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इस पर यह जवाब दिया गया कि उसने डीपीसी को रोजगार दिवस का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करने, इसे कार्य की मांग, आवंटन आदि

---

[23] *प्रवास के महीने (मानसून का मौसम) का मतलब है जब श्रमिक आम तौर पर नौकरी की तलाश में दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं।*

के सम्बन्ध में जानकारी के प्रसार के मंच के रूप में इसका उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया था (जुलाई 2025)।

2.3 वित्तीय प्रबंधन

2.3.1 प्रस्तावना

मनरेगा योजना भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत–साझेदारी पर क्रियान्वित की जाने वाली एक केंद्र प्रायोजित माँग–संचालित रोजगार योजना है। योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत, भारत सरकार और राज्यों के बीच निधि–साझेदारी का अनुपात **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.6: भारत सरकार और राज्यों के बीच मनरेगा योजना का वित्तपोषण स्वरूप

घटक	केन्द्रांश	राज्यांश
अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए मजदूरी	100 प्रतिशत	किसी परिवार को 100 मानव–दिवस से अधिक मजदूरी और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी से अधिक मजदूरी
कुशल और अर्ध–कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
सामग्री की लागत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
बेरोजगारी भत्ता	शून्य	100 प्रतिशत
प्रशासनिक व्यय	100 प्रतिशत[24]	राज्य रोजगार गारंटी परिषद का प्रशासनिक व्यय

(स्रोत–मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश 2013, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राज्य के श्रम बजट (एलबी) के आधार पर योजना का केन्द्रांश जारी करता है। श्रम बजट, राज्य द्वारा अपने स्तर पर संकलित किया जाता है और अनुमोदन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जाता है। इसके बाद, केंद्रीय निधि का हिस्सा दो भागों (अप्रैल और सितंबर में) में जारी किया जाता है। पहला भाग चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों की आवश्यकताओं के लिए जारी किया जाता है, जो पूरे वर्ष के दौरान आवश्यक कुल श्रम बजट के अधिकतम 50 प्रतिशत के अधीन है। इसके अलावा, दूसरा भाग उस वर्ष के लिए अनुमोदित श्रम बजट के सापेक्ष अप्रयुक्त शेष राशि और वास्तविक क्रियान्वयन के आधार पर, कुछ शर्तों[25] की पूर्ति के अधीन जारी किया जाता है।

योजना के तहत निधियों की प्राप्ति, अंतरण और उपयोग के प्रबंधन के लिए, बिहार सरकार ने राज्य रोजगार गारंटी कोष (एसईजीएफ)[26] स्थापित की (मई 2011)। इस कोष को दो बचत बैंक खातों में रखा जाता है एक सामग्री घटक के लिए तथा दूसरा अकुशल मजदूरी घटक के लिए। प्रशासनिक व्यय के लिए, विभाग द्वारा एक अलग बैंक खाता खोला गया था (अप्रैल 2023)[27]।

निष्पादित कार्यों के सत्यापन करने और मस्टर रोल (एमआर) तैयार करने के बाद, कार्यान्वयन इकाइयाँ (ग्राम पंचायत, प्रखण्ड और जिला परिषद) आपूर्तिकर्ताओं/लाभार्थियों/श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे राशि का अंतरण करने के लिए निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) जारी करती हैं। सामग्री घटकों के लिए, धनराशि इलेक्ट्रॉनिक निधि

---

24 *प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का छह प्रतिशत तक हो सकता है।*

25 *चालू वर्ष के लिए कुल उपलब्ध निधियों का 75 प्रतिशत उपयोग करने के बाद, कार्यक्रम निधियों के गैर–विचलन के संबंध में प्रमाण पत्र, गबन/दुर्विनियोजन के मामलों का न होने का प्रमाण पत्र; चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और पिछले वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि।*

26 *राज्य द्वारा बनाई गई निधि जो केन्द्र (केन्द्रांश) और राज्य (राज्यांश) से मनरेगा के संसाधनों को इकट्ठा करती है और निधि की जरुरत के हिसाब से जिलों में जारी करती है।*

27 *इससे पहले प्रशासनिक व्यय सामग्री घटक के लिए बनाए गए बैंक खाते से किया जाता था।*

प्रबंधन प्रणाली (ई–एफएमएस)[28] के माध्यम से अंतरित की जाती है। अकुशल श्रमिकों को भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनइ–एफएमएस)[29] के माध्यम से उनके खातों में राशि जमा करके किया जाता है। योजना के वित्तीय प्रबंधन में देखी गई कमियों पर चर्चा आगामी कंडिकाओ में की गई है।

2.3.2 मनरेगा के अंतर्गत प्राप्तियाँ और व्यय

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान, राज्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल ₹ 31,730.69 करोड[30] उपलब्ध थे। इसमें से, ₹ 30,615.93 करोड़ (96 प्रतिशत) योजना के कार्यान्वयन पर उपयोग किए गए। 2019–20 से 2023–24 के दौरान योजना के अंतर्गत निधियों की वर्षवार उपलब्धता और उपयोग का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: 2019–20 से 2023–24 तक मनरेगा के अंतर्गत प्राप्तियाँ और व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां				कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय	अंतिम शेष
		केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य प्राप्तियां[31]	कुल प्राप्तियां			
	1	2	3	4	5 (2+3+4)	6 (1+5)	7	8 (6-7)
2019-20	221.20	3,341.68	0	6.20	3,347.88	3,569.08	3,362.66	206.42
2020-21	206.42	6,261.96	451.29	16.85	6,730.10	6,936.52	6,819.65	116.87
2021-22	116.87	6,174.14	833.49	44.23	7,051.86	7,168.73	6,528.24	640.49
2022-23	640.49	6,413.39	191.85	14.12	6,619.36	7,259.85	6,735.52	524.33
2023-24	524.33	6,919.35	830.00	10.94	7,760.29	8,284.62	7,967.83	316.79
कुल		**29,110.52**	**2,306.63**	**92.34**	**31,509.49**		**31,413.90**[32]	

(स्रोत–बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

जैसा कि **तालिका 2.7** से देखा जा सकता है, मार्च 2024 तक अंतिम शेष के रूप में ₹ 316.79 करोड़ पड़े थे। इसमें से, ₹ 36.22 करोड़ विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के सापेक्ष पाँच वर्षों से अधिक समय से असमायोजित अग्रिम के रूप में पड़े थे, जबकि ₹ 6.95 करोड़ रॉयल्टी और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से काटे गए कर से प्राप्त राशि थी, जिसे अभी तक सरकारी खातों के संबंधित शीर्षों में जमा नहीं किया गया था। शेष राशि ₹ 280.57 करोड़ (प्रशासनिक निधि के ₹ 216.81 करोड़ और शेष बैंक ब्याज सहित) राज्य स्तर पर एसईजीएफ के बैंक खातों में पड़े थे।

विभाग ने जवाब दिया (जून 2025) कि बकाया अग्रिमों में कमी करने के लिए जिलों को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2024 तक, ₹ 36.22 करोड़ के अग्रिम अभी भी असमायोजित पड़े हुए थे।

---

28 *राज्य सरकार द्वारा सामग्री घटकों की राशि को अंतरित करने के लिए पीएफएमएस का उपयोग करता है।*

29 *ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा मनरेगा श्रमिकों के खातों में मजदूरी घटक की राशि सीधे अंतरित करने के लिए पीएफएमएस का उपयोग करता है।*

30 *केंद्र और राज्य की प्राप्तियां: ₹31,509.49 करोड़ और प्रारंभिक शेष: ₹ 221.20 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2019–20)।*

31 *बिहार ग्रामीण विकास सोसायटी और जिलों में रखे गए खातों में रखी गई निधियों पर उपार्जित ब्याज और जिला स्तर पर अन्य प्राप्तियां।*

32 *मजदूरी: ₹ 20,704.61 करोड़; सामग्री: ₹ 9,292.94 करोड़ एवं अन्य घटक: ₹ 1,416.35 करोड़।*

अनुशंसा 3: विभाग लंबित अग्रिमों का जल्द से जल्द समायोजन सुनिश्चित कर सकता है और संबंधित सरकारी खातों में कर और रॉयल्टी समय पर जमा करने के लिए कदम उठा सकता है।

2.3.3 मजदूरी और सामग्री की लागत के कारण बकाया देनदारियाँ

अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार, मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाना था और कार्य पूरा होने की तिथि के एक पखवाड़े से अधिक समय बाद नहीं किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने 2014–15 से 2023–24 की अवधि के दौरान, मजदूरी और सामग्री की लागत के मद में किए गए भुगतानों से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच की। अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2023–24 (दिसंबर 2024 तक) के लिए अकुशल मजदूरी और सामग्री लागत के संबंध में भुगतान के लिए 10 वर्षों तक की अवधि का ₹1,903.58 करोड़ बकाया था। बकाया देनदारियों का विवरण **तालिका 2.8** में दिया गया है।

तालिका 2.8 बकाया मनरेगा देनदारियाँ

(राशि: ₹ करोड में)

वित्तीय वर्ष	बकाया देनदारियाँ (अकुशल मजदूर)		बकाया देनदारियाँ (सामग्री घटक)[33]		कुल बकाया देनदारियाँ	
	राज्य	चयनित जिले	राज्य	चयनित जिले	राज्य	चयनित जिले
	1	2	3	4	5 (1+3)	6 (2+4)
2014-15 से 2018-19	149.99	-	152.25	-	302.24	-
2019-20	2.71	0.33	2.37	0.61	5.08	0.94
2020-21	1.34	0.17	31.22	10.79	32.56	10.96
2021-22	0.95	0.14	32.59	11.18	33.54	11.32
2022-23	3.89	1.19	19.52	37.20	23.41	38.39
2023-24	820.86	0.55	685.89	463.36	1,506.75	463.91
कुल	**979.74**	**2.38**	**923.84**	**523.14**	**1,903.58**	**525.52**

(स्रोतः बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)

राज्य स्तर पर कुल बकाया देनदारियों की राशि ₹ 1,903.58 करोड़ में से, ₹ 1,506.75 करोड़ वित्तीय वर्ष 2023–24 से संबंधित थे और ₹ 302.24 करोड़ वित्तीय वर्ष 2019–20 के पूर्व से भुगतान के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि वित्तीय वर्ष 2023–24 की कुल बकाया देनदारियां ₹ 1,506.75 करोड़ में से, ₹ 817.06 करोड़ (मजदूरी) और ₹ 75.64 करोड़ (सामग्री) के भुगतान एफटीओ जारी होने के छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लंबित थे। इसका कारण यह था कि जारी किए गए एफटीओ असंसाधित रहे जिसके कारण भुगतान बकाया रहा। इसके अलावा, शेष ₹ 614.05 करोड़ (मजदूरीः ₹ 3.80 करोड़ और सामग्रीः ₹ 610.25 करोड़) के दावे एफटीओ को संसाधित करने के बाद भी बैंक या पीएफएमएस स्तर पर भुगतान के लिए लंबित थे। यह लंबित स्थिति मुख्य रूप से नरेगासॉफ्ट में तकनीकी समस्याओं, बैंक खाता विवरण के मेल न होने/अमान्य होने के कारण थी।

नमूना–जांचित मामलो में गया (₹ 1.13 करोड़) और पूर्वी चंपारण (₹ 158.78 करोड़) जिलों में 2019–24 के दौरान क्रमशः मजदूरी और सामग्री घटकों के तहत अधिकतम देयता थी।

[33] *इसमें सामग्री की लागत, कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी, बकाया कर आदि शामिल हैं।*

उपरोक्त निष्कर्ष इंगित करते हैं कि ₹ 1,903.58 करोड़ में से, श्रमिकों को ₹ 979.74 करोड़ की राशि का भुगतान और सामग्री घटक के लिए ₹ 923.84 करोड़ का भुगतान, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 10 वर्षों तक की अवधि से बकाया रहे, इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को वित्तीय सहायता नहीं मिली, जिससे समय पर मजदूरी प्राप्त करने के उनके वैधानिक अधिकार का हनन हुआ।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2025) कि सामग्री मद में लंबित देनदारियों का मुख्य कारण समय पर और पर्याप्त केन्द्रांश का न मिलना था जबकि लंबित मजदूरी का कारण श्रमिकों के बैंक खाते और आधार कार्ड विवरण का सही नहीं होना था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नरेगासॉफ्ट में सही बैंक खातों और आधार विवरण की प्रविष्टियां प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी की जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा, डीपीसी आधार अद्यतनीकरण के कार्य के अनुश्रवण के लिए भी जिम्मेदार था।

2.3.4 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

1 जनवरी 2013 से भारत सरकार ने लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरु किया। इसका उद्देश्य सूचना/निधि के सरल और तेज प्रवाह के लिए पहले से मौजूद प्रक्रियागत पद्धतियों को पुनर्गठित करके सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करना, लाभार्थियों का सटीक लक्ष्यीकरण, दोहराव को कम करना और धोखाधड़ी में कमी लाना सुनिश्चित करना था।

मनरेगा में डीबीटी का प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी और सामग्री का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित करना था। वित्तीय वर्ष 2016–17 से, मजदूरी और सामग्री का भुगतान क्रमशः एनई–एफएमएस और ई–एफएमएस के माध्यम से श्रमिकों और विक्रेता/आपूर्तिकर्ताओं के खाते में सीधे किया जा रहा था। मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए, भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)[34] द्वारा विकसित आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एबीपीएस) शुरू की (2017), जो लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे लाभ पहुँचाने के लिए आधार संख्या का उपयोग करती है।

योजना के कार्यान्वयन के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 14.5 में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में डीबीटी के कार्यान्वयन का प्रावधान है। इस उद्देश्य के लिए, विभाग को सुनिश्चित करना था कि:

- सभी सक्रिय मनरेगा श्रमिकों की आधार संख्या को नरेगा एमआईएस (नरेगासॉफ्ट) में जोड़ना।
- ऐसे मामलों में जहां जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण विफल हो गया हो, कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा सभी आधार संख्याओं का मैन्युअल सत्यापन।
- सभी सक्रिय श्रमिकों के खातों को संबंधित बैंक/डाकघर को संदर्भित करके उनका सत्यापन और पुष्टिकरण।
- बैंक/डाकघर खातों में सत्यापित आधार संख्या को जोड़ना, तथा आधार आधारित भुगतान सक्षम करने के लिए खातों की मैपिंग हेतु उन्हें एनपीसीआई को भेजना।

---

[34] *यह एक अम्ब्रेला संगठन है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए स्थापित किया गया (2008) है।*

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के निर्देशों के आलोक में, बिहार सरकार ने डीपीसी को सभी सक्रिय जॉब कार्ड धारकों की आधार सीडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (30 नवंबर 2016)। हालाँकि, अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए डीबीटी के कार्यान्वयन के आठ वर्षों से अधिक समय बीत जाने एवं बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद भी, सभी सक्रिय श्रमिकों के खातों को डीबीटी का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड से जोड़ा जाना बाकी था। 12 दिसंबर 2024 तक, राज्य में सक्रिय मनरेगा श्रमिकों (91,43,809) में से लगभग सात प्रतिशत (5,98,234) के खातों को अभी तक आधार से मैप किया जाना बाकी था। चयनित जिलों के मामले में, कुल सक्रिय 18,11,219 मनरेगा श्रमिकों में से, 1,30,237 के खातों को आधार कार्ड से मैप किया जाना बाकी था, जिसका विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9 आधार से जुड़े बैंक खातों वाले सक्रिय मनरेगा श्रमिकों की संख्या का विवरण

जिला	कुल सक्रिय श्रमिक (2023–24 के दौरान)	सक्रिय श्रमिकों के लिए आधार सीडिंग	सफल मैपिंग (आधार से जुड़े हुए बैंक खाता)	आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से भुगतान के लिए पात्र श्रमिकों का प्रतिशत	सक्रिय श्रमिकों की संख्या जिनके खातों की मैपिंग नहीं की गयी थी (प्रतिशत)
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/2*100)**	**6**
बेगूसराय	1,91,455	1,91,101	1,74,579	91	16,876 (09)
पूर्वी चम्पारण	4,94,555	4,94,502	4,49,103	91	45,452 (09)
गया	4,49,651	4,49,240	4,18,933	93	30,718 (07)
नवादा	2,76,128	2,76,042	2,64,131	96	11,997 (04)
सहरसा	3,15,275	3,15,258	2,96,771	94	18,504 (06)
शिवहर	84,155	84,087	77,465	92	6,690 (08)
कुल	**18,11,219**	**18,10,230**	**16,80,982**	**93**	**1,30,237 (07)**
राज्य	**91,43,809**	**91,38,785**	**85,45,575**	**93**	**5,98,234 (07)**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 1.6, 12 दिसंबर 2024)

तालिका 2.9 के अनुसार, राज्य में सभी सक्रिय मनरेगा श्रमिकों का आधार सीडिंग पूरा नहीं हुआ था और सात प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों को उनके आधार के सत्यापन के बिना मजदूरी का भुगतान प्राप्त हो रहा था। नरेगासॉफ्ट (प्रतिवेदन 1.6) के अनुसार, सक्रिय श्रमिकों के बैंक खातों की मैपिंग न होने का एक मुख्य कारण निष्क्रिय बैंक खाते थे, जो यह दर्शाता है कि विभाग ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से सभी सक्रिय श्रमिकों के बैंक/डाकघर खातों का सत्यापन और पुष्टि नहीं किया था। इससे मजदूरी के भुगतान में देरी/भुगतान न होने साथ ही मजदूरी का भुगतान लक्षित लाभार्थी के अलावा अन्य के खाते में जाने का जोखिम पैदा होता है।

2.4 पंजीकरण और रोजगार सृजन

2.4.1 प्रस्तावना

मनरेगा एक मांग संचालित सार्वजनिक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। इसके लिए ऐसी प्रणालियां बनाने की आवश्यकता है जो रोजगार के लिए ग्रामीण परिवारों के पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करने और रोजगार की मांग की सुविधा प्रदान और दर्ज करें। पंजीकरण और परिवारों को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया **चार्ट–2.7** में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट–2.7: पंजीकरण और परिवारों को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया

(स्रोतः मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013)

इस योजना के अंतर्गत परिवारों के पंजीकरण, जॉब कार्ड के निर्गम और रोजगार सृजन की प्रक्रिया में पाई गई कमियों पर उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई हैं।

2.4.2 परिवारों का पंजीकरण

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की कंडिका 3.1.2 में यह प्रावधान किया गया है कि अकुशल रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले परिवार मनरेगा के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आवेदन परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाना था। पंजीकरण के लिए आवेदन सादे कागज पर दिया जा सकता है। एक व्यक्ति पंजीकरण के लिए मौखिक अनुरोध भी कर सकता है और ऐसे मामले में, पीआरएस द्वारा आवश्यक विवरणों को आवेदन पंजी में नोट किया जाना था। ग्राम पंचायत पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों को सत्यापित करने, परिवारों को पंजीकृत करने और पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार था। किसी परिवार के पंजीकरण के लिए सत्यापन की प्रक्रिया आवेदन प्राप्त होने के एक पखवाड़े के भीतर पूरी की जानी थी।

2.4.2.1 सभी पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी न करना

मनरेगा के अंतर्गत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार एक जॉब कार्ड का हकदार है। मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की कंडिका 3.1 के अनुसार, जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अधिनियम के तहत श्रमिकों की हकदारियों जैसे कि प्राप्त रोजगार, मजदूरी का भुगतान, कार्य का विवरण जहां रोजगार प्रदान किया गया है आदि सहित श्रमिक के विवरण को दर्ज करता हैं। यह पंजीकरण के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।

लेखापरीक्षा ने राज्य में पंजीकृत परिवारों की संख्या और 2019–20 से 2023–24 (25 नवंबर 2024 तक) के दौरान उत्पन्न और जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या जैसा कि नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध है, से संबंधित डाटा का विश्लेषण किया। डाटा के विश्लेषण से पता चला कि परिवारों के पंजीकरण के बाद, जॉब कार्ड नंबर नरेगासॉफ्ट पर सृजित किए गए थे, लेकिन राज्य के साथ–साथ नमूना–जांचित जिलों में मनरेगा के तहत पंजीकृत सभी परिवारों को जॉब कार्ड जारी नहीं किए गए थे, जैसा कि **तालिका–2.10** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका–2.10: सभी पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी न करना

वित्तीय वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या		जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या		जॉब कार्ड के बिना परिवारों की संख्या	
	राज्य	चयनित जिले	राज्य	चयनित जिले	राज्य	चयनित जिले
	1	2	3	4	5 (1-3)	6 (2-4)
2019-20	1,83,37,137	31,41,443	1,70,27,866	29,02,483	13,09,271	2,38,960
2020-21	2,07,09,191	35,80,255	1,92,33,939	32,75,802	14,75,252	3,04,453
2021-22	2,07,53,363	37,37,137	2,02,68,959	35,68,294	4,84,404	1,68,843
2022-23	1,47,57,890	27,27,032	1,45,21,864	26,40,921	2,36,026	86,111
2023-24	1,37,64,334	25,93,937	1,36,21,588	25,51,766	1,42,746	42,171

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 5.1.1, दिनांक 25 नवंबर 2024)

जैसा कि **तालिका–2.10** से देखा जा सकता है, 2019–20 से 2023–24 के दौरान, राज्य में 1,42,746 से 14,75,252 पंजीकृत परिवारों और चयनित जिलों में 42,171 से 3,04,453 पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी नहीं किए गए हैं।

इसके अलावा, 48 चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 41 ग्राम पंचायतों[35] में, जॉब कार्ड के लिए पंजी जिसमें आवेदन प्राप्त होने की तिथि, जॉब कार्ड जारी करने की तिथि, इसकी संख्या आदि जैसे विवरण शामिल करने थे, का रखरखाव नहीं किया जा रहा था ***(कंडिका–2.6.6)***। इसलिए, जारी किए गए जॉब कार्ड की वास्तविक संख्या का प्रति परीक्षण नहीं किया जा सका। किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण (जुलाई से सितंबर 2024) के दौरान, यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए 520 लाभार्थियों में से 120 (23 प्रतिशत) के पास जॉब कार्ड नहीं थे।

इसलिए, सभी पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी न किए जाने से मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के अवसर प्राप्त करने के उनके अधिकार का हनन हुआ। इसके अलावा, जॉब कार्डों की कमी ने प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी प्रभावित किया क्योंकि जॉब कार्ड में इच्छुक परिवारों का विवरण जैसे कि प्राप्त हुआ रोजगार, मजदूरी का भुगतान, काम का विवरण आदि दर्ज करना था।

विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2025) कि पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने में लंबित स्थिति को देखते हुए, संबंधित डीपीसी को सभी पंजीकृत परिवारों को ये कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया था।

2.4.2.2 जॉब कार्ड का सत्यापन/अद्यतन न होना

मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश, 2013 की कंडिका 3.1.5 (xiv) में प्रावधान किया गया है कि परिवारों के पंजीकरण की तरह ही परिवारों के विवरणों में किसी भी संशोधन का अद्यतन करने के लिए ग्राम पंचायत एक वार्षिक प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके अलावा, वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) में निहित निर्देशों के अनुसार, जॉब कार्ड को सत्यापित/अद्यतन करने के लिए समयबद्ध अभियान आयोजित किए जाने थे। संबंधित डीपीसी और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि ये सत्यापन अभियान समयबद्ध तरीके से संचालित किए जाएं।

इस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, जो पंचायत रोजगार सेवक (पीआरएस) द्वारा की जानी थी, लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाता संख्या को सत्यापित करना और जॉब कार्ड में दर्ज किया जाना था, पारिवारिक तस्वीर या श्रमिकों की तस्वीरें या परिवार की व्यक्तिगत

[35] *सहरसाः 6 और नवादाः 1 को छोड़कर।*

तस्वीरें; कार्य की मांग, आवंटन, किया गया कार्य और भुगतान विवरण जॉब कार्ड में अद्यतन करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध 2019–20 से 2023–24 (25 नवंबर 2024 तक) के दौरान राज्य में सत्यापित/अद्यतन किए गए जॉब कार्ड की संख्या से संबंधित डाटा का विश्लेषण किया। विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में सभी जॉब कार्ड का केवल 30.12 प्रतिशत से 53.84 प्रतिशत और सक्रिय[36] जॉब कार्ड का 43.52 प्रतिशत से 63.84 प्रतिशत सत्यापित किया गया था। चयनित जिलों में 2019–24 के दौरान सभी श्रमिकों का जॉब कार्ड सत्यापन 32 से 51.91 प्रतिशत के बीच तक था। राज्य और चयनित जिलों में जॉब कार्ड के सत्यापन/अद्यतन का विवरण क्रमशः **तालिका–2.11 और 2.12** में दिया गया है।

तालिका–2.11: राज्य में जॉब कार्ड का सत्यापन

वित्तीय वर्ष	जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या*		सत्यापित जॉब कार्ड		सत्यापन का प्रतिशत	
	कुल	सक्रिय	कुल	सक्रिय	कुल	सक्रिय
	1	**2**	**3**	**4**	**5(3/1*100)**	**6 (4/2*100)**
2019-20	1,63,04,036	56,69,864	54,69,014	36,19,870	33.54	63.84
2020-21	1,83,21,070	75,00,961	56,59,377	35,46,868	30.89	47.29
2021-22	2,07,65,583	84,42,718	62,54,552	36,74,652	30.12	43.52
2022-23	1,65,86,596	83,36,646	65,07,699	41,21,840	39.23	49.44
2023-24	1,36,31,473	86,84,465	73,39,098	48,20,319	53.84	55.51

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 26.4, दिनांक 25 नवंबर 2024)

तालिका–2.12 चयनित जिलों में जॉब कार्ड का सत्यापन

वित्तीय वर्ष	जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या*		सत्यापित जॉब कार्ड		सत्यापन का प्रतिशत	
	कुल	सक्रिय	कुल	सक्रिय	कुल	सक्रिय
	1	**2**	**3**	**4**	**5 (3/1*100)**	**6 (4/2*100)**
2019-20	27,47,011	9,86,743	10,46,296	6,72,256	38.09	68.13
2020-21	31,14,757	13,21,338	10,63,148	6,50,708	34.13	49.25
2021-22	35,66,892	15,04,166	11,41,329	6,65,740	32.00	44.26
2022-23	30,88,163	15,98,468	12,11,273	7,78,656	39.22	48.71
2023-24	25,25,750	17,04,496	13,11,092	8,98,338	51.91	52.70

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 26.4, दिनांक 25 नवंबर 2024)

* *तालिका 2.10, 2.11 तथा 2.12 में प्रदर्शित राज्य एवं चयनित जिलों में जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या, नरेगासॉफ्ट की विभिन्न रिपोर्टों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार परस्पर मेल नहीं खाती थी।*

इसके अलावा, जुलाई से सितंबर 2024 के दौरान किए गए 520 लाभार्थियों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, जॉब कार्ड में विवरण जैसे दिवस और रोजगार का विवरण, बैंक विवरण, लाभार्थियों द्वारा मांगे गए कार्य, धारक की तस्वीरें आदि अद्यतन/सत्यापित नहीं पाए गए, जैसा कि **तालिका–2.13** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

[36] *2019–20 के वार्षिक मास्टर परिपत्र के अनुसार, जॉब कार्ड रखने वाले किसी भी मजदूर और जिसने पिछले तीन वर्षों के दौरान काम किया था।*

तालिका–2.13: लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान जांचे गए जॉब कार्ड में विवरण का अद्यतन न होना

चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या	सर्वेक्षण किए गए चयनित ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों की संख्या	जॉब कार्ड वाले परिवार	जॉब कार्ड पर चिपकायी गयी तस्वीर	जॉब कार्ड पर जोड़ा गया आधार नंबर	जॉब कार्ड पर बैंक विवरण	रोजगार विवरण		
						रिक्त	आंशिक प्रविष्टि	पूर्णतः प्रविष्टि
48	520	400	205	118	137	158	128	109

इस प्रकार, जैसा कि **तालिका–2.13** में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है, जॉब कार्ड में अपेक्षित प्रविष्टियां योजना के दिशानिर्देशों में परिकल्पना के अनुसार नहीं की गई थीं। प्रविष्टियां जैसे कि जॉब कार्ड धारक का नाम, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या आदि जो जॉब कार्ड में आवश्यक क्षेत्र हैं, सभी श्रमिकों के लिए सत्यापित नहीं किए जा सके। इसके अलावा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, रोजगार और भुगतान की गई मजदूरी से संबंधित प्रविष्टियों को समय–समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में संबंधित घटना की तिथि के सात दिनों के बाद नही किया जाना चाहिए। जॉब कार्ड में प्रविष्टियों के छूट जाने या प्रविष्टियों में देरी को उल्लंघन माना जाना चाहिए और यह अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय है। जॉब कार्ड के कम सत्यापन/अद्यतन के कारण लाभार्थियों के भुगतान की अस्वीकृति देखी गई ***(कंडिका–2.4.4.5)*** ।

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में, विभाग ने डीपीसी को अभियान चलाकर समय–समय पर जॉब कार्ड का अद्यतन और सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (जुलाई 2025)।

अनुशंसा 4: विभाग जॉब कार्ड के अद्यतन और सत्यापन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना सुनिश्चित कर सकता है।

2.4.3 रोजगार सृजन

अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत श्रम रोजगार प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। 2019–24 के दौरान (25 नवंबर 2024 तक) राज्य में योजना के तहत पंजीकृत परिवार और श्रमिक, सक्रिय जॉब कार्ड और प्राप्त रोजगार आदि का विवरण क्रमशः **तालिका–2.14 और तालिका–2.15** में दिया गया है।

तालिका–2.14: 2019–24 के दौरान राज्य में परिवारवार रोजगार सृजन

क्रम संख्या	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	1	2	3	4	5	6
1	पंजीकृत परिवार (लाख में)	183.37	207.09	207.53	147.58	137.64
2	जॉब कार्ड जारी किए गए परिवार (लाख में)	170.28	192.34	202.69	145.22	136.22
3	सक्रिय जॉब कार्ड (लाख में)	56.62	74.65	71.38	79.24	86.53
4	स्वीकृत मानव–दिवस (लाख में)	1,600.00	2,250.00	2,000.00	2,500.00	2,250.00
5	प्राप्त मानव–दिवस (लाख में)	1,406.81	2,261.26	1,802.75	2,364.55	2,205.23
6	परिवारों द्वारा माँगा गया रोजगार (लाख में)	41.61	61.68	58.26	58.15	54.67

क्रम संख्या	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	1	2	3	4	5	6
7	परिवारों द्वारा माँगा गया रोजगार (पंजीकृत परिवारों का प्रतिशत) {(क्रम संख्या 6/क्रम संख्या 1)*100}	*22.69*	*29.78*	*28.07*	*39.40*	*39.72*
8	परिवारों द्वारा प्राप्त रोजगार (लाख में)	33.48	50.65	47.76	50.14	48.19
9	औसत मानव–दिवस प्रति परिवार (प्राप्त रोजगार) {क्रम संख्या 5 /क्रम संख्या 8}	42.02	44.65	37.75	47.16	45.77
10	परिवार जिसने 100 दिन रोजगार प्राप्त किया (लाख में)	0.20	0.35	0.22	0.40	0.34
11	100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत {(क्रम संख्या 10/क्रम संख्या 8)*100}	*0.60*	*0.69*	*0.46*	*0.79*	*0.70*
12	पंजीकृत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (लाख में)	34.52	34.52	34.52	34.51	34.51
13	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा प्राप्त रोजगार (लाख में)	5.51	6.82	6.49	8.97	10.67
14	उत्पन्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मानव–दिवस (लाख में)	240.47	284.51	241.75	454.46	460.90
15	औसत मानव–दिवस प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार {क्रम संख्या 14/क्रम संख्या 13}	43.64	41.72	37.25	50.66	43.19

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 1.1.1 और 5.1.1, दिनांक 25 नवंबर 2024)

तालिका 2.15: 2019–24 के दौरान राज्य में श्रमिकवार रोजगार सृजन

क्रम संख्या	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	पंजीकृत श्रमिक (लाख में)	260.27	289.00	278.50	183.78	165.78
2	सक्रिय श्रमिक[37] (लाख में)	90.94	90.94	90.94	90.94	90.94
3	श्रमिकों द्वारा मांगा गया रोजगार (लाख में)	48.89	72.78	68.00	68.17	61.67
4	श्रमिकों द्वारा प्राप्त रोजगार (लाख में)	38.32	58.15	54.12	57.76	53.84
5	मांगे गए रोजगार का प्रतिशत {(क्रम संख्या 4/क्रम संख्या 3)*100}	78.38	79.90	79.59	84.73	87.30

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 1.1.1 और 5.1.1, दिनांक 25 नवंबर 2024)

जैसा कि **तालिका–2.14 और 2.15** से देखा जा सकता है, रोजगार की मांग कम थी, और सृजित औसत मानव–दिवस (38–47 प्रति परिवार) योजना में परिकल्पित 100 दिनों के रोजगार की हकदारी से बहुत कम थे। इसके अलावा, 2019–24 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा प्राप्त किए गए रोजगार की प्रतिशतता कम रही, जो कि प्रति परिवार 37–51 दिन के बीच था।

[37] *नरेगासॉफ्ट में, 2019–20 से 2023–24 की अवधि के लिए सक्रिय श्रमिकों की संख्या समान दिखाई जा रही थी।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि मनरेगा के तहत कम मानव–दिवस रोजगार सृजन मुख्य रूप से कम मजदूरी दर ***(कंडिका–2.4.4.3)***, मजदूरी के भुगतान न करने ***(कंडिका–2.3.3, 2.4.4.5 और 2.4.4.6)***, मजदूरी के भुगतान में विलम्ब ***(कंडिका–2.4.4.2)***, मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे के भुगतान न करने ***(कंडिका–2.4.4.4)***, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान न करने ***(कंडिका–2.4.4.7)*** आदि के कारण हुआ। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के सृजन में लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए इन मामलों को आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

2.4.3.1 रोजगार सृजन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी

लेखापरीक्षा ने राज्य स्तर पर अनुमोदित (आरडीडी, बिहार सरकार द्वारा) मानव–दिवस रोजगार की संख्या और सृजित मानव–दिवसों के रोजगार की संख्या (जैसा कि नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध है, 25 नवंबर 2024 तक) से संबंधित डाटा का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि लक्षित मानव–दिवस रोजगार सृजन (वित्तीय वर्ष 2020–21 को छोड़कर) की संख्या को प्राप्त करने में कमी थी, जैसा कि **तालिका–2.16** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका–2.16: 2019–24 के दौरान लक्षित मानव–दिवस रोजगार प्राप्त करने में कमी

वित्तीय वर्ष	रोजगार सृजन के लिए स्वीकृत लक्ष्य (मानव–दिवसों की संख्या लाख में)	रोजगार सृजन (मानव–दिवसों की संख्या में लाख)	रोजगार सृजन में लाख में मानव–दिवसों में कमी (प्रतिशत में)
2019-20	1,600	1,403	197 (12)
2020-21	2,250	2,259	(+) 09 (0.4)
2021-22	2,000	1,803	197 (10)
2022-23	2,500	2,364	136 (5)
2023-24	2,250	2,205	45 (2)

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 2.2.2, दिनांक 25 नवंबर 2024)

इस प्रकार, पांच वित्तीय वर्षं 2019–20 से 2023–24 में से चार में आवश्यक मानव–दिवस का सृजन नहीं किया जा सका।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2025) कि मनरेगा के तहत अधिसूचित अकुशल मजदूरी दर और प्रचलित बाजार मजदूरी दरों के बीच काफी अंतर था। परिणामस्वरूप, श्रमिक मनरेगा में तभी भाग लेते हैं जब वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं।

2.4.3.2 कार्य की कम मांग और मानव–दिवसों का कम सृजन

राज्य में कुल पंजीकृत परिवारों में से केवल 22.69 प्रतिशत से 39.72 प्रतिशत ने कार्य की मांग की और कुल पंजीकृत परिवारों में से, 18.26 प्रतिशत से 35.01 प्रतिशत परिवारों ने वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान रोजगार प्राप्त किया। एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को प्रदत औसत मानव–दिवस 100 दिनों की पात्रता के सापेक्ष केवल 38 से 47 दिनों के बीच था।

रोजगार का यह प्रतिशत बरसात के मौसम (जुलाई से सितंबर) के दौरान और भी कम हो गया और वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान राज्य में केवल नौ प्रतिशत से 20 प्रतिशत मानव–दिवस ही सृजित हुए। इस प्रकार, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने की योजना का प्राथमिक उद्देश्य केवल आंशिक रूप से प्राप्त किया गया था।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2025) कि मानव–दिवसों के कम सृजन का कारण मनरेगा के तहत अधिसूचित अकुशल मजदूरी दरों और बाजार दरों के बीच बड़ी असमानता थी।

2.4.4 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

मनरेगा की धारा 3 (3) में प्रावधान है कि दैनिक मजदूरी का संवितरण हर हफ्ते किया जाएगा या किसी भी हालत में कार्य होने की तिथि के दो हफ्ते से ज्यादा देर नहीं होगी। इसके अलावा, अधिनियम की अनुसूची II की कंडिका 29 (1) में प्रावधान किया गया है कि मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के बाद मजदूरी के सभी भुगतानों पर प्रति दिन विलम्ब के लिए मजदूरी का 0.05 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। निधि प्रवाह को कारगर करने और श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में देरी को कम करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ने अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई–एफएमएस) की शुरुआत की। एनई–एफएमएस में, सभी एफटीओ को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)[38] के माध्यम से भेजा जाना था।

मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उत्तरवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

2.4.4.1 निधि अंतरण आदेश के सृजन में विलंब

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि (सितंबर 2016) कि ई–एमआर (टी)[39] में उपस्थिति दर्ज करने की तिथि, ई–एमबी (टी+5) में कार्य का माप, मजदूरी सूची का सृजन (टी+6) और निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) तैयार करना (टी +7) एवं उन पर हस्ताक्षर करने (टी+8) से संबंधित सभी उप–गतिविधियां एवं गतिविधियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएं ताकि समयबद्ध तरीके से मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए, प्रखंड स्तर पर पीओ को एमआर के सत्यापन के बाद टी+8 दिनों के भीतर पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने के लिए एफटीओ का सृजन करना था और इसे नरेगासॉफ्ट पर भेजना था।

नरेगासॉफ्ट पर श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान से संबंधित डाटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में एफटीओ देरी से सृजित हुए, जैसा कि **तालिका–2.17** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका–2.17: 2019–24 के दौरान राज्य में एफटीओ के सृजन में विलंब

इकाइयाँ	वित्तीय वर्ष	मस्टर रोल की संख्या	टी+8 दिनों के भीतर सृजित एफटीओ का प्रतिशत	टी+8 दिनों के बाद सृजित एफटीओ का प्रतिशत
राज्य स्तर	**2019-20**	48,75,838	78.48	21.52
	2020-21	85,54,834	82.42	17.58
	2021-22	61,97,974	95.45	4.55
	2022-23	82,08,914	89.61	10.39
	2023-24	42,92,901	93.79	6.21
चयनित जिले	**2019-20**	9,55,656	76.95	23.05
	2020-21	16,50,661	82.67	17.33
	2021-22	10,83,122	95.09	4.91
	2022-23	18,95,200	88.31	11.69
	2023-24	10,34,488	92.59	7.41

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 14.4, 27 नवंबर 2024)

---

38 *यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित एक वेब–आधारित एप्लिकेशन है। इसे सरकारी योजनाओं के तहत जारी की गयी निधि पर नजर रखने और प्रबंधित करने, वास्तविक समय के वित्तीय प्रबंधन के लिए एक मंच प्रदान करने, लाभार्थियों को सीधे भुगतान की सुविधा प्रदान करने और प्रतिवेदित करने के लिए डिजाइन किया गया है।*

39 *मस्टर रोल का अंतिम कार्य दिवस।*

जैसा कि **तालिका–2.17** से देखा जा सकता है, वर्ष 2019–24 के दौरान, राज्य स्तर पर 21.52 प्रतिशत तक एफटीओ मस्टर रोल की अंतिम तिथि से निर्धारित आठ दिनों से अधिक की देरी के साथ सृजित किए गए थे। चयनित जिलों के मामले में, इस अवधि के लिए विलंब 23.05 प्रतिशत तक थी।

पीओ स्तर पर एफटीओ के सृजन में विलंब के परिणामस्वरूप मनरेगा के तहत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में देरी हुई, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2025) कि नरेगासॉफ्ट में कभी–कभी तकनीकी समस्यायों के कारण, मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में कुछ विलंब हुआ है, अस्वीकृत लेनदेन के पुनः सृजन के लिए निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके अलावा, लंबित लेनदेन के लिए दंडात्मक उपायों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय सुधार हुए हैं।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह एफटीओ के सृजन में विलंब को कम करने के लिए किए गए दंडात्मक उपायों और सुधारों, यदि कोई हो, के संबंध में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था।

2.4.4.2 मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में विलंब

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 3(3) के अनुसार, दैनिक मजदूरी का संवितरण, उस तारीख के पंद्रह दिनों के बाद नहीं किया जाएगा जिस दिन कार्य किया गया था।

हालांकि, 2019–24 की अवधि के लिए नरेगासॉफ्ट पर श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान से संबंधित डाटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में विलंब देखा। राज्य स्तर पर, श्रमिकों को ₹ 20,374.91 करोड़ के कुल भुगतान में से, ₹ 735.10 करोड़ (3.61 प्रतिशत) का भुगतान निर्धारित अवधि के बाद 16 से 90 दिनों से अधिक के विलंब के साथ किया गया था।

राज्य में मजदूरी के भुगतान और हुए विलंब का विवरण **तालिका–2.18** में दर्शाया गया है।

तालिका–2.18: 2019–24 के दौरान राज्य में मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में विलंब

क्र. सं.	विलंब (दिनों में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान मजदूरी का भुगतान (₹ करोड़ में)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	16 से 30 के बीच	103.91	163.83	25.04	104.39	51.70
2	31 से 60 के बीच	39.21	57.20	8.11	40.58	18.14
3	61 से 90 के बीच	7.02	17.83	3.38	11.22	5.51
4	90 से अधिक	8.63	31.60	7.68	24.31	5.81
5	कुल विलंबित भुगतान (प्रतिशत[40]) (1+2+3+4)	**158.77** *(6.43)*	**270.46** *(6.18)*	**44.21** *(1.24)*	**180.50** *(3.64)*	**81.16** *(1.62)*
6	मजदूरी का कुल भुगतान	**2,470.16**	**4,373.71**	**3,566.49**	**4,958.52**	**5,006.03**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 14.5, दिनांक 5 दिसंबर 2024)

इसी तरह, चयनित जिलों में, मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में विलंब भी देखा गया। 2019–24 के दौरान, मनरेगा श्रमिकों को ₹ 4,044.28 करोड़ के कुल भुगतान में से, ₹ 148.05 करोड़ का भुगतान 16 दिनों से लेकर 90 दिनों से अधिक की देरी से किया गया।

---

[40] *कुल विलंबित भुगतान/मजदूरी का कुल भुगतान ×100*

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में हुआ विलंब मुख्य रूप से प्रखंडों में कार्यक्रम पदाधिकारी स्तर पर एफटीओ के सृजन और प्रसंस्करण में विलंब के कारण हुआ।

विभाग ने जवाब दिया कि मजदूरी भुगतान में विलंब नरेगासॉफ्ट में तकनीकी मुद्दों के कारण था और डीपीसी को निर्देश दिया गया है कि वे आठ दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर एफटीओ का सृजन सुनिश्चित करने के लिए भुगतान प्रक्रिया का अनुश्रवण करें (जुलाई 2025)। इसके अलावा, श्रमिकों को विलंबित भुगतान के कारण मुआवजे के भुगतान के लिए वसूली भी जिम्मेदार कर्मचारियों से की जा सकती है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि विभाग तकनीकी मुद्दों को हल करने के लिए अनुश्रवण और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार था, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऐसा नहीं किया गया था। इसके अलावा, श्रमिकों को विलंबित भुगतान के कारण जिम्मेदार कर्मचारियों से वसूली करने का प्रावधान मनरेगा दिशानिर्देशों में पहले से ही मौजूद था, लेकिन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग द्वारा वास्तव में कोई वसूली नहीं की गई थी।

2.4.4.3 कम दरों पर मजदूरी का भुगतान

अधिनियम की धारा 6(1) के साथ पठित मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देशों की कंडिका 7.7.9 के अनुसार, केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दरों को अधिसूचित[41] करती है। इसके अलावा, वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 9.1 के अनुसार, राज्य अपने स्वयं के कोष से अंतर राशि का भुगतान करके उच्च मजदूरी दरों को अधिसूचित कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019–20 से 2023–24 के दौरान श्रम संसाधन विभाग (एलआरडी), बिहार सरकार, द्वारा राज्य में कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित मजदूरी दरें (₹ 257: 2019–20 से ₹ 376: 2023–24 तक) इस अवधि के दौरान बिहार के अकुशल मनरेगा श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दरों ₹ 171 (2019–20) से ₹ 227 (2023–24) के बीच} से अधिक थी। 2019–20 तक, राज्य ने मजदूरी दरों में अंतर को पाटने के लिए, मजदूरी दरों के अंतर का अतिरिक्त वित्तीय बोझ खुद वहन करके अकुशल मनरेगा श्रमिकों को उच्च मजदूरी दरों का भुगतान किया। हालांकि, इसके बाद राज्य ने अकुशल श्रमिकों के लिए मनरेगा मजदूरी दरों को कृषि श्रमिकों के लिए राज्य की मजदूरी दरों के समान नहीं रखा। इसलिए, मनरेगा श्रमिकों को उन मजदूरी दरों पर भुगतान किया जा रहा था जो राज्य में अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए उन स्वीकार्य दरों से कम थी और 2023–24 के दौरान ये देश में छठी सबसे कम (₹ 227) दरें थीं।

लाभार्थी सर्वेक्षण (जुलाई से सितंबर 2024) के दौरान यह भी देखा गया कि, 520 लाभार्थियों में से 285 (55 प्रतिशत) ने यह बताया कि मजदूरी दरें अन्य योजनाओं की तुलना में बहुत कम थीं और इसलिए, वे मनरेगा के तहत काम करने को इच्छुक नहीं थे।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2025) कि मनरेगा और प्रचलित बाजार दरों के बीच दरों की महत्वपूर्ण असमानता के कारण, श्रमिक मनरेगा में केवल तभी भाग लेते हैं जब वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं।

---

[41] *ये दरें कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी होती हैं, जो भारत में कृषि श्रमिकों द्वारा आमतौर पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में होने वाले बदलाव का एक माप है। इसे श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2019 के आधार वर्ष के साथ जारी किया जाता है।*

2.4.4.4 मजदूरी के भुगतान में विलंब के लिए मुआवजे का भुगतान न किया जाना

उपरोक्त कंडिका 2.4.4 में वर्णित मानदंडो के आलोक में तथा वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019–20 की कंडिका 9.8.2, 9.8.3 और 9.8.4 के अनुसार, मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे का भुगतान, प्रखंड स्तर पर संबंधित कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) द्वारा 15 दिनों के भीतर दावों के उचित सत्यापन (मजदूरी का भुगतान न होने की स्थिति में नरेगासॉफ्ट पर स्वतः सृजित) के बाद किया जाना था। मुआवजे का भुगतान राज्य रोजगार गारंटी कोष (एसईजीएफ) से किया जाना था, जिसे बाद में मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों /एजेंसियों से वसूला जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने नरेगासॉफ्ट पर 2019–24 की अवधि (17 जुलाई 2024 तक) के लिए मनरेगा मजदूरी के विलंबित भुगतान हेतु मुआवजे के भुगतान से संबंधित डाटा का विश्लेषण किया। विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, राज्य स्तर पर मजदूरी के विलंबित भुगतान के सापेक्ष मुआवजे के लिए ₹ 12.36 करोड़ के कुल दावों (जो 10.03 करोड़ मानव–दिवस से संबंधित थे) के सापेक्ष, संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों (पीओ) द्वारा ₹ 47.82 लाख के केवल 0.42 करोड़ दिनों के दावों को ही अनुमोदित किया गया था। इन अनुमोदित दावों में से, ₹ 42.93 लाख का भुगतान किया गया और 1.08 करोड़ मानव दिवस के दावे (2019–24 के लिए) कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ) स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित थे ***(परिशिष्ट–2.4)***। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि यद्यपि भुगतान की गई मुआवजे की राशि मुआवजे के संचय के लिए जिम्मेदार संबंधित पदाधिकारियों/एजेंसियों से वसूल की जानी थी, किंतु यह राशि उनसे वसूल की जानी बाकी थी।

मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे का भुगतान न किए जाने से श्रमिक इस योजना के तहत काम की मांग करने के प्रति हतोत्साहित हो सकते हैं और यह उन्हें अधिनियम के अंतर्गत उनके हकदारियों से वंचित कर सकता है।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2025) कि विलम्ब से मजदूरी भुगतान के लिए समय पर निपटान और मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विनिर्देश जारी किए गए थे।

2.4.4.5 अस्वीकृत लेनदेन के कारण मजदूरी का भुगतान न होना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों (दिसंबर 2020) के अनुसार, मनरेगा योजना के तहत भुगतान संबंधी सभी अस्वीकृत लेनदेन को, उनकी अस्वीकृति के 48 घंटों के भीतर, पीओ स्तर पर पुनः सृजन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने 2019–24 (29 नवंबर 2024 तक) की अवधि के लिए अस्वीकृत एफटीओ से संबंधित नरेगासॉफ्ट डाटा (प्रतिवेदन 8.1.5) का विश्लेषण किया। विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस अवधि में, ₹ 1,186.30 करोड़ की राशि के कुल 13,20,829 लेनदेन अस्वीकृत किये गये थे। इसमें से, ₹ 290.57 करोड़ की राशि के 11,77,343 लेनदेन अकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए थे, जबकि ₹ 895.73 करोड़ की राशि के 1,43,486 लेनदेन अर्ध–कुशल और कुशल श्रमिकों (सामग्री घटक सहित) से संबंधित थे।

इन अस्वीकृत लेनदेन में से, 29 नवंबर 2024 तक, ₹ 9.48 करोड़ के 18,315 लेनदेन का पुनःसृजन लंबित था, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को भुगतान जारी करने में विलंब हुआ। इन लेन–देन में मजदूरी के लिए ₹ 0.67 करोड़ (2,469 लेनदेन) और सामग्री घटक के लिए ₹ 8.81 करोड़ (15,846 लेनदेन) का भुगतान शामिल था। इससे संकेत मिलता है कि विभाग के पास विफल लेनदेन का पुनःसृजन करने और ऐसे मामलों में समय पर भुगतान जारी करना सुनिश्चित करने के लिए कोई कुशल तंत्र विद्यमान नहीं था।

अस्वीकृत लेन–देन के पुनः सृजन न होने के कारण मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं/देरी से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राज्य कोष पर विलंबित भुगतान के मुआवजे के रूप में अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। नरेगासॉफ्ट के अनुसार, अस्वीकृत लेनदेन के मुख्य कारण गलत बैंक खाता संख्या, खाता बंद होना, निष्क्रिय आधार, लंबित केवाईसी आदि थे।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2025) कि राज्य निरंतर अनुश्रवण और लंबित लेनदेन के लिए दंडात्मक उपायों को लागू करके अस्वीकृत लेनदेन के पुनःसृजन की गारंटी देता है, जिसके परिणामस्वरूप उल्लेखनीय सुधार हुए हैं।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 18,315 अस्वीकृत लेन–देन को उनकी अस्वीकृति के बाद लंबे समय तक पुनःसृजन नहीं किया गया था।

2.4.4.6 मजदूरी सूची तैयार न होने के कारण मजदूरी का भुगतान न होना

उपरोक्त कंडिका 2.4.4.1 में उल्लिखित मानदंडों के आलोक में, निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) के समय पर प्रसंस्करण हेतु, मजदूरी सूची सात दिनों के भीतर (मस्टर रोल के अंतिम दिन से) तैयार की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने 2019–24 (29 जनवरी 2025 तक) के दौरान मजदूरी सूचियों के सृजन से संबंधित नरेगासॉफ्ट (नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 4.2) पर उपलब्ध डाटा का विश्लेषण किया। उपलब्ध डाटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित जिलों में, 2019–20 से 2023–24 के दौरान 1,96,752 मस्टर रोल के लिए मजदूरी सूची तैयार नहीं की गई थी, जैसा कि **तालिका–2.19** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका–2.19: मस्टर रोल के लिए मजदूरी सूची का सृजन नहीं किया जाना

वर्ष	मस्टर रोल्स की संख्या (अकुशल श्रमिकों के लिए)	मस्टर रोल की संख्या (कुशल/अर्ध–कुशल के लिए)	मस्टर रोल की कुल संख्या	मस्टर रोल की संख्या जिसके लिए मजदूरी सूची तैयार की गई थी	मस्टर रोल की संख्या जिसके लिए मजदूरी सूची तैयार नहीं की गई थी
2019-20	9,55,656	7,129	9,62,785	9,28,303	34,482
2020-21	16,50,661	35,105	16,85,766	16,14,506	71,260
2021-22	10,83,122	11,919	10,95,041	10,64,268	30,773
2022-23	18,95,200	7,932	19,03,132	18,79,750	23,382
2023-24	10,33,584	32,900	10,66,484	10,29,629	36,855
कुल	**66,18,223**	**94,985**	**67,13,208**	**65,16,456**	**1,96,752**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन, दिनांक 29 जनवरी 2025)

मजदूरी सूचियों के सृजन के अभाव में, एफटीओ का सृजन नहीं किया जा सका और इसलिए इन 1,96,752 मस्टर रोल से संबंधित मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

विभाग ने मजदूरी सूचियों के सृजन न होने की विसंगतियों को स्वीकार किया और डीपीसी को नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देश जारी किए (जुलाई 2025)।

2.4.4.7 बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न करना

अधिनियम की धारा 7(1) और मनरेगा परिचालन दिशा–निर्देश, 2013 की कंडिका 3.5 में बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का प्रावधान है, यदि आवेदक को रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है। प्रावधानों के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिनों के लिए मजदूरी दर के एक–चौथाई हिस्से से

कम नहीं और एक वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे हिस्से से कम नहीं होना था। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 32 (2) (बी) के अनुसार, राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने थे।

अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने अधिनियम के लागू होने के 17 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाया था (जून 2024)। इसलिए, देय बेरोजगारी भत्ते की राशि और वास्तव में भुगतान किए गए बेरोजगारी भत्ते की जांच करने के लिए, लेखापरीक्षा ने 2019–24 की अवधि के लिए नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध रोजगार सृजन (नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 5.1.1, 25 नवंबर 2024 तक) और भुगतेय बेरोजगारी भत्ता (नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 19.1, 17 जुलाई 2024 तक) से संबंधित डाटा का विश्लेषण किया।

नरेगासॉफ्ट के डाटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार में कुल 3,19,50,547 व्यक्तियों ने रोजगार की मांग की/आवेदन किया और 3,19,01,683 व्यक्तियों/आवेदकों को रोजगार की पेशकश की गई जिससे आवेदन करने के बावजूद 48,864 व्यक्ति बिना किसी रोजगार के रह गए। बेरोजगारी भत्ते के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, 2019–20 से 2023–24 के लिए ₹ 47.26 लाख की राशि का बेरोजगारी भत्ता भुगतेय दिखाया गया था।

इसके अलावा, चयनित जिलों में, कुल 57,98,143 व्यक्तियों ने रोजगार के लिए मांग/आवेदन किया और 57,89,737 व्यक्तियों/आवेदकों को रोजगार की पेशकश की गई, जिससे आवेदन करने के बावजूद 8,406 व्यक्तियों को बिना किसी रोजगार के रह गए, और नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, वर्ष 2019–20 से 2023–24 के लिए ₹ 0.37 लाख की बेरोजगारी भत्ता राशि उन्हें भुगतेय दिखाया गया था।

इस प्रकार, जिन व्यक्तियों ने काम माँगा था, उन्हें रोजगार न देने के कारण बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने की आवश्यकता हुई। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किए जाने के कारण अधिनियम के तहत श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सका।

विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2025) कि राज्य ने बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है (जुलाई 2024) और यह सुनिश्चित किया गया है कि बेरोजगारी भत्ता समय पर उत्पन्न, सत्यापित और भुगतान किया जाए।

विभाग को उत्तर ने इस मुद्दे का समाधान नहीं किया कि अधिनियम के लागू होने के 17 वर्षों से अधिक होने पर भी बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए नियम क्यों नहीं बनाए गए।

2.5 टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण

2.5.1 प्रस्तावना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश (2013) की कंडिका 14 के अनुसार, मनरेगा के मुख्य उद्देश्यों में से एक टिकाऊ और स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा और पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का विकास बढ़ाया जा सके। मनरेगा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, जलग्रहण प्रबंधन, सिंचाई, पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार, वनरोपण, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण संपर्क आदि से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी थी।

2.5.2 कार्यों का निष्पादन

अधिनियम की अनुसूची–I के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्यों को चार व्यापक श्रेणियों अर्थात प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) (श्रेणी–ए) से संबंधित सार्वजनिक कार्य, कमजोर समूहों के लिए सामुदायिक या व्यक्तिगत परिसंपत्ति (श्रेणी–बी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अनुपालन वाले स्वयं सहायता समूह (श्रेणी–सी) के लिए साझा बुनियादी ढांचा और विभिन्न उप–श्रेणियों (श्रेणी–डी) के साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचा में वर्गीकृत किया गया था।

नरेगासॉफ्ट के डाटा (28 नवंबर 2024 तक) के अनुसार, 2019–24 के दौरान, राज्य में उक्त चार श्रेणियों से संबंधित कुल 1.21 करोड़ कार्य किए गए और इन कार्यों के निष्पादन पर ₹ 29,546 करोड़ का व्यय हुआ। राज्य स्तर पर और चयनित जिलों में किए गए कार्यों की स्थिति, उनकी पूर्णता की स्थिति के साथ **तालिका–2.20** में दी गई है।

तालिका–2.20: वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान किए गए कार्यों की स्थिति

(कार्य: संख्या में और व्यय: ₹ करोड़ में)

कार्यों की श्रेणी	कुल लिए गए कार्य		पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (कुल कार्यों के प्रतिशत)		प्रगति पर चल रहे कार्यों की संख्या (कुल कार्यों के प्रतिशत)		कार्यों पर किया गया व्यय	
	राज्य	चयनित जिले	राज्य	चयनित जिले	राज्य	चयनित जिले	राज्य	चयनित जिले (कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में)
(ए) एनआरएम से संबंधित सार्वजनिक कार्य	14,25,673	3,43,321	3,21,657 *(23)*	74,839 *(22)*	11,04,016 *(77)*	2,68,482 *(78)*	9,493.98	1,897.18 *(20)*
(बी) कमजोर वर्गों के लिए सामुदायिक या व्यक्तिगत परिसंपत्तियाँ	97,70,339[42]	18,17,343[43]	38,96,102 *(40)*	7,32,899 *(40)*	58,74,237 *(60)*	10,84,444 *(60*	10,734.26	2,973.78 *(28)*
(सी) एनआरएलएम अनुपालन वाले स्वयं सहायता समूहों हेतु सामुदायिक अवसंरचना	1,283	371	182 *(14)*	103 *(28)*	1,101 *(86)*	268 *(72)*	19.43	6.79 *(35)*
(डी) विभिन्न उप–श्रेणियों सहित ग्रामीण अवसंरचना	9,03,469	1,96,591	2,55,544 *(28)*	54,059 *(27)*	6,47,925 *(72)*	1,42,532 *(72)*	9,298.59	1,511.79 *(16)*
कुल	**1,21,00,764**	**23,57,626**	**44,73,485 *(37)***	**8,61,900 *(37)***	**76,27,279 *(63)***	**14,95,726 *(63)***	**29,546.26**	**6,389.54 (22)**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 6.3 दिनांक 28 नवम्बर 2024)

42 *इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित 87,64,136 कार्य (78 प्रतिशत) सम्मिलित हैं।*
43 *इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित 12,85,140 कार्य (69 प्रतिशत) सम्मिलित हैं।*

जैसा कि **तालिका–2.20** से देखा जा सकता है, 2019–24 के दौरान प्रारंभ किए गए 1.21 करोड़ कार्यों में से, 44.73 लाख (37 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हो गए थे, और शेष 76.27 लाख कार्य (63 प्रतिशत) चल रहे थे (नवंबर 2024 तक)[44]। चयनित जिलों में, प्रारंभ किए गए 23.58 लाख कार्यों में से, 8.62 लाख (37 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हो गए थे एवं 14.96 लाख (63 प्रतिशत) कार्य चल रहे थे (नवंबर 2024 तक)।

लेखापरीक्षा ने योजना के तहत टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किये गये कार्यों के निष्पादन में कई कमियां को देखा, जिन पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.5.3 चयनित इकाइयों में अपूर्ण कार्य

वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 7.11 के अनुसार, मजदूरों के लिए निरंतर कार्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी और चल रहे तथा अपूर्ण कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया जाना था। कार्यों के निष्पादन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों (ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला परिषद) द्वारा जारी कार्य आदेशों के अनुसार, कार्यों (पौधारोपण को छोड़कर) को पूरा करने की निर्धारित अवधि तीन से छह महीने थी। इसके अतिरिक्त, कार्य पूर्णता पर पर्याप्त जोर सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी को, जिस वित्त वर्ष में कार्य प्रस्तावित किया गया था उसके पश्चात् एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय तक कार्य अधूरा छोड़ने की अनुमति नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने 2019–24 के दौरान नमूना–जांचित जिलों की चयनित ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में किए गए ग्रामीण संपर्क, पशु आश्रय स्थल निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्र, तालाबों की सफाई, पुलिया आदि से संबंधित कार्यों से संबंधित नरेगासॉफ्ट डाटा का विश्लेषण किया। विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि चयनित इकाइयों द्वारा कुल 35,261 कार्य किए गए थे। इसमें से 5,800 कार्य (पौधारोपण के अलावा) अधूरे रह गए, जो कुल किए गए कार्यों का 16 प्रतिशत था और इन अधूरे कार्यों पर ₹90.14 करोड़ का व्यय हुआ, जैसा कि **तालिका–2.21** में दर्शाया गया है।

तालिका–2.21: किए गए कार्यों और किए गए व्यय का विवरण

(राशिः करोड़ ₹ में)

इकाइयों का स्तर	वर्ष	कुल शुरू किए गए कार्य	शुरू किए गए कुल कार्यों पर किया गया व्यय	पूर्ण कार्य	पूर्ण कार्यों पर व्यय	पौधारोपण को छोड़कर अपूर्ण कार्य (प्रतिशत)	पौधारोपण को छोड़कर अपूर्ण कार्यों पर व्यय (प्रतिशत)
ग्राम पंचायत	2019-24	32,046	202.64	25,543	138.59	4,263 (13)	48.03 (24)
पंचायत समिति	2019-24	3,173	100.37	1,671	59.54	1,502 (47)	40.83 (41)
जिला परिषद[45]	2020-24	42	1.91	7	0.63	35 (83)	1.28 (67)
कुल		**35,261**	**304.92**	**27,221 (77)**	**198.76**	**5,800 (16)**	**90.14 (30)**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 6.12, अगस्त 2024 तक)

[44] *नरेगासॉफ्ट के अनुसार, 2019–24 के लिए हालांकि 19.92 लाख कार्यों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन वे अभी तक शुरू किये जाने बाकी थे। इनमें ऐसे कार्य भी शामिल थे जिन्हें यद्यपि रद्द कर दिया गया था लेकिन वे अभी भी नरेगासॉफ्ट में दिखाई दे रहे थे।*

[45] *पूर्वी चंपारण (29) और शिवहर (13) जिला परिषदों द्वारा कुल 42 कार्य (पौधारोपण कार्य को छोड़कर) शुरू किए गए।*

जैसा कि **तालिका–2.21** से देखा जा सकता है, ₹ 90.14 करोड़ के व्यय के बावजूद, पौधारोपण कार्यों के अलावा 5,800 कार्य पाँच वर्षों की अवधि तक अधूरे रहे। अधूरे कार्यों का अधिकतम प्रतिशत जिला परिषद स्तर पर देखा गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला परिषद, शिवहर और पूर्वी चंपारण ने 2020–24 के दौरान ग्रामीण संपर्क, नहरों की सफाई आदि से संबंधित कुल 42 कार्य लिए। इस तथ्य के बावजूद कि इन कार्यों को उनके प्रारंभ होने के तीन महीने के अंदर पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था, 35 कार्य (पूर्वी चंपारणः 22 और शिवहरः13) चार वर्षों से अधिक समय तक अधूरे रहे (सितंबर 2024 तक)।

यह इंगित करता है कि चयनित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों ने पिछले वर्षों में प्रारंभ किए गए कार्यों को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने सुनिश्चित किए बिना, बाद के वर्षों में नए कार्य प्रारंभ कर दिए, जो कि मनरेगा योजना के प्रावधानों का उल्लंघन था। कार्य प्रारंभ होने के पाँच साल बाद तक अधूरे रहने से ग्रामीण लाभार्थियों को योजना के लाभों से वंचित होना पड़ा और योजना के उद्देश्य विफल हो गए।

विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2025) कि चल रहे और अधूरे कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में जिलों/प्रखंडों/ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किए गए हैं।

2.5.4 गैर–अनुमेय कार्यों का निष्पादन

वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका–7 के साथ पठित मनरेगा अधिनियम की अनुसूची–I में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य केवल स्वीकार्य कार्यों की सूची में से ही होने चाहिए। इस संबंध में, चयनित इकाइयों में गैर–अनुमेय कार्यों के निष्पादन के मामलों पर नीचे चर्चा की गई है।

(अ) नदियों और नहरों की गाद निकलनाः वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 7.1.5 के अनुसार, जो कार्य उच्च लागत (यानी, ₹ 20 लाख से अधिक) वाले और अत्यधिक तकनीकी प्रकृति के हों जैसे कि नदी के तटबंध को मजबूत करना, नदी/नहर की गाद निकालना, नहरों की लाइनिंग आदि के प्राक्कलन और आवश्यकता की जांच, मनरेगा के तहत अनुमोदित किए जाने से पहले संबंधित विभाग द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा, कोई भी कार्य, जिसका परिणाम/लाभ पूरी तरह से काम पूरा होने पर निर्भर करता है, उसे छोटे कार्यों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग को सूचित किया (जून 2020) कि 17 छोटी और मध्यम नदियों और 948 नहरों (25 जिलों में) की गाद निकालने से संबंधित कार्य मनरेगा के तहत किए जा सकते हैं।

चयनित जिलों में नदियों/नहरों से गाद निकालने से जुड़े कार्यों से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने तीन चयनित जिलों में 2020–24 के दौरान नदियों और नहरों से गाद निकालने से संबंधित क्रमशः 89 और 73 कार्यों जिनकी अनुमानित लागत ₹ 14.82 करोड़ थी की जाँच की, जैसा कि **तालिका–2.22** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका–2.22: नदियों और नहरों से गाद निकालने के लिए किए गए कार्यों का विवरण

(राशि: ₹ करोड़ में)

जिला	प्रखंड (नदी)	कार्यों की स्थिति			वर्ष जिसके दौरान कार्य प्रारंभ किया गया	अनुमानित लागत	कुल व्यय
		प्रारंभ किए गए गाद हटाने के कार्यों की संख्या	पूर्ण	चल रहे कार्य			
पूर्वी चम्पारण	सुगौली (धनौती नदी) (क)	4	4	0	2023-24	0.34	0.29
	तुरकौलिया (धनौती नदी) (ख)	23	14	9	2022-24	1.62	1.37
सहरसा	सौर बाजार (तिलावे नदी) (ग)	55	48	7	2020-21	4.85	3.47
	नहर (घ)	63	54	9	2019-24	3.40	2.91
शिवहर	पिपराही (बागमती नदी) (च)	7	6	1	2020-22	0.67	0.52
	डुमरी कटसरी, शिवहर और तरियानी (नहर) (छ)	10	1	9	2021-24	3.94	1.58
कुल नदी (क + ख + ग + च)		**89**	**72**	**17**		**7.48**	**5.65**
कुल नहर (घ + छ)		**73**	**55**	**18**		**7.34**	**4 .49**
कुल योग		**162**	**127**	**35**		**14.82**	**10.14**

(स्रोतः चयनित जिलों के अभिलेख और नरेगासॉफ्ट)

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपिः

- **तालिका–2.22** में दर्शाए गए गाद निकालने के कार्य, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार किए जाने वाले आवश्यक कार्यों की सूची में शामिल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद, क्रम संख्या क, ख, ग और च में उल्लिखित चार प्रखंडों की तीन नदियों में गाद निकलने के 89 कार्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादन हेतु स्वीकृत/शुरू किए गए। ₹ 5.65 करोड़ व्यय होने के बाद, इनमें से 72 कार्य पूरे किए गए (सितंबर 2024)।

- नदियों/नहरों से गाद निकालने का काम पूरी तरह से, यानी पूरे हिस्से में शुरू किया जाना था। हालाँकि, संबंधित पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों द्वारा प्रत्येक कार्य को चार से 55 भागों (नदी) और 10 से 63 भागों (नहर) में विभाजित कर दिया गया। इसके अलावा, ये तीन से छह महीने की निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूरी तरह से पूर्ण नहीं (धनौती नदी के गाद निकालने के कार्य को छोड़कर) किए गए।

- विभाग के संकल्प (जून 2010) के अनुसार, पीओ और सहायक अभियंता क्रमशः ₹ 10 लाख तक की लागत वाले मनरेगा कार्यों की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति देने के लिए सक्षम थे। ₹ 10 लाख से अधिक और ₹ 20 करोड़ तक की लागत वाले कार्यों के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृतियां संबंधित जिले के डीपीसी और अधीक्षण अभियंता, मनरेगा द्वारा दी जानी थीं। हालांकि, संबंधित पीओ/सहायक अभियंता ने उच्च अधिकारियों से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए प्रत्येक नदी/नहर के सम्पूर्ण कार्य को, ₹ 10 लाख से कम लागत वाले विभिन्न कार्यों में विभाजित करके नदी/नहरों (जैसा कि **तालिका–2.22** में उल्लिखित है) के गाद हटाने के काम की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति दी।

- तिलावे नदी (सहरसा जिला) के मामले में, जिसमें जनवरी 2021 और जून 2021 के बीच गाद निकालने का कार्य किया गया था, सहरसा के जिलाधिकारी ने नदी के खंड, जहां गाद निकालने का कार्य किया गया था, का निरीक्षण किया (फरवरी 2022) और इसे कई हिस्सों में पूरी तरह से सूखा पाया, इससे यह स्पष्ट हुआ कि कार्य पर किया गया ₹ 3.47 करोड़ का पूरा व्यय निरर्थक रहा था।

- जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा (अप्रैल 2004) नहरों के संचालन और रखरखाव के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार, सहरसा में कोसी नहर का सामान्य रखरखाव कार्य 26 मार्च से 24 अप्रैल (खरीफ मौसम के लिए) और 26 अक्टूबर से 9 दिसंबर (रबी मौसम के लिए) के बीच किया जाना था, जब नहर चालू नहीं होती है। हालांकि, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, संबंधित प्रखंड (सौर बाजार) ने जारी अधिसूचना का अनुपालन नहीं किया और 2019–24 के जनवरी, फरवरी, मई और जून महीनों के दौरान जो कोसी नहर की परिचालन अवधि थी नहर में सें गाद निकालने से सम्बन्धित ₹ 1.44 करोड़ के 28 कार्यों को अंजाम दिया। इसके अलावा, नहर के जल निकासी के लिए प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जो नहर के परिचालन के मौसम के दौरान गाद निकालने का कार्य करने के लिए आवश्यक था। नहर के परिचालन अवधि के दौरान कार्य किए जाने का तथ्य इन कार्यों के वास्तविक रूप से निष्पादन न होने और संभावित धोखाधड़ी वाले भुगतान जोखिम की संभावना को बढ़ाता है।

इस प्रकार, चयनित तीन जिलों ने नदियों के गैर–अनुमेय गाद निकालने का कार्य किया और दो जिलों ने (सहरसा को छोड़कर) जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अनुशंसाओं के बिना नहरों से अस्वीकार्य गाद निकालने का कार्य किय। इसके अलावा, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार से उनकी जांच कराये बिना नदी/नहर से गाद निकालने का कार्य प्रारंभ किया गया और उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से बचने के लिए उन्हें विभाजित किया गया। यह इंगित करता है कि न केवल विभागीय निर्देशों का उल्लंघन हुआ, बल्कि पूरे क्षेत्र में कार्य निष्पादन के वांछित परिणाम भी प्राप्त नहीं किए जा सके।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी।

(ब) खेल के मैदानों का निर्माण और आवासों में मिट्टी भराई: वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 7.7 (जी) में प्रावधान था कि मनरेगा के तहत एक ग्राम पंचायत में केवल एक खेल के मैदान का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के निर्देशों (मार्च 2019) के अनुसार, निजी आवासों पर मिट्टी भराई और समतलीकरण कार्य की अनुमति नहीं थी।

उपरोक्त के बावजूद, नवादा जिले की दो चयनित ग्राम पंचायतों में, वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 49 लाख का व्यय करके आठ खेल के मैदानों (बाघीबरडीहाः 05 और चकवेः 03) का निर्माण किया गया जबकि प्रति ग्राम पंचायत केवल एक खेल के मैदान का निर्धारित प्रावधान था।

इसके अलावा, बराही जगदीश ग्राम पंचायत (शिवहर जिला) में किए गए कार्यों की अभिलेखों और संयुक्त भौतिक सत्यापन की संवीक्षा पर यह पाया गया कि मनरेगा योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर 2023–24 के दौरान ₹ 25.76 लाख के व्यय के बाद पांच लाभार्थियों के आवासीय परिसरों में मिट्टी भराई का कार्य किया गया।

2.5.5 मजदूरी–सामग्री अनुपात का पालन नहीं करना

वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 6.1.10 में निर्दिष्ट किया गया था कि संबंधित डीपीसी को ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा योजना के अंतर्गत लिए गए सभी कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री में 60:40 के अनुपात का पालन करना था। इस प्रयोजन के लिए, सामग्री घटक की लागत में कुशल एवं अर्द्ध–कुशल श्रमिकों की मजदूरी सम्मिलित थी।

चयनित जिलों के लिए, लेखापरीक्षा ने नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध 2019–24 की अवधि के लिए मजदूरी–सामग्री अनुपात से संबंधित डाटा का विश्लेषण किया। विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित छह जिलों में से पाँच (सहरसा को छोड़कर) ने मजदूरी

और सामग्री पर व्यय का वांछित अनुपात बनाए नहीं रखा, जैसा कि **तालिका 2.23** में विस्तृत है।

तालिका 2.23: 2019–24 के दौरान चयनित जिलों में सामग्री घटक पर किए गए व्यय का विवरण (जुलाई 2024 तक)

(राशिः ₹ करोड़ में)

जिला	अवधि (वित्तीय वर्ष)	कुल व्यय	सामग्री घटक पर व्यय की अनुमेय सीमा (कुल व्यय का 40 प्रतिशत)	सामग्री घटक पर वास्तविक व्यय {अर्द्ध–कुशल/कुशल मजदूरी सहित (प्रतिशत)}	सामग्री घटक पर अनुमेय सीमा से अधिक व्यय (5–4)
1	2	3	4	5	6
बेगूसराय	2021-22	128.33	51.33	57.05 *(44)*	5.72
	2023-24	154.53	61.81	72.37 *(47)*	10.56
पूर्वी चंपारण	2020-21	469.97	187.99	235.63 *(50)*	47.64
	2023-24	453.39	181.36	192.34 *(42)*	10.98
गया	2020-21	419.53	167.81	226.78 *(54)*	58.97
नवादा	2020-21	205.55	82.22	115.63 *(56)*	33.41
	2023-24	326.54	130.62	135.54 *(42)*	4.92
शिवहर	2020-21	122.64	49.06	75.08 *(61)*	26.02
	2022-23	91.82	36.73	50.31 *(55)*	13.58
	2023-24	85.81	34.32	40.12 *(47)*	5.80
कुल		**2,458.11**	**983.25**	**1,200.85 (49)**	**217.60**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 7.2.2, जुलाई 2024 तक)

जैसा कि **तालिका 2.23** से देखा जा सकता है, ₹ 983.25 करोड़ (कुल व्यय का 40 प्रतिशत) की अनुमेय सीमा के सापेक्ष, सामग्री घटक पर ₹ 217.60 करोड़ (कुल व्यय का नौ प्रतिशत) का अतिरिक्त व्यय किया गया।

इस प्रकार, चयनित जिलों ने अकुशल मनरेगा श्रमिकों को किए जाने वाले और सामग्री घटक पर भुगतानों के बीच व्यय के निर्धारित अनुपात का पालन नहीं किया गया। यह योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन था और इसने अकुशल रोजगार सृजन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जुलाई 2025)।

2.5.6 अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण में मनरेगा कार्यों का निष्पादन

मनरेगा का उद्देश्य टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन तथा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों तथा अन्य लाइन विभागों के पास उपलब्ध, भारत सरकार/बिहार सरकार के अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के संसाधनों के साथ अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सुरक्षित करना था।

चयनित जिलों में, मनरेगा और लाइन विभागों के संसाधनों के बीच अभिसरण के माध्यम से निष्पादित कार्यों की स्थिति **तालिका 2.24** में दी गई है।

तालिका 2.24: 2019–24 के दौरान चयनित जिलों में अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ मनरेगा के तहत कार्यों का अभिसरण (सितंबर 2024 तक)

क्र. सं.	विभाग (योजना)	अभिसरण की रुपरेखा	लक्ष्य	कार्यों की प्रगति
1.	ग्रामीण विकास विभाग (प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण)	पीएमएवाई (जी) लाभार्थियों को मनरेगा से 90/95 मानव–दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाना था।	चयनित जिलों में वित्तीय वर्ष 2019–24 के दौरान 5.34 लाख पीएमएवाई (जी) लाभार्थियों को 4.92 करोड़ मानव–	5.34 लाख पीएमएवाई (जी) लाभार्थियों को 4.47 करोड़ मानव–दिवस प्रदान किये गये।

क्र. सं.	विभाग (योजना)	अभिसरण की रुपरेखा	लक्ष्य	कार्यों की प्रगति
			दिवस प्रदान किए जाने थे।	
2.	ग्रामीण विकास विभाग (बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी, जिसे ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के तहत जीविका के नाम से जाना जाता है)	मलबरी (जिसे 'शहतूत' भी कहा जाता है) का पौधारोपण जीविका के अभिसरण से किया जाना था। मजदूरी और सामग्री लागत का भुगतान मनरेगा निधि से किया जाना था।	सहरसा जिले के छह प्रखंडों का चयन 25,65,000 मलबरी पौधों के पौधारोपण के लिए किया गया था।	₹ 0.45 करोड़ के व्यय से 10,55,700 पौधों का पौधारोपण पूरा किया गया।

(स्रोतः चयनित इकाइयों के अभिलेख और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का नरेगासॉफ्ट)

अन्य कार्यक्रम/योजनाओं के अभिसरण से मनरेगा के कार्यों के निष्पादन में देखी गई कमियों को आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

2.5.6.1 मलबरी पौधों के पौधारोपण पर निरर्थक व्यय

मनरेगा और जीविका के बीच अभिसरण से मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना को क्रियान्वित करने के लिए, विभाग ने चयनित सहरसा जिला समेत राज्य के सात जिलों[46] में मलबरी (जिसे 'शहतूत' भी कहा जाता है) के पौधे लगाने का निर्णय लिया (सितंबर 2014)।

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थी की निजी भूमि पर प्रारंभ की जानी थी, पौधे की लागत और मजदूरी का वहन मनरेगा निधि से किया जाना था तथा जीविका को लाभार्थियों का चयन करना, पौधारोपण की निगरानी करना और जागरूकता कार्यक्रम व प्रशिक्षण आयोजित करना आदि था।

चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि सहरसा जिले के छह प्रखंडों[47] को 25,65,000 मलबरी के पौधों के रोपण हेतु चिन्हित किया गया था। अनुमोदित प्राक्कलनों के अनुसार, रोपण कार्य पर ₹ 8.36 करोड़ व्यय किए जाने थे। 25,65,000 मलबरी के पौधों के रोपण के लक्ष्य के सापेक्ष, ₹ 0.45 करोड़ व्यय करके 10,55,700 (41 प्रतिशत) पौधों का रोपण किया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि छह प्रखंडों के पीओ ने डीडीसी–सह–एडीपीसी, मनरेगा, सहरसा से काम बंद करने का अनुरोध किया (जनवरी 2023) क्योंकि कोई भी पौधा जीवित नहीं बचा था और किसानों ने उस भूमि पर जहाँ मलबरी के पौधे लगाए गए थे, अन्य पौधे लगा दिए थे। पौधों का जीवित न रहना पौधों की प्रजातियों के गलत चयन और विभाग द्वारा किसानों को रेशम कीट उपलब्ध न कराने के कारण था। इस प्रकार, विभाग ने 10,55,700 मलबरी के पौधों के रोपण पर ₹ 0.45 करोड़ का निरर्थक व्यय किया।

विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (जुलाई 2025)।

2.5.6.2 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के साथ अभिसरण

वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 7.5.5 के अनुसार, पीएमएवाई–जी लाभार्थियों को एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों[48] के लिए 95 मनरेगा मानव–दिवस और अन्य

---

[46] *अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल।*

[47] *कहरा, पतरघाट, सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा, सत्तर कटैया और सौर बाजार।*

[48] *भारत सरकार की यह पहल चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के विकास पर केंद्रित है, विशेष रूप से वे जो वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूपी) से प्रभावित हैं। बिहार में, 11 आईएपी जिले (अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण) हैं।*

क्षेत्रों के लिए 90 मानव–दिवस प्रदान किए जाने थे। इन मानव–दिवसों का भुगतान मनरेगा निधि से किया जाना था और यह पीएमएवाई–जी के तहत निर्धारित इकाई लागत से ज्यादा था।

लेखापरीक्षा ने चयनित छह जिलों के संबंध में, 2019–24 की अवधि के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के नरेगासॉफ्ट डाटा का विश्लेषण किया। विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पायाः

- **पीएमएवाई–जी लाभार्थियों को निर्धारित से कम मानव–दिवसों का प्रावधानः** नरेगासॉफ्ट (प्रतिवेदन 6.9) के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2019–20 से 2023–24 के दौरान, चयनित जिलों में कुल 5.34 लाख घर पूरे हुए। इन घरों के निर्माण के लिए, पीएमएवाई (जी) लाभार्थियों को अकुशल मजदूरी के 4.92 करोड़ मानव–दिवस प्रदान किए जाने थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 4.47 करोड़ मानव–दिवस रोजगार प्रदान किए गए, जिसके परिणामस्वरूप पीएमएवाई (जी) लाभार्थियों को 0.45 करोड़ मानव–दिवसों की कमी हुई, जैसा कि **तालिका 2.25** में विस्तृत है।

तालिका 2.25: 2019–24 के दौरान मनरेगा के साथ अभिसरण से पीएमएवाई (जी) में प्रदान किया गया रोजगार (दिसंबर 2024 तक)

जिला	पूर्ण आवासों की संख्या (अभिसरण के लिए)	लक्षित मानव–दिवस @90/95	प्रदान किए गए मानव–दिवस	मानव–दिवस उपलब्ध कराने में कमी
सहरसा	54,928	49,43,520	46,92,042	2,51,478
बेगूसराय	90,266	81,23,940	79,03,848	2,20,092
नवादा (आईएपी)	86,231	81,91,945	72,84,264	9,07,681
पूर्वी चंपारण	1,35,516	1,21,96,440	1,07,28,791	14,67,649
गया (आईएपी)	1,48,024	1,40,62,280	1,24,67,634	15,94,646
शिवहर	19,145	17,23,050	16,32,631	90,419
कुल	**5,34,110**	**4,92,41,175**	**4,47,09,210**	**45,31,965**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 6.9, दिनांक 4 दिसंबर 2024)

मनरेगा श्रमिकों को मानव–दिवस के प्रावधान में कमी ने उन्हें कम से कम ₹ 77.50 करोड़[49] के वित्तीय लाभ से वंचित किया।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई जवाब नहीं दिया।

2.5.7 वार्षिक विकास योजना से परे और नरेगासॉफ्ट में प्रविष्टि किए बिना कार्यों का निष्पादन

(अ) वार्षिक विकास योजना से परे कार्यों का निष्पादनः मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश (2013) की कंडिका 6.6 (VI) के अनुसार, जिला परिषद द्वारा जिला विकास योजना और श्रम बजट के अनुमोदन के बाद, कार्यों की सूची नरेगासॉफ्ट में डाटा प्रविष्टि के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को भेजी जानी थी। इसके अलावा, योजना की प्रोजेक्ट सूची में शामिल किए गए अनुमोदित कार्यों को निष्पादित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 17 चयनित ग्राम पंचायतों (जैसा कि नरेगासॉफ्ट पर दर्शाया गया है) में ₹ 9.78 करोड़ की लागत वाले कुल 865 कार्य निष्पादित किए गए थे, लेकिन इन कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और इसलिए, ये वार्षिक योजना का हिस्सा नहीं थे, जैसा कि **तालिका 2.26** में विस्तृत है।

---

49 ₹ 171 x 45,31,965 = ₹ 77.50 करोड़ (2019–24 के दौरान बिहार में सबसे कम मनरेगा मजदूरी दरें)।

तालिका 2.26: अनुमोदित वार्षिक योजना से परे कार्यों का निष्पादन

(राशि: ₹ करोड़ में)

ग्राम पंचायतों के नाम (जिला)	वित्तीय वर्ष	प्रारंभ किए गए कार्यों की संख्या	किया गया व्यय	कार्यों के प्रकार
सुघरी और चकवई (नवादा)	2021–22 (1 कार्य) और 2020–21 (1 कार्य)	02	0.13	तालाब, घाट का निर्माण, मिट्टी कार्य आदि
मोहनपुर, सलौना, घाघरा एवं रतन (बेगूसराय)	2019-24	484	5.49	तालाबों, सड़कों का निर्माण, पौधारोपण आदि
जयसिंहपुर पूर्वी (पूर्वी चंपारण)	2019-20	01	0.11	पीसीसी सड़क
सभी 8 चयनित ग्राम पंचायत (गया)	2019-24	279	3.56	तालाबों, सड़कों का निर्माण, पौधारोपण आदि
कांप (सहरसा)	2021-22	78	0.20	तालाबों का निर्माण, पौधारोपण आदि
बसंतपट्टी (शिवहर)	2020-21 से 2023-24	21	0.29	पौधारोपण, सड़क निर्माण, बकरी शेड आदि
कुल		**865**	**9.78**	

(स्रोत: संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा पंजी और नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 6.12)

अनुमोदन के बिना कार्यों का निष्पादन अधिनियम के नियमों के विरुद्ध था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई जवाब नहीं दिया।

(ब) नरेगासॉफ्ट में अनुमोदित कार्यों की प्रविष्टियां न करना: चयनित तीन जिलों (बेगूसराय, सहरसा और शिवहर) की चयनित 20 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना–जांच से पता चला कि 18,399 अनुमोदित कार्यों (ग्राम सभा पंजी/वार्षिक विकास योजना के अनुसार) के सापेक्ष, नरेगासॉफ्ट ***(परिशिष्ट 2.5)*** में केवल 9,254 कार्यों (कुल कार्यों का 50 प्रतिशत) की प्रविष्टियां की गईं, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि शेष 50 प्रतिशत अनुमोदित कार्यों को निष्पादन के लिए विचार नहीं किया गया और वे केवल परियोजनाओं की सूची में ही रह गए।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई जवाब नहीं दिया।

2.5.8 ग्रामीण संपर्क कार्यों के माध्यम से टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण का सृजन नहीं होना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश (2013) की कंडिका 14.1 के अनुसार, अच्छी गुणवत्ता वाली टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण आजीविका आधार को सुदृढ़ करना इस योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दिशानिर्देशों में ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा और टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिए टिकाऊपन सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया था। इसके अलावा, अधिनियम की अनुसूची–I की कंडिका 4 के अनुसार, पक्की सड़क, गलियाँ और पुलिया बना कर सभी मौसम में पहुँच प्रदान करने के लिए ग्रामीण संपर्क की अनुमति दी गई थी। साथ ही, विभाग ने निर्देश दिया (मार्च 2019) कि किसी भी परिस्थिति में, मनरेगा के अंतर्गत कच्ची सड़क (मुर्रम[50] सड़क सहित) का निर्माण नहीं किया जाना था।

- अभिलेखों की नमूना–जाँच और नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध डाटा के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 32 ग्राम पंचायतों (गया और बेगूसराय को

50 प्राकृतिक मिट्टी जिसमें चिकनी मिट्टी, रेत और बजरी शामिल है।

छोड़कर, चार चयनित जिलों की सभी आठ नमूना ग्राम पंचायतें) में, 2019–24 के दौरान ग्रामीण संपर्क से संबंधित ₹39.76 करोड़ की लागत की कुल 864 पक्की सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे। इनमें से, लेखापरीक्षा की तिथि (सितंबर 2024) तक 509 कार्य चल रहे थे और 355 पूर्ण हो चुके थे, जैसा कि **तालिका 2.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27: 2019–24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में ग्रामीण संपर्क के लिए शुरू किए गए कार्य

क्र. सं.	जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या	जारी कार्य
1.	सहरसा	8	127	50	77
2.	पूर्वी चम्पारण	8	190	99	91
3.	शिवहर	8	259	77	182
4.	नवादा	8	288	129	159
कुल		**32**	**864**	**355**	**509**

(स्रोतः चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेख और नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 6.12 और परिसंपत्ति पंजी)

इसके अलावा, अभिलेखों की संवीक्षा और नरेगासॉफ्ट डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 355 पूर्ण कार्यों में से 59 कार्यों को सड़कों के पक्के घटकों, जैसे पीसीसी, ईंट सोलिंग, आदि के कार्यान्वयन के बिना ही पूरा दिखाया गया, जबकि प्राक्कलनों में इनका प्रावधान था। इन मामलों में केवल मिट्टी का कार्य किया गया और इन मिट्टी की सड़कों पर ₹ एक करोड़ का व्यय हुआ, जिससे सृजित संपत्तियों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

आगे, पूर्वी चंपारण और सहरसा में, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर, 2019–24 के दौरान पक्की सड़क के घटक जैसे पीसीसी, ईंट सोलिंग आदि का कोई प्रावधान किए बिना ही ₹ 0.77 करोड़ की लागत से 11 ग्रामीण संपर्कता संबंधी कार्यों को मंजूरी दी गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये सभी कार्य ₹ 59.68 लाख ***(परिशिष्ट 2.6)*** के व्यय से पूरे हुए।

इस प्रकार, 70 कार्यों पर ₹ 1.60 करोड़ व्यय करने के बावजूद, सभी मौसम में ग्रामीण संपर्कता के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियां सुनिश्चित नहीं की गई, क्योंकि केवल मिट्टी का कार्य ही सभी मौसम में संपर्कता प्रदान करने के लिए अपर्याप्त था।

विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (जुलाई 2025) और कहा कि अब सभी मौसम में संपर्कता प्रदान करने के लिए सोलिंग के साथ सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

अनुशंसा 5: विभाग टिकाऊ और संधारणीय परिसंपत्तियों का निर्माण करना सुनिश्चित कर सकता है जिससे ग्रामीण आबादी को दीर्घकालिक लाभ हो।

2.5.9 उपयोग सुनिश्चित किए बिना परिसंपत्तियों का सृजन

पूर्व **कंडिका 2.5.8** में उल्लिखित मानदंडों के आलोक में, मनरेगा के माध्यम से गांवों को सभी मौसम में ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रदान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन किया (जुलाई 2024 से सितंबर 2024) तथा बेगूसराय और नवादा की सात चयनित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितिओं[51] के दस ग्रामीण सड़क संपर्क कार्यों के अभिलेखों की नमूना–जाँच की। संयुक्त भौतिक सत्यापन और अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान, यह पाया गया कि 2019–24 के दौरान ₹ 80.87 लाख (सड़कें: ₹ 70.60 लाख और पुलिया ₹ 10.27 लाख) की आठ सड़क और दो पुलिया

[51] बेगूसराय– पंचायत समितिः बखरी (चार कार्य) और साहेबपुर कमाल (एक कार्य) और ग्राम पंचायतः घाघरा (दो कार्य) और मोहनपुर (एक कार्य); और नवादा– ग्राम पंचायतः साहपुर (एक कार्य) और सुघारी (एक कार्य)।

कार्यों को मंजूरी दी गई और ₹ 61.15 लाख (सड़कें: ₹ 51.10 लाख और पुलिया: ₹ 10.05 लाख) के व्यय के साथ कार्यान्वित किया गया। हालाँकि, ये कार्य कृषि क्षेत्रों के बीच बिना किसी बस्ती को जोड़े (सड़क कार्य) और सड़क संपर्क (पुलिया) सुनिश्चित किए बिना क्रियान्वित किए गए थे, जैसा कि **चित्र 2.1** में दिखाया गया है

इस प्रकार, इन ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों की ग्रामीण आबादी को सभी मौसम में सड़कों से जोड़ने को सुनिश्चित किए बिना सड़कों और पुलियों को अनुमोदन देने और निर्माण करने से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया और ₹ 61.15 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया।

2.5.10 कार्यों का अनियमित निष्पादन

वार्षिक मास्टर परिपत्र (2022–23) की कंडिका 6.2 के अनुसार, प्रत्याशित मांग का प्राक्कलन, वैयक्तिक भूमि पर कार्यों की सूची और प्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ प्रदान करने वाले अन्य कार्यों की सूची, जो प्रत्यक्ष वैयक्तिक लाभ प्रदान करता है, तैयार करते समय, कमजोर परिवारों और समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाना था। इसके अलावा, मास्टर परिपत्र (2022–23) के अनुलग्नक–III के अनुसार, परिवारों की भूमि की उत्पादकता में सुधार के लिए निजी भूमि पर कुएँ, कृषि तालाब और अन्य जल संचयन संरचनाएँ बनाई जा सकती हैं। हालाँकि, वैयक्तिक भूमि का स्वामी मनरेगा श्रमिक होना चाहिए और वह योजना के तहत काम करने का हकदार होगा।

नवादा में, ₹ 22.41 लाख का व्यय करने के बाद व्यक्तिगत भूमि पर 11[52] तालाबों का निर्माण किया गया, लेकिन लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 11 तालाब में से पाँच[53] मनरेगा श्रमिकों की भूमि पर नहीं खोदे गए थे। इस प्रकार, योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना व्यक्तिगत भूमि पर तालाबों की खुदाई करने पर ₹ 8.96 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

2.5.11 पौधों के जीवित रहने की कम दर

वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 7.3 के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत सामान्य और व्यक्तिगत भूमि पर वनीकरण, पौधारोपण और बागवानी गतिविधियाँ की शुरू की जा सकती हैं। इसके अलावा, मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक वनीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा जारी (जून 2019) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के

[52] सुघारी (06 कार्य: ₹ 13.76 लाख), शाहपुर (02 कार्य: ₹ 3.29 लाख), बनिया बिगहा (01 कार्य: ₹ 1.72 लाख), सौर (01 कार्य: ₹ 1.81 लाख) और चकवा; (01 कार्य: ₹ 1.29 लाख)।

[53] सुघारी (03 कार्य: ₹ 5.80 लाख), बनिया बीघा (01 कार्य: ₹ 1.59 लाख), सौर (01 कार्य: ₹ 1.57 लाख)।

अनुसार, संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता, प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों की सहायता से जिला स्तरीय पौधारोपण कार्य योजना की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी थे। पौधारोपण कार्य में, मनरेगा श्रमिकों को लगाया जाना था और संबंधित सामग्री सहित पौधे मनरेगा निधि से खरीदे जाने थे। रोपण के बाद 80 प्रतिशत पौधों को पाँच वर्ष तक जीवित रखने के लिए वनपोषक[54] द्वारा पौधों की देखभाल की जानी थी।

2019–24 के दौरान छह चयनित जिलों की 47 चयनित ग्राम पंचायतों में पौधारोपण से संबंधित नरेगासॉफ्ट डाटा (सितंबर 2024 तक) के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन चयनित ग्राम पंचायतों में कुल 3,807 पौधों की इकाइयों[55] का रोपण कार्य किया गया था। इनमें से, 105 योजनाओं का अगस्त और सितंबर 2024 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा मनरेगा अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लगाई गई, सत्यापित और जीवित पाई गई इकाइयों का जिलेवार विवरण **तालिका 2.28** में दिया गया है।

तालिका 2.28: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लगाई गई, सत्यापित और जीवित पाई गई जिलेवार इकाइयाँ

क्र. सं.	जिला (ग्राम पंचायत)	शुरू की गई पौधारोपण इकाइयाँ	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सत्यापित इकाइयाँ (पौधों की संख्या)	किया गया व्यय (₹ लाख में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान जीवित पाए गए पौधे (प्रतिशत)
1	बेगुसराय (08)	1,947	36 (7,200)	47	2,775 (*39*)
2	पूर्वी चम्पारण (08)	314	29 (5,800)	51	5,308 (*92*)
3	गया (08)	523	8 (1,600)	11	1,400 (*88*)
4	नवादा (08)	318	4 (800)	0.36	275 (*34*)
5	सहरसा (07)	360	19 (3,800)	12	2,410 (*63*)
6	शिवहर (08)	345	9 (1,800)	07	850 (*47*)
कुल		**3,807**	**105 (21,000)**	**128.36**	**13,018 (*62*)**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 6.12 और संयुक्त भौतिक सत्यापन)

जैसा कि **तालिका 2.28** से देखा जा सकता है, पौधों के जीवित रहने की दर वांछित जीवन दर से कम थी (पूर्वी चंपारण और गया को छोड़कर) और यह कुल जीवित रहने की दर 62 प्रतिशत के साथ 34 प्रतिशत (नवादा) से 63 प्रतिशत (सहरसा) के बीच तक थी। यह इंगित करता है कि लगाए गए पौधों की देखभाल नहीं की गई और शुरुआती दो वर्षों की अवधि में मृत पौधों को बदला नहीं गया।

शिवहर, सहरसा और नवादा के लिए विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया, लेकिन बेगूसराय के मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

2.5.12 अन्य विविध टिप्पणियां

- **कार्य में मशीनों का उपयोग**– अधिनियम की अनुसूची–I की कंडिका 12 में प्रावधान है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन प्राधिकारी द्वारा यथासंभव कार्य केवल श्रमिकों द्वारा ही निष्पादित किए जाएंगे और मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विभाग ने मशीनरी का सीमित उपयोग करने का भी निर्देश दिया (मार्च 2019) और, जिसमें परिवहन लागत कार्य के कुल प्राक्कलन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं, मशीनरी की आवश्यकता संबंधी

54 *यह उन समुदाय–आधारित समूहों को संदर्भित करता है जिन्हें सरकारी पहलों के हिस्से के रूप में पेड़ों को लगाने, उनके रखरखाव और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है।*

55 *एक इकाई 200 पौधों के बराबर है।*

प्रमाणपत्र और डीपीसी/एडीपीसी द्वारा इसके उपयोग का अनुमोदन सहित विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी।

11 मनरेगा कार्यों से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान यह पाया गया कि मिट्टी भराई के इन कार्यों को नमूना–जाँचित पाँच ग्राम पंचायतों (सहरसा: 04 और पूर्वी चंपारणः 01) और दो चयनित जिलों की एक पंचायत समिति (सहरसा) में निष्पादन (2019–21 के दौरान) के लिए ₹ 1.11 करोड़[56] की अनुमानित लागत के साथ अनुमोदित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित डीपीसी/एडीपीसी की अनुमति के बिना ट्रैक्टरों को मिट्टी के कार्यों में लगाया गया था। इसके अलावा, ट्रैक्टरों को भुगतान की गई ढुलाई लागत 13 प्रतिशत से 46 प्रतिशत के बीच तक थी, जो कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक थी। ट्रैक्टरों को ढुलाई लागत के रूप में कुल ₹ 32.07 लाख[57] का भुगतान किया गया।

यह न केवल योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था, बल्कि इसके परिणामस्वरूप कम से कम 16,531 मनरेगा मानव दिवसों[58] का सृजन नहीं हुआ, जो शारीरिक रूप से श्रमिकों द्वारा कार्य किए जाने पर उत्पन्न होते।

विभाग ने सहरसा से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन का जवाब नहीं दिया, जबकि पूर्वी चंपारण के लिए यह कहा गया (जुलाई 2025) कि मशीनों के उपयोग के लिए अनुमति योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार दी गई थी।

- **निष्पादित कार्य से अधिक के लिए भुगतानः** वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 7.12.4 में प्रावधान है कि किए गए कार्य के सभी माप सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत और जारी की गई मापी पुस्तिका (एमबी) में दर्ज किए जाएंगे। सभी भुगतान सम्पादित कार्य के मान की माप करने के बाद ही किए जाएंगे। कार्य के मूल्य को निर्धारित करने हेतु नरेगसॉफ्ट में संबंधित प्रविष्टियाँ दर्ज की जानी थी।

तीन चयनित जिलों[59] की सात ग्राम पंचायतों और एक पंचायत समिति में 47 कार्यों के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि नरेगासॉफ्ट के अनुसार, एमबी में दर्ज ₹ 64.72 लाख की राशि के सापेक्ष ₹ 83.30 लाख का भुगतान किया गया था। 47 में से, नौ कार्य पूरे हो गए थे और 38 कार्य चल रहे थे। यह दर्शाता है कि एमबी के अनुसार किए गए कार्य के मूल्य से अधिक भुगतान किया गया था, जिसके कारण ₹ 18.58 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2025) कि भुगतान निष्पादित कार्यों और एमबी में दर्ज माप के अनुसार किया गया था।

विभाग का जवाब एमबी में दर्ज किए गए माप के साक्ष्य से समर्थित नहीं था।

---

[56] *सहरसाः चार ग्राम पंचायतों (चंदौर पूर्वी, कांप पश्चिमी, रौता खेम और सत्तर) में ₹ 70.34 लाख की अनुमानित लागत के साथ 08 कार्य और एक पंचायत समिति (सत्तर कटैया) में ₹ 13.52 लाख की अनुमानित लागत के साथ 02 कार्य और पूर्वी चंपारणः एक ग्राम पंचायत (सुकुल पाकर) में ₹ 27.11 लाख की अनुमानित लागत के साथ 01 कार्य।*

[57] *(सहरसाः चार ग्राम पंचायतों में ₹ 16.06 लाख और एक पंचायत समिति में ₹ 3.67 लाख) और पूर्वी चंपारण (एक ग्राम पंचायत में ₹ 12.34 लाख)।*

[58] *₹ 32,07,000/₹ 194 (भारत सरकार की अधिसूचित मजदूरी दर वर्ष 2019–20 में ₹ 171 और वर्ष 2020–21 में ₹ 194 थी)।*

[59] *पूर्वी चंपारण (एक ग्राम पंचायतः 1 कार्य), सहरसा (चार ग्राम पंचायतः 32 कार्य) और शिवहर (एक पंचायत समितिः 04 कार्य तथा दो ग्राम पंचायत समितिः 10 कार्य)।*

- **कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियों का अनियमित अनुमोदनः** विभाग द्वारा जारी निर्देशों (मार्च 2019) के अनुसार, ₹ 10 लाख की अनुमानित लागत वाले कार्य की तकनीकी स्वीकृति संबंधित सहायक अभियंता (एई), मनरेगा द्वारा दी जानी थी। ₹ 10 लाख से अधिक और एक करोड़ रुपये तक की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए कार्यपालक अभियंता (ईई), मनरेगा को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करनी थी।

अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक अभियंता, मनरेगा (पूर्वी चंपारण) ने 2020–21 के दौरान ₹ 4.95 करोड़ के 20 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति दी। इन 20 कार्यों में, प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत ₹ 10 लाख से अधिक थी, और इसलिए इसे तकनीकी स्वीकृति के लिए कार्यपालक अभियंता, मनरेगा (पूर्वी चंपारण) को भेजा जाना था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि जिस सहायक अभियंता ने इन 20 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी, इन कार्यों की निष्पादन एजेंसी भी था। अतः संबंधित सहायक अभियंता ने विभागीय निर्देशों का उल्लंघन किया और उच्च अधिकारियों के अनुमोदन को टाला। सितंबर 2024 तक, इन 20 कार्यों के सापेक्ष ₹ 2.70 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया, ₹ एक करोड़ का भुगतान किया गया और छह कार्य पूर्ण हो चुके थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जुलाई 2025)।

- **असफल विक्रेताओं को कार्य का आवंटनः** लेखापरीक्षा ने पाया कि बेगूसराय के दो प्रखंडों[60] में ₹ 4.73 करोड़ की सामग्री की आपूर्ति 20 ऐसे असफल विक्रेताओं द्वारा की गई, जो डीपीसी, बेगूसराय द्वारा अंतिम रूप दी गई तकनीकी बोली में सफल नहीं पाए गए थे।

विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2025) कि विभागीय निर्देशों के आलोक में विक्रेताओं का चयन किया गया था और तदनुसार कार्य आवंटित किए गए थे तथा पंजीकृत विक्रेताओं को भुगतान किया गया था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सभी विक्रेता तकनीकी बोली में असफल रहे थे और कार्य आवंटित किए जाने के बाद ही पंजीकृत किए गए थे।

2.6 अनुश्रवण, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण

2.6.1 प्रस्तावना

मनरेगा अधिनियम और इसके परिचालन दिशानिर्देश, 2013, में राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) की स्थापना करके, सामाजिक लेखापरीक्षा सोसाइटी (एसएएस) के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा करके, एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी)/लोकपाल से शिकायत निवारण सुनिश्चित करके और राज्य गुणवत्ता अनुश्रवणकर्त्ताओं और सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियाँ (वीएमसी) से गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करके योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम और योजना के दिशानिर्देशों में परिकल्पित प्रावधानों के सापेक्ष योजना के अनुश्रवण, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण में पाई गई कमियां को आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

2.6.2 राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठकों के लिए नियम नहीं बनाना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की कंडिका 2.4 सहित अधिनियम की धारा 12(1) ने राज्य सरकार को राज्य स्तर पर मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण, समीक्षा

---

60 *बखरी प्रखंड: ₹ 2.45 करोड़ और साहेबपुर कमाल: ₹ 2.28 करोड़।*

और मूल्यांकन करने के लिए एक राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी)[61] बनाना अनिवार्य था। अधिनियम की धारा 12(2) में कहा गया है कि एसईजीसी की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा राज्य तय करेगा। इसके अलावा, दिशानिर्देशों की कंडिका 13.4 में प्रावधान किया गया है कि एसईजीसी राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्रवाईयों का अनुश्रवण करेगी और की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन परिषद की सालाना प्रतिवेदन में शामिल करेगी, जिसे राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी (जून 2017) निर्देशों के अनुसार, एसईजीसी की बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित करना अनिवार्य था।

राज्य सरकार ने मई 2012, यानी राज्य द्वारा मनरेगा योजना की अधिसूचना (फरवरी 2006) के छह साल बाद एसईजीसी का गठन किया। एसईजीसी को बाद में जुलाई 2016 और जनवरी 2021 में पुनर्गठित किया गया। एसईजीसी के गठन और बैठकों से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य ने बैठकों की आवृत्ति, स्थान और प्रक्रिया के बारे में कोई नियम नहीं बनाया था। निर्धारित नियमों के अभाव में, एसईजीसी ने प्रत्येक वर्ष एक (2021–23 के दौरान), केवल तीन बैठकें कीं, जो राज्य स्तर पर अपर्याप्त अनुश्रवण को इंगित करती है।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि हालांकि परिषद द्वारा बिहार में योजना के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाला वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन उसने न तो वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया और न ही उसे विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए राज्य को भेजा (जनवरी 2025 तक)। इस प्रकार, राज्य विधानमंडल को एसईजीसी के माध्यम से राज्य में मनरेगा योजना के लागू होने की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। इस प्रकार, एसईजीसी द्वारा उच्चतम स्तर पर योजना का परिकल्पित अनुश्रवण और परिचालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

विभाग ने जवाब दिया कि एसईजीसी ने समय–समय पर अपनी बैठकें की थीं, हालांकि, राज्य द्वारा कोई विशिष्ट नियम नहीं बनाए थे।

अनुशंसा 6: विभाग राज्य स्तर पर योजना का उचित अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठकों के लिए नियम बनाना सुनिश्चित कर सकता है।

2.6.3 जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता प्रकोष्ठों/अनुश्रवण एवं सतर्कता समितियों का गठन न होना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की कंडिका 13.6.1 से 13.6.4 में प्रावधान किया गया हैं कि राज्य तीन–स्तरीय सतर्कता प्रणाली बनाएंगे, यानी राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर। इसके लिए, राज्य को प्रत्येक स्तर पर एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित करना था। इस प्रकोष्ठ को अधिनियम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का सक्रिय रूप से पता लगाना था और सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान उन पहचानी गई अनियमितताओं सहित पता लगाई गई अनियमितताओं एवं कदाचारों पर कार्रवाई करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि दुरूपयोग की गई निधि की वसूली विधिवत हो। इन कामों में शिकायतें सुनना, नियमित क्षेत्र भ्रमण करना, अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करना और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना इत्यादि शामिल थे।

---

[61] *ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में एक स्थायी निकाय तथा इसमें विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य के रूप में तथा पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे।*

विभिन्न स्तर पर सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- हालांकि राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन राज्य स्तर पर मुख्य सतर्कता पदाधिकारी (सीवीओ) के अधीन किया गया था (सितंबर 2014), 2019–24 के दौरान सीवीओ द्वारा किए गए पर्यवेक्षण, पता लगाए गए मामलों और की गई कार्रवाई का विवरण लेखापरीक्षा को नहीं दिया गया। इन अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ अपने परिकल्पित उद्देश्यों के अनुसार काम कर रहा था।

- छह चयनित जिलों में से चार (गया और बेगूसराय को छोड़कर) में राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ नहीं बनाया गया था। इसके अलावा, बाकी दो चयनित जिलों ने 2019–24 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने के बारे में जानकारी/अभिलेख नहीं दिए।

- पांच चयनित जिलों (गया को छोड़कर) में 2019–24 के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता और अनुश्रवण समिति (वीएमसी)[62] नहीं बनाई गई थीं।

इस तरह, मनरेगा अधिनियम और दिशानिर्देश में परिकल्पित योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने का उद्देश्य पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका। सभी जिलों और ग्राम पंचायत में जिला सतर्कता प्रकोष्ठ, और सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का गठन न होने से यह खतरा उत्पन्न हो गया कि मनरेगा के कार्यान्वयन में अनियमितताएं, कदाचार, निधि का दुरूपयोग आदि का पता नहीं चल पाएं। इसका अनुपालन न करने से योजना के कार्यान्वयन पर निरीक्षण की कमी और अनियमितताएं भी हो सकती हैं, जैसा कि ***कंडिका 2.5.3*** (चयनित इकाइयों में अपूर्ण कार्य), ***कंडिका 2.5.4*** (अस्वीकार्य कार्यों का निष्पादन), ***कंडिका 2.5.7*** (वार्षिक विकास योजना से परे कार्यों का निष्पादन) आदि में बताया गया है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई जवाब नहीं दिया।

2.6.4 मनरेगा के तहत शिकायत निवारण तंत्र

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की कंडिका 13.13.1 के साथ पठित मनरेगा अधिनियम की धारा 19 में कहा गया हैं कि राज्य सरकार को जिला और प्रखंड स्तर पर उचित शिकायत निवारण तंत्र बनाना आवश्यक था। इस उद्देश्य के लिए, अन्य बातों के अलावा, राज्य को:

- मनरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी शिकायत से निपटने के लिए नियम बनाना तथा ऐसी शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया निर्धारित करना था।

- शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए सभी जिलों में लोकपाल का कार्यालय स्थापित करना था।

- यह सुनिश्चित करना था कि जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर एक शिकायत पंजी संधारित की जा रही थी, जिसमें प्रत्येक शिकायतकर्ता से शिकायत की प्राप्ति की तिथि दर्ज की जा सके।

इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

---

[62] *ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य स्थलों का दौरा करना, श्रमिकों के साथ बातचीत करना, अभिलेखों का सत्यापन करना, ऑनसाइट सुविधाओं का सत्यापन करना आदि शामिल थे।*

2.6.4.1 मनरेगा शिकायतों के लिए समर्पित शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना न होना

राज्य सरकार को योजना के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी शिकायत से निपटने के लिए नियम बनाकर एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और ऐसी शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया निर्धारित करना आवश्यक था।

अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार को जिला और प्रखंड स्तर (मार्च 2023 में) पर एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और ऑनलाइन व ऑफलाइन शिकायतों के निपटान हेतु निर्धारित समय–सीमा के साथ जिला और प्रखंड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने में 17 वर्ष से अधिक (अधिनियम के लागू होने के बाद से) का समय लगा। इसके लिए, 'मनरेगा शिकायत निवारण' मॉड्यूल तैयार किया गया और इसे बीआरडीएस (बिहार में मनरेगा के लिए नोडल एजेंसी) की वेबसाइट पर एकीकृत किया गया।

इससे पहले, शिकायतों के निपटान के लिए, संबंधित डीपीसी, पीओ और पीआरएस को जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायतों को प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए एक शिकायत पंजी संधारित करना था। इसके अलावा, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री समाधान यात्रा, सीपीजीआरएएमएस[63] आदि के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को भी उचित स्तरों पर सौंपकर निपटान किया जाना था।

2019–24 के दौरान शिकायतों की प्राप्ति और निवारण में पाई गई कमियों पर चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

2.6.4.2 शिकायतों का निपटान नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने बीआरडीएस (ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार) में 2019–24 की अवधि के लिए मनरेगा से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति और निपटान से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य स्तर पर, 2019–20 से 2023–24 (4 जुलाई 2024 तक) के दौरान, विभिन्न स्रोतों जैसे मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री समाधान यात्रा आदि के माध्यम से कुल 2,084 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 1,579 शिकायतों का निपटान कर दिया गया और 505 शिकायतें (24 प्रतिशत) निपटान हेतु लंबित थीं, जैसा कि **तालिका 2.29** में विस्तृत है।

तालिका 2.29: 2019–24 के दौरान शिकायतों के निपटान का विवरण (4 जुलाई 2024 तक)

शिकायत का स्रोत	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	निपटान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या (प्रतिशत)
	1	**2**	**3 (1-2)**
मुख्यमंत्री सचिवालय	230	115	115 (50)
मुख्यमंत्री समाधान यात्रा	44	27	17 (39)
समाचार पत्रों की कतरनें और लिंक	55	44	11 (20)
सतर्कता विभाग, बिहार सरकार	52	3	49 (94)
मंत्री कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग	210	46	164 (78)
सीपीजीआरएएमएस	1,447	1,305	142 (10)
जनता दरबार	28	21	7 (28)
अन्य	18	18	0
कुल	**2,084**	**1,579**	**505 (24)**

(स्रोतः बीआरडीएस से प्राप्त जानकारी)

[63] *प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, के पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को देश में किसी भी सरकारी संगठन के विरुद्ध उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करना है।*

कम से कम तीन महीने बीत जाने के बाद भी, मुख्यमंत्री सचिवालय (50 प्रतिशत), ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कार्यालय (78 प्रतिशत) और सतर्कता विभाग, बिहार सरकार (94 प्रतिशत) से प्राप्त शिकायतों के संबंध में 50 प्रतिशत या उससे अधिक की लंबितता, एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के अपर्याप्त अस्तित्व को दर्शाता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई जवाब नहीं दिया।

2.6.4.3 शिकायत पंजियों का रखरखाव नहीं किया जाना

संबंधित पीआरएस, पीओ और डीपीसी द्वारा क्रमशः ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर एक शिकायत पंजी का संधारण किया जाना था। लेखापरीक्षा ने 2019–24 की अवधि के लिए इन स्तरों पर शिकायत पंजियों के रखरखाव से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच की और निम्नलिखित पाया:

- छः चयनित जिलों में से पांच (शिवहर को छोड़कर)[64] ने जवाब दिया कि उन्होंने शिकायत पंजी का संधारण किया था, लेकिन उन्होंने उक्त पंजी को लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।
- 12 चयनित प्रखंडों में से तीन[65] में कोई शिकायत पंजी नहीं रखी जा रही थी।
- 48 नमूना–जांचित ग्राम पंचायतों में से, 39[66] ग्राम पंचायतों में शिकायत पंजी का रखरखाव नहीं किया जा रहा था ***(कंडिका 2.6.6)***।

इसलिए, शिकायत पंजियों के संधारण के अभाव/अभिलेखों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि प्राप्त शिकायतों को उचित रूप से दर्ज किया जा रहा था और उनका समय पर निपटान किया जा रहा था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई जवाब नहीं दिया।

2.6.4.4 लोकपाल की नियुक्ति

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की कंडिका 13 के अनुसार, राज्य सरकार को शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए सभी जिलों में लोकपाल कार्यालय स्थापित करना था। लोकपाल के मुख्य कर्तव्यों में मनरेगा श्रमिकों और अन्य लोगों से शिकायतें प्राप्त करना, ऐसी शिकायतों की जाँच करना और लागू कानूनों के अनुसार उनका निपटान सुनिश्चित करना शामिल था। इसके अलावा, लोकपाल मौके पर जाँच करने, दोषी पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश भी दे सकता था। लोकपाल को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट मुख्य सचिव और सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को देनी थी।

लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में 2019–24 के दौरान लोकपाल की नियुक्ति, उनके द्वारा प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच की। अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित जिलों (गया और नवादा को छोड़कर) में लोकपाल का पद 21 महीने से 38 महीने के बीच तक रिक्त रहा।

लोकपाल द्वारा शिकायतों की प्राप्ति और निपटान के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि चार चयनित जिलों (नवादा और बेगूसराय[67] को छोड़कर) में, संबंधित जिले के लोकपालों

---

[64] *डीआरडीए, गया ने न तो शिकायत पंजी के संधारण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए और न ही इस संबंध में लेखापरीक्षा प्रश्नावली का जवाब दिया।*

[65] *(पूर्वी चंपारणः सुगौली और तुरकौलिया; और शिवहरः पुरनहिया)।*

[66] *नौ ग्राम पंचायतों (सहरसाः सत्तर, रकिया, पुरीख, बिहरा; नवादाः सुघारी, बकसोती, भवानीपुर, बनिया बिगहा; शिवहरः बसिया सेख) में शिकायत पंजी का संधारण किया गया।*

[67] *पंजीकृत शिकायतों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।*

को 2019–20 से 2023–24 के दौरान कुल 205 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से, 56 शिकायतें (27 प्रतिशत) निपटान के लिए लंबित रहीं (5 दिसंबर 2024 तक)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शिकायतों के असंतोषजनक निपटान का एक कारण नमूना–जाँचित जिलों में लोकपाल के पदों का रिक्त होना था। चयनित जिलों में लोकपाल के पदों की रिक्तियों और शिकायतों के निपटान का विवरण **तालिका 2.30** में दिया गया है।

तालिका 2.30: 2019–24 के दौरान चयनित जिलों में लोकपाल की तैनाती और शिकायतों के निपटान का विवरण (5 दिसंबर 2024 तक)

जिला	लोकपाल का पद रिक्त रहने की अवधि (दिनों में)	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
बेगूसराय	1,138	उपलब्ध नहीं *	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पूर्वी चंपारण	620	51	45	6
गया	0	47	25	22
नवादा	0	75	75	0
सहरसा	1,074	32	4	28
शिवहर	731	0	0	0
कुल	**3,563**	**205**	**149**	**56**

*(स्रोतः नमूना–जांचित डीआरडीए द्वारा प्रदान की गई जानकारी) *उपलब्ध नहीं=रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए*

जैसा कि **तालिका 2.30** से देखा जा सकता है, 27 प्रतिशत शिकायतों का निपटान उनकी प्राप्ति के कम से कम आठ महीने बीत जाने के बाद भी किया जाना बाकी था। इस प्रकार, विशेष रूप से पूर्वी चंपारण और सहरसा में लोकपाल के पदों में लंबे समय तक रिक्तियों ने लोकपाल का कामकाज को प्रभावित किया।

इस प्रकार, 2019–24 के दौरान चयनित जिलों में लोकपाल के पदों में लंबी अवधि तक रिक्तियां और शिकायतों के निपटान में देरी, मनरेगा के प्रावधानों के अपर्याप्त अनुपालन को इंगित करता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई उत्तर नहीं दिया।

अनुशंसा 7: विभाग शिकायतों के निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए लोकपालों के रिक्त पदों को भरना सुनिश्चित कर सकता है।

2.6.5 सामाजिक लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 17 और मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अध्याय 13 में ग्राम सभा स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा करना अनिवार्य किया गया है। सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य लेखापरीक्षा अनुशासन की आवश्यकताओं के साथ जनभागीदारी और निगरानी को जोड़ना था।

2.6.5.1 सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन

सामाजिक लेखापरीक्षा एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है, जिसमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में कार्यों की मात्रा और गुणवत्ता का सार्वजनिक सतर्कता और सत्यापन शामिल हैं। इसे प्रत्येक ग्राम पंचायत में, छह महीने में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना था, और इसमें मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा शामिल होगी। इसके अलावा, वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 10.1.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों को एक स्वतंत्र सोसायटी अर्थात सामाजिक

लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) स्थापित करना अनिवार्य था, जिसे सामाजिक अंकेक्षण करने की विशेष जिम्मेदारी का कार्य दिया गया था। एसएयू ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के भीतर मनरेगा के तहत किए गए कार्यों के सामाजिक लेखापरीक्षा करने में सुविधा प्रदान करता है।

सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण **चार्ट 2.8** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8: सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया

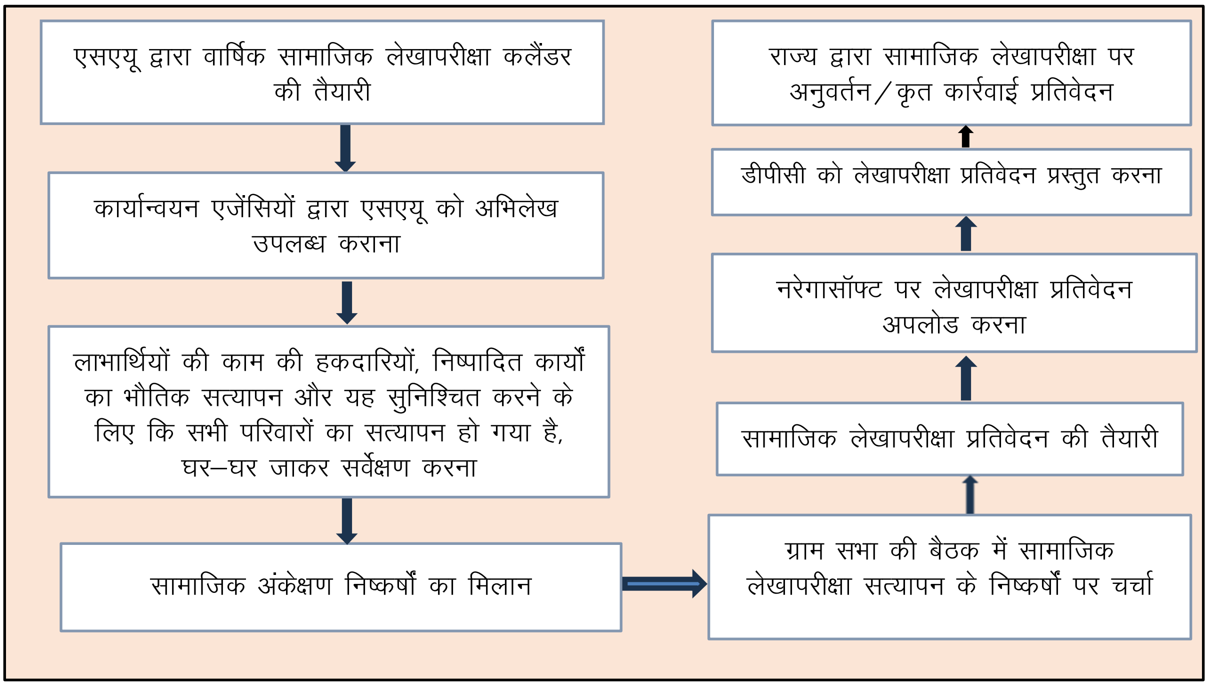

(स्रोतः मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013; वार्षिक मास्टर परिपत्र, 2019–20, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मनरेगा योजना लेखापरीक्षा नियम, 2011 के अनुपालन में, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही बिहार सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों सहित मनरेगा योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र ''सामाजिक लेखापरीक्षा सोसाइटी'' का गठन किया (जून 2015)। सोसाइटी के कार्यों का प्रबंधन विभाग द्वारा गठित एक प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता था। प्रबंधन समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त, बिहार करते थे, और सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार इसके सदस्यों में से एक थे।

आच्छादन, सामाजिक लेखापरीक्षा के परिणामों, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निपटान आदि से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

2.6.5.2 सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में कमी

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की कंडिका 13.3.1 के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, वर्ष के आरंभ में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर छह माह में कम से कम एक सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक कैलेण्डर तैयार करेगी। कैलेण्डर की एक प्रति आवश्यक व्यवस्था करने हेतु सभी डीपीसी को भेजी जाएगी।

सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, यह पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा समिति ने ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा छह माह में एक बार करने के बजाय वार्षिक आधार पर विचार करते हुए एक वार्षिक कैलेण्डर

तैयार किया था। इसलिए, चयनित जिलों में, 2019–24 के दौरान 13,340 सामाजिक लेखापरीक्षा[68] करने के स्थान पर, केवल 3,454 लेखापरीक्षा की गई, जैसा कि **तालिका 2. 31** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 2.31: 2019–24 के दौरान चयनित जिलों में की गई सामाजिक लेखापरीक्षा का विवरण

जिला	आयोजित की जाने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा	आयोजित की गई सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में कमी	कमी का प्रतिशत
	1	2	3 (1-2)	4 (3/1*100)
बेगूसराय	2,170	648	1,522	70
पूर्वी चंपारण	4,110	932	3,178	77
गया	3,310	849	2,461	74
नवादा	1,870	520	1,350	72
सहरसा	1,350	344	1,006	75
शिवहर	530	161	369	70
कुल	**13,340**	**3,454**	**9,886**	**74**

(स्रोतः नरेगासॉफ्ट, ग्रामीण विकास, भारत सरकार का प्रतिवेदन 9.1.3)

जैसा कि **तालिका 2.31** से देखा जा सकता है, चयनित जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में 70 से 77 प्रतिशत के बीच तक की पर्याप्त कमियां थीं, जो दर्शाता है कि राज्य ने सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में एसएएस के कामकाज का पर्याप्त अनुश्रवण नहीं किया।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई जवाब नहीं दिया।

2.6.5.3 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निपटान का अत्यधिक लंबित रहना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की कंडिका 13.4.2 में प्रावधान है कि संबंधित डीपीसी सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) की कंडिका 10.1.10 में निहित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित पीओ को सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के बाद बुलाई गई संबंधित ग्राम सभा/वार्ड सभा की बैठक के एक महीने के भीतर सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को एक कृत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी थी।

चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019–24 के दौरान संचालित की गई सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों (85 से 100 प्रतिशत के बीच तक) की एक बड़ी संख्या निपटान के लिए लंबित थी, जैसा कि **तालिका 2.32** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

---

[68] *जीपी की संख्या × 10 (बेगूसराय: 217 × 10 = 2,170; पूर्वी चंपारण: 411× 10 = 4,110; गया: 331 × 10 = 3,310; नवादा: 187 × 10 = 1,870, सहरसा: 135 × 10 = 1,350; शिवहर: 53 × 10 = 530)।*

तालिका 2.32: वर्ष 2019–24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में की गई सामाजिक लेखापरीक्षा के लंबित अवलोकनों का विवरण

जिला	सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान किए गए लेखापरीक्षा अवलोकन	निपटान किए गए लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	बकाया अवलोकनों की संख्या	बकाया अवलोकनों का प्रतिशत
	1	2	3 (1-2)	4 (3/1*100)
बेगूसराय	158	02	156	99
पूर्वी चंपारण	92	00	92	100
सहरसा	60	03	57	95
शिवहर	247	03	244	99
नवादा	137	20	117	85
कुल	**694**	**28**	**666**	**96**

(स्रोत: चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

जैसा कि **तालिका 2.32** से देखा जा सकता है, सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान की गई कुल लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से 96 प्रतिशत निपटान के लिए लंबित थीं, जो दर्शाता है कि चयनित जिलों के डीपीसी ने समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की गारंटी के लिए पर्याप्त कार्रवाई/उचित अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर कोई जवाब नहीं दिया।

अनुशंसा 8: विभाग निर्धारित आवृत्ति के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा करने के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर ससमय सुधारात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित कर सकता है।

2.6.6 अनिवार्य अभिलेखों का रखरखाव न करना

(अ) ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित पंजियों का रखरखाव नहीं किया जाना: कुशल लेखा–जोखा रखने के उद्देश्य से, मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अध्याय 10 के साथ पठित वार्षिक मास्टर परिपत्र (2019–20) में, सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए, पंचायत स्तर पर सात पंजियों के रखरखाव को अनिवार्य बनाया गया था। इन पंजियों का रखरखाव संबंधित ग्राम पंचायत के पीआरएस द्वारा किया जाना था। ये पंजी अधिकारियों के साथ–साथ जनता को भी हर समय जाँच, निरीक्षण, सामाजिक लेखापरीक्षा आदि के लिए उपलब्ध कराए जाने थे।

48 चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019–24 के दौरान निर्धारित सात पंजियों का रखरखाव नहीं किया जा रहा था या आंशिक अवधि के लिए रखरखाव किया गया था। इन सात पंजियोँ के न होने/आंशिक रखरखाव का विवरण **तालिका 2.33** में दिया गया है।

तालिका 2.33: निर्धारित पंजियों का रखरखाव नहीं किये जाने का विवरण

क्रम संख्या	पंजी का नाम और संख्या	इकाइयाँ जिसमे पंजी का रखरखाव नहीं किया गया था (ग्राम पंचायत)	इकाइयाँ जिसमे पंजी का रखरखाव आंशिक रूप से किया गया था (ग्राम पंचायत)
1.	पंजी–I: जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी) और घरेलू रोजगार प्रतिवेदन के लिए पंजी	सहरसा (02); नवादा (07); बेगूसराय (08); गया (08); पूर्वी चंपारण (08) और शिवहर (08) **(41)**	0
2.	पंजी–II (ग्राम सभा पंजी)	बेगूसराय (08); गया (08) और पूर्वी चंपारण (08) **(24)**	सहरसा (02) और नवादा (02) **(4)**
3.	रजिस्टर–III (काम की मांग, काम का आवंटन और मजदूरी भुगतान पंजी)	सहरसा (08); नवादा (08); बेगूसराय (08); गया (08); पूर्वी चंपारण (08) और शिवहर (08) **(48)**	0
4.	रजिस्टर–IV (कार्य पंजी)	नवादा (07); बेगुसराय (08); गया (08); पूर्वी चंपारण (08) और शिवहर (07) **(38)**	सहरसा (01)
5.	रजिस्टर–V (अचल संपत्ति पंजी)	सहरसा (04); नवादा (08); बेगुसराय (08); गया (08); पूर्वी चंपारण (08) और शिवहर (08) **(44)**	0
6.	रजिस्टर–VI (शिकायत पंजी)	सहरसा (04); नवादा (04); बेगुसराय (08); गया (08); पूर्वी चंपारण (08) और शिवहर (07) **(39)**	नवादा (02)
7.	रजिस्टर–VII (सामग्री पंजी)	सहरसा (08); नवादा (08); बेगुसराय (08); गया (08); पूर्वी चंपारण (08) और शिवहर (08) **(48)**	0

(स्रोतः चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेख)

जैसा कि **तालिका 2.33** से देखा जा सकता है, चयनित ग्राम पंचायतों में अनिवार्य पंजियाँ का रखरखाव नहीं किया जा रहा था और इन पंजियाँ का रखरखाव न होने का प्रतिशत 50 से 100 प्रतिशत (पंजी संख्या III और VII) के मध्य था।

(ब) प्रखंड स्तर पर निर्धारित पंजियों का रखरखाव न करना : मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 की कंडिका 2.2.1 और 13.13.1 में निर्धारित किया गया है कि संबंधित प्रखंड का कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) प्रखंड स्तर पर कुछ प्रमुख अभिलेखों जैसे मस्टर रोल निर्गमन एवं प्राप्ति पंजी, कार्य पंजी, परिसंपत्ति पंजी और शिकायत पंजी आदि का रखरखाव सुनिश्चित करेगा।

अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019–24 के दौरान, चयनित छह[69] प्रखंडों में निर्धारित चार पंजियाँ का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। निर्धारित पंजियाँ और उनका रखरखाव नहीं किये जाने का विवरण **तालिका 2.34** में दिया गया है।

[69] *सत्तर कटैया एवं सौर बाजार (सहरसा); सुगौली और तुरकौलिया (पूर्वी चंपारण) और पुरनहिया तथा पिपराही (शिवहर)।*

तालिका 2.34: चयनित प्रखंडों में अनिवार्य पंजियों का रखरखाव नहीं किया जाना

क्रम संख्या	पंजी का नाम	प्रखंडों जहाँ पंजी का रखरखाव नहीं किया जा रहा था
1	मस्टर रोल निर्गमन एवं प्राप्ति पंजी	4 (पूर्वी चंपारणः सुगौली एवं तुरकौलिया और शिवहरः पूर्णहिया एवं पिपराही)
2	कार्य पंजी	3 (पूर्वी चंपारणः सुगौली और शिवहरः पूर्णहिया एवं पिपराही)
3	परिसंपत्ति पंजी	6 (सहरसाः सत्तरकट्टैया एवं सौर बाजार; पूर्वी चंपारणः सुगौली एवं तुरकौलिया और शिवहरः पूर्णहिया एवं पिपराही)
4	शिकायत पंजी	3 (पूर्वी चंपारणः सुगौली एवं तुरकौलिया तथा शिवहरः पूर्णहिया)

(स्रोतः नमूना जाँचित प्रखंडों के अभिलेख)

इन पंजियों का रखरखाव न होने के कारण, कार्य के लिए आवेदन, कार्य आवंटन, कार्य का निष्पादन, शिकायतों का विवरण आदि जैसे डाटा का सत्यापन नहीं हो सका। इसके अलावा, प्रमुख अभिलेखों के न होने/आंशिक रखरखाव ने अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र को इंगित किया।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया।

अध्याय-III

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत तटबंधों का निर्माण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण

अध्याय-III
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

जल संसाधन विभाग

3. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत तटबंधों का निर्माण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण

बिहार देश के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है, जिसके 38 जिलों में से 28 बाढ़ संभावित हैं और इसका 73 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। इसलिए, बाढ़ के नकारात्मक परिणामों और प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, जल संसाधन विभाग को बाढ़ संभावित क्षेत्रों में नदियों के किनारे तटबंधों का निर्माण, ऊँचाई बढ़ाना और मजबूत करना सहित बाढ़ प्रबंधन उपायों की योजना बनानी और लागू करनी थी।

विभाग ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों का समाधान किए बिना तटबंधों के निर्माण के लिए योजनाओं/कार्यो की शुरूआत की जिसके कारण योजनाएं उनके पूरा होने की निर्धारित अवधि से एक से 16 वर्षो की अवधि के बीत जाने के बावजूद या तो शुरू नहीं हुई या अधूरी रही। इसके अलावा, सबसे कम बोली वाले निविदादाता को कार्य प्रदान नहीं करने के विभाग के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 7.15 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.55 करोड़ का परिहार्य व्यय उन कार्यों के सापेक्ष किया गया जो पूरे नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, निर्धारित मदों साथ ही साथ गैर–निर्धारित मदों की दरों के अनियमित अनुमोदन के परिणामस्वरूप बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा में ₹ 10.57 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

तटबंधों पर सड़क के निर्माण के संबंध में भूमि के कार्यों, ग्रेनुलर सब बेस, वेट मिक्स मैकाडम और बिटुमिनस मैकाडम घटकों के सापेक्ष ₹ 15.59 करोड़ के निरर्थक, परिहार्य, अतिरिक्त व्यय और दोहरे भुगतान के मामले पाए गए।

इसके अलावा, बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II और III (बी) के अंतर्गत, 89.42 किमी तटबंधों का उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण करके उच्च बाढ़ स्तर के सापेक्ष एक तटबंध की अपेक्षित ऊंचाई प्राप्त करने का इच्छित उद्देश्य ₹ 320.85 करोड़ के व्यय के बावजूद पूरा नहीं हुआ। अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन कर मोबिलाइजेशन अग्रिम (₹ 34.88 करोड़) तथा संयत्र और मशीनरी अग्रिम (₹ 7.98 करोड़) की स्वीकृति दी गई, जिसकी वसूली उस पर उपार्जित ब्याज के साथ नहीं की गई थी।

तटबंधों और तटबंधों के ऊपर सड़कों के निर्माण के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस/भारतीय मानकों के तहत निर्धारित आवश्यक गुणवत्ता जांच नहीं की गई। इसके अलावा, पुलों द्वारा निर्मित अपर्याप्त जलमार्गों ने तटबंधों की सुरक्षा को विपरीत रूप से प्रभावित किया जिसके कारण 2024 के बाढ़ के दौरान बागमती नदी के तटबंध क्षतिग्रस्त हुए।

इसके अलावा, जल संसाधन विभाग योजना कार्यान्वयन और अनुश्रवण प्रणाली (डब्ल्यूएसआईएमएस)/एमआईएस वेब एप्लिकेशन पर योजनाओं से संबंधित डाटा को उपलोड/अद्यतन नहीं करने से विभाग द्वारा ऑनलाइन अनुश्रवण प्रणाली में कमी आई।

3.1 परिचय

बिहार सिंधु–गंगा मैदान में अवस्थित है जिसमें गंगा नदी पश्चिम से पूर्व में बहती है और राज्य को दो भागों यथा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटती हैं। यह देश के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है, जिसके 38 जिलों में से 28 बाढ़ प्रवण हैं। राज्य का कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र (94.16 लाख हेक्टेयर) का 73 प्रतिशत है। 2000 से 2024 के दौरान, तकरीबन 5.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि और कुल 1,837 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इसके अलावा, राज्य को बाढ़ से हुई तबाही के कारण 6,829 मानवीय जीवनों की हानि और ₹ 23,737 करोड़ की कीमत की संपदा, विशेषतः अवसंरचना की क्षति हुई।

बाढ़ के नकारात्मक परिणामों और विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए, जल संसाधन विभाग (विभाग), बिहार सरकार, जो बाढ़ नियंत्रण उपायों की योजना बनाने और लागू करने के लिए नोडल विभाग है, ने बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में नदियों के किनारे तटबंधों[1] के निर्माण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण सहित बाढ़ प्रबंधन से संबंधित गतिविधियां संचालित की।

3.1.1 संगठनात्मक ढांचा

शीर्ष स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव और तीन मुख्य अभियंताओं द्वारा जल संसाधन विभाग (विभाग) की अध्यक्षता की जाती है। प्रमंडल स्तर पर 188 कार्यपालक अभियंताओं के कार्यालय विभाग की कार्यान्वयन इकाई हैं। विभाग के इन प्रमंडलों में से 59 राज्य के 14 नदी क्षेत्रों से संबंधित बाढ़ नियंत्रण उपायों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: जल संसाधन विभाग का संगठनात्मक ढांचा

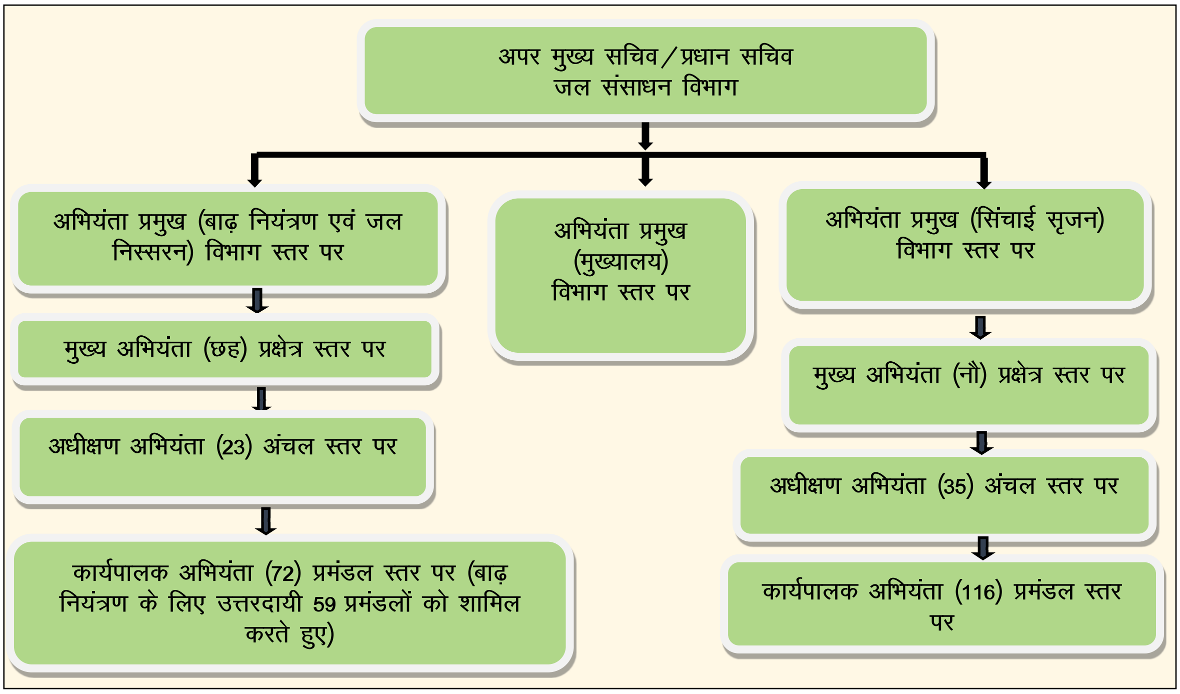

(स्रोतः जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, की आधिकारिक वेबसाइट, दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार)

[1] *तटबंध, बाढ़ सुरक्षा कार्य के सबसे पुराने ज्ञात उपाय हैं, जो सामान्यतः नदी के प्रवाह के समानांतर होते हैं और इनके पीछे के क्षेत्र को बाढ़ के पानी के अतिप्रवाह से बचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।*

3.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के लेखापरीक्षा उद्देश्य को आकलन करना था कि क्याः

- तटबंधों के निर्माण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए योजनाओं के आयोजन को ठीक ढंग से किया गया था;
- निष्पादन ठीक प्रकार से किया गया था और अनुबंध प्रबंधन मानदंडों का ठीक ढंग से अनुसरण किया गया था; और
- योजनाओं के निष्पादन के दौरान गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन किया गया था।

3.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थेः

- बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन और जल निकासी नियमावली, 2003;
- जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, द्वारा जारी बाढ़ प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, जुलाई 2013;
- केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी बाढ़ प्रबंधन कार्य के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु दिशानिर्देश;
- भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी नदी तटबंधों के निर्माण और रखरखाव के लिए भारतीय मानक;
- बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता, पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित मानक निविदा दस्तावेज (एसबीडी);
- भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी)[2] तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारत सरकार, द्वारा जारी मिट्टी के तटबंधों साथ ही साथ सड़क कार्यों के लिए लचीले फुटपाथों के निर्माण के लिए विनिर्देश; और
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), भारत सरकार, और जल संसाधन, पथ निर्माण तथा वित्त विभागों, बिहार सरकार, द्वारा जारी तटबंधों के निर्माण के संबंध में विनिर्देश, दिशानिर्देश और अनुदेश।

3.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 की पांच साल की अवधि को शामिल करते हुए यह एसएससीए अगस्त और दिसंबर 2024 के बीच किया गया। 2019–24 के दौरान, तटबंधों के निर्माण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य सात[3] नदी बेसिनों से संबंधित विभाग के 23 प्रमंडलों में किए गए। जिसमें से, क्षेत्र स्तर पर लेखापरीक्षा के दौरान तीन[4] नदी बेसिनों के संबंध में आठ[5] प्रमंडलों में शुरू किए गए कार्यो को शामिल किया गया। प्रमंडलों और नदी बेसिनों का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विदाउट रिप्लेसमेंट

---

[2] *एक संगठन जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, के साथ मिलकर सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत अवसंरचनाओं के लिए तकनीकी मानकों और दिशा–निर्देशों को विकसित करने का कार्य करता है।*

[3] *बागमती–अधवारा, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, कमला–बलान, कोसी और महानंदा।*

[4] *बागमती–अधवारा, महानंदा और कमला–बलान।*

[5] *दरभंगा, झंझारपुर–I, झंझारपुर–II, कटिहार, किशनगंज, रुन्नीसैदपुर, सालमारी और सीतामढ़ी।*

(पीपीएसडब्ल्यूओआर) पद्धति[6] का उपयोग करके किया गया था, जिसमें पिछले पाँच वर्षों के दौरान किए गए कुल पूंजीगत व्यय को आकार मापदंड माना गया। शीर्ष स्तर पर, लेखापरीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव, डब्ल्यूआरडी के कार्यालय के अभिलेखों की भी नमूना जांच की गई।

एसएससीए के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली में अभिलेखों की संवीक्षा, आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली के साथ–साथ प्रपत्र जारी करना और लेखापरीक्षिती इकाइयों से जवाब प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन का जारी करना शामिल हैं। इसके अलावा, विभागीय स्तर पर संबंधित क्षेत्रों में 2019–24 के दौरान बाढ़ के कारण क्षति की घटना के संबंध में सूचना मांगपत्र जारी करके प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त, योजनाओं/कार्यो के अनुश्रवण के लिए विकसित, विभाग के वेब एप्लिकेशन[7] पर उपलब्ध डाटा का भी विश्लेषण किया गया। चयनित नदी के मैदानों के अन्तर्गत योजना का निष्पादन करने वाले संबंधित प्रमंडलो के अधिकारियों सहित संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जेपीआई) भी किया गया (सितंबर से दिसंबर 2024)।

अपर सचिव, डब्ल्यूआरडी के साथ एक अन्तर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया (अगस्त 2024) जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र, मानदंड और कार्यप्रणाली की व्याख्या की गई। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विभाग का दृष्टिकोण जानने और उन पर जवाब प्राप्त करने के लिए प्रधान सचिव, डब्ल्यूआरडी के साथ 2 मई 2025 को एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया। स्मारित किए जाने के बावजूद (जून 2025), लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (जून 2025)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2 भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना योजना के कार्यों की शुरुआत

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, ने बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये (अप्रैल 2018)। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बाढ़ प्रबंधन से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए योजना एक महत्वपूर्ण घटक है और समय तथा लागत की अधिकता से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। बाढ़ प्रबंधन कार्यों में समय का भी बहुत महत्व है क्योंकि इन्हें गैर–मौनसून मौसम में पूरा किया जाना था। इसलिए, इन सभी पहलुओं जैसे भूमि अधिग्रहण, स्थल सर्वेक्षण और मंजूरी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बाढ प्रबंधन कार्यों की योजना बनाई जानी थी।

बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता में उल्लिखित कैबिनेट सचिवालय, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 948 (जुलाई 1986) की कंडिका 4.5 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता वाले योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाना था। इसके अलावा, कार्यों से संबंधित प्राक्कलनों को केवल भूमि अधिग्रहण किए जाने के बाद ही अनुमोदित किया जाना और तदनुसार कार्य शुरू किया जाना था।

---

[6] *एक नमूनाकरण विधि जहां प्रत्येक इकाई की उसके आकार के अनुपात में चयन की संभावना होती है।*

[7] *जल संसाधन विभाग योजना कार्यान्वियन एवं अनुश्रवण प्रणाली (डब्ल्यूएसआईएमएस)।*

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन चयनित नदी बेसिन के अंतर्गत, नदियों के किनारे तटबंधों के निर्माण के लिए चार चयनित प्रमंडलों[8] में कुल सात योजनाएं[9] शुरू की गईं (दिसंबर 2005 से अप्रैल 2022)। अभिलेखों की नमूना–जांच से पता चला कि सभी तीन चयनित नदी बेसिन में, भूमि अधिग्रहण के प्रावधानों के लिए प्राक्कलनों सहित कार्यों के प्राक्कलन अनुमोदित किए गए। तथापि, भूमि की वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना निविदा प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके कारण, इनमें से दो योजनाएं कार्य प्रदान करने के ढाई साल से छह साल से ज्यादा बीत जाने के बावजूद शुरू नहीं हुई (दिसंबर 2024 तक), जबकि शेष पांच योजनाएं पूरा होने की निर्धारित तिथि से एक से 16 साल के विलंब के साथ अपूर्ण रही (दिसम्बर 2024 तक)। इसलिए, कोई भी योजना दिसंबर 2024 तक पूरी नहीं हुई, यद्यपि विभाग द्वारा कुल मिलाकर ₹ 247.80 करोड़ का व्यय किया गया था ***(परिशिष्ट–3.1)***।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तटबंध कार्यों का पूरा न होना मुख्य रूप से विभाग की ओर से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास[10] के मामले सहित अनुचित योजना के कारण था, जैसा कि आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.2.1 बागमती–अधवारा बेसिन अंतर्गत बांधों का निर्माण

बागमती नदी नेपाल से निकलती है और लगभग 394 किलोमीटर लम्बाई में बिहार से गुजरती है। अधवारा बेसिन अधवारा, झीम, जमुरा सिकाओ, बुहाँड, खिरोई, रातो, थोमाने आदि सहित नदियों के एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इनका उद्गम भी नेपाल है। बागमती और अधवारा की संयुक्त धाराएं अंततः बिहार के खगड़िया जिले के बदलाघाट (खगड़िया) में कोसी नदी मे मिल जाती हैं। बागमती–अधवारा बेसिन राज्य के सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों के हिस्सों में फैली हुई है।

नमूना–जाँचित प्रमंडलों में, तटबंधों (बागमती–अधवारा नदी बेसिन में) के निर्माण से संबंधित पाँच योजनाओं[11] का क्रियान्वयन किया गया और इन्हें लेखापरीक्षा हेतु चुना गया। इनसे संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया हैं।

3.2.1.1 बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना (बीएफएमएस) का फेज–II

बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना (बीएफएमएस) के अंतर्गत प्रस्तावित सभी कार्यों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) (एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया (दिसंबर 2005)।

---

8 *बागमती प्रमंडल, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी, और एफसीडी, झंझारपुर–II और कटिहार।*

9 *बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना (बीएफएमएस)–II, बीएफएमएस–(विस्तार), बीएफएमएस–V (अ) झीम, जमुरा और बांके, रातो (बागमती–अधवारा बेसिन), नेपाल टैगिंग (कमला–बलान बेसिन), महानंदा बाढ़ प्रबंधन प्रणाली (एमएफएमएस) (महानंदा बेसिन)।*

10 *व्यक्तियों और परिवारों को सहायता और सहयोग प्रदान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिनकी भूमि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है, ताकि विस्थापन के बाद वे अपनी सामाजिक और आर्थिक खुशहाली फिर से बहाल या सुधार कर सके।*

11 *बीएफएमएस (i) फेज–I (ii) फेज–II (विस्तार) और (iii) फेज–V (अ); नदियों के किनारे तटबंध निर्माण: (iv) झीम, जमुरा, बांके और (v) रातो।*

तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर), भारत सरकार, की सलाहकार समिति ने 4.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 123.85 लाख आबादी को बचाने के लिए सैद्धांतिक रूप में बागमती बाढ़ प्रबंधन परियोजना को अंगीकार किया (नवंबर 2007)। उपलब्ध कार्य समय और बाढ़ सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समिति ने पांच चरणों[12] में किए जाने वाले बीएफएमएस के विभिन्न घटकों को प्राथमिकता दी।

इस परियोजना के चरण–I से संबंधित कार्य 2008 में शुरू किए गए और 2011 में पूरे किए गए। एचएससीएल ने बीएफएमएस के चरण–II से संबंधित कार्यों को शुरू किया (मार्च 2008) जिसमें कार्य क्षेत्र में बागमती नदी के बाएं तरफ (35.920 किमी) और दाएं (34.710 किमी) ओर नए तटबंधों का निर्माण शामिल हैं। प्रस्तावित तटबंध परियोजना के निर्माण के लिए कुल 804.06 एकड़ कुल भू–क्षेत्र की आवश्यकता थी।

इस बीच, मार्च 2011 में, विभाग ने बीएफएमएस के चरण–II के अंतर्गत धनौर कटरा (सीतामढ़ी) में 5.100 किमी के रिंग बांध (दाहिने तटबंध के किमी 79.040 से किमी 83.450 तक) बनाने का भी निर्णय लिया।

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने देखा किः

(अ) बीएफएमएस चरण–II में, बाएं किनारे का 7.89 किमी कार्य शुरू नहीं होने के कारण अपूर्ण रहा और दाएं तटबंध का 12.64 किमी आंशिक निर्माण (1.42[13] किमी) और कार्य शुरू नहीं होने (11.22 किमी) के कारण अपूर्ण था। इसके अलावा, धनौर कटरा (सीतामढ़ी) में 4.8 किमी रिंग का निर्माण 0.300 किमी के अंतर को छोड़ते हुए किया गया। विभाग ने (2012–13) तटबंध के निर्माण साथ ही साथ अपूर्ण रिंग बांध पर ₹ 11.02 करोड़ का व्यय किया। यह देखा गया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण ये कार्य पूरे नहीं किए जा सके। अप्रैल 2018 में, एजेंसी (एचएससीएल) ने 2012 से भूमि की गैर–उपलब्धता के कारण शेष 20.53 किमी तटबंधों के विस्तार के निर्माण को निष्पादित करने में असमर्थता जताई। संबंधित अधीक्षण अभियंता, बाढ़ अंचल, सीतामढ़ी ने मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी, मुजफ्फरपुर को रिंग बांध में 0.300 किमी के अंतर को पूरा करने के लिए एक नए निविदा के दायरे के तहत शामिल करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि, दिसंबर 2024 तक अंतर को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(ब) एचएससीएल के प्रस्ताव को स्वीकार करने (फरवरी 2019) के बाद, राज्य सरकार ने बीएफएमएस के चरण–II के अंतर्गत एक नई निविदा के माध्यम से 19.19[14] किमी विस्तार में तटबंधों के निर्माण का निर्णय लिया। इसके बाद, सुभाष इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसआईईपीएल) (एजेंसी) के साथ ₹ 159.63 करोड़ का एक अनुबंध किया (जनवरी 2020), जिसे जनवरी 2022 तक पूरा किया जाना था। तथापि, अनुबंध के चार वर्षों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी (दिसंबर 2024 तक), ₹ 0.65 करोड़ (मार्च 2024) के

---

[12] *बीएफएमएस फेज–I (तटबंध का उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण) को लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह जनवरी 2008 से मार्च 2011 के बीच किया गया था; फेज–II– (तटबंध का निर्माण) प्रगति पर था; फेज –III(अ) और IV चयनित प्रमंडलों से संबंधित नहीं थे; फेज –III (ब) (तटबंध का उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण) का उल्लेख क्रियान्वयन संबंधित कंडिका में किया गया है; और चरण–V(अ) प्रगति पर था।*

[13] *किमी 83.850 से किमी 84.125 तक और किमी 84.625 से 85.770 तक।*

[14] *तटबंधों के निर्माण कार्य के कार्यक्षेत्र को 20.53 किलोमीटर से घटाकर 19.19 किलोमीटर कर दिया गया था।*

व्यय से केवल 0.210[15] किमी (लंबाई में एक प्रतिशत से कम) तटबंध के निर्माण का सिर्फ आंशिक कार्य किया गया।

इस प्रकार, तटबंध कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका और बीएफएमएस परियोजना के चरण–II का 29 प्रतिशत और धनौर कटरा (सीतामढ़ी) में रिंग बांध का छः प्रतिशत अपूर्ण रहा (दिसंबर 2024 तक) यद्यपि इन कार्यों के निष्पादन पर ₹ 163.64 करोड़ का व्यय किया गया, जैसा कि **तालिका 3.1** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 3.1: बीएफएमएस के फेज–II के तहत बांधों के निर्माण का विवरण (दिसंबर 2024 तक)

क्रम सं.	संवेदक का नाम (संबिदा तिथि/कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि)	तटबंध का किनारा	कार्य का दायरा (तटबंध निर्माण की लंबाई)	निर्मित तटबंध कार्य की लम्बाई (दिसम्बर 2024 की स्थिति)	अपूर्ण तटबंध की लम्बाई/अनिर्मित कार्य	तटबंध निर्माण पर व्यय
(i)	एचएससीएल (दिसम्बर 2005/जून 2008)	बायाँ	35.920 कि.मी. (कि.मी. 53.160 से कि.मी. 89.080)	28.030 कि.मी. (कि.मी. 53.160 से कि.मी. 81.190)	7.890 कि.मी.	₹ 163.64 करोड़ (जिसमें ₹ 11.02 करोड़ अंतरालों में किये कार्यों और अधूरे धनौर–कटरा रिंग बांध पर खर्च किए गए हैं)।
		दाया	34.710 कि.मी. (कि.मी. 56.970 से कि.मी. 91.680)	22.070 (कि.मी. 56.970 से कि.मी. 79.040)	12.640 कि.मी.	
		कुल	70.63 कि.मी.	50.10 कि.मी. (71 प्रतिशत)	20.53 कि.मी. (29 प्रतिशत)	
		दायें किनारे में रिंग बांध	धनोर कटरा रिंग बांध का 5.100 कि.मी.	धनोर कटरा रिंग बांध का 4.800 कि.मी.	0.300 कि.मी. (छः प्रतिशत)	
(ii)	एसआईईपीएल (जनवरी 2020/जनवरी 2022)	बायाँ	6.78 कि.मी. (कि.मी. 81.940 से कि.मी. 88. 720)	शुन्य	6.78 कि.मी.	₹ 0.65 करोड़ (टुकड़ों में किये कार्य पर)
		दायां	12.41 कि.मी. (कि.मी. 79.00 से कि.मी. 91.41)	0.210 कि.मी.	12.20 कि.मी.	
		कुल	19.19 कि.मी.	0.210 कि.मी.	18.98 कि.मी	

(स्रोतः संबंधित प्रमंडल के अभिलेख)

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि बीएफएमएस के लिए 804.06 एकड़ आवश्यक भूमि के सापेक्ष, कार्य के शुरूआत के 17 वर्षों के बाद भी यानी जून 2025 तक सरकार द्वारा केवल 554.33 एकड़ (69 प्रतिशत) भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसने बागमती–अधवारा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण उपायों के प्रभावी निष्पादन को प्रभावित किया। तटबंधों का निर्माण नहीं होने के अन्य कारणों में निर्माण का विरोध कर रहे स्थानीय ग्रामीणों का सार्वजनिक विरोध और प्रतिरोध के साथ–साथ प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित अनसुलझे मुद्दे भी थें, जिसके कारण तटबंध निर्माण की प्रगति बाधित हुई।

---

[15] *किमी. 83.480 से किमी. 83.540, किमी. 83.630 से किमी. 83.675 और किमी. 83.720 से किमी. 83.825।*

इस प्रकार, संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, विभाग तटबंध कार्यों के निष्पादन के लिए भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं कर सका, जिसके कारण, अपूर्ण तटबंधों पर न केवल ₹11.67 करोड़ ***(परिशिष्ट–3.2)*** का निष्फल व्यय हुआ, बल्कि इच्छित लाभों की प्राप्ति भी नहीं हुई क्योंकि आंशिक रूप से निर्मित तटबंधों का उपयोग नदियों से पानी के बहिर्वाह को रोकने के लिए नहीं किया जा सका, विशेष रूप से मौनसून के मौसम के दौरान।

3.2.1.2 बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना का फेज V (अ)

बीएफएमएस फेज–V(अ) के अंतर्गत बागमती नदी के किनारे 52.33[16] किलोमीटर लंबाई के तटबंधों के निर्माण का उद्देश्य सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया और सहरसा जिलों में 2.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के साथ 71.88 लाख आबादी को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना था। योजना के इस फेज के तहत 1,549 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। तदनुसार, बागमती प्रमंडल, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी) ने एक एजेंसी[17] को भूमि अधिग्रहण योजना तैयार करने के लिए नियुक्त किया (जुलाई 2021), जिसे तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना था। हालांकि, एजेंसी ने यह योजना प्रस्तुत नहीं की और एजेंसी द्वारा की गई लापरवाही के आधार पर जारी कार्यादेश को रद्द कर दिया गया (अगस्त 2023)।

इस बीच, प्रमंडल ने बीएफएमएस फेज–V(अ) के तहत 52.33 किलोमीटर लंबाई में तटबंध निर्माण के लिए ₹ 338.69 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर इन तटबंधों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना हीं निविदा आमंत्रित की (अक्टूबर 2021)। मेसर्स आर.के.एन. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एजेंसी) के साथ कार्य को अक्टूबर 2023 तक पूरा करने के लिए ₹ 180.89 करोड़ का एक अनुबंध किया गया (अप्रैल 2022), लेकिन आवश्यक भूमि (1,549 एकड़) का अधिग्रहण न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। हालांकि, प्रमंडल ने संवेदक को ₹ 9.04 करोड़ की मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान कर दिया (अगस्त–सितंबर 2022), जिसकी वसूली अभी बाकी है (दिसंबर 2024) ***(कंडिका–3.4.5.2)***।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने पुनः एक एजेंसी[18] को भूमि अधिग्रहण योजना तैयार करने के लिए नियुक्त किया (जुलाई 2024), जिसे नवंबर 2024 तक प्रस्तुत किया जाना था। हालांकि, ऐसी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई (अप्रैल 2025 तक)। अतः बीएफएमएस फेज–V(अ) के तहत तटबंध निर्माण का कार्य अनुबंध के क्रियान्वयन (अप्रैल 2022) के तीन वर्षों के बाद भी भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं हो सका। अतः, इन नदियों से बाढ़ के आसन्न खतरे से परिकल्पित क्षेत्र और आबादी की सुरक्षा करने का इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

---

16 किमी. 89.08 से किमी.- 110.96 तक बागमती बायां तटबंध, किमी. 91.68 से किमी. 108.59 तक दायां तटबंध, और 13.54 किलोमीटर में खिरोई दायां जैकेटिंग तटबंध।

17 एवरमोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

18 मेसर्स माँ मंगला कंस्ट्रक्शन।

3.2.1.3 अधवारा नदी बेसिन अंतर्गत झीम, जमुरा और बांके नदियों के किनारे तटबंधों का निर्माण

राज्य ने झीम, जमुरा और बांके नदियों के किनारे तटबंधों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2010)। इस योजना का उद्देश्य 5.26 लाख की आबादी और 17,400 हेक्टेयर कृषि भूमि को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना था। इस उद्देश्य के लिए, 360.48 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी ने 53.77 किलोमीटर लंबाई में तटबंधों के निर्माण के लिए मेसर्स जीएच रेड्डी एंड एसोसिएट्स (कंस्ट्रक्शन) प्राइवेट लिमिटेड (एजेंसी) के साथ ₹ 39.82 करोड़ का एक अनुबंध किया (मार्च 2011), जिसे मार्च 2012 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, एजेंसी के साथ अनुबंध करने से पहले आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। इसलिए एजेंसी दो वर्षों तक कार्य शुरू नहीं कर पाई (मार्च 2013)। बाद में आंशिक भूमि उपलब्ध कराई गई (मार्च 2013) और तटबंध निर्माण शुरू हुआ, लेकिन 19.74 किलोमीटर तटबंध निर्माण करने के बाद सम्पूर्ण भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य बंद हो गया (मार्च 2017)। इस परियोजना पर भूमि अधिग्रहण पर ₹ 57.14 करोड़ और किए गए कार्य के सापेक्ष एजेंसी को ₹ 28.97 करोड़ के भुगतान सहित ₹ 86.11 करोड़ का व्यय हुआ (नवंबर 2024 तक)।

तटबंधों के निर्माण का विवरण (दिसंबर 2024 तक) **तालिका–3.2** में दिया गया है।

तालिका–3.2: झीम, जमुरा और बांके नदियों के तटबंधों के निर्माण का विवरण (दिसंबर 2024 तक)

नदी के नाम	तटबंध का किनारा	क्रियान्वित होने वाले कार्य (कि.मी.)	तटबंध का वास्तविक निर्माण, कि.मी. में
झीम	बायाँ	21.60	5.23 (छः गैप छोड़ते हुए)
	दायाँ	20.88	8.80 (आठ गैप छोड़ते हुए)
जमुरा	बायाँ	4.11	1.62 (तीन गैप छोड़ते हुए)
	दायाँ	5.18	3.26 (चार गैप छोड़ते हुए)
बांके	बायाँ	1.00	0.83 (एक गैप छोड़ते हुए)
	दायाँ	1.00	0
कुल		**53.77**	19.74 (22 गैप छोड़ते हुए)

(स्रोतः संबंधित प्रमंडल के अभिलेख)

जैसा कि **तालिका–3.2** से देखा जा सकता है, 53.77 किलोमीटर में से केवल 19.74 किलोमीटर (37 प्रतिशत) में ही तटबंधों का निर्माण किया गया। इसके अलावा, इन विभिन्न खंडों के मध्य 22 गैप थे। तटबंधों का टुकड़ों में निर्माण भूमि के आंशिक अधिग्रहण के कारण ही हुआ था। अंततः, भूमि की अनुपलब्धता और संवेदक द्वारा पुराने अनुबंध के दरों पर कार्य करने की अनिच्छा के कारण अनुबंध को समाप्त कर दिया गया (नवंबर 2024)।

इस प्रकार, भूमि की अनुपलब्धता के कारण तटबंधों का टुकड़ों में निर्माण के कारण, 5.26 लाख की आबादी और 17,400 हेक्टेयर कृषि भूमि को बाढ़ से सुरक्षा देने का अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ और दिसंबर 2024 तक ₹28.97 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

3.2.1.4 अधवारा बेसिन के अंतर्गत रातो नदी के किनारे तटबंधों का निर्माण

रातो नदी के किनारे 32[19] किलोमीटर लंबाई में तटबंधों के निर्माण का उद्देश्य 50,000 की आबादी और 6,000 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना था। बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी ने इन तटबंधों के निर्माण के लिए मेसर्स बीएससीपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एजेंसी) के साथ ₹ 55.31 करोड का एक अनुबंध किया (फरवरी 2018), जिसे अगस्त 2019 तक पूरा किया जाना था। इन तटबंधों के निर्माण करने के लिए, यह अनुमान लगाया गया कि 228 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य अनुबंध करने के छह वर्ष बाद, यानी मार्च 2024 में ही शुरू हो सका। कुल 32 किलोमीटर में से, केवल 6.15[20] किलोमीटर (19 प्रतिशत) तटबंध का निर्माण कार्य पूरा किया गया और एजेंसी को किए गए कार्य के लिए ₹6.09 करोड़ का भुगतान किया गया (सितंबर 2024 तक)।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि किए गए तटबंध का कार्य, तेज बहाव के दौरान नदी से पानी निकलने के लिए नदी के किनारे को खुला छोड़ते हुए, निरंतरता में नहीं किया गया। तटबंध के हिस्से अधूरे थे और शेष कार्य पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि आवश्यक 228 एकड़ भूमि के सापेक्ष केवल 146 एकड़ भूमि ही अधिग्रहित की जा सकी (अप्रैल 2025)। भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य की निर्धारित पूर्णता तिथि (अगस्त 2019) के पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 25.85 किमी क्षेत्र में शेष कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इस प्रकार, परियोजना पर ₹6.09 करोड़ के व्यय के बावजूद 50,000 की आबादी और 6,000 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाने की योजना का अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

3.2.2 कमला–बलान नदी बेसिन

कमला–बलान नदी नेपाल से बिहार के मधुबनी जिले में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। भारत सरकार ने नेपाल की सीमा में नदी के तटबंधों का भारतीय सीमा में कमला–बलान नदी के बाएं एवं दाएं तटबंधों की टैगिंग[21] की स्वीकृति दी (फरवरी 2020)। तटबंधों की इस टैगिंग का उद्देश्य भारत–नेपाल सीमा के किनारे 0.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 0.50 लाख आबादी को जलप्लावन की समस्या का समाधान करना था।

एफसीडी–II, झंझारपुर ने मेसर्स शक्ति कुमार (एजेंसी) के साथ ₹ 16.29 करोड़ में टैगिंग कार्य के क्रियान्वयन हेतु एक अनुबंध किया (जनवरी 2021), जिसे मई 2022 तक पूरा किया जाना था। अनुबंध के अनुसार, भारतीय सीमा में नदी के बाएं और दाएं तटबंधों को बाएं (1.210 किमी) और दाएं (0.600 किमी) तटबंधों का निर्माण के माध्यम से नेपाल क्षेत्र में उनके संबंधित तटबंधों से टैग किया जाना (जोड़ना) था। इसके लिए कुल 24.56 एकड़ भूमि (बाएं तटबंध के लिए 16.24 एकड़ और दाएं तटबंध के लिए 8.32 एकड़) की आवश्यकता थी। यद्यपि, आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना और बाएं तटबंध के लिए संरेखण को अंतिम रूप दिए बिना ही अनुबंध किया गया।

---

[19] *दाहिने तट पर: 15 किलोमीटर (किमी 0 से किमी 15 तक) और बाएँ तट पर: 17 किलोमीटर (किमी 0 से किमी 17 तक)।*

[20] *दाहिने तट पर: 3.68 किलोमीटर (किमी 0 से किमी 3.68 तक) और बाएँ तट पर: 2.47 किलोमीटर (किमी 1.230 से किमी 3.700 तक)।*

[21] *भारत और नेपाल के क्षेत्र में पहले से निर्मित तटबंधों को जोड़ना।*

नदी के बाएं तटबंध के लिए संरेखण को (सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे द्वारा)[22] अनुबंध करने के तीन वर्ष से अधिक समय के बाद यानी मार्च 2024 में अंतिम रूप दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नदी के बाएं कनारे पर तटबंध का निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया, जबकि दाएं तटबंध का कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण रहा (अक्टूबर 2024)। एजेंसी को उसके द्वारा क्रियान्वित कार्य के लिए ₹4.42 करोड़ का भुगतान किया गया। कार्य की भौतिक स्थिति का विवरण **तालिका–3.3** में दिया गया है।

तालिका–3.3: कमला–बलान तटबंध के टैगिंग के निर्माण की स्थिति

तटबंध का किनारा	तटबंध का निर्माण कार्य (कि.मी. में)			भूमि का अधिग्रहण (एकड़ में)		
	निर्माण किए जाने वाले तटबंध	निर्माण किया गया तटबंध	अपूर्ण निर्माण (प्रतिशत में)	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि	अधिग्रहित भूमि	भूमि अधिग्रहण में कमी (प्रतिशत में)
बायाँ	1.210	0	1.210 (100)	16.24	0	16.24 *(100)*
दायाँ	0.600	0.480	0.120 (20)	8.32	7.90	0.42 *(05)*

(स्रोतः संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

जैसा कि **तालिका–3.3** से देखा जा सकता है, कार्य प्रारंभ होने की तिथि से लगभग चार वर्ष बीत जाने के बावजूद भूमि की अनुपलब्धता के कारण नदी के बाएं किनारे पर तटबंध निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इसने विभाग द्वारा की गई अनुचित योजना को दर्शाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ (नवंबर 2024 तक)।

लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि बाएं किनारे पर तटबंध निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्राक्कलन संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालय (डीएलएओ), मधुबनी द्वारा मई 2025 में ही अनुमोदित किया गया था, तथा आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जून 2025 तक लंबित था।

3.2.3 महानंदा नदी बेसिन

महानंदा, जो गंगा नदी की एक प्रमुख उत्तरी सहायक नदी है, नेपाल से राज्य में प्रवेश करती है। बिहार में, मेची, कनकई, परमान और डोंक जैसी सहायक नदियाँ महानंदा में मिलती हैं, जो गंगा में मिलने से पहले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों से होकर बहती है। महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना (एमएफएमएस) को पाँच फेज में किया जाना था, जिसका प्रथम फेज (95.40 किलोमीटर लंबाई के तटबंध का सुदृढ़ीकरण एवं ऊँचाई बढ़ाना) पूरा कर लिया गया था (2013) और 198.37 किलोमीटर लंबाई में तटबंध निर्माण काय लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रगति पर था (फेज–II)।

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडलों, कटिहार, किशनगंज और सालमारी (कटिहार) के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएफएमएस फेज–II के अंतर्गत महानंदा नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे तटबंधों के निर्माण हेतु 1,940.45 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। तदनुसार, आवश्यक भूमि के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी (एसएलएओ), सहरसा को वर्ष 2013 में माँग पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके

---

[22] *केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूआरपीएस) पुणे, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, के अंतर्गत कार्य करता है। यह केंद्रीय और राज्य सरकारों को जल संसाधन संरचनाओं के सर्वोत्तम और सुरक्षित रुपरेखा हेतु तकनीकी समाधान प्रदान करने के लिए परामर्श और/या सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है।*

अलावा, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारत सरकार, ने जून 2018 में एमएफएमएस फेज–II के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की। इस फेज–II का उद्देश्य महानंदा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 198.37 किलोमीटर में तटबंधों का निर्माण करना तथा कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जिलों में 1.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 46.18 लाख की आबादी को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना था। विभाग ने इस फेज को ₹ 788.55 करोड़ की प्राक्कलित लागत के साथ स्वीकृत किया (जुलाई 2018)।

हालांकि, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पहले, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (एफसीडी), कटिहार ने में ₹ 436.71 करोड़ की लागत से तटबंध निर्माण हेतु एक अनुबंध किया (अगस्त 2018), जिसकी पूर्णता की निर्धारित तिथि मार्च 2021 थी। परंतु, अनुबंध के निष्पादन की तिथि से छह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इस फेज के अंतर्गत कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि केवल 59.35 एकड़ (तीन प्रतिशत) भूमि ही उपलब्ध कराई गयी थी (जून 2025)। भूमि अधिग्रहण न होने के मुख्य कारण सार्वजनिक विरोध और भूमि स्वामियों को मुआवजा का भुगतान नहीं करना था।

इसके अलावा, इस कार्य के लिए एफसीडी, कटिहार ने एजेंसी को ₹ 21.84 करोड़ की मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया था (नवंबर 2018), जिसकी वसूली अभी बाकी है (दिसंबर 2024) **(कंडिका 3.4.5.2)**। अतः इन नदियों से बाढ़ के संभावित खतरे से परिकल्पित क्षेत्र और आबादी की सुरक्षा का अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

अतः भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, बागमती, झीम, जमुरा, बांके, रातो, कमला–बलान तथा महानंदा नदियों के किनारे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में तटबंधों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुबंधों का निष्पादन कोडल प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.15 करोड़ की राशि अपूर्ण तटबंधों पर व्यय हो गई और इन योजनाओं की निर्धारित पूर्णता अवधि से एक वर्ष से लेकर 16 वर्षों तक बीत जाने के बाद भी बावजूद लाभार्थियों को बाढ़ से सुरक्षा का अभीष्ट लाभ नहीं मिल सका।

बहिर्गमन सम्मलेन (मई 2025) के दौरान, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना योजनाओं के कार्य प्रारंभ किए जाने के विषय में, विभाग ने बताया कि अब से तटबंधों के निष्पादन का 80 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के बाद ही तटबंधों के निर्माण हेतु निविदाएं जारी किए जायेंगे।

अनुशंसा 1: विभाग को कार्यों का प्राक्कलन स्वीकृत करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कोडल प्रावधानों का पालन करना चाहिए, ताकि कार्य शुरू न होने/विलम्ब होने से बचा जा सके।

3.3 तटबंध निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए अनुबंध प्रबंधन

राज्य में कार्यों की निविदा प्रक्रिया और निष्पादन के लिए नियम और प्रक्रियाएं बिहार लोक निर्माण विभाग एवं लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली (2005), पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी मानक निविदा दस्तावेज (एसबीडी), तथा जल संसाधन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों और आदेशों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अपने परिपत्र (दिसंबर 2012) के माध्यम से निविदा और अनुबंध देने सहित निर्णय लेने की सभी पहलुओं में ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता और समानता लाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

तटबंध कार्यों के अनुबंध प्रबंधन में पाई गई कमियों का विवरण आगामी कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

3.3.1 निविदा को अंतिम रूप देने में पारदर्शिता का अभाव

बीपीडब्ल्यूडी कोड के खंड 159 में यह प्रावधान किया गया है कि निविदाएं अनिवार्य रूप से सबसे खुले और सार्वजनिक तरीके से आमंत्रित की जाएंगी। इच्छुक प्रतिभागियों को सभी मामलों में प्रतिभागियों की छंटनी के विस्तृत मानदंडों की पूर्व जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 126 में सार्वजनिक खरीद से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययता, पारदर्शिता तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार तथा सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।

एफसीडी, झंझारपुर–I (मधुबनी) के अभिलेखों की नमूना–जांच में यह ज्ञात हुआ कि प्रमंडल ने 'कमला–बलान तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और ब्लैक टॉपिंग' योजना के फेज–I[23] के कार्यान्वयन हेतु ₹ 285.07 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) प्रकाशित की (जुलाई 2020)।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग की तकनीकी मूल्यांकन समिति[24] द्वारा निविदा में भाग लेने वाले सभी चार निविदादाताओं को योग्य घोषित किया गया था, और तदनुसार उनकी वित्तीय निविदाएं खोली गईं (सितंबर 2020), जिसमें सबसे कम बोली लगाने वाले की उद्धृत दर परिमाण–विपत्र (बीओक्यू)[25] की दरों से 2.25 प्रतिशत कम थी। परंतु, प्रधान सचिव द्वारा अध्यक्षता की गई विभागीय निविदा समिति (डीटीसी) ने 'अपरिहार्य कारणों' का हवाला देते हुए निविदा को रद्द कर दिया (सितंबर 2020), हालांकि, निविदा रद्द करने के कोई विशिष्ट कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद, तीन बार निविदाएं आमंत्रित की गईं (जनवरी, अप्रैल और जून 2021) और अंततः जून 2021 में आमंत्रित निविदा के आधार पर कार्य आवंटित किया गया। कार्य परिमाण–विपत्र के दरों पर आवंटित कर दिया गया और तदनुसार सितंबर 2021 में अनुबंध किया गया। कार्य मार्च 2024 में पूर्ण हुआ तथा इसके अनुसार संवेदक को ₹ 317.83 करोड़ का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2020 में आमंत्रित की गई पहली एनआईटी को विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि न्यूनतम बोलीदाता ने परिमाण–विपत्र की दरों (₹ 282.95 करोड़) से 2.25 प्रतिशत कम दर उद्धृत की थी। इसके बजाय 12 महीने के अंतराल के बाद विभाग ने ₹ 282.57 करोड़ की लागत पर बोली को मंजूरी दे दी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा बिना कोई विशेष कारण बताए निविदा को रद्द करने के अविवेकपूर्ण निर्णय ने बोलियों के अंतिम रूप देने में पारदर्शिता की कमी को दर्शाया और परिणामस्वरूप ₹ 7.15 करोड़[26] का परिहार्य भुगतान हुआ।

---

[23] *किमी 27.10 से किमी 66.30 तक (बायाँ कमला–बलान तटबंध) और किमी 23.20 से किमी 64.00 के बीच (दायाँ कमला–बलान तटबंध)।*

[24] *विभाग के अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में।*

[25] *परिमाण विपत्र एक विस्तृत दस्तावेज़ है जो किसी परियोजना की अनुमानित मात्रा, दरें और लागत सहित आवश्यक सभी वस्तुओं को सूचीबद्ध करता है।*

[26] *₹ 317.83 करोड़ के क्रियान्वित कार्य मूल्य का 2.25 प्रतिशत।*

बहिर्गमन सम्मलेन (मई 2025) के दौरान विभाग ने बताया कि इन मुद्दों को भविष्य के लिए संज्ञान में ले लिया गया है और भविष्य में निविदा प्रक्रिया को अधिक उत्तरदायी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

3.3.2 निविदाओं का अनुचित निपटान

एसबीडी का 'खंड 22.4, जिसमें 'बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी)' शामिल हैं, उपबंधित करता है कि तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन के दौरान, यदि आवश्यक हो, तो किसी भी सुधार योग्य त्रुटि[27] के संबंध में निविदादाता से उसकी तकनीकी निविदा स्पष्ट करने या संशोधित करने के लिए लिखित रूप में कहा जाएगा। निविदादाताओं को स्पष्टीकरण पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम सात दिनों के भीतर उत्तर देना आवश्यक होगा। इन स्पष्टीकरणों की प्राप्ति के तुरंत बाद, मूल्यांकन समिति उन उत्तरदायी निविदादाताओं की सूची को अंतिम रूप देगी, जिनकी वित्तीय निविदाएं विचार हेतु पात्र होंगी।

एफसीडी दरभंगा; बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी और रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी) में अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि इन प्रमंडलों ने तीन[28] कार्यों के क्रियान्वयन हेतु एनआईटी आमंत्रित किया था (फरवरी 2017 से मार्च 2021)। इन एनआईटी के प्राप्त तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन डीटीसी द्वारा किया गया। हालांकि, समिति ने इन बोलियों का मूल्यांकन करते समय, सुधार योग्य त्रुटियों जैसे कि 'तकनीकी कार्मिक, प्रमुख यंत्र–संयंत्र, मात्रा के सन्दर्भ में अनुभव, बोलियों की क्षमता' आदि मुद्दों के सन्दर्भ में निविदादाताओं से बिना स्पष्टीकरण मांगे या बिना संशोधन प्राप्त किए ही अयोग्य घोषित कर दिया ***(परिशिष्ट 3.3)***।

आगे, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि एक कार्य (एफसीडी दरभंगा अंतर्गत बीएफएमएस के फेज–III(ब) से संबंधित) में, यद्यपि एक निविदादाता तकनीकी मूल्यांकन के दौरान योग्य पाया गया था, डीटीसी द्वारा यह कहते हुए निविदा रद्द कर दी गई (दिसंबर 2020) कि कोई भी निविदादाता तकनीकी रूप से योग्य नहीं पाया गया, जिसने निविदा निपटान में निष्पक्षता और यथोचित तत्परता की कमी को इंगित किया। इसके बाद, कार्य के लिए पुनः निविदा की गई (जनवरी 2021) और समान दरें उद्धृत करने वाले निविदादाताओं के बीच लॉटरी के आधार पर कार्य आवंटित कर दिया गया (फरवरी 2021)।

इस प्रकार, निविदाओं को बिना स्पष्टीकरण मांगे और उचित मूल्यांकन किए ही निरस्त कर दिया गया, जिसने निविदाओं के अनुचित निपटान को दर्शाया।

बहिर्गमन सम्मेलन (मई 2025) के दौरान विभाग ने बताया कि इन मुद्दों को भविष्य के लिए संज्ञान में ले लिया गया है और भविष्य में निविदा प्रक्रिया को अधिक उत्तरदायी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जायेगा।

अनुशंसा 2: संहिता प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकता है।

---

27 *'तकनीकी कर्मचारी, प्रमुख संयंत्र और उपकरण, मात्रा के संदर्भ में अनुभव, निविदा क्षमता, तरल संपत्ति और ऋण सुविधा' इत्यादि से सम्बंधित।*

28 *बीएफएमएस फेज–III (बी) (एफसीडी दरभंगा); रातो नदी पर तटबंध का निर्माण (बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी) और बीएफएमएस फेज–V (अ) (बागमती प्रमंडल, रुन्नीसैदपुर)।*

3.3.3 प्राक्कलन में मिट्टी कार्य के फैलाव का परिहार्य प्रावधान

बीपीडब्ल्यूडी संहिता के नियम 103 के अनुसार, एक प्राक्कलन[29] में एक सारांश होता है जो काम में इस्तेमाल होने वाली हर मद की कुल अनुमानित लागत दिखाता है। विभाग को प्राक्कलनों की तैयारी को सरल बनाने के लिए, सामान्यतः किए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए, दरों की अनुसूची (एसओआर) तैयार की जानी थी।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान देखा गया कि बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा, झंझारपुर (I एवं II), तथा बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी एवं रुन्नीसैदपुर में, नदियों के विद्यमान जलनिकासी चैनलों से गाद निकालने से संबंधित नौ कार्यों के प्राक्कलनों में दरों की अनुसूची में कुछ मदों[30] का प्रावधान किया गया था (वर्ष 2018–19 से 2021–22 के दौरान)। एसओआर में प्रावधानित इन मदों में मिट्टी की कटाई (उत्खनन सहित), ढुलाई, भराई, फैलाना, समतलीकरण तथा अंतिम रूप देना (प्रोफाइलिंग) आदि शामिल थे।

इन नौ संपादित कार्यों के प्राक्कलनों और संगत मिट्टी कार्य के ग्राफों की नमूना–जांच से पता चला कि यद्यपि प्राक्कलनों में उत्खनित मिट्टी को तटबंधों पर फैलाने और प्रोफाइलिंग करने का प्रावधान था तथापि उत्खनित मिट्टी को तटबंधों पर फैलाने और प्रोफाइलिंग करने के लिए नदी किनारों पर कोई तटबंध या उपयुक्त किनारे उपलब्ध नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, इन कार्यों में, यद्यपि फैलाने, समतलीकरण, परिष्करण आदि की दरें कार्यों में शामिल थीं, परंतु माप केवल मिट्टी उत्खनन की मात्रा के लिए ही ली गई। इससे यह जोखिम इंगित होता है कि केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य ही निष्पादित किया गया, हालांकि, संवेदको को पूरे मिट्टी कार्य के लिए भुगतान किया गया, जिसमें मिट्टी फैलाने और प्रोफाइलिंग की लागत भी शामिल थी, जैसा कि प्राक्कलनों में प्रावधानित था। इसके परिणामस्वरूप संवेदकों को मिट्टी फैलाने[31] के कार्य के मद में ₹ 6.55 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया ***(परिशिष्ट–3.4)***।

बहिर्गमन सम्मेलन (मई 2025) के दौरान विभाग ने बताया कि इस मुद्दे को विस्तृत समीक्षा हेतु दर्ज कर लिया गया है और भविष्य में ऐसा होने से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3.3.4 प्राक्कलन की अनुसूचित तथा गैर–अनुसूचित मदों के लिए दरों की अनियमित स्वीकृति

पूर्वोक्त कंडिका 3.3.3 में उल्लिखित मानदंडों के आलोक में, प्राक्कलन की तैयारी को सहज करने की सुविधा हेतु विभाग को दर का विश्लेषण एवं सामग्री के दर के साथ एसओआर को अंतिम रूप देना था। किसी कार्य में आवश्यक गैर–अनुसूचित मद की दर को या तो आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी)[32] की दरों या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की लागू अनुसूचित दर से अपनाया जाना था। इसके

---

[29] *मापी, मात्राओं और दरों का एक प्रतिवेदन, विशेष विवरण और वर्णन शामिल हैं।*

[30] *मद संख्या 5.1.44: ट्रैक्टर (राजस्थानी) द्वारा बकेट (डोली) सहित स्प्रेडर से मिट्टी कार्य; मद संख्या 5.1.46: एक्सकावेटर, टिपर तथा स्प्रेडर की सहायता से यांत्रिक माध्यम से मिट्टी कार्य और मद संख्या 5.1.47: एक्सकावेटर एवं स्प्रेडर या एसओआर के ट्रैक्टर–लेवलर से मिट्टी कार्य।*

[31] *इन अनुबंधों में इस मद में मिट्टी के फैलाव की दर ₹ 17.71 प्रति घन मीटर से ₹ 18.77 प्रति घन मीटर तक थी।*

[32] *भारत सरकार का एक केंद्रीय क्रय संगठन, जो वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है।*

अतिरिक्त, बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 131 (एच) के अनुसार ₹ 25 लाख या उससे अधिक के अनुमानित मूल्य की वस्तुओं की खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित की जानी थीं।

अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि अधीक्षण अभियंता (एसई), बाढ़ अंचल, दरभंगा ने 11 विभिन्न गैर–अनुसूचित मदों {चार वेंट्स के निर्माण हेतु, जिनका आकार 4,500 मिमी × 3,200 मिमी था, जो सिरनिया–फुहिया (दरभंगा) में एंटी फलड स्लूइस (एएफएस) के गेट से संबंधित कार्यों में उपयोग किए जाने थे} साथ ही साथ एक अनुसूचित मद (नए दो–मंजिला नियंत्रण कक्ष भवन के निर्माण) के लिए निविदाएं प्राप्त की और स्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2020)।

एसई दरभंगा ने न तो गैर–अनुसूचित मदों के लिए डीजीएस एंड डी या संबंधित सीपीडब्ल्यूडी प्रक्षेत्र से दरें प्राप्त कीं और न ही, इन मदों की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं, जैसा कोडल प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित था। इन गैर–अनुसूचित मदों से संबंधित कार्य ₹ 9.49 करोड़ की लागत से पूर्ण कर लिये गये (सितंबर 2023)।

लागू अनुसूचित दरों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनुसूचित मद (नियंत्रण कक्ष भवन का निर्माण) के मामले में निविदा आमंत्रित की गई और प्राप्त निविदा के आधार नियंत्रण कक्ष भवन की लागत ₹ 1.27 करोड़ निर्धारित की गई। यह कार्य अगस्त 2024 में पूर्ण हुआ और संवेदक को ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान किया गया (अगस्त 2024)।

इस प्रकार, संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैर–अनुसूचित एवं अनुसूचित मदों की दरों की अनियमित स्वीकृति के कारण, बीएफएमएस के फेज–III(ब) से संबंधित एंटी फलड सलूईस गेट्स एवं नए दो मंजिला नियंत्रण कक्ष भवन के निर्माण पर ₹ 10.57 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

बहिर्गमन सम्मलेन (मई 2025) के दौरान विभाग ने बताया कि इस मुद्दे को विस्तृत समीक्षा हेतु दर्ज किया गया है और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3.4 कार्यों के निष्पादन में अनियमितताएँ

नमूना–जाँचित योजनाओं के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के दौरान पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

3.4.1 निरर्थक व्यय

3.4.1.1 तटबंध पर सड़क कार्य के लिए वाहनमार्ग (कैरिजवे) से परे वेट मिक्स मैकाडम (डब्ल्यूएमएम) प्रदान करने में निरर्थक व्यय

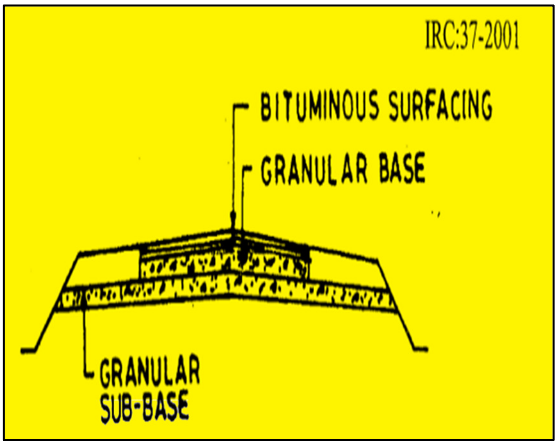

भारतीय सड़क कांग्रेसः 37 (आईआरसीः 37[33]) के प्रावधानों के अनुसार, सड़क की परत तीन स्तरों से क्रमशः ग्रेन्युलर सब–बेस कोर्स[34] (जीएसबी), ग्रेन्युलर बेस कोर्स {वॉटर बाउंड मैकाडम/वेट मिक्स मैकाडम (डब्ल्यूबीएम/डब्ल्यूएमएम)} और बिटुमिनस सतह (बिटुमिनस मैकाडम/डेंस बिटुमिनस मैकाडम आदि) से बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बिटुमिनस सतह (वाहनमार्ग) और ग्रेन्युलर बेस की रूपांकित चौड़ाई एक होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने कमला–बलान और महानंदा नदी के किनारे तटबंधों पर सड़कों की ब्लैक टॉपिंग से संबंधित छह कार्यों से संबंधित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, झंझारपुर (I एवं II), कटिहार, सालमारी और किशनगंज के अभिलेखों का नमूना–जांच की। अभिलेखों के नमूना–जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि दो कार्यों[35] (एफसीडी सालमारी और किशनगंज) को करते समय डब्ल्यूएमएम (ग्रेन्युलर बेस स्तर पर) की चौड़ाई, वाहनमार्ग (बिटुमिनस सतह) की चौड़ाई 3.75 मीटर के सापेक्ष क्रमशः 6.118 मीटर और 5.75 मीटर रखी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.03 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, बिटुमिनस सतह से बिना आच्छादित किए डब्ल्यूएमएम कार्य का अधिक निष्पादन भी आईआरसी के प्रावधानों का उल्लंघन था ***(परिशिष्ट–3.5)***।

बहिर्गमन सम्मेलन (मई 2025) के दौरान विभाग ने बताया कि भविष्य में तटबंध कार्यों के क्रियान्वयन में डब्ल्यूएमएम के उपयोग से संबंधित भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

3.4.1.2 तटबंध पर ग्रेन्युलर सब–बेस (जीएसबी) के उपयोग का अनुचित निर्णय

आईआरसी–37 के प्रावधानों के साथ पठित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के विनिर्देशों के खंड 401 के अनुसार, ग्रेन्युलर सब–बेस (जीएसबी) सामग्री को सड़क कार्य के एक भाग के रूप में सब–बेस में एक या एक से अधिक परतों

---

[33] *लचीले पैवमेंट के डिज़ाइन के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित दिशा–निर्देशों का एक सेट, जिसमें अनुसरण किए जाने वाली तकनीकी मानक और प्रक्रियाएँ बतायी गयी है।*

[34] *ग्रैनुलर सब–बेसः सब–बेस सामग्रियों में प्राकृतिक रेत, मुर्रम, बजरी, लेटराइट, कंकड़, ईंट के टुकड़े, क्रश्ड स्टोन, क्रश्ड स्लैग, क्रश्ड कंक्रीट या इनका संयोजन शामिल होता है।*

[35] *महानंदा नदी बेसिन के तटबंधों पर सड़क के ब्लैक टॉपिंग के लिए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी द्वारा किया गया अनुबंध संख्या 09 एसबीडी/17–18 (अनुबंधित राशिः ₹ 67.33 करोड़) तथा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, किशनगंज द्वारा किया गया अनुबंध संख्या 04 एसबीडी/2017–18 (अनुबंधित राशिः ₹ 18.01 करोड़)।*

में बिछाया जाना चाहिए और यह बेस कोर्स तथा बिटुमिनस सतह को सहारा प्रदान करेगी।

एफसीडी–I, झंझारपुर (मधुबनी) के अभिलेखों की नमूना–जांच से पता चला कि विभाग की तकनीकी सलाहकार समिति ने भूतही बलान नदी के बाएं भूतही बलान तटबंध (एलबीबीई) के विस्तार के साथ किलोमीटर 25.00 से किलोमीटर 31.60 तक तटबंध के शीर्ष पर ईंट सोलिंग को मंजूरी दी (जून 2019)। एफसीडी–I, झंझारपुर (मधुबनी) ने इस कार्य के निष्पादन हेतु एक संवेदक के साथ एक अनुबंध (03 एसबीडी/2020–21) किया (सितंबर 2020)। अगस्त 2023 में विभाग ने तटबंध पर ईंट सोलिंग कार्य को ग्रेन्युलर सब–बेस (जीएसबी) से प्रतिस्थापित किये जाने का निर्देश बेस कोर्स और बिटुमिनस सतह का प्रावधान किये बगैर ही दिया जबकि यह आईआरसी के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक था। हालांकि, यह कार्य केवल जीएसबी कार्य को एलबीबीई के शीर्ष पर बिछाकर पूरा कर लिया गया (दिसम्बर 2023)। इस जीएसबी कार्य के लिए संवेदक को ₹ 50.71 लाख का भुगतान किया गया।

चित्र–3.1: तटबंध के शीर्ष पर क्षतिग्रस्त जीएसबी सामग्री

तटबंध के ऊपर पर बेस कोर्स और बिटुमिनस सतह का प्रावधान नहीं होने से जीएसबी परत लगातार उखड़ रही थी और यह लगातार क्षतिग्रस्त होती रही और सड़क की सीमाओं से बाहर फैल गयी थी, जैसा कि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान देखा गया (अक्टूबर 2024) **(चित्र–3.1)**।

बहिर्गमन सम्मेलन (मई 2025) के दौरान विभाग ने बताया कि भविष्य में तटबंध कार्यों के निष्पादन में जीएसबी के उपयोग से संबंधित आईआर मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

3.4.2 परिहार्य व्यय

3.4.2.1 उपयोगी सामग्री का उपयोग न किए जाने के कारण परिहार्य व्यय

एफसीडी, सालमारी (कटिहार) के अभिलेखों की नमूना–जांच से यह पता हुआ कि मुख्य अभियंता, कटिहार ने महानंदा नदी के बाएं तटबंध (किलोमीटर 13.25 से किलोमीटर 34.07) पर सड़क निर्माण कार्य के लिए प्राक्कलन को स्वीकृति दी (दिसंबर 2017)। कार्य के प्राक्कलन के अनुसार, मौजूदा सड़क की सतह को तोड़ने से प्राप्त उपयोगी सामग्री के 20 प्रतिशत को कार्य में जीएसबी के रूप में उपयोग किया जाना था। यह कार्य ₹ 67.34 करोड़ की राशि पर एक एजेंसी को प्रदान किया गया (फरवरी 2018) तथा ₹ 74.36 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण किया गया (मार्च 2021)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लचीले पेवमैंट की सतह को तोड़ने पर 3,024.875 घन मीटर सामग्री प्राप्त हुई, जिसमें से 604.975 घन मीटर उपयोगी सामग्री कार्य के क्रियान्वयन में उपयोग की जानी थी। यद्यपि, यह देखा गया कि सतह को तोड़ने से प्राप्त किसी उपयोगी

सामग्री का इस्तेमाल किए बिना ही कार्य निष्पादित किया गया, जिससे ₹ 19.56 लाख[36] का परिहार्य व्यय हुआ।

कार्यपालक अभियंता, एफसीडी, सालमारी ने जवाब दिया (नवंबर 2024) कि कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया गया था और मामले की जांच की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबंध के प्रावधानों का पालन न करने के कारण परिहार्य व्यय हुआ।

3.4.2.2 सघन बिटुमिनस मैकाडम (डीबीएम) के निष्पादन पर परिहार्य व्यय

एफसीडी कटिहार के अभिलेखों की नमूना–जांच में पता चला कि एक एजेंसी के साथ महानंदा नदी के दाएं तटबंध पर 19.50 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए अनुबंध[37] किया गया (मार्च 2017)। इस कार्य के लिए प्राक्कलन में आईआरसीः 37 के प्रावधानों तथा प्रमंडल द्वारा निर्धारित यातायात तीव्रता ***(परिशिष्ट–3.6)*** के अनुसार, सड़क निर्माण हेतु सड़क की परत की मोटाई 500 मिमी[38] ली जानी थी और सघन बिटुमिनस मैकाडम (डीबीएम) की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि मुख्य अभियंता, कटिहार ने कार्य के प्राक्कलन में सड़क की परत की मोटाई 560 मिमी और डीबीएम की 50 मिमी की परत को शामिल करते हुए प्रावधान को स्वीकृत किया था (फरवरी 2017)। इस प्रकार, आईआरसी के प्रावधानों के विरुद्ध सड़क की परत और डीबीएम कार्य का अतिरिक्त निष्पादन किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.89 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

बहिर्गमन सम्मलेन (मई 2025) के दौरान विभाग ने बताया कि भविष्य में तटबंध के ब्लैक टॉपिंग के कार्यों के निष्पादन में डीबीएम के उपयोग से संबंधित भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

3.4.3 कार्यकारी एजेंसी को अधिक भुगतान

3.4.3.1 मिट्टी के कार्य पर संकुचन और रॉयल्टी की कम कटौती के कारण अधिक भुगतान

लेखापरीक्षा ने पाया कि बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी और एफसीडी, कटिहार ने क्रमशः अधवारा और महानंदा नदियों के तटबंधों के उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए एक–एक अनुबंध (क्रमशः मई 2012 और मार्च 2017) किया। ये कार्य क्रमशः मार्च और जून 2021 में पूर्ण हुए। इस संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित पाया गयाः

(i) ***मिट्टी के कार्य पर संकुचन की कम कटौतीः*** विभाग के निर्देश (अक्टूबर 2019) के साथ पठित एसबीडी के मिट्टी कार्य की विशिष्टता के खंड 7 में यह प्रावधान है कि संकुचित मिट्टी के कार्य की मात्रा से 2.08 प्रतिशत की दर से संकुचन/संपीड़न/निपटान भत्ते[39] की कटौती की जानी चाहिए। इन कार्यों के लिए तैयार किए गए प्राकल्लन के अनुसार, मिट्टी के कार्य की रोलिंग और संपीड़न का भुगतान भी संकुचन/संपीड़न भत्ता

---

[36] *₹19.56 लाख = 604.975 घन मीटर × ₹3,234 प्रति घन मीटर।*

[37] *03 एसबीडी/2016–17।*

[38] *यातायात तीव्रता के अनुसार, सीवीपीडी 136 था। सीवीपीडी 136 के लिए, वीडीएफ 1.5 होना था और एमएसए 0.85 (1 के समतुल्य) होना था। इस एमएसए मान के लिए आवश्यक पैवमेंट की मोटाई 500 मिमी होनी थी।*

[39] *यह मिट्टी के गड्ढे वाले चरण से लेकर अंतिम सघन चरण तक मिट्टी की मात्रा में कमी को दर्शाता है।*

की कटौती के बाद परिकलित मिट्टी के कार्य की शुद्ध मात्रा के आधार पर किया जाना था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की नमूना–जांच में यह पाया गया कि प्रमंडलों द्वारा मिट्टी कार्य की मात्रा की गणना करते समय संकुचन/संपीड़न भत्ता की कटौती, संकुचित मिट्टी कार्य की मात्रा से कम की गई, जैसा कि **तालिका–3.4** में विस्तार से दर्शाया गया है।

तालिका–3.4: संकुचन/संपीड़न भत्ता की कम कटौती का विवरण

(मिट्टी कार्य की मात्रा: लाख घन मीटर में)

प्रमंडल का नाम (अनुबंधसं.)	क्रियान्वित मिट्टी कार्य की मात्रा	संकुचन/संपीड़न की आवश्यक कटौती (2.08 प्रतिशत की दर से)	संकुचन/संपीड़न भत्ता के सापेक्ष वास्तविक कटौती	वास्तविक मात्रा संकुचन/संपीड़न के लिए मात्रा की कम कटौती	किया गया अधिक भुगतान[40] (₹ लाख में)
बीडी, सीतामढ़ी (01एसबीडी/2012–13)	41.57	0.86	0.15	0.71	56.88
एफसीडी, कटिहार (03 एसबीडी/2016–17)	20.54	0.43	0.07	0.36	69.75
कुल	**62.11**	**1.29**	**0.22**	**1.07**	**126.63**

जैसा कि **तालिका–3.4** से स्पष्ट है, संकुचित मिट्टी की मात्रा से संकुचन/संपीड़न भत्ता की कम कटौती के कारण संबंधित संवेदकों को ₹ 1.27 करोड़ (जून 2021 तक, यानी कार्य पूरा करने की तिथि) का अधिक भुगतान किया गया, जिससे उन्हें अदेय लाभ मिला जिसकी वसूली नवम्बर 2024 तक की जानी बाकी थी।

(ii) ***मिट्टी के कार्य पर रॉयल्टी की कम कटौती:*** विभाग द्वारा जारी निर्देशों (नवंबर 2019) के अनुसार, यदि संवेदक द्वारा विपत्र के साथ खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, द्वारा जारी परमिट, मिट्टी की रॉयल्टी सरकारी खाते में जमा करने का प्रमाण के रूप में संलग्न नहीं किया जाता है तो संवेदक के विपत्र से रॉयल्टी की कटौती प्रचलित दर से की जानी थी। इसके अलावा, विभाग के एसओआर के अनुसार, प्राक्कलन की स्वीकृति देने के समय, मिट्टी के कार्य की दरों में मिट्टी की रॉयल्टी शामिल की जानी थी।

बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी और एफसीडी, कटिहार के अभिलेखों की नमूना–जांच में पाया गया कि प्राक्कलन में स्वीकृत मिट्टी कार्य की अनुमोदित दरों में ₹ 22 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी शामिल थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि संवेदक ने मिट्टी कार्य की रॉयल्टी सरकार के खाते में जमा नहीं की और प्रमंडलों ने मिट्टी कार्य में उपयोग 62.11 लाख घन मीटर के लिए लगाये जाने वाली ₹ 13.66 करोड़ रॉयल्टी के सापेक्ष, संवेदक के विपत्रों से केवल ₹ 13.05 करोड़ की रॉयल्टी की कटौती की, जैसा कि **तालिका–3.5** में दर्शाया गया है।

40 *बिना कटौती वाली मिट्टी की मात्रा और ₹137.50 से ₹358.60 प्रति घन मीटर तक की विभिन्न लीड की दरों से गुणा करके गणना की गई।*

तालिका–3.5: मिट्टी के कार्य पर रॉयल्टी की कम कटौती का विवरण

(मात्रा : लाख घन मीटर में और राशि : ₹ करोड़ में)

प्रमंडल का नाम (अनुबंध सं.)	क्रियान्वित मिट्टी कार्य की मात्रा देय	रॉयल्टी की राशि (₹ 22 प्रति घन मीटर की दर से)	संवेदक के बिल से कटौती की गई रॉयल्टी की राशि	रॉयल्टी की कम कटौती/अधिक भुगतान
बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी (01एसबीडी/2012–13)	41.57	9.14	8.88	0.26
एफसीडी, कटिहार (03 एसबीडी/2016–17)	20.54	4.52	4.17	0.35
कुल	**62.11**	**13.66**	**13.05**	**0.61**

(स्रोतः संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

रॉयल्टी की कम कटौती के कारण संवेदक को ₹ 0.61 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

संबंधित कार्यपालक अभियंता ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि अभिलेखों के सत्यापन के बाद आवश्यक कटौती की जाएगी।

3.4.3.2 निष्पादित कार्य से अधिक/परिमाण विपत्र मूल्य से जीएसटी और श्रम उपकर के अपवर्जन से परे संवेदकों को अधिक भुगतान

(i) निष्पादित कार्य से अधिक संवेदकों को भुगतानः बागमती प्रमंडल (बीडी), सीतामढ़ी ने अधवारा नदी के किनारे तटबंधों को ₹ 48.44 करोड़ की लागत से उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक अनुबंध (01एसबीडी/2012–13) किया (मई 2012)। अभिलेखों की नमूना–जांच में पाया गया कि अंतिम मापी के अनुसार, कुल क्रियान्वित मिट्टी कार्य की मात्रा 40,94,326 घन मीटर थी (जुलाई 2023 तक)। हालांकि, संवेदक को 41,56,823 घन मीटर मिट्टी के कार्य के लिए भुगतान कर दिया गया था (मार्च 2021), जिसके कारण 62,496.58 घन मीटर के लिए कम से कम ₹ 65 लाख[41] का अधिक भुगतान हुआ (लेखापरीक्षा की तिथि यानी अक्टूबर 2024 तक)।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि झीम, जमुरा और बांके नदियों के किनारे तटबंध निर्माण के लिए प्रमंडल द्वारा एक अन्य अनुबंध (17एसबीडी/2010–11) किया गया था (मार्च 2011)। अभिलेखों की नमूना–जांच से यह ज्ञात हुआ कि तटबंध का निर्माण पूरा करने के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण ईई, बीडी सीतामढ़ी द्वारा इस कार्य के लिए अनुबंध को समाप्त कर दिया गया (नवंबर 2024)। प्रमंडल द्वारा लिए गए अंतिम मापी (सितंबर 2024) के अनुसार, ₹ 26.68 करोड का कार्य हुआ, लेकिन संवेदक को ₹ 28.97 करोड़ का भुगतान किया गया (मार्च 2021), जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.29 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ (नवंबर 2024 तक)।

बहिर्गमन सम्मलेन (मई 2025) के दौरान विभाग ने बताया कि अधिक भुगतान के मामले की समीक्षा की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एजेंसी के साथ अनुबंध बकाया राशि की वसूली किये बिना ही नवंबर 2024 में समाप्त कर दिया गया था।

---

[41] *मिट्टी कार्य पर अधिक भुगतानः ₹ 49.05 लाख (62,496.58 घन मीटर × ₹ 78.50/घन मीटर) + रोलिंग और संकुचन पर अधिक भुगतानः ₹ 15.94 लाख (62,496.58 × ₹ 25.50/घन मीटर) = अधिक भुगतानः ₹ 64.99 लाख या ₹ 65 लाख।*

(ii) संवेदक को अधिक भुगतानः

विभाग की दरों की अनुसूची (नवंबर 2019) निर्धारित करती है कि खनिजों पर रॉयल्टी, श्रम उपकर और जीएसटी सहित क्रियान्वित कार्य मूल्य परिमाण विपत्र (बीओक्यू) का हिस्सा थे और इन्हें कार्य के प्राक्कलन में अलग–अलग उल्लेखित किया जाना था। इसके अलावा, यदि संवेदक द्वारा प्रतिशत दरों से कम का उल्लेख किया गया हो, क्रियान्वित कार्य के लिए भुगतान पूरे परिमाण विपत्र मूल्य के सापेक्ष कटौती करने के बाद किया जाना था।

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (एफसीडी), झंझारपुर (I एवं II) और कटिहार के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020 से 2024 के दौरान तटबंधों के उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण से संबंधित छह अनुबंध किए गए। इन छह अनुबंध में, कार्य उन दरों पर दिए गए जो बीओक्यू मूल्य से 3.31 प्रतिशत से 12.07 प्रतिशत कम थी ***(परिशिष्ट–3.7)***।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संवेदकों को ₹ 211.28 करोड़ का भुगतान उनके द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए किया गया था। यद्यपि, किए जाने वाले भुगतान की कुल राशि की गणना करते समय, परिमाण विपत्र मूल्य की गणना करने के लिए खनिजों से रॉयल्टी की राशि निष्पादित कार्य के मूल्य से हटा दी गई थी (कम प्रतिशत दर पर विचार करने के बाद)। यदि परिमाण विपत्र की गणना में खनिजों पर रॉयल्टी शामिल की गई होती तो संवेदकों को केवल ₹ 208.50 करोड का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार, प्रमंडल द्वारा कार्य की कुल मूल्य से संबंधित मदों की अनियमित गणना के कारण संवेदकों को ₹ 2.78 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

बहिर्गमन सम्मलेन (मई 2025) के दौरान विभाग ने बताया कि अधिक भुगतान के मामले की समीक्षा की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

3.4.4 संवेदकों को दोहरा भुगतान

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (एफसीडी), झंझारपुर ने कमला–बलान नदी (फेज–II) के किनारे ₹ 245.53 करोड़ की लागत से तटबंध का उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक अनुबंध किया (फरवरी 2018)। इसी प्रकार, बागमती प्रमंडल (बीडी), सीतामढ़ी ने ₹ 55.31 करोड़ की लागत से रातो नदी पर तटबंध निर्माण एवं टैगिंग कार्य[42] के लिए एक अनुबंध किया (मई 2023)।

इन कार्यों से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जांच में यह पाया गया कि दोनों कार्यों में संवेदकों को उनके द्वारा निष्पादित समान कार्य की मात्रा के लिए दो बार भुगतान किया गया, जैसा कि **तालिका–3.6** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

[42] *भारत–नेपाल सीमा के नो मैन्स लैंड में प्रत्येक 60 मीटर लंबाई में बाएं और दाएं मिट्टी के तटबंधों की टैगिंग।*

तालिका–3.6: संवेदकों को किए गए दोहरे भुगतान का विवरण

प्रमंडल का नाम	अनुबंध संख्या	दोहरे भुगतान की राशि (₹ लाख में)	विवरण
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–I, झंझारपुर	01 एसबीडी/ 2022–23	75.00	वर्तमान विपत्र की शुद्ध राशि की गणना करने के लिए, निष्पादित कार्य के सापेक्ष संवेदक को किए गए भुगतान को वर्तमान विपत्र की सकल राशि से कटौती किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सातवें चलंत लेखा विपत्र तक संवेदक को ₹ 69.83 करोड़ का भुगतान किया गया था (फरवरी 2024)। हालांकि, अगले (आठवें) चलंत लेखा विपत्र में, पूर्व भुगतान के रूप में ₹ 69.83 करोड़ के बजाय पर केवल ₹ 69.08 करोड़ राशि की कटौती की गई (मार्च 2024)। इस कारण संवेदक को ₹ 75.00 लाख का दोहरा भुगतान हुआ (₹69.83 करोड़ – ₹ 69.08 करोड़)।
बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी	04 एसबीडी/ 2017–18	11.72	संवेदक को 60.00 से 160.00 मीटर तक तटबंध निर्माण एवं टैगिंग कार्य के लिए ₹ 84.20 लाख का भुगतान किया गया था (मार्च 2024)। ₹ 11.72 लाख का पुनः भुगतान एक पूरक अनुबंध के तहत 60.00 से 160.00 मीटर तक टैगिंग कार्य के निष्पादन लिए किया गया, इस तथ्य के बावजूद कि इस घटक का भुगतान मूल अनुबंध के तहत पहले ही किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.72 लाख का दोहरा भुगतान हुआ।
कुल		**86.72**	

(स्रोतः संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

इस प्रकार, संबंधित अधिकारियों द्वारा विपत्रों की अपर्याप्त जांच के कारण ₹ 86.72 लाख का दोहरा भुगतान के साथ ही संवेदकों को अनुचित लाभ भी हुआ।

बहिर्गमन सम्मलेन (मई 2025) के दौरान विभाग ने बताया कि दोहरे भुगतान के मामले की समीक्षा की जाएगी और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

3.4.5 तटबंध निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य अनियमितताएँ

3.4.5.1 केंद्रीय जल आयोग की रूपरेखा के अनुसार तटबंध का निर्माण नहीं किया जाना

केंद्रीय जल आयोग (जल शक्ति मंत्रालय), भारत सरकार, द्वारा जारी बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए डीपीआर की तैयारी के लिए दिशा–निर्देशों (अप्रैल 2018) के अनुसार, तटबंध की रुपरेखा बाढ़ के पानी के अतिप्रवाह से क्षेत्र की सुरक्षा करने हेतु बनाई गई है। इस उद्देश्य के लिए, तटबंध की ऊपरी सतह के उच्च बाढ़ स्तर (एचएफएल)[43] को फ्री बोर्ड[44]

---

[43] *बाढ़ आवृत्ति विश्लेषण का उपयोग करके पिछले 50 वर्षों में आई बाढ़ के स्तर के आधार पर गणना की गई।*

[44] *फ्रीबोर्ड, उच्च बाढ़ स्तर की रुपरेखा और तटबंध या बाँध की ऊपरी सतह के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। यह तरंग क्रिया, धँसाव, और बाढ़ अनुमान में त्रुटियों जैसी अनिश्चितताओं के लिए एक सुरक्षा मार्जिन होता है। 3,000 घन मीटर प्रति सेकंड तक के प्रवाह वाली नदियों के लिए न्यूनतम फ्रीबोर्ड 1.5 मीटर होना चाहिए, और इससे अधिक प्रवाह के लिए यह 1.8 मीटर होना चाहिए।*

में जोड़कर निर्धारित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला (सीडब्ल्यूआरपीएस), पुणे (जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार) ने विभाग के अनुरोध पर एक अध्ययन किया (दिसंबर 2010) और बागमती नदी के विभिन्न हिस्सों पर उच्च बाढ़ स्तर तथा तटबंधों के शीर्ष स्तरों को प्रतिवेदित किया।

(अ) एफसीडी, दरभंगा के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, यह पाया गया कि मुख्य अभियंता, समस्तीपुर ने बागमती नदी के किनारे (बीएफएमएस के फेज III (ब) के अंतर्गत) 70.42 किमी (किमी 112.280 से किमी 182.700 तक) में तटबंधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य निष्पादन हेतु प्राक्कलनों को अनुमोदित किया (अक्टूबर 2020)। यह कार्य ₹ 121.11 करोड़ में एक एजेंसी को दे दिया गया।

सीडब्ल्यूआरपीएस, पुणे के प्रतिवेदन के अनुसार, किमी 112.280 से किमी 182.700 के हिस्से पर उच्चतम बाढ़ स्तर 46.89 मीटर से 52.50 मीटर तक था, और तदनुसार तटबंध की ऊपरी सतह 48.69 मीटर से 54.30 मीटर (फ्रीबोर्ड सहित) तक रखी जानी थी। यद्यपि, यह देखा गया कि तटबंध की ऊपरी सतह के लिए 50.885 मीटर से 41.967 मीटर तक प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। तटबंधों की ऊंचाई अनुमोदित प्राक्कलनों के अनुसार रखी गई, परिणामस्वरूप ऊँचाई सीडब्ल्यूआरपीएस, पुणे द्वारा अनुशंसित स्तरों से 3.410 मीटर से 6.720 मीटर तक कम थी ***(परिशिष्ट–3.8)***। तटबंध निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ₹ 171.89 करोड़ की राशि व्यय की गई।

(ब) इसी प्रकार, बीएफएमएस फेज–II के अंतर्गत सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे के अध्ययन के अनुसार, किमी 60 से किमी 79 के फैलाव में एचएफएल 53.87 मीटर से 53.10 मीटर तक था। तदनुसार, तटबंध का ऊपरी स्तर 55.62 मीटर से 59.44 मीटर (फ्रीबोर्ड सहित) तक संधारित किया जाना अपेक्षित था। यद्यपि, यह देखा गया कि इस खंड में तटबंधों का शीर्ष स्तर 55.86 मीटर से 58.92 मीटर के बीच था, जो सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे द्वारा निर्धारित स्तर से 0.02 मीटर से 1.90 मीटर तक कम था ***(परिशिष्ट–3.9)***। तटबंध कार्यों के निष्पादन पर ₹ 148.96 करोड़ की राशि व्यय की गई।

अतः सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे द्वारा रूपांकित एचएफएल के अनुसार तटबंध कार्य का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण, बागमती नदी के तटबंध बाढ़ के प्रभाव के प्रति संवेदनशील थे, जबकि तटबंधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 320.85 करोड़ की राशि व्यय की गई थी।

कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आवश्यक शीर्ष स्तर तक किया जाएगा।

3.4.5.2 अग्रिम देने में गलत फैसलों की वजह से निधि में रुकावट और संवेदकों को अदेय लाभ

मोबिलाइजेशन अग्रिमः एसबीडी की कंडिका 10(ब) के प्रावधानों के अनुसार, संवेदक को निविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक का मोबिलाइजेशन अग्रिम (एमए) दो या अधिक किस्तों में दिया जा सकता है। ऐसे अग्रिम की पहली किस्त संवेदक के लिखित अनुरोध के आधार पर जारी की जानी चाहिए, संवेदक को पूर्ववर्ती किस्त के संतोषजनक उपयोग का प्रमाण प्रस्तुत करने बाद ही दूसरी और उसके बाद की किस्तें तभी जारी की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज अनुबंध में निर्दिष्ट ब्याज दर पर देय होता है और अग्रिम तथा ब्याज की वसूली संवेदक के बिल से कटौती के माध्यम से की जाएगी, जिसकी शुरुआत कार्य के सकल मूल्य के 10 प्रतिशत पूर्ण होने के बाद की जानी थी। इसके अलावा, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परिपत्र (अप्रैल 2007)

के अनुसार, एमए अनिवार्य रूप से आवश्यकता–आधारित होनी चाहिए और अग्रिम भुगतान कार्य की प्रगति तथा आवश्यक उपकरणों की गतिशीलता पर निर्भर रहते हुए चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन अनुबंधों के अंतर्गत, बागमती प्रमंडल, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी) और एफसीडी कटिहार ने उसी राशि की बैंक गारंटी की प्राप्ति के बदले संवेदकों को कुल ₹ 34.88 करोड़ की मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया, जैसा कि **तालिका–3.7** में विस्तार से बताया गया है।

तालिका–3.7: संवेदकों को दिए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम का विवरण और उस पर उपार्जित ब्याज

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्र. सं	प्रमंडल का नाम: अनुबंध सं. (अनुबंध मूल्य)	योजना का नाम	एमए भुगतान की तिथि	एमए की राशि	एमए पर उपार्जित ब्याज (अनुबंध में उल्लिखित दरों पर की गई गणना) (दिसम्बर 2024 तक)
01	बीडी, रुन्नीसैदपुर: 01एसबीडी/2019–20 (₹ 59.63 कड़ोड़)	बीएफएमएस–फेज–II (विस्तारित)	21/04/2020	4.00	2.35*
02	बीडी, रुन्नीसैदपुर: 01एसबीडी/2022–23 (₹ 180.89 कड़ोड़)	बीएफएमएस–फेज–V (अ)	25/08/2022	5.00	1.55**
			07/09/2022	4.04	1.23**
03	एफसीडी, कटिहार: 01 एसबीडी/2018–19 (₹ 436.71 कड़ोड़)	एमएफएमएस–फेज–II	23/11/2018	21.84	19.22**
	कुल			**34.88**	**24.35**

(स्रोत: संबंधित प्रमंडल के अभिलेख)

**प्रति वर्ष 13.20 प्रतिशत की दर पर   **प्रति वर्ष 14.70 प्रतिशत की दर पर*

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सके (**तालिका–3.7** की क्रम संख्या 01 को छोड़कर, जो विलंब से प्रारंभ हुआ और केवल एक प्रतिशत कार्य ही किया गया)। इसके अतिरिक्त, एसबीडी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, पहली किस्त के उपयोग की पुष्टि किए बिना ₹ 4.04 करोड़ की राशि के मोबिलाइजेशन अग्रिम की दूसरी किस्त संवेदक को वितरित की गई (**तालिका–3.7** की क्रम संख्या 02)। अतः संवेदक को स्वीकृत आगामी किस्तों सहित मोबिलाइजेशन अग्रिम आवश्यकता आधारित नहीं था और केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के विपरीत था।

आगे, मोबिलाइजेशन अग्रिम (₹ 34.88 करोड़) और उस पर उपार्जित ब्याज (₹ 24.35 करोड़) की कुल राशि ₹ 59.23 करोड़ की राशि इनकी वितरण तिथि से दो से छह वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद संवेदकों से वसूल नहीं की गई, (दिसंबर 2024 तक), जिसके कारण अग्रिम का निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं हो पाया और साथ ही उक्त अवधि के लिए इन निधियों की रुकावट हुई।

संयंत्र एवं मशीनरी अग्रिम: एसबीडी की कंडिका 10 ब (iii) में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान किया गया है कि संयंत्र और मशीनरी अग्रिम केवल उन्हीं संयंत्रों और मशीनरी पर दिया जा सकता है, जो प्रभारी अभियंता की राय में कार्य का शीघ्रता से निष्पादन और कार्य की गुणवत्ता में सुधार में सहायक हों। ऐसे संयंत्रों और उपकरणों को अग्रिम

भुगतान से पूर्व सरकार को रेहन रखा जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने पाया कि बागमती प्रमंडल, रुन्नीसैदपुर ने तटबंध[45] निर्माण हेतु संवेदक को ₹ 7.98 करोड़ का संयंत्र और मशीनरी अग्रिम स्वीकृत किया था (मार्च 2020)। यह स्वीकृति एसबीडी की कंडिका 10 ब (iii) का उल्लंघन करते हुए दी गयी थी, क्योंकि प्रमंडल ने अग्रिम स्वीकृति से पूर्व संयंत्र और मशीनरी का सरकार को रेहन रखा जाना सुनिश्चित नहीं किया था। यह भी पाया गया कि मार्च 2024 में कार्य का एक प्रतिशत से भी कम क्रियान्वित हुआ था और उसके बाद से कार्य स्थगित रहा। परिणामस्वरूप, प्रमंडल संयंत्र और मशीनरी अग्रिम और अनुबंध में उल्लिखित दर पर ब्याज की ₹ 4.79 करोड़ राशि (सितंबर 2024 तक) वसूल नहीं कर सका।

अतः भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना अग्रिम स्वीकृति, वित्तीय हितों की सुरक्षा किए बिना साथ ही साथ अग्रिम और उस पर उपार्जित ब्याज की वसूली न होने के कारण निधियों की रुकावट (₹ 59.23 करोड) हुई और संवेदकों को ₹12.77[46] करोड़ का अदेय लाभ मिला।

बहिर्गमन सम्मलेन (मई 2025) के दौरान विभाग ने कहा कि मोबिलाइजेशन अग्रिम का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है और निविदा जारी करने से पूर्व 80 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान ऐसे मामलों से बचने में सहायक होगा।

3.4.5.3 पुरानी ईटों का प्रयोग नहीं किया जाना

क्मला–बलान नदी पर तटबंध आसपास के क्षेत्र को नदी से आने वाली बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही क्षेत्र में आवागमन का साधन भी हैं।

अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कमला–बलान नदी के किनारे 80 किलोमीटर लंबाई[47] में तटबंधों का पक्कीकरण (ब्लैक टॉपिंग) कार्य (फेज–I) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (I एवं II), झंझारपुर (मधुबनी) द्वारा किया जाना था। इसके अनुसार, एक अनुबंध[48] किया गया (सितंबर 2021) और यह कार्य सितंबर 2021 से मार्च 2024 के बीच किया गया। कार्य के प्राक्कलन के अनुसार, पूर्व के तटबंध के ऊपर मौजूद ईंट सोलिंग को ब्लैक टॉपिंग कार्य के निष्पादन से पहले हटाया जाना था। साथ ही, ईंट सोलिंग को हटाने से प्राप्त पुरानी ईंटों को लेखा में दर्ज करना और ब्लैक टॉपिंग सड़क के किनारों में उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा में आगे देखा कि कार्य के निष्पादन के दौरान, ईंट सोलिंग को हटाने से 36.48 लाख पुरानी ईंटें प्राप्त हुईं (मार्च 2024)। इनमें से 1.41 लाख ईंटों का कार्य में उपयोग किया गया तथा 0.22 लाख ईंटों का मूल्य संवेदक से वसूल किया गया। इस बीच विभाग ने ईंट सोलिंग के बजाय सड़क के किनारों में जीएसबी के उपयोग का प्रावधान करते हुए बीच में कार्य की प्रकृति को बदल दिया (अक्टूबर 2023)।

---

45 ₹ 159.63 करोड़ का एसबीडी अनुबंध संख्या 01 एसबीडी /2019–20 {बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II (विस्तार) के अंतर्गत नए तटबंध के निर्माण हेतु}।

46 संयंत्र और मशीनरी अग्रिम: ₹ 7.98 करोड़, तथा संयंत्र और मशीनरी अग्रिम पर ब्याज: ₹ 4.79 करोड़।

47 किमी 27.10 से किमी 66.30 तक और किमी 23.20 से किमी 64.00 तक।

48 अनुबंध संख्या 04एसबीडी/2021–22।

₹ 1.86 करोड की राशि की शेष 34.85 लाख[49] पुरानी ईंटों के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो संबंधित प्रमंडलों ने उनका कोई लेखा–जोखा रखा और न ही उन्हें अक्टूबर 2024 तक उपयोग/निस्तारित किया गया था। अतः, इन बिना लेखा–जोखा वाली ईंटों के दुरुपयोग/चोरी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

संबंधित एफसीडी के कार्यपालक अभियंता ने बताया (नवंबर 2024) कि विभाग के निर्देशानुसार शेष पुरानी ईंटों का उपयोग/नीलामी सुनिश्चित की जाएगी।

3.4.5.4 भूमि विवरण सुनिश्चित किए बिना मुआवजा और लीड का भुगतान

(अ) भूमि विवरण सुनिश्चित किए बिना मिट्टी क्षतिपूर्ति का भुगतानः विभाग ने निजी भूमि मालिकों को उनकी भूमि से ली गई मिट्टी के एवज में क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु निर्देश जारी किया (जून 2019)। इन निर्देशों के अनुसार संबंधित ईई/एई/जेई को मापी पुस्तिका में भूमि का स्वामित्व, स्थान, उत्खनन की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल के साथ इसकी गहराई सहित सभी विवरण दर्ज करना अनिवार्य था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित मालिकों को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एफसीडी–I, झंझारपुर ने कमला–बलान नदी के किनारे तटबंधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक अनुबंध (04एसबीडी/2020–21) किया (सितंबर 2021)। कार्यों के निष्पादन हेतु भुगतान करते समय, ₹ 80.85 लाख एजेंसी को मिट्टी के मुआवजे के कारण संबंधित भूमि मालिकों को भुगतान करने हेतु दिए गए (जनवरी 2022 से मार्च 2024 के बीच)। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर, संबंधित ईई/एई/जेई ने मुआवजे की राशि का भुगतान करने के पूर्व मापी पुस्तिका में आवश्यक भूमि विवरण दर्ज नहीं किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि के मुआवजे का भुगतान संबंधित भूमि मालिकों को किया गया।

कार्यपालक अभियंता, एफसीडी–I, झंझारपुर ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि मुआवजे के भुगतान के समर्थन में भूमि का विवरण संवेदक से मांगा गया था।

कार्यपालक अभियंता का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रमंडल को स्वयं भूमि का विवरण दर्ज करना था।

(ब) भूमि विवरण सुनिश्चित किए बिना मिट्टी की लीड का भुगतानः विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (मार्च 2016 और जून 2019), यदि मिट्टी की वास्तविक लीड[50] 500 मीटर से अधिक हो, तो संबंधित ईई को मापी पुस्तिका में मिट्टी क्षेत्र (बोरो एरिया) के विवरण के साथ भूमि विवरण जैसे भूखंड संख्या, भूमि स्वामी का नाम, भूमि के क्षेत्रफल के साथ खुदाई क्षेत्र की गहराई की पहचान करना/दर्ज करना था। संवेदक को मिट्टी कार्य की लीड का भुगतान इन्हीं विवरणों के आधार पर किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने आठ अनुबंधों से संबंधित सात चयनित प्रमंडलों[51] के अभिलेखों की नमूना–जांच की (मार्च 2017 से अक्टूबर 2024 के बीच निष्पादित)। अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 83 लाख घन मीटर मिट्टी की ढुलाई के लिए, इन मामलों में ₹ 184.09 करोड़ का भुगतान लीड के सापेक्ष किया गया

---

49 34,85,208 ईंटें = 36,48,105 पुरानी ईंटें – 1,40,537 उपयोग की गई ईंटें– 22,360 वसूली गई ईंटें।

50 मिट्टी कार्य में, "लीड" वह औसत क्षैतिज दूरी हैं, जिस दूरी पर उत्खनन की गई सामग्री को उत्खनन स्थल से निक्षेपण या भराव स्थल तक पहुँचाया जाता है।

51 एफसीडी, दरभंगा, झंझारपुर (I एवं II), कटिहार, किशनगंज, सालमारी और बीडी, सीतामढ़ी।

(अक्टूबर 2024 तक), जिसमें मापी पुस्तिकाओं के अनुसार ***(परिशिष्ट–3.10)***, मिट्टी उठाव वाले क्षेत्र की दूरी 500 मीटर से अधिक और 3.5 किलोमीटर तक थी। हालांकि, विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर, संबंधित प्रमंडलों द्वारा मापी पुस्तिकाओं में मिट्टी उठाव वाले क्षेत्र से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गईं। ऐसी प्रविष्टियों के अभाव में प्रमंडलों द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि संवेदकों को ₹ 184.09 करोड़ का भुगतान करने से पूर्व वास्तव में मिट्टी उठाव वाले क्षेत्र से मिट्टी के कार्य की लीड की पुष्टि किस आधार पर की गई थी।

संबंधित प्रमंडलों ने उत्तर दिया (अगस्त से नवंबर 2024 के बीच) कि प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित लीड के आलोक में मिट्टी कार्य निष्पादित किया गया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उन्होंने मिट्टी के क्षेत्र का विवरण दर्ज नहीं किया था, जिससे मिट्टी ढोने के परिवहन के भुगतान के लिए वास्तविक दूरी सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.4.5.5 सड़कों का अनुरक्षण नहीं किया जाना

अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि एफसीडी सालमारी[52] और कटिहार[53] ने क्रमशः मार्च 2017 और फरवरी 2018 में एक–एक अनुबंध किया था। ये अनुबंध महानंदा नदी के तटबंधों पर सड़कों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और निर्माण से संबंधित थे, जिन्हें क्रमशः मार्च 2018 और मार्च 2019 तक पूरा किया जाना था। इन कार्यों के अनुबंधों में पांच वर्षों की दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत सड़क कार्यों के रखरखाव भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, एसबीडी के अनुसार संवेदक को किए गए भुगतान से कटौती की गई प्रतिभूति जमा राशि की 50 प्रतिशत केवल दोष दायित्व अवधि पूर्ण होने के बाद ही वापस की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सड़कों का निर्माण कार्य क्रमशः मार्च और जून 2021 में पूर्ण हो गया था तथा अगले पांच वर्षों तक अनुरक्षण कार्य किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, दोष दायित्व अवधि के दौरान (नवंबर 2024 तक) सड़कों के अनुरक्षण कार्य किए जाने का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

यह दर्शाता है कि प्रमंडलों ने सड़कों के निर्माण पूर्ण हुए तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद संवेदकों द्वारा अनुरक्षण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित नहीं किया। संबंधित प्रमंडलों के कर्मियों के साथ सड़कों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जेपीआई) (नवम्बर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कई स्थानों पर किनारा, ढ़लान तथा संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त अवस्था में थे, जैसा कि निरीक्षण के दौरान लिए गए **चित्र–3.2 एवं 3.3** में दर्शाया गया है।

---

[52] *18.900 किलोमीटर के लिए अनुबंध संख्या 09 एसबीडी/2017–18, 12 फरवरी 2018 को निष्पादित।*
[53] *19.400 किलोमीटर के लिए अनुबंध संख्या 03 एसबीडी/2016–17, 23 मार्च 2017 को निष्पादित।*

चित्र–3.2: एफसीडी, कटिहार में क्षतिग्रस्त सड़क का किनारा (14 नवम्बर 2024)

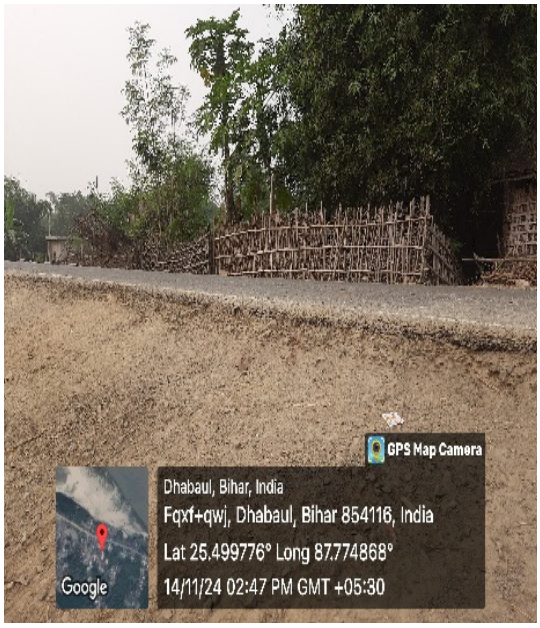

चित्र–3.3: एफसीडी, सालमारी में क्षतिग्रस्त सड़क का किनारा (14 नवम्बर 2024)

आगे, यह भी देखा गया कि संबंधित प्रमंडलों ने संवेदकों से ₹ 11.21 करोड़ (₹ 5.27 करोड़: कटिहार प्रमंडल और ₹ 5.94 करोड़: सालमारी प्रमंडल) की सुरक्षा जमा राशि की कटौती की, जिसका 50 प्रतिशत केवल दोष दायित्व अवधि पूर्ण होने के बाद ही वापस किया जाना था। हालांकि, दोनों प्रमंडलों ने इस तथ्य के बावजूद कि अनुरक्षण कार्य शुरू नहीं हुए थे, सम्पूर्ण एसडी राशि वापस कर दी (अगस्त 2021 से जुलाई 2023 के बीच)। इसके परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 5.60 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ और सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनका अनुरक्षण भी नहीं किया गया।

कार्यपालक अभियंता, एफसीडी सालमारी ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि संवेदक को नियमित रूप से अनुरक्षण कार्य करने के लिए कहा गया था। कार्यपालक अभियंता, एफसीडी कटिहार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कोई उत्तर नहीं दिया।

अनुशंसा 3: विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि अनुमोदित तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार ही कड़ाई से कार्य किए जाएं और सभी अधिकाई भुगतान तथा वसूली की जाने योग्य राशि तत्काल वसूल की जाए।

3.5 तटबंधों के निर्माण, उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण में गुणवत्ता मानकों का अनुपालन नहीं किया जाना

बाढ़ प्रबंधन के लिए तटबंधों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सामाग्री का परीक्षण एवं निरीक्षण और कार्य कौशल सहित गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक था।

(अ) तटबंधों के निर्माण के दौरान गुणवत्ता मानकों का अनुपालन नहीं किया जाना: आईआरसी 36 में निर्दिष्ट तटबंध निर्माण की अनुशंसित कार्यविधियों के अनुसार, तटबंध का सफल क्रियान्वयन इसके निर्माण में संपीड़न की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में, उपयुक्त मिट्टी की भूमि के चयन के लिए, विभिन्न परिक्षण यथा छलनी विश्लेषण,

हलके संपीडन का उपयोग करते हुए अधिकतम शुष्क घनत्व[54] (एमडीडी), इष्टतम नमी सामग्री (ओएमसी) और हानिकारक पदार्थों के परीक्षण तटबंधों में उपयोग की जाने वाली इच्छित मिट्टी पर किया जाना अपेक्षित था। आईआरसी 36 में आगे निर्धारित किया गया है कि आवश्यक एमडीडी प्राप्त करने के लिए, मिट्टी को कम से कम 98 प्रतिशत से 102 प्रतिशत तक संपीड़ित किया जाना चाहिए।

पांच[55] चयनित प्रमंडलों द्वारा मार्च 2017 से अक्टूबर 2024 के दौरान क्रियान्वित तटबंधों पर सात सड़क कार्यों के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि संबन्धित प्रमंडलों द्वारा उपरोक्त आवश्यक परीक्षणों में से एमडीडी को छोड़कर अन्य परीक्षण नहीं किए गए थे। आगे, लेखापरीक्षा ने 2016–17 से 2023–24 दौरान किए गए परीक्षणों के आधार पर विभाग के अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग की 221 रिपोर्ट की नमूना–जांच की। नमूना–जांच के दौरान, यह पाया गया कि सभी 221 नमूनों में मिट्टी कार्य का संपीड़न आवश्यक 100 से 102 प्रतिशत के संपीड़न से कम, 90.62 प्रतिशत से 97.45 प्रतिशत के बीच था ***(परिशिष्ट–3.11)***।

यह इंगित करता है कि तटबंध के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी से संबन्धित कार्य में आवश्यक एमडीडी को प्राप्त किए बिना और आईआरसी 36 के अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता को प्राप्त करने हेतु संपीडन कार्य ठीक ढंग से नहीं किया गया।

(ब) मिट्टी उठाव क्षेत्र में गुणवत्ता परीक्षण का नहीं किया जानाः भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार (1995) द्वारा जारी भारतीय मानक (आईएस) 11532[56] की कंडिका 2 के प्रावधानों के अनुसार मिट्टी के क्षेत्र का अनुसंधान, उनका स्थान और उत्खनन की गहराई की मिट्टी के क्षेत्र में मिट्टी के अभियांत्रिकी गुणों जैसे कि शुष्क घनत्व, संपीडन परीक्षण इत्यादि के व्यवस्थित मैपिंग और निर्धारण के लिए तटबंधों के निर्माण दौरान सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना था।

चार[57] चयनित प्रमंडलों के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन प्रमंडलों में सितंबर 2020 और अक्टूबर 2024 के बीच क्रियान्वित पाँच कार्यों में मिट्टी उठाव वाले क्षेत्र से 152.93 लाख घन मीटर मिट्टी प्राप्त की गई थी ***(परिशिष्ट–3.12)***। हालाँकि, संबंधित प्रमंडलों द्वारा इन मिट्टी कार्य क्षेत्र, जहाँ से मिट्टी ली गई थी, की आवश्यक विस्तृत जांच नहीं की गई थी।

अतः, तटबन्धों के प्रणालीबद्ध मैपिंग और आवश्यक अभियांत्रिकी प्रोफाइल सुनिश्चित करने हेतु भारतीय मानक के अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता परीक्षणों का संबंधित प्रमंडलों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, जिससे तटबन्धों के रुपरेखा–जीवन में विकृति/क्षय हो सकती है।

बहिर्गमन सम्मलेन (मई 2025) के दौरान विभाग ने कहा कि नदी तटबन्धों के निर्माण एवं अनुरक्षण से संबंधित कार्यों की गुणवत्ता देखने के लिए आईआरसी/आईएस के मानदंडों का भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।

---

[54] *यह किसी विशिष्ट नमी की मात्रा पर वह उच्चतम शुष्क घनत्व है और वह बिंदु है जहां मिट्टी सबसे अधिक संघनित होती है।*

[55] *एफसीडी झंझारपुर (I और II), कटिहार, किशनगंज और सालमारी।*

[56] *यह मानक नदी तटबंधों के निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित दिशा–निर्देशों को आच्छादित करता है।*

[57] *एफसीडी, दरभंगा, झंझारपुर (I और II) एवं सीतामढ़ी।*

3.6 योजनाओं के अनुश्रवण का अभाव

3.6.1 जलमार्गों की अपर्याप्तता

बिहार सरकार के अनुरोध पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की ने कमला–बलान नदी के तटबंध के दरार के कारणों के साथ बाढ़ प्रबंधन/जलमार्ग/तटबंध संरक्षण पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन प्रतिवेदन (दिसंबर 2019) के अनुसार, जब भी किसी पुल की संरचना नदी के प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग को संकीर्ण करती है, तो नदी से जल–गतिकीय प्रतिक्रिया प्रतिकूल धारा को उच्च स्तर प्रदान करती है। सामान्यत:, 20 प्रतिशत से अधिक जलमार्ग चैनल को कम करके पुल से संबंधित किसी भी निर्माण से ऊपरी प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ के ऊँचे स्तर में बढ़ोतरी होती है।

आईआईटी, रुड़की के अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार, गाद लाने की नदी की क्षमता घट रही थी क्योंकि पुल नदी के प्रवाह को कम कर रहे थे और उच्च बाढ़ स्तर उत्पन्न कर रहे थे। उच्च बढ़ स्तर के इस सतत वृद्धि ने तटबंधों की सुरक्षा को विपरीत रूप से प्रभावित किया।

3.6.1.1 अपर्याप्त जल प्रवाह मार्ग के कारण तटबंध टूटने का खतरा

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, झंझारपुर (I एवं II) तथा दरभंगा के अभिलेखों की नमूना–जांच से पता चला कि मुख्य अभियंता, समस्तीपुर ने अभियंता प्रमुख (बाढ़ एवं जलनिकासी) को सूचित किया था कि (अक्टूबर 2020) कमला–बलान एवं बागमती नदियों के तटबंधों के विभिन्न स्थानों (चेनेज) पर स्थित कई पुल थे जिनकी जलमार्ग के लिए कम क्षमता थी। इन पुलों की जल मार्ग के लिए क्षमता कम होने के कारण कमला–बलान एवं बागमती नदियों का संकुचन हुआ। खराब जलनिकासी के कारण कमला–बलान एवं बागमती नदियों के निस्सरण में बाधा के कारण जलमार्गों में संकुचन का विवरण **तालिका–3.8** में दिया गया है।

तालिका–3.8: बागमती एवं कमला–बलान नदियों के अपर्याप्त जलमार्गों का विवरण

(लंबाई मीटर में)

नदी का नाम	पुल का स्थान (चैनेज)	पुल की लंबाई	तटबंधो के बीच की दूरी	बाधित जलनिकासी (प्रतिशत में)
कमला बलान	किमी 23.25 पर पिपराघाट पुल	260.00	575	54.80
	किमी 44 पर पुल 57	187.00	575	67.50
	किमी 49.30 पर पुराना रेल पुल	175.00	575	70.00
	किमी 49.30 पर नया रेल पुल	206.60	575	64.10
बागमती	हया घाट करांची तटबंध (एचकेई) के किमी 19.30 पर खरारी पुल	286.00	1,337.00	78.60
	एचकेई के किमी 43.80 पर कोकेरघाट पुल	405.90	924.90	58.10
	एचकेई के किमी 52.70 पर कोलुहुआ घाट पुल	186.30	366.60	54.56
	एचकेई के किमी 62.20 पर राजघाट पुल	512.00	912.00	45.17

(स्रोतः संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

जैसा कि **तालिका–3.8** से देखा जा सकता है, दोनों नदियों के तटबंधों के बीच आठ स्थानों पर स्थित पुल, नदियों की चौड़ाई की तुलना में कम चौड़े थे और इसलिए नदियों

के मार्गों को संकुचित करके 78 प्रतिशत से अधिक तक जलनिकासी को बाधित किया। इसके परिणामस्वरूप तटबंध के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया था **(कंडिका–3.6.1.2)**।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने पुलों द्वारा उत्पन्न क्षतिग्रस्त जलनिकासी को कम करने हेतु प्रतिवेदन पर कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की (मई 2025), जो विभाग ओर से अपर्याप्त अनुश्रवण को इंगित करता है।

3.6.1.2 अपर्याप्त जल प्रवाह मार्गों के कारण तटबंध का क्षतिग्रस्त होना

बागमती प्रमंडल, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी) के अभिलेखों की नमूना–जांच में यह पाया गया कि भारी वर्षा से इसके जलग्रहण क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ से पांच स्थानों[58] पर बागमती नदी के तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए थे (सितंबर 2024)। प्रमंडल के प्रतिवेदन के अनुसार, तटबंध क्षतिग्रस्त होने का एक कारण कटौझा पुल[59](सीतामढ़ी) से होकर बहती नदी के अपर्याप्त जल प्रवाह मार्ग थें। पुल के सात निकास द्वार में से, छह में भारी से मध्यम गाद जमा होने के कारण जल प्रवाह मार्ग संकुचित हो गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बागमती नदी के दाहिने तटबंध में किलोमीटर 53.50 पर नदी की धारा की दिशा में एक स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रमंडल के प्रतिवेदन के अनुसार, यह क्षतिग्रस्त इस कारण भी हुई कि तिलक ताजपुर (सीतामढ़ी) में स्थित आरसीसी पुल का डेक स्लैब[60] रूपांकित एचएफएल से कम था और पुल के पहुँच पथ भी नदी के अंदर के तरफ थे। परिणामस्वरूप, बाढ़ के दौरान नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा **(चित्र–3.4)**, जिसके कारण तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया **(चित्र–3.5)**।

चित्र–3.4: *तिलक ताजपुर (सीतामढ़ी) में स्थित पुल पर बाढ़ के दौरान पानी पुल के ऊपर से बहने लगा (29 सितम्बर 2024)*

चित्र–3.5: *क्षतिग्रस्त तटबंध का चित्र (4 दिसंबर 2024)*

[58] *<u>बायाँ तटबंध पर</u>: कि.मी. 34.60 और कि.मी. 37.50 पर; <u>दायाँ तटबंध पर</u>: कि.मी. 53.50, कि.मी. 46.60 और कि.मी. 51.50।*

[59] *बागमती बाएँ तटबंध के किलोमीटर 54.60 और बागमती दाएँ तटबंध के किलोमीटर 60.90 पर स्थित।*

[60] *पुल पर वाहनों के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है।*

तटबंधों के बीच पर्याप्त जल मार्गों की कमी विभाग द्वारा दोषपूर्ण अनुश्रवण के अभाव का सूचक था, क्योंकि आईआईटी रुड़की की अध्ययन रिपोर्ट के पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई।

संबंधित कार्यपालक अभियंताओं (एफसीडी, झंझारपुर (I एवं II) तथा बीडी, रुन्नीसैदपुर) ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि अपर्याप्त जल मार्गों से संबंधित मुद्दे को उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदित किया गया है और उनके निर्देशों के अनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

अनुशंसा 4: विभाग पुलों की संरचना, तटबंधों के भीतर पहुँच पथों और नदी तल में गाद जमा होने के कारण जल प्रवाह मार्गों के संकुचन की समस्या का समाधान कर सकता है।

3.6.2 'जल संसाधन विभाग योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण प्रणाली' के माध्यम से योजनाओं का अपर्याप्त अनुश्रवण

विभाग ने शीर्ष स्तर और प्रमंडल स्तर पर योजनाओं/कार्यों की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए एक वेब एप्लिकेशन 'जल संसाधन विभाग योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण प्रणाली (डब्ल्यूएसआईएमएस)' बनायी गयी (मई 2018)। यह एप्लिकेशन राष्ट्रीय सूचना केंद्र[61] (एनआईसी) द्वारा ₹ 39.70 लाख की लागत से बनायी गयी थी। इस एप्लिकेशन को विभाग के एफएमआईएससी (बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र)[62] के सर्वर पर चालू किया गया था (अगस्त 2021)। बाद में, विभाग ने योजनाओं के अनुश्रवण हेतु अपना स्वयं का एमआईएस वेब एप्लिकेशन भी बनायी और इसे डब्ल्यूएसआईएमएस[63] के साथ एकीकृत कर दिया एवं अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजना एवं निगरानी अंचल, को विभिन्न योजनाओं से संबंधित आंकड़े इस एमआईएस वेब एप्लिकेशन पर अपलोड करने का निर्देश दिया (सितंबर 2022)।

विभागीय स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों की नमूना–जांच में पाया गया कि वर्ष 2021–22 से 2023–24 (अगस्त 2024 तक) विभाग द्वारा छह बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी प्रक्षेत्रों के लिए अनुमोदित कुल 1,248 योजनाओं[64] के सापेक्ष केवल 171 (14 प्रतिशत) योजनाएँ डब्ल्यूएसआईएमएस/एमआईएस एप्लिकेशन पर उपलब्ध थीं, जैसा कि **चार्ट–3.2** में दर्शाया गया है।

[61] यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन कार्य करता है। इसे 1976 में स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य केन्द्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी–आधारित समाधान प्रदान करना था।

[62] डब्ल्यूआरडी ने मार्च 2007 में बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्य की तकनीकी और संस्थागत क्षमता को सुधारने हेतु बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र (एफएमआईसी) की स्थापना को मंजूरी दी।

[63] एमआईएस वेब एप्लिकेशन डब्ल्यूएसआईएमएस पर उपलब्ध एक लिंक के माध्यम से सुलभ थी।

[64] बीरपुर (262), कटिहार (203), पटना (84), मुजफ्फरपुर (188), गोपालगंज (191) और समस्तीपुर (320)।

चार्ट–3.2: डब्ल्यूएसआईएमएस/एमआईएस पर अपलोड की गई योजनाओं की संख्या का विवरण

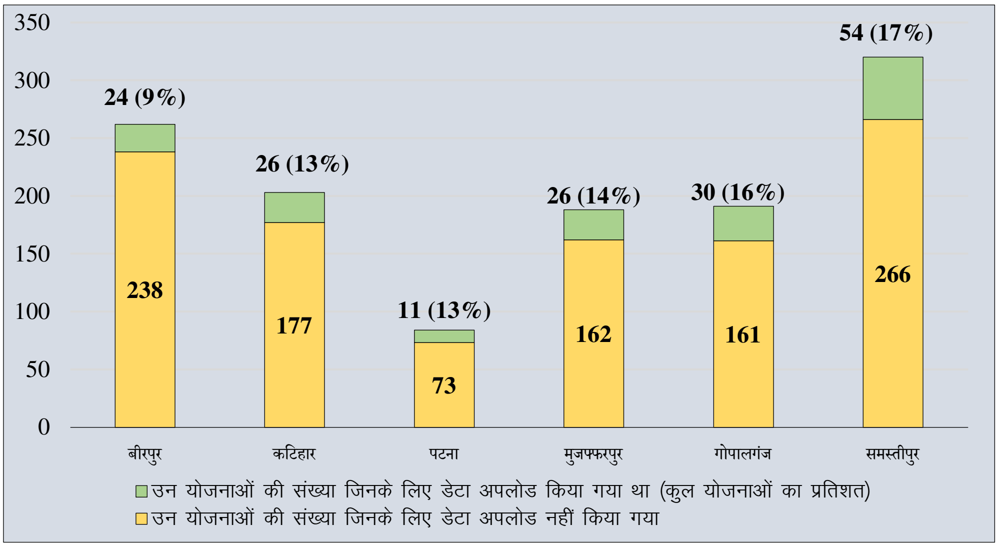

(स्रोतः डब्ल्यूआरडी, बिहार सरकार से प्राप्त एमआईएस एप्लीकेशन डाटा)

चार्ट–3.2 से देखा जा सकता है, अनुमोदित योजनाओं में से केवल नौ प्रतिशत (बीरपुर) से लेकर 17 प्रतिशत (समस्तीपुर) का विवरण ही डब्ल्यूएसआईएमएस/एमआईएस में दर्ज किया गया था।

इस प्रकार, शीर्ष स्तरों एवं प्रमंडल स्तरों पर योजनाओं/कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु विभाग में चल रही योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी/आंकड़े नियमित रूप से एमआईएस पर अपलोड/अद्यतन नहीं किये जा रहे थे (अगस्त 2024)।

विभाग ने इस लेखापरीक्षा टिप्पणी पर कोई उत्तर नहीं दिया (सितंबर 2025)।

अध्याय-IV
लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय-IV

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

भवन निर्माण विभाग

4.1 मूल्य समायोजन की गलत गणना के कारण अधिक भुगतान

मूल्य समायोजन की गलत गणना के कारण, संवेदक को ₹ 1.01 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

मानक निविदा दस्तावेज (एसबीडी)[1] के खंड 10 सीए में निर्धारित किया गया था कि 'यदि निविदा के प्रस्तुतीकरण के बाद, निविदा की प्राप्ति के लिए अंतिम निर्धारित तिथि (विस्तार सहित, यदि कोई हो) के समय पर प्रचलित दरों की तुलना में सीमेन्ट या स्टील रीइनफोर्समेंट छड़ की कीमत बढ़ती या घटती है, तब संविदा की राशि तदनुसार बदली जाएगी'। इसके अतिरिक्त, एसबीडी में यह भी प्रावधान किया गया था कि ऐसी कोई भी वृद्धि देय नहीं होगी यदि उक्त कार्य की समाप्ति के निर्धारित तिथि के बाद वृद्धि प्रभावी होती है । इसके अतिरिक्त एसबीडी की अनुसूचियों के प्रपत्र की 'अनुसूची ई' में उल्लिखित कार्य की सामग्रियों के प्रतिशत घटक के आधार पर एसबीडी अनुबंध में निर्धारित फॉर्मूला के आधार पर मूल्य समायोजन का भुगतान किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), बिहार सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों (अक्टूबर 2013) के अनुसार मूल्य समायोजन की गणना 'अनुसूची ई' में दर्शाई गई सामग्रियों के प्रतिशत घटकों के अनुसार किया जाना चाहिए न कि एसबीडी के खंड 10 सीए/10 सीसी के उप–खंड के नीचे दर्शाए गए उदाहरण के अनुसार।

कार्यपालक अभियंता (ईई), भवन निर्माण प्रमंडल (बीसीडी), सहरसा के कार्यालय की लेखापरीक्षा (फरवरी 2024) के दौरान यह देखा गया कि कार्यपालक अभियंता ने सहरसा में सहरसा अभियंत्रण कॉलेज के निर्माण के लिए एक एजेंसी के साथ ₹ 65.72 करोड़ का अनुबंध[2] किया (नवम्बर 2017)। अनुबंध के अनुसार, कार्य फरवरी 2019 में पूरा किया जाना था। तत्पश्चात, विभागीय निविदा समिति ने 01 अगस्त 2019 तक कार्य की समाप्ति के लिए समय सीमा का विस्तार किया (फरवरी 2019)। कार्य जुलाई 2019 में पूरा किया गया ओर एजेंसी को ₹ 80.08 करोड़ का भुगतान किया गया (फरवरी 2020)। इसमें से एजेंसी को ₹ 3.26 करोड़ की राशि का भुगतान मूल्य समायोजन के कारण किया गया।

अभिलेखों की नमूना–जांच से पता चला कि इस अनुबंध की 'अनुसूची ई' के अनुसार, स्टील और सीमेंट के लिए उल्लिखित प्रतिशत घटक क्रमशः 13 प्रतिशत और 15 प्रतिशत थे। यद्यपि, मूल्य समायोजन की गणना करते समय, अनुबंध के 'अनुसूची ई' में दर्शाई गई सामग्री के प्रतिशत घटकों को लेने के बजाय, एसबीडी के खंड में 10 सीए/10 सीसी के उपखंड सात के नीचे उदाहरण के रूप में दर्शाए गए स्टील और सीमेंट के प्रतिशत घटक क्रमशः 19 प्रतिशत और 14 प्रतिशत लिया गया। इस गलत गणना के कारण मूल्य समायोजन ***(परिशिष्ट–4.1)*** मद में संवेदक को ₹ 1.01 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। इस प्रकार, मूल्य समायोजन की गलत गणना के कारण, कार्यपालक अभियंता, भवन

---

[1] *मानक निविदा दस्तावेज एक अनुबंध दस्तावेज है, जो पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, द्वारा प्रकाशित किया जाता है और राज्य के सभी कार्य विभागों पर लागू है।*

[2] *01/एसबीडी/2017–18 ।*

निर्माण प्रमंडल (बीसीडी), सहरसा ने एजेंसी को मूल्य समायोजन मद में ₹ 1.01 करोड़[3] का अधिक भुगतान किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यपालक अभियंता ने जवाब दिया (फरवरी 2024) कि एसबीडी के खंड 10 सीए के अनुसार फिर से मूल्य समायोजन की गणना करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मामला विभाग को भी प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2024)। हालांकि, विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (सितम्बर 2025)।

[3] *अधिक भुगतान ₹ 1.01 करोड़ = ₹ 3.26 करोड़ (कुल भुगतान राशि) – ₹ 2.25 करोड़ (भुगतेय राशि)।*

शिक्षा विभाग

4.2 सेवा शुल्क पर दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

अपने उदासीन रवैये के कारण, विभाग ने सेवा शुल्क का समय पर आकलन और भुगतान नहीं किया, जिसके कारण, सेवा शुल्क पर दंडात्मक ब्याज के भुगतान पर ₹ 8.47 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 9 में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक लोक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोक धन से किए गए व्यय के संबंध में उसी प्रकार की सतर्कता बरते जिस प्रकार एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने धन के व्यय के संबंध में बरतता है। बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 का नियम 13 प्रावधान करता है कि प्रत्येक कर दाता/निर्धारिती और होल्डिंग[4] के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वे किसी मांग सूचना की प्रतिक्षा किये बिना अपने संपत्ति के संपत्ति कर का स्वयं निर्धारण कर उनका भुगतान नगरपालिका को करे। इसके अलावा, पूर्वोक्त नियमावली के नियम–4 के तहत केन्द्र और राज्य सरकार के वैसे कार्यालय एवं प्रतिष्ठान जो गैर–व्यावसायिक प्रकृति के हो, को सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा जो सामान्य संपत्ति कर का 75 प्रतिशत होगा।

इसके अलावा, शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडी एवं एचडी) द्वारा जारी संपत्ति कर और रिक्त भूमि कर की गणना हेतु मार्गदर्शिका के अनुसार, कुल देय सेवा शुल्क में सेवा शुल्क और उसके विलंबित भुगतान पर प्रयोज्य ब्याज/दंड शामिल हैं। वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर के बाद किए गए सभी भुगतान विलंबित भुगतान के लिए उस वित्तीय वर्ष के 1 अक्टूबर से प्रभावी 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग (विभाग), बिहार सरकार के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना–जांच की गई (मार्च 2024)। अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि पटना नगर निगम ने विभाग को ₹ 33.83 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी किया (जनवरी 2023)। डिमांड नोटिस 1995 से 2023 की अवधि के लिए विभाग के 182 भवनो से संबंधित सेवा शुल्क, जल शुल्क और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क से संबंधित बकायों का भुगतान करने के लिए था। इस नोटिस में ₹ 18.48 करोड़ के दंडात्मक ब्याज[5] की राशि भी शामिल थी।

नोटिस के जवाब में, विभाग ने 161 भवनों[6] से संबंधित ₹ 15.79 करोड़ स्वीकृत और जारी किये जैसा **तालिका 4.1** में वर्णित है।

---

[4] *बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007, की धारा 2 (44), के अनुसार, होल्डिंग का अर्थ है एक स्वामित्व या समझौते के तहत धारित भूमि और एक ही सीमा से घिरी हुई भूमि।*

[5] *बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (कर निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली), के नियम 12 के अनुसार, यदि किसी वित्तीय वर्ष का होल्डिंग टैक्स दायित्व अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर के बाद भुगतान किया जाता है, 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा।*

[6] *शेष 21 भवन कॉलेज और उनके छात्रावासों से संबंधित थे, और इन भवनों के सम्बन्ध में भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज के आंतरिक संसाधनों से किया जाना था।*

तालिका 4.1 सेवा शुल्क, दंडात्मक ब्याज, जल शुल्क और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के बकायों के लिए स्वीकृत राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	भवन का प्रकार	विभाग का आदेश संख्या	भवनों की संख्या	स्वीकृत और विमुक्त राशि	दंडात्मक ब्याज की राशि
1	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	509/23.03.2023	35	6.58	3.38
2	प्राथमिक विद्यालय	510/23.03.2023	114	6.96	4.26
3	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण निदेशालय और अन्य संस्थान	508/23.03.2023	12	2.25	0.83
	कुल		**161**	**15.79**	**8.47**

तदन्तर (मार्च 2023), विभाग ने पटना नगरपालिका को ₹ 15.79 करोड़ की स्वीकृत राशि का भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि भुगतान की गई राशि सेवा शुल्क पर ₹ 8.47 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के सहित थी, जिसे विभाग द्वारा संपत्ति कर और सेवा शुल्क का समय पर निर्धारण और भुगतान नहीं किये जाने के कारण जुर्माने के रूप में लगाया गया था।

इसके अलावा, पटना नगरपालिका के 161 भवनों के लिए सेवा शुल्क, दंडात्मक ब्याज, जल शुल्क और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के बकायों के कारण ₹ 15.79 करोड़ के भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएँ भी देखी गई:

- चार विद्यालय भवनों के संबंध में, विभाग ने पटना नगरपालिका को दो बार ₹ 16.36 लाख[7] के सेवा शुल्क, जल शुल्क और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक अतिरिक्त भुगतान हुआ।
- इसके अलावा, चार[8] ऐसे भवनों से संबंधित दंडात्मक ब्याज सहित सेवा शुल्क, जल शुल्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के लिए ₹ 6.67 लाख का भी भुगतान किया गया, जिनमें से तीन भवन भारत सरकार और एक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार का था। इस प्रकार, अन्य सरकार/विभाग को सेवा शुल्क के लिए ₹ 6.67 लाख के भुगतानों के परिणामस्वरूप इस सीमा तक अनियमित व्यय हुआ।

उपरोक्त यह दर्शाता है कि विभाग ने, व्यय करते समय आवश्यक सतर्कता नहीं बरती, जो कि बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित थी।

इस प्रकार, अपने उदासीन रवैये के कारण विभाग ने बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 और इसके अंतर्गत जारी संपत्ति कर और रिक्त भूमि कर की गणना से संबंधित मार्गदर्शिका के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपने भवनों पर सेवा शुल्क का समय पर आकलन और भुगतान नहीं किया। इसके कारण, विभाग ने सेवा शुल्क पर दंडात्मक ब्याज के भुगतान पर ₹ 8.47 करोड़ का

---

7 *(i) सचिव, एचएम स्कूल गांधी आर्य कन्या विद्यालय, पटना सिटी : ₹ 11.52 लाख; (ii) प्रधानाध्यापक सामुदायिक भवन दुजरा, पटना: ₹ 1.92 लाख; (iii) प्राथमिक विद्यालय, ब्रह्मपुर, फुलवारी शरीफ, पटना: ₹ 1.67 लाख; और (iv) राजकीय मनोरमा विद्यापीठ कन्या उच्च विद्यालय, बांकीपुर, पटना: ₹ 1.25 लाख।*

8 *भारत सरकार के स्वामित्व वाली तीन इमारतें (प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय, बेली रोड, पटना : ₹ 2.44 लाख, उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, पटना : ₹ 0.20 लाख और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना : ₹ 2.19 लाख) और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के स्वामित्व वाली एक इमारत (राजस्व सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, पटना : ₹ 1.84 लाख)।*

परिहार्य व्यय किया। इसके अतिरिक्त, इसने ₹ 16.36 लाख का अतिरिक्त भुगतान और ₹ 6.67 लाख का अनियमित भुगतान भी किया।

विभाग को फरवरी 2025 में लेखापरीक्षा अवलोकन प्रेषित किया गया। यद्यपि, विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (सितम्बर 2025)।

4.3 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अस्वीकार्य भुगतान के कारण हानि

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा प्रिंटिग एजेंसी को अस्वीकार्य एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) भुगतानों के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को ₹ 5.37 करोड़ की वित्तीय हानि हुई।

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ने अपने अधिसूचनाओं (28 जून 2017 और 25 जनवरी 2018) द्वारा निर्धारित किया कि शैक्षणिक संस्थान को प्रवेश या परीक्षाओं के संचालन के संबंध में दी गई सेवाएं, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से छूट दी गई थी। इसके अलावा, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, प्रतिदाय से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम (अधिनियम का धारा 54) के प्रावधान यथोचित परिवर्तन सहित आईजीएसटी अधिनियम पर भी लागू होगा।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी कर तथा, उस कर पर देय ब्याज यदि कोई हो,या उसके द्वारा अदा की गई किसी अन्य राशि की वापसी का दावा करता हो, वह संबंधित तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व, निर्धारित प्रपत्र और विधि में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (एलएनएमयू), दरभंगा के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना–जांच की गई (जून 2024)। अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने दो विभिन्न कार्यों के लिए एक ही एजेंसी[9] के साथ दो अनुबंध किये। पहला अनुबंध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं से संबंधित गोपनीय प्रिंटिंग कार्यों के लिए किया गया (नवंबर 2020)। प्रारंभ में यह अनुबंध तीन वर्षो की अवधि के लिए किया गया (नवंबर 2020) जिसे बाद में एक नई एजेंसी के चयन तक बढ़ाया गया (दिसंबर 2024)। दूसरा अनुबंध पाँच शैक्षिक सत्रों 2021–22 से 2025–26 तक की अवधि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से संबंधित सभी परीक्षा पूर्व और परीक्षा पश्चात संबंधित गोपनीय कार्य सहित छात्र जीवन चक्र[10] से संबंधित कार्यों के लिए किया गया (जुलाई 2021)।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी पाया कि विश्वविद्यालय ने एजेंसी को इसके द्वारा परीक्षा से संबंधित कार्यों के लिए कुल ₹ 35.19 करोड़ ***(परिशिष्ट–4.2)*** का भुगतान किया (सितंबर 2021 से मई 2023)। एजेंसी को किए गए ₹ 35.19 करोड़ के भुगतान में 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी के रूप में ₹ 5.37 करोड़ का भुगतान शामिल था, यद्यपि, इन कार्यों पर राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार आईजीएसटी के भुगतान से छूट दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, निर्धारित दो वर्षों की अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत एजेंसी को किए गए आईजीएसटी के भुगतान के सापेक्ष प्रतिदाय का दावा नहीं किया। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई न किये जाने के कारण अंततः विश्वविद्यालय को ₹ 5.37 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ।

---

9 आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

10 विद्यार्थियों के जीवन चक्र में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा, पंजीकरण, पाठ्यक्रम प्रबंधन आदि शामिल थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस पर आपत्ति किए जाने पर, विश्वविद्यालय ने जवाब दिया (अगस्त 2024 और जुलाई 2025) कि समय सीमा की समाप्ति के कारण आईजीएसटी राशि के प्रतिदाय का दावा नहीं किया जा सका और भविष्य में एजेंसी को आईजीएसटी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उसने न तो एजेंसी को आईजीएसटी का भुगतान करने से पहले आवश्यक वित्तीय नियंत्रण का पालन किया, और न ही सीजीएसटी अधिनियम के धारा 54 के अंतर्गत निर्धारित दो वर्षों की अवधि के भीतर भुगतान की गई आईजीएसटी के प्रतिदाय का दावा करने हेतु कोई आवश्यक कार्रवाई किया।

विभाग को जून 2025 में लेखापरीक्षा अवलोकन भेजा गया था। यद्यपि, विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (सितम्बर 2025)।

शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

4.4 ब्याज और हर्जाना के भुगतान पर परिहार्य व्यय

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम/योजना, 1952 के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने के कारण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा शिक्षा विभाग को कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के विलंबित प्रेषण के लिए लगाए गए ब्याज और हर्जाना के भुगतानों पर ₹ 3.77 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना 1952 की धारा 30 एवं 38 के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान (एमपी) अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, प्रधान नियोक्ता पर अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा, ईपीएफ योजना की धारा 38 यह भी प्रावधान करती है कि नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह ईपीएफ, पेंशन योजना और बीमा योजना के लिए कर्मचारियों के वेतन से अंशदान/वैधानिक बकायों की कटौती करे। नियोक्ता को अपने हिस्से के साथ प्रत्येक महीने की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंधित कार्यालय में ईपीएफ अंशदान/वैधानिक बकाया जमा करना होता है। इसके अलावा, ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के धारा 7 क्यू और 14 बी में यह प्रावधान है कि विलंबित प्रेषण की स्थिति में निर्दिष्ट दरों[11] पर ब्याज और हर्जाना लगाया जाएगा।

(i) बिहार महादलित विकास मिशन पटना (बीएमवीएम), (एससी एवं एसटी कल्याण, विभाग, बिहार सरकार) के अभिलेखों की नमूना–जांच (मई 2024) से ज्ञात हुआ कि मिशन ने ₹ 1.36 करोड़ की स्वीकृति 11 जिला कल्याण कार्यालयों[12] (डीडब्ल्यूओ) को संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों (ईपीएफओ) द्वारा लगाए गए ब्याज और हर्जाना के भुगतान के लिए दी (फरवरी 2022 से फरवरी 2024)। आगे लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि ईपीएफ अधिनियम/योजना 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन कर, संबंधित डीडब्ल्यूओ ने विकास मित्र[13] के लिए जुलाई 2018 से अक्टूबर 2023 की अवधि के ईपीएफ अंशदानों को संबंधित ईपीएफओ को 619 दिनों तक की देरी से प्रेषित किया। ईपीएफ अंशदानों को विलंब से प्रेषित करने के कारण, संबंधित ईपीएफओ ने ₹ 1.34 करोड़[14] की ब्याज और हर्जाना संबंधित राशि डीडब्ल्यूओ पर अधिरोपित की जो अंततः संबंधित डीडब्ल्यूओ द्वारा ईपीएफओ को प्रेषित कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप एससी एव एसटी कल्याण विभाग द्वारा ब्याज और हर्जाना के भुगतान के लिए ₹ 1.34 करोड का परिहार्य व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–4.3)***।

---

[11] *ईपीएफ योजना, 1952 की कंडिका 32 अ के अनुसार नियोक्ता को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज या ऐसी उच्च दर पर भुगतान जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है (ईपीएफ अधिनियम, 1952 के अनुसार) तथा पाँच प्रतिशत (दो महीने से कम की देरी के लिए) से लेकर 25 प्रतिशत (छह महीने और उससे अधिक की देरी के लिए) तक की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।*

[12] *अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, पटना और समस्तीपुर।*

[13] *जिला कल्याण अधिकारी के अधीन एक अनुबंध आधारित कर्मचारी, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के साथ–साथ उनके कार्यान्वयन, निगरानी और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।*

[14] *ब्याज : ₹ 58.56 लाख और क्षतिपूर्ति : ₹ 75.82 लाख।*

लेखापरीक्षा द्वारा इस पर आपत्ति उठाए जाने पर एससी एवं एसटी कल्याण विभाग ने जवाब दिया कि (मार्च 2025) कर्मचारियों के आवश्यक विवरणों की प्राप्ति में विलंब तथा ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों के केवाईसी फॉर्म/यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर के सत्यापन में देरी के कारण ईपीएफ अंशदानों के प्रेषण में विलंब हुआ।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बीएमवीएम, पटना के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि संबंधित डीडब्ल्यूओ, निधियों की उपलब्धता होने के बावजूद, ईपीएफ अंशदानों को ईपीएफओ के प्रेषण में विलंब के लिए जिम्मेदार थे, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज और हर्जाना का भुगतान करना पड़ा।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (डीपीओ) (स्थापना), मधुबनी (जनवरी 2024) और मुजफ्फरपुर (मार्च 2024), के अभिलेखों की नमूना–जांच की गई। अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि डीपीओ, मधुबनी ने ईपीएफओ, मुजफ्फरपुर को जनवरी 2020 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों का ईपीएफ अंशदान 838 दिनों तक के विलंब से भेजा। इसी प्रकार, डीपीओ, मुजफ्फरपुर ने ईपीएफओ मुजफ्फरपुर को सितम्बर 2020 से फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए कर्मचारियों का ईपीएफ अंशदान 970 दिनों तक के विलंब से भेजा (***परिशिष्ट–4.3***)। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुजफ्फरपुर ने विलंब से प्रेषण के लिए डीपीओ के विरूद्ध ₹ 2.43 करोड़ का ब्याज और हर्जाना लगाया। तथापि, ईपीएफओ को ब्याज और हर्जाना के गैर–भुगतान के कारण, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुजफ्फरपुर ने अंततः डीपीओ, मधुबनी के बैंक खाते से ₹ 2.28 करोड़ (दिसम्बर 2023 और मार्च 2024) और डीपीओ, मुजफ्फरपुर के बैंक खाते से ₹ 14.74 लाख (नवम्बर 2023) जब्त कर लिये।

अतः, ईपीएफओ को ईपीएफ अंशदानों के प्रेषण में विलंब के कारण, संबंधित डीपीओ ने ईपीएफ अधिनियम/योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज और हर्जाना के भुगतान के लिए ₹ 2.43 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

इस प्रकार, ईपीएफ अधिनियम/योजना, 1952 के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण, एससी एवं एसटी कल्याण और शिक्षा विभागों को संबंधित ईपीएफ को कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान के प्रेषण में विलंब के लिए लगाए गए ब्याज और हर्जाना के लिए कुल ₹ 3.77 करोड़[15] का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

विभाग को मई 2025 में लेखापरीक्षा अवलोकन प्रेषित किया गया। हालांकि, विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (सितम्बर 2025)।

---

[15] 11 डीडब्ल्यूओः ₹ 1.34 करोड़, डीपीओ, मधुबनीः ₹ 2.28 करोड़ और डीपीओ, मुजफ्फरपुरः ₹ 0.15 करोड़।

ग्रामीण कार्य विभाग

4.5 पुलों के निर्माण पर निष्फल व्यय

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यों के निष्पादन के कारण, पहुंच सड़कों और पुल के कार्य अपूर्ण रहे और ₹3.30 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

कैबिनेट सचिवालय, बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प (जुलाई 1986) के अनुसार, जहां भूमि का अधिग्रहण शामिल हो, आवश्यक भूमि अधिग्रहण के बाद ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा, नाबार्ड वित्तपोषित परियोजना के दिशानिर्देश परियोजनाओं के चयन करते समय, गाँवों को बाजारों, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, रेल शीर्षों इत्यादि से जोड़ने वाली सड़कों की प्राथमिकता का प्रावधान करते हैं। इसके आलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र[16] असंबद्ध बस्तियों को बारहमासी सडकों (क्रॉस–ड्रेनेज संरचनाएं जैसे कि पुलिया, छोटे पुलों और कॉजवे) के माध्यम से संपर्क प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा पूर्वी चंपारण और अररिया जिलों के क्रमानुसार कार्यपालक अभियंताओं, ग्रामीण कार्य प्रमंडल (आरडब्ल्यूडी), पकड़ीदयाल (जुलाई 2024) और अररिया (अगस्त 2024) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना–जांच की गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन प्रमंडलों ने दो उच्च स्तरीय प्रबलित कंक्रीट सीमेंट (एचएलआरसीसी) पुल/प्रबलित कंक्रीट सीमेंट (आरसीसी) पुल के निर्माण के लिए अनुबंध किया, जैसा कि **तालिका–4.2** में विवरणित है।

तालिका–4.2: कार्यों का विवरण

(राशिः ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम	योजना का नाम	राशि (अनुबंध की तिथि)	कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि	कार्य की भौतिक प्रगति की स्थिति (जून 2025 तक)	कुल व्यय (अंतिम भुगतान का माह)
1	आरडब्ल्यूडी पकड़ीदयाल (पूर्वी चंपारण)	पताही प्रखंड के बेतौना गाँव की नोनिया टोली में एचएलआरसीसी पुल का निर्माण	नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना	2.41 (02/09/2016)	जुलाई 2017	पुल तो बन गया, लेकिन पहुँच मार्ग अधूरे थे।	2.33 (अगस्त 2018)
2	आरडब्ल्यूडी, अररिया (अररिया)	थापकोल गाँव के पास थापकोल से करहबना मार्ग पर आरसीसी पुल का निर्माण	पीएमजीएसवाई	1.31 (07/09/2019)	सितंबर 2020	पुल अभी पूरा नहीं हुआ था और पहुँच मार्ग भी नहीं बने थे।	0.97 (सितंबर 2020)
	कुल						3.30

(स्रोतः संबंधित कार्य प्रमंडल के अभिलेख)

इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा ने आगे देखा किः

(अ) विभाग ने नाबार्ड वित्तपोषित योजना के माध्यम से पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के अंतर्गत बेतौना ग्राम की नोनिया टोली (श्याम जी महतो के घर के नजदीक) में एक एचएलआरसीसी पुल के निर्माण के लिए ₹ 2.63 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2015)। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार, पुल के दोनों तरफ 125 मीटर और

[16] *मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियाँ।*

120 मीटर लम्बाई की पहुंच सड़क बनाई जानी थी। संवेदक के साथ ₹ 2.41 करोड़ का एक अनुबंध किया गया (सितम्बर 2016) जिसके अनुसार पुल के निर्माण की निर्धारित तिथि 23 जुलाई 2017 थी।

पहुंच सड़कों के आधार कार्य[17] सहित पुल का कार्य अगस्त 2018 में पूरा किया गया और इसके बाद आगे कोई कार्य नहीं हुआ। इसके निष्पादन के लिए, संवेदक को ₹ 2.33 करोड़ की राशि का भुगतान किया (अगस्त 2018)। अधूरी सड़कें विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लिए गए **चित्र 4.1 और 4.2** में स्पष्ट है (13 जुलाई 2024)।

चित्र 4.1 और 4.2: पताही प्रखंड, पकड़ीदयाल (पूर्वी चंपारण) के अंतर्गत बेतौना ग्राम की नोनिया टोली में एचएलआरसीसी पुल की अधूरी पहुंच सड़कें (दोनों तरफ)

इस सम्बन्ध में, संवेदक ने कार्यपालक अभियंता, आरडब्ल्यूडी, पकड़ीदयाल को सूचित किया (जुलाई 2017, जून 2019, अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020) कि भूमि के स्वामित्व का दावा करते हुए, ग्रामीणों द्वारा पुल के दोनों तरफ पहुंच सड़क के निर्माण का कार्य रोका जा रहा था। इसके आलावा, कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2022, मार्च 2023, जुलाई 2023 और जुलाई 2024) कि पहुंच सड़क से संबंधित भूमि पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर लिया है। हालांकि, अभिलेखों से पता नहीं चला कि भूमि विवाद को सुलझाने के लिए आगे कोई कार्रवाई की गई थी। परिणामस्वरूप, अगस्त 2025 तक, पहुंच सड़क के निर्माण का कार्य अधूरा रहा। पहुंच सड़कों के पूरा नहीं होने के कारण, निर्मित पुल अपने निर्माण के लगभग सात वर्षों के बाद भी अप्रयुक्त रहा (अगस्त 2018 से जुलाई 2025)।

(ब) विभाग ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जोकीहाट प्रखंड (अररिया) के थापकोल ग्राम के नजदीक थापकोल से कढ़बना सड़क पर आरसीसी पुल के निर्माण के लिए ₹ 1.45 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2019)। तदनुसार, पुल का निर्माण पूरा होने के लिए निर्धारित तिथि 6 सितम्बर 2020 होने के साथ ₹ 1.31 करोड़ का एक अनुबंध किया गया (सितम्बर 2019)। अनुबंध के अनुसार, आरसीसी पुल के अतिरिक्त पुल के दोनों तरफ 70 मीटर की लंबाई में पहुंच सड़कों का निर्माण भी किया जाना था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि भूमि विवाद के कारण, पुल के निर्माण से संबंधित 20 प्रतिशत कार्य अधूरे रहे जबकि पहुंच सड़कों से संबंधित कार्य को भी नहीं किया गया (अगस्त 2025)। संवेदक को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए ₹ 0.97 करोड़ का

[17] *तटबंध कार्य (₹16.57 लाख), ग्रेन्युलर सब बेस (₹7.63 लाख), वाटर बाउंड मैकाडम ग्रेड–II (₹3.52 लाख) और वाटर बाउंड मैकाडम ग्रेड–III (₹3.36 लाख)।*

भुगतान किया गया। विभाग के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लिए गए **चित्रों 4.3** और **4.4** में कार्य की स्थिति स्पष्ट है।

चित्रों 4.3 और 4.4: जोकीहाट प्रखंड (अररिया) के थापकोल ग्राम के नजदीक थापकोल से कढ़बना सड़क पर अधूरा आरसीसी पुल और इसके पहुंच सड़कें

आगे लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्यपालक अभियंता, आरडब्ल्यूडी, अररिया ने (सितम्बर 2022) जिलाधिकारी से पुल के शेष कार्य को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने का अनुरोध किया। बाद में, विभाग ने पुल के पहुंच सड़कों को पूरा करने के लिए एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया (अप्रैल 2024)। हालांकि, समिति का व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रतीक्षित था और पूरा होने की निर्धारित तिथि (सितम्बर 2020) से पांच वर्षों के बीत जाने के बावजूद अगस्त 2025 तक पुल और पहुंच सड़कों के निर्माण का कार्य अधूरा रहा।

इस प्रकार, दोनों प्रखंडों के अंतर्गत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यों के प्रारंभ किये जाने के कारण, दोनों पुलों में पहुंच सड़कों के कार्य या तो शुरू नहीं हुए या अधूरे रहे। परिणामस्वरूप दोनों पुलों और पहुंच सड़कों पर किया गया ₹ 3.30 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अलावा, बस्तियों को जोड़ने का इच्छित उद्देश्य भी पूरा नही हुआ।

थापकोल (अररिया) में आरसीसी पुल के निर्माण के संबंध में, विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2025) कि निजी भूमि के मालिक सतत पट्टा नीति के अंतर्गत आवश्यक भूमि देने के इच्छुक नहीं थे। इसलिए, निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गयी है।

थापकोल (अररिया) में आरसीसी पुल के सम्बन्ध में विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कैबिनेट सचिवालय, बिहार सरकार के संकल्प (जुलाई 1986) का उल्लंघन कर, सडक निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के निष्पादन के पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसके अलावा, विभाग ने आरडब्ल्यूडी, पकड़ीदयाल (पूर्वी चंपारण) के अंतर्गत नोनिया टोली में एचएलआरसीसी पुल के लिए पहुंच सड़कों से संबंधित कार्य के पूरा नहीं होने के सम्बन्ध में जवाब नहीं दिया (सितम्बर 2025)।

जल संसाधन विभाग

4.6 बोल्डर की ढुलाई पर परिहार्य भुगतान

रेल से महंगा होने के बावजूद सड़क मार्ग से बोल्डर के परिवहन को मंजूरी देने के विभाग के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 3.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली के अध्याय 2 के भाग 1 में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी का वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। प्रत्येक लोक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में उतनी ही सतर्कता बरते, जितनी एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बरतता है। इसके अलावा, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी दरों की अनुसूची (अक्टूबर 2017) के अनुसार, जहां निर्माण सामग्री का परिवहन रेल से संभव है, दोनों सड़क मार्ग और रेल मार्ग के लिए परिवहन लागत की गणना की जानी चाहिए, और तदनुसार, दोनों दरों में से कम वाले को प्राक्कलन तैयार करने में अपनाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (एफसीडी), गोपालगंज के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना–जांच की गई (फरवरी 2025)। लेखापरीक्षा ने देखा कि मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, गोपालगंज ने बाढ़ नियंत्रण संबंधी तीन कार्यों[18] के लिए ₹ 48.49 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (नवंबर 2017–जनवरी 2018)। स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार, इन कार्यों में कुल 22,692.96 घन मीटर बोल्डर का उपयोग किया जाना था। बोल्डर को चुनार खदान (मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश) से कार्य स्थलों तक रेल मार्ग/सड़क मार्ग {(रेल के माध्यम से 6,807.89 घन मीटर और सड़क के माध्यम से 15,885.07 घन मीटर (70 प्रतिशत)} से लाया जाना था।

तदनुसार, प्रमंडल ने मई 2018 में सभी कार्यों को पूरा करने की निर्धारित तिथि के साथ ₹ 42.58 करोड़[19] के इन तीन कार्यों के निष्पादन हेतु एकरारनामा किया (जनवरी–फरवरी 2018)। कुल ₹ 41.40 करोड़[20] की लागत पर मार्च 2019 महीने में कार्यों को पूरा किया गया। कार्यों के निष्पादन के दौरान, कुल 22,543.75 घन मीटर बोल्डर का उपयोग किया गया, जिसमें से 6,763.48 घन मीटर (30 प्रतिशत) का परिवहन रेल से किया गया और शेष 15,780.27 घन मीटर (70 प्रतिशत) का परिवहन सड़क से किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी तीन कार्यों के प्राक्कलनों में उल्लिखित दरों के अनुसार, रेल से बोल्डर के परिवहन के लिए दरें सस्ती और ₹ 2,933.08 प्रति घन मीटर से ₹ 3,407.45 प्रति घन मीटर तक थी। इसकी तुलना में सड़क से बोल्डर के लिए परिवहन दरें ₹ 5,410.48 प्रति घन मीटर से ₹ 5,963.91 प्रति घन मीटर तक थी। तथापि, विभागीय दरों की अनुसूची की उपेक्षा करने और सड़क से 70 प्रतिशत बोल्डर के परिवहन करने का कारण न तो अनुमोदित प्राक्कलनो में दर्ज पाया गया और न ही रेल से बोल्डर के परिवहन में कोई बाधा का उल्लेख अभिलेखों में दर्ज था। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान

---

[18] (i) सल्लेहपुर – टंडसपुर छरकी में कटाव निरोधक कार्य के लिए ₹ 4.37 करोड़ की टीएस (09 एसबीडी/2017–18) (ii) सारण तटबंध में नए मिट्टी के तटबंध के निर्माण के लिए ₹ 12.00 करोड़ की टीएस (11 एसबीडी/2017–18) और (iii) बंधौली–शिलतलपुर–फैजुल्लाहपुर जमींदारी बांध को ऊंचा और मजबूत करने तथा दरार को बंद करने और बोल्डर रिवेटमेंट के लिए ₹ 32.12 करोड़ की टीएस (18 एसबीडी/2017–18)।

[19] फुटनोट संख्या 18 की क्रम संख्या (i) के लिए ₹ 3.70 करोड़; क्रम संख्या (ii) के लिए ₹ 10.58 करोड़ तथा क्रम संख्या (iii) के लिए ₹ 28.30 करोड़।

[20] फुटनोट संख्या 19 की क्रम संख्या (i): ₹ 3.68 करोड़; क्रम संख्या (ii): ₹ 10.62 करोड़ और क्रम संख्या (iii): ₹ 27.10 करोड़।

में रखते हुए कि सड़क की तुलना में रेल से परिवहन की दरें ज्यादा सस्ती थी, कार्यों में प्रयुक्त बोल्डर का सड़क के बजाय रेल से परिवहन किया जाना चाहिए था। अतः सड़क से 15,780.27 घन मीटर बोल्डर (कुल प्रयुक्त मात्रा का 70 प्रतिशत) का अनुमोदन और परिवहन के परिणामस्वरूप कुल ₹ 3.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट–4.4)***।

कार्यपालक अभियंता (एफसीडी), गोपालगंज ने जवाब दिया (फरवरी 2025) कि कार्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान किये गये। रेल के माध्यम से बोल्डर को लाकर कार्यों को समय पर पूरा करना संभव नहीं था क्योंकि ऐसा करते समय कई औपचारिकताओं को पूरा किया जाना था।

संबंधित कार्यपालक अभियंता का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यह साबित करने के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था कि रेलवे रैक की अनुपलब्धता/सीमित उपलब्धता या रेल से बोल्डर को लाकर कार्य को पूरा करने में कोई संभावित देरी जैसी कोई विशेष समस्या थी। इसके अलावा, सभी तीन कार्यों में रेल के माध्यम से 30 प्रतिशत बोल्डर की ढुलाई ने दर्शाया कि रेल से बोल्डर की ढुलाई की संभावना थी।

विभाग को लेखापरीक्षा अवलोकन प्रेषित किया गया (अप्रैल 2025)। हालांकि, विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (सितंबर 2025)।

पटना | **(डॉ. संदीप रॉय)**
दिनांकः 25 मार्च 2026 | **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांकः 06 अप्रैल 2026 | **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1.1

(संदर्भः कंडिका–1.3.2)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं

(राशिः ₹ करोड़ में)

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	शामिल राशि
2014-15	927	5,798	40,938.80
2015-16	919	6,667	28,095.96
2016-17	1,000	8,067	77,476.48
2017-18	763	6,748	1,28,795.71
2018-19	128	1,292	15,447.79
2019-20	282	3,167	1,00,690.51
2020-21	91	930	1,00,125.61
2021-22	334	3,744	2,04,382.59
2022-23	371	4,503	67,385.70
2023-24	421	6,729	1,14,310.03
कुल	**5,236**	**47,645**	**8,77,649.18**

परिशिष्ट–1.2

(संदर्भ: कंडिका–1.3.2)

निरीक्षण प्रतिवेदन की लंबित कंडिकाओ में अनियमितताओं के प्रकार

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लेखापरीक्षा में पाई गई धोखाधड़ी/दुर्विनियोजन/गबन/हानि का पता चलना	लेखापरीक्षा में पाई गई वसूली और अधिक भुगतान के मामले	संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन और संवेदकों को अनुचित लाभ	परिहार्य/अधिक व्यय	व्यर्थ/निष्फल व्यय	सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी के बिना किया गया व्यय	निधियों का एक योजना से दूसरी योजना में या एक वस्तु शीर्ष से दूसरे वस्तु शीर्ष में विचलन	निधियों वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में निधियों का आहरण	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतिबंधित वस्तुएं या विशेष प्रकृति की वस्तुएं पर व्यय करना	निधियों के व्यपगत होने से बचाने के विचार से वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक स्टोर/स्टॉक की खरीद	निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरुद्धिकरण	कर्मचारियों को निष्क्रिय मजदूरी का भुगतान	उपकरणों के चालू होने में देरी /निष्क्रिय उपकरण और इसके कारण होने वाले परिणाम	उद्देश्यों की गैर– प्राप्ति /निष्फल व्यय	विविध अवलोकन	कुल कंडिकाएं
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
2014-15	927	126	299	197	186	254	28	97	11	4	13	428	9	21	334	3,791	5,798
2015-16	919	59	214	162	298	400	88	195	29	13	77	507	19	23	436	4,147	6,667
2016-17	1,000	72	160	302	346	419	88	175	60	94	68	532	24	35	636	5,056	8,067
2017-18	763	81	168	415	243	337	42	30	42	12	27	789	23	18	377	4,144	6,748
2018-19	128	19	23	39	74	24	5	17	0	0	6	85	3	2	55	940	1,292
2019-20	282	12	14	41	57	79	10	13	3	0	2	80	7	5	163	2,681	3,167
2020-21	91	8	4	13	41	19	1	3	7	1	0	14	1	2	46	770	930
2021-22	334	31	20	63	173	137	80	29	16	3	13	98	26	14	173	2,868	3,744
2022-23	371	57	60	69	126	41	8	13	3	11	4	103	3	8	63	3,934	4,503
2023-24	421	59	79	109	157	79	6	13	1	2	4	160	14	15	106	5,925	6,729
कुल	**5,236**	**524**	**1,041**	**1,410**	**1,701**	**1,789**	**356**	**585**	**172**	**140**	**214**	**2,796**	**129**	**143**	**2,389**	**34,256**	**47,645**

परिशिष्ट–1.3

(संदर्भ: कंडिका –1.3.4)

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए पीए/एसएससीए से संबंधित अभिलेखों के लेखापरीक्षा को गैर/आंशिक प्रस्तुतीकरण और जवाबों का विवरण

क्रम संख्या	एसएससीए/पीए का नाम	लेखापरीक्षा को अभिलेखों के गैर/आंशिक प्रस्तुतीकरण और जवाब का विवरण					
		लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	इकाइयों की संख्या जिसने कुछ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए	जारी किए गए लेखापरीक्षा ज्ञापनों की संख्या	लेखापरीक्षा ज्ञापनों की संख्या जिसका पूरा जवाब प्राप्त हुआ	लेखापरीक्षा ज्ञापनों की संख्या जिसका आंशिक जवाब प्राप्त हुआ	लेखापरीक्षा ज्ञापनों की संख्या जिसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ
1	बिहार में मनरेगा के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	66	66	743	216	429	98*
2	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 'तटबंधों के निर्माण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण' पर एसएससीए	8	5**	27	0	27	0
	कुल	**74**	**71**	**770**	**216**	**456**	**98**

* *(i) डीआरडीए, शिवहरः 24, (ii) डीआरडीए, पूर्वी चंपारणः 4, (iii) डीआरडीए, गया : 48, (iv) पंचायत समिति, पुराहिया : दो, (v) पंचायत समिति, अभिराजपुर बैरिया : एक (vi) ग्राम पंचायत, बसंतपट्टी : दो, (vii) ग्राम पंचायत, अदौरी : तीन, (8) पंचायत समिति, पिपराही : तीन, एवं (9) पंचायत समिति, गोविंदपुर :11*

** *(i) बागमती प्रमंडल, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी (ii) बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी (iii) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, झंझारपुर–I (iv) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, झंझारपुर–II (v) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार।*

परिशिष्ट–1.4

(संदर्भः कंडिका–1.4)

लेखापरीक्षा सौंपने और स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करने/जारी करने की स्थिति (जून 2025 तक)

क्रम संख्या	स्वायत्त निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष तक सौंपे जाने की स्थिति	लेखापरीक्षा के लिए लेखाओं का प्रतिपादन		एसएआर जारी करना		विधानमंडल में रखे जानें की तिथि	अभियुक्तिया
			लेखाओं का वर्ष	दिनांक	लेखाओं का वर्ष	दिनांक		
1	बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना	सौंपना अपेक्षित नहीं है	2022-23	15/05/2024	2020-21	11/04/2023	अनुपलब्ध	इन राज्य स्वायत्त निकायों (एबी) के लिए अलग से सौंपने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये राज्य एबी संसद के विभिन्न अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। *संदर्भः सीएजी की डीपीसी अधिनियम, 1971, की धारा 19 (2)।*
2	भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण, पटना		2018-19	07/01/2021	2018-19	07/01/2022	अनुपलब्ध	
3	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना		2022-23	01/10/2024	2021-22	12/03/2024	23.07.2024	
					2022-23	13/02/2025	राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना बाकी है	
4	बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना		2008-09 से 2021-22	26/06/2024	एसएआर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है			
5	बिहार में बाल अधिकार संरक्षण आयोग		2011-12 से 2022-23	08/10/2024	आयोग द्वारा लेखापरीक्षा आस्थगित किया गया है			
6	बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना		2008-09 से 2023-24	11/09/2024	एसएआर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है			
7	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2021-22	2014-15 से 2019-20	09/09/2024 (संशोधित)	एसएआर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है			
			2020-21 से 2021-22	18/06/2024	विश्वविद्यालय से संशोधित लेखा बहुप्रतीक्षित			
8	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	2022-23	2018-19	22/09/2023	2017-18	29.11.2024	अनुपलब्ध	
			2019-20	22/09/2023	एसएआर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है			
9	बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड, पटना	2020-21	2017-18 से 2020-21	05/12/2024	एसएआर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है			
10	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2021-22	2015-16	05/07/2019	2015-16	22/04/2020	अनुपलब्ध	
11	बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009-10	2009-10	29/08/2013	2009-10	21/04/2014	अनुपलब्ध	

परिशिष्ट–2.1

(संदर्भ : कंडिका–2.1.6)

चयनित इकाइयों की सूची और चयनित लाभार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	लाभार्थियों की संख्या
1	बेगूसराय	साहेबपुर कमाल	बिशनपुर अहोक	10
2			संदलपुर	11
3			सनहा पूर्व	10
4			सनहा उत्तर	11
5		बखरी	घाघरा	10
6			मोहनपुर	10
7			रतन	10
8			सलौना[1]	10
9	पूर्वी चंपारण	सुगौली	भार्गव	11
10			करमावा रघुनाथपुर	12
11			पंजिअरवा	11
12			शुकुल पाकर	12
13		तुरकौलिया	बेलवारा	12
14			चरगाहा	11
15			जयसिंहपुर पूर्व	12
16			जयसिंहपुर दक्षिण	12
17	गया	मानपुर	भदेजा	10
18			भोरे	14
19			कैया	13
20			नौरंगा	12
21		बोधगया	झिकटिया	10
22			कन्हौल	12
23			कुर्मावां	10
24			मोरा मरदाना	10
25	नवादा	गोविंदपुर	बक्सोटी	10
26			बनियाबीघा	10
27			भवनपुर	10
28			सुघारी	10
29		वारिसलीगंज	बागीबरडीहा	10
30			चकवाई	10
31			सौर	10
32			शाहपुर	10
33	सहरसा	सत्तर कटैया	बिहरा	13
34			पुरिख	10
35			रकिया	10
36			सत्तर	10
37		सौर बाजार	रामपुर	10

[1] ग्राम पंचायत को नगर परिषद् में मिला दिया गया, 11 मार्च 2021 से प्रभावी।

क्रम संख्या	जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	लाभार्थियों की संख्या
38			रौता खेम	14
39			चंदौर पूर्व	12
40			कांप पश्चिम	15
41	शिवहर	पिपराही	बसहिया शेख	10
42			बेलबा	11
43			धनकौल	10
44			कमरौली	10
45		पुरनहिया	अभिराजपुर बैरिया	10
46			अदौरी	10
47			बरही जगदीश	10
48			बसंतपट्टी	10
कुल	6	12	48	**521**[2]

2 521 लाभार्थियों में से झिकटिया से सम्बंधित एक लाभार्थी का पता नहीं चल पाया।

परिशिष्ट–2.2

(संदर्भ : कंडिका–2.1.8)

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का विवरण

क्रम संख्या	इकाइयां	अभिलेख	अभियुक्ति
1	20 चयनित ग्राम पंचायत	ग्राम सभा बैठक पंजी	**बेगूसराय**: सनहा पूर्व (2019–22), सनहा उत्तर (2019–24), घाघरा (2019–22), मोहनपुर (2019–21 और 2023–24), रतन (2019–22); **नवादा**: शाहपुर (2021–22 और 2023–24), सौर (2019–22); **सहरसा**: कांप पश्चिम (2022–23), रौता खेम (2020–21), बिहरा (2020–21), सत्तर (2019–20), रकिया (2019–20) और **गया**: भदेजा, भोरे, झिकटिया, कैया, कन्हौल, कुर्मावां, मोरा मरदाना और नौरंगा। **(कंडिका 2.2.4.1)**
2	10 चयनित पंचायत समिति	पंचायत समिति बैठक पंजी	**गया**: बोधगया, मानपुर; **नवादा**: वारिसलीगंज, गोविंदपुर; **शिवहर**: पूर्णिया पिपराही; **बेगूसराय**: साहेबपुर कमाल, बखरी और **पूर्वी चंपारण**: सुगौली और तुर्कौलिया (2019–24 के लिए) **(कंडिका 2.2.4.3)**।
3	राज्य स्तर, और गया और बेगूसराय जिले	राज्य सतर्कता प्रकोष्ठ के सदस्यों की नियुक्ति और किए गए पर्यवेक्षण का विवरण, और सीवीओ द्वारा पता लगाए गए मामले और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई; जिला सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन	2019–24 की अवधि के लिए **(कंडिका 2.6.3)**
4	डीआरडीए, गया, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, नवादा, सहरसा और शिवहर	शिकायत पंजी	2019–24 की अवधि के लिए **(कंडिका 2.6.4.3)**
5	48 चयनित ग्राम पंचायत	मांगे गए नियोजन , रोजगार की पेशकश और उपलब्ध कराए गए रोजगार की पंजी ।	2019–24 की अवधि के लिए **(कंडिका 2.6.6)**

परिशिष्ट 2.3 (अ)

(संदर्भ : कंडिका–2.2.4.3)

ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक विकास योजना के अनुमोदन में विलंब

जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	विलंब (दिनों में)
सहरसा	बिहरा	2023-24	16
	सत्तर	2023-24	17
बेगूसराय	संदलपुर	2019-20	57
		2020-21	26
		2021-22	01
		2023-24	08
	रतन	2023-24	02
नवादा	बनियाबीघा	2021-22	11
		2023-24	391
	भवनपुर	2022-23	25
	सुघरी	2022-23	26
	सौर	2022-23	20
	चकवाई	2023-24	20
	शाहपुर	2022-23	14
शिवहर	धनकौल	2019-20	57
		2020-21	26
		2021-22	21
		2023-24	57
	बसैया शेख	2019-20	57
		2020-21	26
		2021-22	325
		2023-24	57
	कमरौली	2019-20	371
		2020-21	122
		2021-22	05
		2023-24	57
	अभिराजपुर बैरिया	2022-23	14
		2023-24	19
	अदौरी	2019-20	12
		2022-23	12
	बरही जगदीश	2022-23	14
		2023-24	14
	बसंतपट्टी	2022-23	12
		2023-24	14
पूर्वी चंपारण जिला का नाम	जयसिंहपुर (पूर्व)	2021-22	115
	जयसिंहपुर (दक्षिण)	2019-20	306
	भार्गवन	2020-21	26
		2021-22	06
	करमावा रघुनाथपुर	2020-21	26
		2021-22	03
	पंजिअरवा	2020-21	26
		2021-22	06
	शुकुल पाकर	2021-22	03

(स्रोतः संबंधित ग्राम पंचायत की जीएस बैठक पंजी)

परिशिष्ट–2.3 (ब)

(संदर्भः कंडिका–2.2.4.3)

जिला परिषद द्वारा वार्षिक विकास योजना के अनुमोदन में विलंब

जिला परिषद	वर्ष	वार्षिक विकास योजना के अनुमोदन में विलंब (दिनों में)
सहरसा	2020-21	57
	2021-22	23
	2022-23	67
	2023-24	175
बेगूसराय	2019-20	345
	2022-23	152
	2023-24	123
नवादा	2019-20	34
	2022-23	260
	2023-24	94

(स्रोतः संबंधित जिला परिषद के अभिलेख)

परिशिष्ट–2.4

(संदर्भ: कंडिका–2.4.4.4)

मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए लंबित मुआवजा

(राशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	कुल दिन	देय राशि	स्वीकृत दिन	अस्वीकृत दिन	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान की जाने वाली राशि	अस्वीकृत दिन
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (5-6)**	**8 {1-(3+4)}**
2019-20	2,41,53,232	2,67,82,353	18,22,293	2,04,82,509	19,82,227	19,17,346	64,881	18,48,430
2020-21	3,76,00,063	4,70,52,909	18,30,469	3,31,61,387	21,38,374	20,69,054	69,320	26,08,207
2021-22	85,38,283	1,00,70,579	3,60,646	66,37,249	4,57,799	2,93,619	1,64,180	15,40,388
2022-23	2,24,36,581	2,99,17,581	84,073	1,96,92,052	86,038	12,929	73,109	26,60,456
2023-24	75,45,862	98,14,059	98,055	53,26,755	1,17,268	15	1,17,253	21,21,052
कुल *(राज्य)*	**10,02,74,021**	**12,36,37,481**	**41,95,536**	**8,52,99,952**	**47,81,706**	**42,92,963**	**4,88,743**	**1,07,78,533**
कुल *(चयनित जिले)*	**1,46,47,370**	**1,81,05,638**	**12,06,811**	**1,12,19,868**	**14,00,499**	**12,87,323**	**1,13,178**	**37,13,543**

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट का प्रतिवेदन 14.1, दिनांक 17 जुलाई 2024)

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः कंडिका–2.5.7 (ब))

नरेगासॉफ्ट में दर्ज नहीं किए गए ग्राम पंचायत–वार अनुमोदित कार्यों का विवरण

जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्षिक विकास योजना वर्ष	जीएस पंजी के अनुसार कार्यों की संख्या	नरेगासॉफ्ट में दर्ज किए गए कार्यों की संख्या
बेगूसराय	संदलपुर	2019-24	1,504	399
	बिशनपुर अहोक	2019-20 और 2021-23	136	338
	मोहनपुर	2019-20 और 2021-24	1,753	220
	सलौना	2019-20 और 2021-22	273	37
	रतन	2019-20, 2021-22 और 2023-24	799	293
	घाघरा	2019-20 और 2021-24	733	383
सहरसा	रामपुर	2019-24	1,544	356
	रौता खेम	2019-24	373	584
	कांप पश्चिम	2019-22 और 2023-24	692	477
	चंदौर पूर्व	2019-24	951	731
	बिहरा	2019-20 और 2021-24	605	740
	पुरिख	2019-24	1,693	164
	रकिया	2020-24	819	453
	सत्तर	2020-23	2,381	558
शिवहर	अभिराजपुर बैरिया	2019-24	668	538
	अदौरी	2019-24	466	847
	बरही जगदीश	2019-24	1,360	691
	बसंतपट्टी	2019-24	445	412
	धनकौल	2019-24	902	859
	कमरौली	2020-22	302	174
कुल			**18,399**	**9,254**

(स्रोतः संबंधित ग्राम पंचायत का जीएस पंजी और नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भः कंडिका–2.5.8)

सड़क निर्माण में केवल मिट्टी कार्य किए जाने को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	जिला का नाम	इकाई का नाम	योजना का नाम	अनुमानित राशि	भुगतान की गई राशि
1	सहरसा	पंचायत समिति– सत्तर कटैया	ग्राम पंचायत पुरिख वार्ड नं 07 में जुमराती सफी के घर से प्रमेश्वर सुतिहार के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई	3,40,500	1,81,196
2			ग्राम पंचायत सत्तर समिति मद सत्तर बडी नहर से लेकर पटोरी सीमा की ओंर जानेवाली सड़क में मिट्टी भराई कार्य	9,03,500	7,48,568
3			समिति मद ग्राम पंचायत बिहरा अंत दायनेज की ओर जानेवाली सड़क से लेकर ओकाही सीमा की ओर जानेवाली सड़क	3,74,300	1,76,568
4		पंचायत समिति– सौर बाजार	रामपुर तिलले भिट्ठा से विद्यानंद के खेत से लेकर गेरुआहा पुल पिच रोड तक मिट्टी भराई कार्य	8,53,000	8,18,444
5			नादो पंचायत अंतर्गत कर्गाह होते हुए जीवाचपुर सीमांत तक सड़क मे मिट्टी भराई कार्य	9,92,800	9,67,946
6			वार्ड सं 11 में उत्तम ठाकुर के घर से लेकर रहुवा घाट तक जानेवाली सड़क मे मिट्टी भराई कार्य	7,11,500	6,27,251
7			रामकुमार यादव के खेत केन इकत से रौता पंचायत के सीमा तक सडक मे मिट्टी भराई कार्य	8,49,000	7,93,362
8	पूर्वी चंपारण	जिला परिषद	कल्याणपुर महसी प्रखण्ड को जोडने वाली पथ मानसी छपरा गणेश भगत के घर से हरपुरनाग सिवान तक मिट्टी भराई	8,90,300	7,10,028
9			राजकिशोर सिंह के खेत से पिपरा घाट होते हुए चिमनी के पास पथ मे मिट्टी भराई कार्य	6,76,700	2,31,486
10			तुर्कौलिया प्रखण्ड से कोतवा प्रखण्ड को जोडने वाली पथ सेमर टोला नहर से आगे पिच सड़क तक मिट्टी भराई कार्य	5,39,300	2,53,638
11			तुर्कौलिया पश्चिम में पीताम्बर सिंह के घर के आगे से हरसिद्धि प्रखण्ड को जोडने वाली पथ में मिट्टी भराई कार्य।	5,62,400	4,59,492
				76,93,300	**59,67,979**

(स्रोतः चयनित ग्राम पंचायत के अभिलेख और नरेगासॉफ्ट डाटा)

परिशिष्ट–3.1

(संदर्भः कंडिका–3.2)

दिसंबर 2024 तक नमूना–जांचित नदी बेसिन में तटबंधों के निर्माण के लिए योजनाओं की स्थिति

(लंबाई किलोमीटर में एवं राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम	योजना का विवरण	भौतिक स्थिति (लंबाई)		वित्तीय स्थिति		समयसीमा		कार्य की स्थिति
			निर्माण किया जाना है	वास्तव में निर्मित (प्रतिशत)	संविदा मूल्य	अद्यतन भुगतान (प्रतिशत)	संविदा की तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
बागमती–अधवारा बेसिन									
1	बागमती प्रमंडल, रुन्नीसैदपुर	बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना[3] – II (बीएफएमएस–II)	70.63 और 5.10 किमी धनौर कटरा रिंग बांध[4]	50-10 (71) और 4.80 किमी धनौर कटरा रिंग बांध	समझौता ज्ञापन दिसंबर 2005 में किया गया था	163.64	दिसम्बर 2005	जून 2008	अपूर्ण
2		बीएफएमएस–II (विस्तार)	21.99	0.21 (01)	159.63	12.63 (8)	जनवरी 2020	जनवरी 2022	शुरू किया और बंद कर दिया
3		बीएफएमएस –वी(ए)	52.33	0 (0)	180.89	9.04 (5)	अप्रैल 2022	अक्टूबर 2023	शुरू नहीं हुआ
4	बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी	झीम–जमुरा	53.77	19.74 (37)	39.82	28.97 (73)	मार्च 2011	मार्च 2012	रोक दिया गया (नवंबर 2024)
5		रातो	32.00	6.15 (19)	56.34	6.09 (11)	फरवरी 2018	अगस्त 2019	जमीन की कमी के कारण रोका गया
कमला–बालन बेसिन									
6	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–I झंझारपुर	नेपाल टैगिंग	1.81	0.48 (27)	16.29	4.42 (27)	जनवरी 2021	मई 2022	जमीन की कमी के कारण रोका गया
महानंदा बेसिन									
7	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार	एमएफएमएस[5]–II	198.37	0 (0)	436.71	23.01 (5)	अगस्त 2018	मार्च 2021	शुरू नहीं हुआ
कुल			**436.00**	**81.48 (19)**	**889.68**	**247.80**			

(स्रोतः संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

[3] *बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना (बीएफएमएस) का प्रशासनिक अनुमोदन फेज–I और फेज–II सहित था। समझौता ज्ञापन और प्राक्कलन के अनुसार कार्य किया गया था। 11.35 किमी. (बाएं:–53.160 से 58.038 और दाएं:–56.970 से 63.54) में तटबंध के निर्माण के लिए ₹ 19.37 करोड़ के प्राक्कलन मूल्य के लिए एमबी/व्यय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी।*

[4] *दाईं ओर 79.040 से 83.450 किमी के संरेखण में कोई तटबंध नहीं था, हालांकि मुख्य तटबंध के स्थान पर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए दाहिने तटबंध के 79.040 किमी से धनौर–कटरा रिंग बांध का निर्माण किया गया था।*

[5] *महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना (एमएफएमएस)।*

परिशिष्ट–3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.2.1.1)

(अ) बीएफएमएस के फेज–II के अंतर्गत एचएससीएल द्वारा निर्मित तटबंध पर खंडों में किए गए कार्य पर व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

कार्य की अवधि	कार्य की मद	मात्रा	₹ में दर	राशि
बाढ़ 2012 से पहले	ई/डब्ल्यू ट्रैक्टर	70,220	76.70	53,85,874
बाढ़ 2012 के बाद	ई/डब्ल्यू ट्रैक्टर	10,623.96	99.10	10,52,834
बाढ़ 2012 से पहले	1/2 किमी तक ई/डब्ल्यू	48,130	107.80	51,88,414
बाढ़ 2012 के बाद	1/2 किमी तक ई/डब्ल्यू	10,740.24	107.80	11,57,798
बाढ़ 2012 से पहले	ई/डब्ल्यू 1/2 से 1 किमी	20,627	130.10	26,83,573
बाढ़ 2012 से पहले	सीट की तैयारी	55,749	2.30	1,28,222.7
बाढ़ 2012 से पहले	संकुचन	137514	20.40	28,05,286
बाढ़ 2012 से पहले	फसल मुआवजा	1,37,514	6.50	8,93,841
बाढ़ 2012 के बाद	सीट की तैयारी	2,622	2.50	6,555
बाढ़ 2012 से पहले	मिट्टी क्षेत्र	1,40,440	1.40	1,96,616
बाढ़ 2012 के बाद	मिट्टी क्षेत्र	21,818.75	1.50	32,728.13
बाढ़ 2012 के बाद	संकुचन	21,818.75	29.30	6,39,289.4
बाढ़ 2012 के बाद	फसल मुआवजा	21,818.75	7.50	1,63,640.6
			कुल	**2,03,34,671**

अधूरे निर्मित धनौर कटारा रिंग बांध पर किए गए व्यय को दर्शाने वाली विवरणी (मार्च 2011 से अगस्त 2011)

मद	इकाई	निष्पादित मात्रा	दर	राशि
सीट तैयारी	वर्ग मीटर	2,59,761.60	1.70	4,41,594.72
मिट्टी क्षेत्र	घन मीटर	6,50,097.20	1.00	6,50,097.20
ई/डब्ल्यू ट्रैक्टर	घन मीटर	1,64,624.94	75.90	1,24,95,032.95
500 मीटर तक ई/डब्ल्यू	घन मीटर	2,00,858.42	98.40	1,97,64,468.53
ई/डब्ल्यू 0.50 से 1 किमी	घन मीटर	1,39,467.71	117.10	1,63,31,668.84
ई/डब्ल्यू 1 से 1.5 किमी	घन मीटर	88,913.22	139.10	1,23,67,828.90
ई/डब्ल्यू 1.5 से 2 किमी	घन मीटर	65,070.63	161.00	1,04,76,371.430
संकुचन	घन मीटर	6,50,097.20	20.20	1,31,31,963.44
फसल मुआवजा	घन मीटर	6,50,097.20	6.50	42,25,631.80
कुल				**8,98,84,657.81**

(ब) बीएफएमएस फेज–II (विस्तार) के अंतर्गत अधूरे निर्मित तटबंध पर किए गए व्यय को दर्शाने वाली विवरणी (मार्च 2024)

मद	इकाई	निष्पादित मात्रा	दर	राशि
सीट की तैयारी	वर्ग मीटर	8,293.03	4.30	35,660.02
ई/डब्ल्यू 150 मीटर से 0.5 किमी	घन मीटर	12,450.09	174.70	21,75,030.72
ई/डब्ल्यू 1.5 से 2 किमी	घन मीटर	12,463.59	276.60	34,47,428.99
संकुचन	घन मीटर	24,913.68	45.68	11,26,098.33
कुल				**67,84,218.06**
श्रम उपकर जोड़ने के बाद, जीएसटी और समझौते के अनुसार 10 प्रतिशत की कटौती				**64,72,144**

कुल योग: **₹203.35 + ₹898.85 + 64.72 = ₹ 1,166.92** लाख

परिशिष्ट–3.3

(संदर्भः कंडिका 3.3.2)

निविदा मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष और डीटीसी का निर्णय

<table>
<tr><th>तकनीकी निविदा मूल्यांकन का अवलोकन</th><th>डीटीसी का निर्णय</th></tr>
<tr><td colspan="2">कार्य का नामः बीएफएमएस फेज़– III (बी); अनुमानित लागतः ₹ 128.07 करोड़; एनआईटी 02/2020–21 दिनांक 22.09.2020; कार्यान्वयन इकाईः एफसीडी, दरभंगा।</td></tr>
<tr><td>दो साइट पर्यवेक्षकों के हलफनामों को संलग्न न करना</td><td rowspan="2">निविदा को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया (दिसंबर 2020) कि कोई भी निविदादाता तकनीकी रूप से योग्य नहीं था।</td></tr>
<tr><td>तकनीकी कार्मिकों को संलग्न न करना (साइट पर्यवेक्षक की आवश्यक संख्या)</td></tr>
<tr><td>एक निविदादाता (मेसर्स मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन) तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से योग्य था</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">कार्य का नामः रातो नदी पर तटबंध का निर्माण; अनुमानित लागतः ₹ 110.65 करोड़; एनआईटी 05/2016–17 और 01/2017–18 क्रमशः फरवरी 2017 और मई 2017 में जारी किया गया; कार्यान्वयन इकाईः बीडी, सीतामढ़ी।</td></tr>
<tr><td>तकनीकी कार्मिकों, या प्रमुख उपकरणों या दोनों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत न करने के आधार पर चार निविदादाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया था</td><td rowspan="2">निविदाएं यह कहते हुए रद्द कर दी गईं कि कोई भी निविदादाता तकनीकी रूप से योग्य नहीं था।</td></tr>
<tr><td>'गुणवत्ता सर्वेक्षक' का उल्लेख 'मात्रा सर्वेक्षक' के रूप में करना</td></tr>
<tr><td colspan="2">राटो नदी पर तटबंध का निर्माण; अनुमानित लागतः ₹ 52.43 करोड़; एनआईटी 02/2017–18 दिनांक 04.09.2017; कार्यान्वयन इकाईः बीडी, सीतामढ़ी।</td></tr>
<tr><td>तीन निविदादाताओं को चल रहे कार्य और मौजूदा प्रतिबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न न करने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि, तीन निविदादाताओं द्वारा उल्लिखित निविदा क्षमता ₹ 53.48 करोड़ की आवश्यक निविदा क्षमता के सापेक्ष क्रमशः ₹ 567.71 करोड़, ₹ 989.91 करोड़ और ₹ 1,087.33 करोड़ थे।</td><td rowspan="2">बीओक्यू मूल्य से 3.75 प्रतिशत अधिक पर बीएससीपीएल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हैदराबाद को कार्य प्रदान किया गया (जनवरी 2018)।</td></tr>
<tr><td>एक निविदादाता, (ब्रॉडवे लिंक प्राइवेट लिमिटेड को तकनीकी कर्मियों और प्रमुख उपकरणों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।</td></tr>
<tr><td colspan="2">कार्य का नामः बीएफएमएस फेज़– v (ए); अनुमानित लागतः ₹ 338.69 करोड; एनआईटी (07 एसबीडी/20–21) दिनांक 09.03.2021ः कार्यान्वयन इकाईः बीडी, रुन्नीसैदपुर।</td></tr>
<tr><td>आरकेएन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश द्वारा मौजूदा प्रतिबद्धताओं और चल रहे कार्यों के 42 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे। जिनमें से तीन प्रमाणपत्रों को 'संतोषजनक नहीं' के रूप में चिह्नित किया गया था।</td><td>इसके बावजूद, फर्म को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया और बीओक्यू दर से 0.90 प्रतिशत अधिक पर अनुबंध दिया गया</td></tr>
</table>

(स्रोतः संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट–3.4

(संदर्भः कंडिका 3.3.3)

मिट्टी कार्य के फैलाव पर परिहार्य व्यय

प्रमंडल का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य का दायरा	कटाई क्षेत्र की मिट्टी की कार्य मात्रा (लाख में प्रति घन मीटर)	प्रति घन मीटर फैलाव की दर (₹ में)	फैलाव के सापेक्ष भुगतान (राशि ₹ लाख में)
एफसीडी, दरभंगा	10 एसबीडी /2020-21	पुराने चैनल से गाद निकालना	2.96	18.77	55.57
	01 एसबीडी /2020-21	नदी में अवरोध हटाना	5.45	18.66	101.77
	01 एसबीडी /2021-22	नदी में अवरोध हटाना	3.75	18.77	70.44
बीडी, सीतामढ़ी	02 एसबीडी /2020-21	उथले पानी का शिथिल होना	0.59	18.77	11.08
बीडी, रुन्नीसैदपुर	04 एसबीडी /2020-21	पुराने चैनल से गाद निकालना	0.58	18.77	10.97
	01 एसबीडी /2018-19	पुराने धार/चैनल का सक्रियण	11.53	17.71	204.16
एफसीडी –1, झंझारपुर	03 एसबीडी /2020-21	नदी में अवरोध हटाना	3.93	18.77	73.68
एफसीडी – 2, झंझारपुर	04 एसबीडी /2020-21	नदी में अवरोध हटाना	3.32	18.66	61.90
एफसीडी – 2, झंझारपुर	03 एसबीडी /2021-22	नदी में अवरोध हटाना	3.51	18.77	65.90
कुल			**35.62**		**655.47**

(स्रोतः संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट–3.5

(संदर्भः कंडिका 3.4.1.1)

डब्ल्यूएमएम पर निरर्थक व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

विवरण	पंक्ति की संख्या	एफसीडी, सालमारी	एफसीडी, किशनगंज
डब्ल्यूएमएम की चौड़ाई निष्पादित की जानी थी	1	3.75 मीटर	3.75 मीटर
डब्ल्यूएमएम की मोटाई निष्पादित की गई थी	2	0.225 मीटर	0.225 मीटर
सड़क/डब्ल्यूएमएम की निष्पादित लंबाई	3	18,900 मीटर	6,180 मीटर
डब्ल्यूएमएम की मात्रा निष्पादित की जानी थी	4(1x2x3)	15,946.875 घन मीटर	5,214.375 घन मीटर
डब्ल्यूएमएम की मात्रा निष्पादित की गई थी	5	25,930.32 घन मीटर	7,120.64 घन मीटर
डब्ल्यूएमएम की निरर्थक मात्रा	6 (5-4)	9,983.445 घन मीटर	1,906.265 घन मीटर
प्रति घन मीटर डब्ल्यूएमएम मद के निष्पादन में परिवहन हेतु आवश्यक डब्ल्यूएमएम सामग्री की मात्रा	7	1.32 घन मीटर	1.32 घन मीटर
लाई गई डब्ल्यूएमएम सामग्री की बेकार मात्रा	8 (6x7)	13,178.147 घन मीटर	2,516.270 घन मीटर
डब्ल्यूएमएम मद की दर (परिवहन को छोड़कर)	9	₹1,046.30/ घन मीटर	₹1,100.90/ घन मीटर
डब्ल्यूएमएम सामग्री के परिवहन की दर	10	₹2,466.50/ घन मीटर	₹1,962.50/ घन मीटर
डब्ल्यूएमएम मद पर निरर्थक व्यय	11 (6x9)	₹1,04,45,678	₹20,98,607
डब्ल्यूएमएम सामग्री के परिवहन पर अपव्यय	12 (8x10)	₹3,25,03,900	₹49,38,180
परिवहन के साथ डब्ल्यूएमएम पर कुल अपव्यय	13 (11+12)	₹4,29,49,578	₹70,36,787
12 प्रतिशत जीएसटी जोड़ना	14	₹4,81,03,527	0.00
डब्ल्यूएमएम की निरर्थक मात्रा पर व्यय[6]	15	₹ 4,32,93,174	₹70,00,899
कुल (सालमारी, किशनगंज)		**₹ 5,02,94,073**	

(स्रोतः संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

[6] *अनुबंध के अनुसार सालमारी में 10 प्रतिशत की कमी और किशनगंज में 0.51 प्रतिशत की कमी के बाद*

परिशिष्ट–3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.4.2.2)

सड़क कार्य में सघन बिटुमिनस मैकाडम (डीबीएम) की गैर–आवश्यकता का विवरण

प्राक्कलनों में लिए गए प्रावधान और डिजाइन डाटा का स्रोत	प्रावधान/मूल्य
आईआरसी: 37	आईआरसी 37 के अनुसार, सड़क फुटपाथ का डिजाइन वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन (सीवीपीडी), वाहन क्षति कारक (वीडीएफ)[7], मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल भार (एमएसए)[8], कैलिफोर्निया वहन अनुपात (सीबीआर) मूल्य[9] आदि जैसे कारकों पर निर्भर करता है।
कैलिफोर्निया वहन अनुपात मूल्य	4 प्रतिशत
यातायात तीव्रता	136 सीपीवीडी
वाहन क्षति कारक (प्रति दिन 136 वाणिज्यिक वाहनों पर आधारित)	1.5
मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल भार (1.5 वीडीएफ पर आधारित)	0.85

विवरण	प्राक्कलनों के अनुसार	आईआरसी प्रावधानों के अनुसार
136 सीपीवीडी की यातायात तीव्रता के अनुसार	वीडीएफ का मान 3.5 लिया गया	वीडीएफ का मान 1.5 के रूप में लिया जाना था
एमएसए का मान	वीडीएफ 3.5 के मान पर पर विचार करते हुए एमएसए को 1.98 या 02 के बराबर लिया गया था	वीडीएफ 1.5 के मान पर विचार करते हुए एमएसए को 0.85 या 01 के बराबर लिया जाना था
सड़क के फुटपाथ की मोटाई	सीबीआर को 4 प्रतिशत और एमएसए को 02 पर विचार करते हुए 50 मिमी डीबीएम सहित फुटपाथ की मोटाई का मान 560 मिमी लिया गया।	फुटपाथ की मोटाई का मान 500 मिमी लिया जाना था, जबकि सीबीआर को 4 प्रतिशत और एमएसए को 01 मानते हुए डीबीएम की आवश्यकता नहीं थी।

---

7 *यह एक गुणक कारक है जिसका उपयोग मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए) की गणना के लिए किया जाता है।*

8 *एमएसए (मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल), फुटपाथ के डिजाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अपने डिजाइन जीवन के दौरान सड़क खंड के ऊपर से गुजरने वाले स्टैंडर्ड एक्सल की संचयी संख्या को संदर्भित करती है।*

9 *यह फुटपाथ मोटाई के डिजाइन के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी के भार वहन का एक माप है।*

परिशिष्ट–3.7

(संदर्भ: कंडिका 3.4.3.2)

बीओक्यू मूल्य से जीएसटी और श्रम उपकर के अपवर्जन के कारण संवेदक को अधिक भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एफसीडी का नाम	अनुबंध संख्या	बीओक्यू मान	बीओक्यू से नीचे का प्रतिशत जिस पर कार्य आवंटित किया गया था	किए गए कार्य का मूल्य	भुगतान की जाने वाली राशि	एमबी के अनुसार भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान
1.	झंझारपुर–I	01 एसबीडी /2023-24	264.13	10	76.71	83.30	84.40	1.1
2.	झंझारपुर–I	03 एसबीडी /2020-21	21.23	12.07	16.15	20.48	21.22	0.74
3.	झंझारपुर–I	02 एसबीडी /2020-21	6.87	5.71	6.22	6.39	6.51	0.12
4.	झंझारपुर–II	01 एसबीडी /2023-24	264.13	10.00	71.35	77.59	78.38	0.79
5.	झंझारपुर–II	04 एसबीडी /2020-21	5.37	7.77	5.18	5.17	5.18	0.01
6.	कटिहार	01 एसबीडी /2023-24	15.53	3.31	13.36	15.57	15.59	0.02
	कुल		**577.26**			**208.5**	**211.28**	**2.78**

(स्रोत: संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट–3.8

(संदर्भ: कंडिका 3.4.5.1 (अ))

112.280 किमी से 182.700 किमी तक बागमती तटबंधों की ऊंचाइयों का विवरण

(मीटर में ऊंचाई)

स्थान/श्रृंखला माप	सीडब्ल्यूपीआरए, पुणे के अनुसार तटबंध की आवश्यक ऊंचाई	विभाग द्वारा नियोजित डिजाइन स्तर	डिजाइन में तटबंधों की कम ऊंचाई (सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे की अनुशंसा की तुलना में)	शीर्ष स्तर (मीटर) वास्तव में निष्पादित	आवश्यकता के सापेक्ष ऊंचाई में कमी
720 मीटर (किमी 113)	54.300	50.885	3.415	50.890	3.410
3720 मीटर (किमी 116)	54.280	50.165	4.115	50.170	4.110
6720 मीटर (किमी 119)	54.250	50.230	4.020	50.230	4.020
9720 मीटर (किमी 122)	54.230	50.370	3.860	50.370	3.860
12720 मीटर (किमी 125)	54.210	49.732	4.478	49.730	4.480
15720 मीटर (किमी 128)	54.190	49.424	4.766	49.420	4.770
18720 मीटर (किमी 131)	54.180	49.210	4.970	49.210	4.970
21720 मीटर (किमी 134)	54.130	48.809	5.321	48.810	5.320
24720 मीटर (किमी 137)	53.950	47.740	6.210	47.740	6.210
27720 मीटर (किमी 140)	53.780	47.980	5.800	47.980	5.800
30720 मीटर (किमी 143)	53.540	47.561	5.979	47.560	5.980
33720 मीटर (किमी 146)	53.280	47.167	6.113	47.170	6.110
36720 मीटर (किमी 149)	52.920	46.853	6.067	46.850	6.070
39720 मीटर (किमी 152)	52.710	47.760	4.950	47.760	4.950
42720 मीटर (किमी 155)	51.820	46.218	5.602	46.220	5.600
51720 मीटर (किमी 163)	50.480	44.981	5.499	44.980	5.500
57720 मीटर (किमी 169)	49.870	44.046	5.824	44.050	5.820
60720 मीटर (किमी 172)	49.480	43.735	5.745	43.740	5.740
63720 मीटर (किमी 175)	49.130	43.355	5.775	43.360	5.770
66720 मीटर (किमी 178)	48.830	42.661	6.169	42.660	6.170
69720 मीटर (किमी 181)	48.690	41.967	6.723	41.970	6.720

(स्रोत: संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट–3.9

(संदर्भ: कंडिका 3.4.5.1 (ब))

डिजाइन स्तर के सापेक्ष किमी 60.00 से किमी 79.00 तक के तटबंधों के शीर्ष स्तर का विवरण

श्रृंखला (किमी)	सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे की रिपोर्ट के अनुसार हासिल किया जाने वाला डिजाइन स्तर	बायां तटबंध		दायां तटबंध	
		हासिल गठन स्तर	डिजाइन के सापेक्ष कम ऊंचाई	हासिल गठन स्तर	डिजाइन के सापेक्ष कम ऊंचाई
60	**59.44**	57.54	-1.90	एनए[10]	एनए
61	**59.24**	58.52	-0.72	एनए	एनए
62	**59.04**	58.64	-0.40	एनए	एनए
63	**58.84**	58.07	-0.77	एनए	एनए
64	**58.64**	57.48	-1.16	58.92	0.28
65	**58.42**	58.52	0.10	58.84	0.42
66	**58.22**	57.80	-0.42	58.82	0.60
67	**58.02**	57.98	-0.04	58.86	0.84
68	**57.82**	57.56	-0.26	58.58	0.76
69	**57.62**	57.22	-0.40	55.86	-1.76
70	**57.42**	57.32	-0.10	एनए	एनए
71	**57.22**	57.20	-0.02	एनए	एनए
72	**57.02**	57.15	0.13	एनए	एनए
73	**56.82**	56.69	-0.13	58.07	1.25
74	**56.62**	56.60	-0.02	57.87	1.25
75	**56.42**	56.32	-0.10	57.68	1.26
76	**56.22**	56.17	-0.05	एनए	एनए
77	**56.02**	एनए	एनए	एनए	एनए
78	**55.82**	एनए	एनए	एनए	एनए
79	**55.62**	एनए	एनए	56.715	1.095

(स्रोत: संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

[10] *सूचना अनुपलब्ध ।*

परिशिष्ट–3.10

(संदर्भः कंडिका 3.4.5.4)

मिट्टी के कार्य की ढुलाई पर अनियमित भुगतान

प्रमंडल	अनुबंध संख्या	निष्पादन की अवधि	लीड की सीमा (0.5 किमी तक पूर्णांकित)	निष्पादित कार्य की मात्रा (घन मीटर लाख में)	किए गए कार्य के सापेक्ष किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)
एफसीडी, दरभंगा	10 एसबीडी /2020-21	मार्च 2021 से सितंबर 2024 तक	0.5 किमी से 1.00 किमी	14.71	30.62
			1.00 किमी से 1.50 किमी	1.00	2.44
बीडी, सीतामढ़ी	04 एसबीडी /2017-18	फरवरी 2018 से मार्च 2024 तक	0.5 किमी से 1.00 किमी	1.64	2.82
एफसीडी–1, झंझारपुर	01 एसबीडी /2023-24	मई 2023 से अक्टूबर 2024	0.5 किमी से 1 किमी	6.97	16.95
	03 एसबीडी /2020-21	सितंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक	0.5 किमी से 1 किमी	0.91	1.89
			1 किमी से 1.5 किमी	0.91	2.23
	04 एसबीडी /2021-22	जनवरी 2022 से मार्च 2024	0.5 किमी से 1 किमी	5.29	11.01
एफसीडी–2, झंझारपुर	01 एसबीडी /2023-24	मई 2023 से अक्टूबर 2024	0.5 किमी से 1 किमी	5.01	12.17
	04 एसबीडी /2021-22	जनवरी 2022 से मार्च 2024	0.5 किमी से 1 किमी	6.86	14.28
			1 किमी से 1.5 किमी (अतिरिक्त मद)	5.17	12.66
एफसीडी, कटिहार	03 एसबीडी / 2016-17	मार्च 2017 से जून 2021 तक	0.5 किमी से 1 किमी	6.54	11.26
			1 किमी से 1.5 किमी	4.43	9.00
			1.5 किमी से 2 किमी	2.32	5.43
			2 किमी से 2.5 किमी	1.13	3.00
			2.5 किमी से 3 किमी	1.16	3.43
एफसीडी प्रभाग, किशनगंज	04 एसबीडी / 2017-18	जनवरी 2018 से जनवरी 2020 तक	1 किमी से 1.5 किमी	0.19	0.40
			1.5 किमी से 2 किमी	0.86	2.00
			2 किमी से 2.5 किमी	0.56	1.50
			3 किमी से 3.5 किमी	0.35	1.19
एफसीडी, सलमारी	09 एसबीडी / 2017-18	जनवरी 2018 से मार्च 2021 तक	0.5 किमी से 1 किमी	3.45	5.68
			1 किमी से 1.5 किमी	3.54	7.05
			1.5 किमी से 2 किमी	2.90	6.78
			2 किमी से 2.5 किमी	3.54	9.51
			2.5 किमी से 3 किमी	3.56	10.78
कुल				**83.00**	**184.09**

(स्रोतः संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट–3.11

(संदर्भ: कंडिका 3.5 (अ))

अ. आईआरसी 36 के अनुसार न्यूनतम सबग्रेड मिट्टी संघनन के लिए विनिर्देश आवश्यकता

क्रम संख्या	एमडीडी (ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर)	न्यूनतम सबग्रेड संघनन आवश्यकता (प्रतिशत)
1	1.65 से कम	102*
2	1.65 से 1.74	102*
3	1.76 से 1.90	100
4	1.92 और उससे अधिक	98

*(स्रोत: आईआरसी 36) * यदि किसी मिट्टी में प्राप्य नहीं है, तो कम से कम 100 प्रतिशत।*

ब. मिट्टी के कार्य के संघनन और एमडीडी परीक्षण–प्रतिवेदन संचालन का विवरण

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम	अनुबंध संख्या	परीक्षणों की तिथि	परीक्षणों की संख्या	एमडीडी	आईआरसी के अनुसार संघनन का आवश्यक स्तर	वास्तविक संघनन (प्रतिशत)	परीक्षण की संख्या एमडीडी 1.65 से कम था
1	किशनगंज	04 एसबीडी/ 2017-18	25.02.19	8	1.880	100	95.05	0
2			06.05.19	15	1.634 से 1.644	102	95.01 से 95.25	15
3.	सलमारी	09 एसबीडी/ 2017-18	02.05.18	5	1.562 से 1.577	102	95.01 से 95.26	5
4.			10.06.18	7	1.562 से 1.577	102	95.00 से 95.14	7
5.			16.01.19	5	1.562 से 1.577	102	95.00 से 95.20	5
6.	कटिहार	03 एसबीडी/ 2016-17	15.11.17	3	1.54 से 1.65	102	95.00 से 95.10	2
7.			25.06.18	3	1.566 से 1.611	102	नहीं किया गया	3
8.			21.06.18	2	1.552 से 1.736	102	नहीं किया गया	1
9.	झंझारपुर–I	01 एसबीडी/ 2023-24	15.05.24	29	1.652 से 1.807	100 से 102	90.51 से 94.55	0
10.			05.03.24	52	1.652 से 1.835	100 से 102	90.64 से 94.34	0
11.	झंझारपुर–I	04 एसबीडी/ 2021-22	31.01.22	5	1.707 से 1.857	100 से 102	95.32 से 95.93	0
12.			20.02.22	6	1.584 से 1.742	102	95.00 से 95.97	1
13.			12.03.22	4	1.597 से 1.759	100 से 102	95.01 से 95.45	1
14.			20.05.22	4	1.622 से 1.726	102	95.07 से 95.38	1
15.			11.04.22	1	1.680	102	उपलब्ध नहीं	0
16.			02.06.22	4	1.680 से 1.713	102	उपलब्ध नहीं	0
17.	झंझारपुर–II	01 एसबीडी/ 2023-24	06.03.24	39	1.661 से 1.738	102	90.62 से 94.82	0
18.			07.01.24	09	1.648 से 1.757	100 से 102	96.47 से 97.45	2
19.	झंझारपुर–II	04 एसबीडी/ 2021-22	07.01.24	9	1.648 से 1.757	100 से 102	96.47 से 97.45	2
20.			06.05.22	6	1.626 से 1.738	102	95.04 से 95.28	1
21.			21.02.22	5	1.695 से 1.757	100 से 102	95.19 से 95.83	0
	कुल			**221**	**1.540 से 1.857**		**90.62 से 97.45**	**46**

(स्रोत: संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट–3.12

(संदर्भः कंडिका 3.5 (ब))

मिट्टी उठाव क्षेत्र की गुणवत्ता परीक्षणों को किए बिना उठाव क्षेत्र से निकाली गई मिट्टी की मात्रा को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	निष्पादन की अवधि	मिट्टी क्षेत्र से प्राप्त मिट्टी (घन मीटर लाख में)
1	एफसीडी, दरभंगा	फेज–III (बी) के तहत बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना	10 एसबीडी/2020-21	मार्च 2021 से सितंबर 2024 तक	36.99
2	बीडी, सीतामढ़ी	रातो नदी पर बाएं और दाएं तटबंध का निर्माण	04 एसबीडी / 2017-18	फरवरी 2018 से मार्च 2024 तक	4.99
3	एफसीडी–1, झंझारपुर	फेज–II के तहत बाएं और दाएं कमला बलान तटबंध का ऊँचीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण	01 एसबीडी / 2023-24	मई 2023 से अक्टूबर 2024 तक	27.88
4		एलबीबीई का 25.00 किमी (ग्राम राम नगर के पास) से 31.60 किमी तक घोघरडीहा–निर्मली लिंक रोड (परसा हॉल्ट के पास) तक विस्तार और श्रृंखला माप में एएफएस का निर्माणः 25.488, 28.470 और 29.710 किमी।	03 एसबीडी/ 2020-21	सितंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक	2.28
5		फेज–I के तहत बाएं और दाएं कमला बलान तटबंध का ऊँचीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण	04 एसबीडी / 2021-22	जनवरी 2022 से मार्च 2024 तक	21.05
6	एफसीडी–2, झंझारपुर	फेज–II के तहत बाएं और दाएं कमला बलान तटबंध का ऊँचीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण	01 एसबीडी / 2023-24	मई 2023 से अक्टूबर 2024 तक	20.02
7		फेज–I के तहत बाएं और दाएं कमला बलान तटबंध का ऊँचीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण	04 एसबीडी / 2021-22	जनवरी 2022 से मार्च 2024 तक	39.72
	कुल				**152.93**

(स्रोतः संबंधित प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ : कंडिका 4.1)

मूल्य समायोजन की गलत गणना के कारण किए गए अधिक भुगतान का विवरण

(राशि ₹)

चालू अकाउंट बिल की संख्या	माप की तिथि	कार्य का मूल्य (आर)	अनुसूची 'ई' के अनुसार इस्पात का प्रतिशत (पीएस)	माप के समय स्टील का डब्ल्यूपीआई (एस1)	जनवरी 2017 के लिए स्टील का डब्ल्यूपीआई अर्थात बोली खुलने के 28 दिन पहले (एसओ)	समायोजित की जाने वाली स्टील की वास्तविक राशि { वीओ =**0.85x**पीएस **/100x** आर **x**((एस1-(एसओ)/ (एसओ }	अनुसूची 'ई' के अनुसार सीमेंट का प्रतिशत (पीसी)	माप के समय सीमेंट का डब्ल्यूपीआई (सी1)	जनवरी 2017 के लिए सीमेंट का डब्ल्यूपीआई अर्थात बोली खुलने के 25 दिन पहले (सीओ)	समायोजित की जाने वाली सीमेंट की वास्तविक राशि {वीओ =**0.85x** पीसी **/100x**आर**x**(सी1-सीओ)/सीओ)
पहला	10.02.18	10,51,56,771	13	108.6	90.5	23,23,965	15	111.3	108.3	3,71,399
दूसरा	21.03.18	2,59,36,818	13	110.7	90.5	6,39,708	15	110.3	108.3	61,070
चौथा	26.07.18	12,28,61,078	13	113.4	90.5	34,35,291	15	110.9	108.3	3,76,071
पांचवां	16.09.18	9,46,91,242	13	115.2	90.5	28,55,752	15	110.4	108.3	2,34,105
छठा	23.11.18	3,73,28,662	13	115.0	90.5	11,16,663	15	109.6	108.3	57,130
सातवाँ	25.12.18	5,88,61,908	13	112.9	90.5	16,09,889	15	109	108.3	48,508
आठवाँ	23.02.19	12,54,46,681	13	112.1	90.5	33,08,466	15	111.6	108.3	4,87,366
नौवाँ	30.05.19	11,83,45,436	13	112.1	90.5	31,21,181	15	111.6	108.3	4,59,777
दसवाँ	30.07.19	7,97,70,000	13	108.5	90.5	17,53,177	15	111.6	108.3	3,09,910
कुल						**2,01,64,092**				**24,05,336**
एसबीडी की अनुसूची ई में दिखाए गए प्रतिशत घटक के अनुसार देय राशि (2,01,64,092+24,05,336)										**2,25,69,428**
प्रमंडल द्वारा भुगतान की गई राशि										**3,26,31,323**
परिहार्य अधिक भुगतान										**1,00,61,895** या ₹ **1.01** करोड़

परिशिष्ट–4.2

(संदर्भ : कंडिका 4.3)

विश्वविद्यालय द्वारा एजेंसी को किए गए भुगतान का विवरण

(राशि: ₹ में)

क्रम संख्या	बिल नं.	बिल तिथि	बिल मूल्य	बिल मूल्य पर आईजीएसटी (18 प्रतिशत की दर से)	कुल भुगतान की गई राशि
1	384/2021-22	15 सितंबर 21	1,59,52,506	28,71,451	1,88,23,957
2	391/2021-22	21 सितंबर 21	4,90,43,114	88,27,761	5,78,70,875
3	699/2021-22	17 जनवरी 22	3,58,45,306	64,52,155	4,22,97,461
4	93/2022-23	4 अक्टूबर 22	63,75,180	11,47,532	75,22,712
5	95/2022-23	16 नवंबर 22	1,48,47,236	26,72,502	1,75,19,738
6	99/2022-23	5 दिसंबर 22	82,70,239	14,88,643	97,58,882
7	100/2022-23	6 दिसंबर 22	85,24,782	15,34,461	1,00,59,243
8	101/2022-23	7 दिसंबर 22	82,50,359	14,85,064	97,35,423
9	102/2022-23	8 दिसंबर 22	81,36,654	14,64,597	96,01,251
10	103/2022-23	9 दिसंबर 22	81,82,581	14,72,864	96,55,445
11	104/2022-23	6 जनवरी 23	60,52,500	10,89,450	71,41,950
12	105/2022-23	6 जनवरी 23	7,06,920	1,27,246	8,34,166
13	106/2022-23	11 जनवरी 23	36,21,678	6,51,902	42,73,580
14	107/2022-23	11 जनवरी 23	8,48,501	1,52,730	10,01,231
15	108/2022-23	11 जनवरी 23	85,44,318	15,37,977	1,00,82,295
16	109/2022-23	11 जनवरी 23	83,81,922	15,08,746	98,90,668
17	110/2022-23	11 जनवरी 23	81,92,346	14,74,622	96,66,968
18	111/2022-23	11 जनवरी 23	88,22,228	15,88,001	1,04,10,229
19	119/2022-23	16 फरवरी 23	63,34,120	11,40,142	74,74,262
20	120/2022-23	16 फरवरी 23	55,58,600	10,00,548	65,59,148
21	121/2022-23	16 फरवरी 23	27,94,450	5,03,001	32,97,451
22	122/2022-23	16 फरवरी 23	2,28,02,832	41,04,510	2,69,07,342
23	123/2022-23	16 फरवरी 23	2,00,10,960	36,01,973	2,36,12,933
24	124/2022-23	16 फरवरी 23	1,00,60,020	18,10,804	1,18,70,824
25	125/2022-23	16 फरवरी 23	42,47,600	7,64,568	50,12,168
26	126/2022-23	16 फरवरी 23	42,03,675	7,56,661	49,60,336
27	127/2022-23	16 फरवरी 23	42,93,870	7,72,896	50,66,766
28	128/2022-23	16 फरवरी 23	38,65,884	6,95,859	45,61,743
29	05/2023-24	28 अप्रैल 23	27,94,800	5,03,064	32,97,864
30	18/2023-24	29 मई 23	10,87,200	1,95,696	12,82,896
31	19/2023-24	29 मई 23	14,76,696	2,65,805	17,42,501
32	20/2023-24	29 मई 23	66,000	11,880	77,880
कुल			**29,81,95,077**	**5,36,75,111**	**35,18,70,188**

परिशिष्ट–4.3

(संदर्भ : कंडिका–4.4)

हर्जाना और ब्याज के जुर्माने के भुगतान के लिए किए गए परिहार्य व्यय का कार्यालय–वार विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	कार्यालय	वेतन महीना	प्रेषण में विलंब की सीमा (दिनों में)	परिहार्य व्यय		
				ब्याज की राशि	नुकसान की राशि	कुल राशि
1	डीडब्ल्यूओ, अररिया	जनवरी 2019 से फरवरी 2023 तक	1 से 247	3,25,191	4,15,851	7,41,042
2	डीडब्ल्यूओ, अरवल	अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2023 तक	3 से 419	380	74,827	75,207
3	डीडब्ल्यूओ, औरंगाबाद	जुलाई 2018 से अप्रैल 2023 तक	1 से 619	3,02,312	2,06,250	5,08,562
4	डीडब्ल्यूओ, भागलपुर	अक्टूबर 2018 से जनवरी 2022 तक	2 से 575	5,61,456	5,34,460	10,95,916
5	डीडब्ल्यूओ, बक्सर	अप्रैल 2019 से अप्रैल 2022 तक	2 से 551	7,72,838	14,02,524	21,75,362
6	डीडब्ल्यूओ, दरभंगा	अप्रैल 2019 से अप्रैल 2023 तक	2 से 264	8,00,056	9,81,593	17,81,649
7	डीडब्ल्यूओ, कैमूर	अक्टूबर 2018 से सितंबर 2021 तक	1 से 531	1,50,151	1,34,426	2,84,577
8	डीडब्ल्यूओ, खगड़िया	अप्रैल 2019 से जनवरी 2023 तक	1 से 457	2,11,537	1,96,209	4,07,746
9	डीडब्ल्यूओ, लखीसराय	अप्रैल 2019 से मार्च 2023 तक	1 से 335	61,225	36,621	97,846
10	डीडब्ल्यूओ, पटना	अप्रैल 2019 से जनवरी 2023 तक	5 से 322	23,86,267	35,99,141	59,85,408
11	डीडब्ल्यूओ, समस्तीपुर	अप्रैल 2019 से नवंबर 2020 तक	2 से 185	2,85,040	0	2,85,040
(ए)	कुल		1 से 619	**58,56,453**	**75,81,902**	**1,34,38,355**
12	डीपीओ (स्थापना), मधुबनी	जनवरी 2020 से मार्च 2022 तक	6 से 838	-	-	2,27,98,578
13	डीपीओ (स्थापना), मुजफ्फरपुर	सितंबर 2020 से फरवरी 2022 तक	1 से 970	-	-	14,74,568
(बी)	कुल		1 से 970	**-**	**-**	**2,42,73,146**
कुल योग (ए + बी)				**58,56,453**	**75,81,902**	**3,77,11,501**

परिशिष्ट–4.4

(संदर्भ : कंडिका–4.6)

बोल्डर की मात्रा, ढुलाई दर और किए गए भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	अनुबंध संख्या	अनुमोदित प्राक्कलन/समझौते के अनुसार आवश्यक बोल्डर की मात्रा (घन मीटर में)		कार्यों में उपयोग किए जाने वाले बोल्डर की मात्रा (घन मीटर में), परिवहन की दर और किया गया भुगतान					देय राशि यदि बोल्डर को रेल के माध्यम से ले जाया जाता		परिहार्य भुगतान (₹ करोड़ में) (9) – (11)– (9–11) का 10 %
		रेल मार्ग	सड़क मार्ग	मात्रा (रेल मार्ग)	प्रति घन मीटर दर (₹ में)	मात्रा (सड़क मार्ग)	प्रति घन मीटर दर (₹ में)	कुल भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में) {5×6+7×8}	कुल मात्रा {5+7}	देय राशि (₹ करोड़ में){6×10}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	09 एसबीडी/ 2017-18	1,364.69	3,184.27	1,356.55	3,091.20	3,165.30	5,568.60	2.18	4,521.85	1.40	
2	11 एसबीडी / 2017-18	2,916.00	6,804.00	2,921.28	2,933.08	6,816.33	5,410.48	4.54	9,737.61	2.86	
3	18 एसबीडी / 2017-18	2,527.20	5,896.80	2,485.65	3,407.45	5,798.64	5,963.91	4.31	8,284.29	2.82	
	कुल	**6,807.89**	**15,885.07**	**6,763.48**		**15,780.27**		**11.03**	**22,543.75**	**7.08**	**3.56***

₹ 3.56 करोड़ = ₹3.95 करोड़ {कुल भुगतान राशि (₹11.03 करोड़)– देय राशि (₹ 7.08 करोड़) – ₹ 3.95 करोड़ का 10 प्रतिशत (चूंकि, अनुबंधों को अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत कम पर प्रदान किया गया था)}

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/bihar/hi